राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का एक सौ सतहत्तरवां दिवस [संख्या: 25

मंगलवार,

18 जुलाई 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

पुलिस कांस्टेबलों के वेतन-भत्तों में वृदि्ध

470. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस कांस्टेबल के वेतन-भत्तों की बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों के संबंध में सरकार को कई बार ज्ञापन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे व मिलने वाले समस्त भत्तों में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की पुलिस कल्याण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। पुलिस कांस्टेबल के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर समय-समय पर ज्ञापन प्राप्त होते रहते हैं। औचित्यपूर्ण मांगों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न भत्तों में वृद्धि की जाती है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक देय भत्तों में की गई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे एवं मिलने वाले भत्तों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(3) पुलिस कल्याण हेतु पूर्व में ही राजस्थान पुलिस कल्याण निधि, राजस्थान पुलिस हितकारी निधि, सामूहिक बीमा योजना एवं विशेष जीवन बीमा योजना संचालित है।

वर्तमान में पुलिस कल्याण हेतु कोई नवीन योजना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में आया है कि 2018 में पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता 2,000 रुपये था उसको बढ़ा करके 2,200 रुपये किया। यह बढ़ोतरी बहुत कम है या नहीं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो हजार से कोई पांच हजार तो कर नहीं सकते। जो बढ़ोतरी होती है वह दस प्रतिशत, पन्द्रह प्रतिशत तक ही होती है।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): महंगाई के अनुसार जितनी महंगाई बढ़ी है, दूसरे कार्मिकों के जितने वेतन-भत्ते बढ़े, उस परिमाण में बहुत कम है, इनको बढ़ाने की जरूरत है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बेहतर तो यह है कि महंगाई कम करने के बारे में विचार करना चाहिये।

प्रश्न संख्या 471

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री महेन्द्र विश्नोई।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन

472. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में वर्तमान में 200 लो फ्लोर एवं 800 मिनी बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत संचालित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दस हजार की आबादी पर छह बसें होनी चाहिए? यदि हां, तो उक्त गणना से शहर की पचास लाख की आबादी को देखते हुए तीन हजार बसों का संचालन होना चाहिए? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

(श्री कालीचरण सराफ)

मापदण्डानुसार बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता। मुझे बड़ी पीड़ा है। यह राजस्थान की विधान सभा में पहला मौका है ट्रेजरी बैंच इतनी लापरवाह है, उत्तर देने के लिए मंत्री उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मंत्री तो उपलब्ध है, लीडर आफ अपोजिशन इतना होशियार होगा, पता नहीं था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कहां उपलब्ध है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जयपुर शहर में वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा नगरीय सेवा के लिए 209 परमिट जारी किये गये हैं जिनमें जेसीटीएसएल द्वारा वर्तमान में 200 लो-फ्लोर बसें संचालित हैं एवं निजी वाहन मालिकों के द्वारा 2040 मिनी बसों का संचालन किया जा रहा है।

(2) जी हां। यथा सम्भव मापदण्डों के अनुसार बसों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। बसें खरीदने हेतु टेंडर प्रक्रियाधीन है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, मैंने 09 जुलाई, 2019 को बसों की कमी के बारे में प्रश्न पूछा था तो आपने जवाब दिया था कि बोर्ड की बैठक में 600 बसें चलाने का निर्णय ले लिया गया है, उसमें से 300 बसें डीजल की और 300 बसें इलेक्ट्रिक होंगी, तो उसका क्या हुआ? चार साल हो गये और अभी भी आप 200 बसें चला रहे हो, तो इसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी। ये बैठे-बैठे ही मदन जी अपने कमेंट कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): देखिये वह तो जो आपने बताया है कि यह फैसला कर लिया गया था, यह कर लिया गया था, उस फैसले को बोर्ड ने बदल दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने यह पूछा है कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दस हजार की आबादी पर 6 बसें होनी चाहिये। प्रश्न यही था आपका कि 6 बसें होनी चाहिये?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आता है उसके बाद में कि उक्त गणना से शहर की पचास लाख की आबादी को देखते हुए तीन हजार बसों का संचालन होना चाहिये, यह आपने पूछा है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह कौनसी सेन्सस है जिसने जयपुर के पचास लाख आदमी बता दिये?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वही बात बता रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। पहले जवाब सुनेंगे या खड़े हो जायेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक सवाल इस बात का है कि दस हजार के ऊपर 6 बसें चलायी जायें तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में वर्तमान में नगरीय सेवा में 209 परमिट लो-फ्लोर बसों के चल रहे हैं, उनमें से 200 बसें 70 लो-फ्लोर और 130 मिडी बसें हैं। यह जेसीटीएसएल के द्वारा संचालित हो रही हैं। मिनी बसों का संचालन निजी बस मालिकों के द्वारा किया जाता है। परिवहन विभाग के द्वारा 2,291 परमिट जारी हुए हैं लेकिन चल रही हैं 2040, तो एक तो 2040 हो गयी।

अब ये तीन हजार की जो आपने बतायी कि तीन हजार बसें होनी चाहिये पचास लाख की आबादी पर तो पहला तो जवाब मेरा यही है कि पचास लाख की आबादी नहीं है जयपुर की, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जोड़ कर देख लो 2040 तो वाहन चल रहे हैं परिवहन विभाग के, ठीक है? 200 बसें वो चल रही हैं, तो ये हो गयीं 2240। अब जिनके टेंडर हो गये वो जेसीटीएसएल के द्वारा जयपुर शहर में सौ इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अनुबंध किया जा चुका है, तो सौ ये जुड़ गयीं। माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा में 2023-24 में शहर में तीन सौ बसें, सौ मिडी बसें और दो सौ बसें 12 मीटर लम्बी हैं वो मिलनी है, उसका टेंडर सर्विस मॉडल के आधार पर किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, ये तो बसें हो गयीं आपकी पूरी जो मानक के हिसाब से कह रहे हो आप।

अब सवाल यह रहता है कि हमने मैट्रो चलायी। मैट्रो में आज भी 45

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हजार आदमी सफर कर रहे हैं। अब दूसरा रूट और चालू करना चाहते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट और चालू करना चाहते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की मदद कतई नहीं मिल रही है हमें। ऐसी शर्तें उन्होंने लगा दीं कि एमडी हमारा होगा, चेयरमैन हमारा होगा और पैसा कुछ नहीं तो ये सब बातें हैं। अगर उन शर्तों में आप रिलैक्सेशन करवा दो तो फिर ये दूसरी मैट्रो भी चल जायेगी तो उससे भी कम से कम आपके 25-30 हजार आदमी और बढ़ जायेंगे। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, मानकों के अनुसार यह सरकार चलाना चाहती है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सरकारी बसें बन्द कर दीं। कम से कम बीस रूट बन्द हो गये, उसमें सरकारी बसों में छात्रों को आई डी कार्ड दिखा कर पचास प्रतिशत की जो छूट मिलती थी और महिलाओं को जो 30 प्रतिशत की छूट मिलती थी, सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी वह बन्द हो गयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह रिलेवेंट नहीं है। प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब केवल निजी बसों के आधार पर आपने उनकी मोनोपोली कर दी और ये सरकारी सिटी बसें चला नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है या भाषण देना है? प्रश्न पूछिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने जैसा कहा कि चार साल पहले आपने कहा कि 600 बसें चलायेंगे और अभी भी 200 ही बसें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न नहीं पूछना है? प्रश्न पूछना ही नहीं है आपको।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह बात बोल चुके आप। बार-बार बोलेंगे क्या? प्रश्न पूछें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2019 में आपने 600 बसें चलाने की घोषणा की थी सदन में और अब आप कह रहे हैं कि वह 200 बसें चल रही हैं, तो 600 बसों का क्या हुआ?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तीन हजार के आंकड़े दे दिये मैंने आपको। आप बसें चलाने में इंटरेस्टेड हो या छूट लेने में इंटरेस्टेड हो?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या साहब, ये क्या जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष: दोनों एक-दूसरे को सुन नहीं रहे हो।

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में जिप्सम के अवैध खनन की रोकथाम

473. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत देशली, 22 RJD, 10 DOL, 2KM (डब्बर) की वन भूमि में अवैध जिप्सम का खनन हो रहा है? यदि हां, तो माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक अवैध जिप्सम की निकासी की रोकथाम के लिए कब-कब अभियान चलाकर किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गये व किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने अवैध जिप्सम खनन की रोकथाम के लिए कोई नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत देशली की वन भूमि पर अवैध जिप्सम खनन के संबंध में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक वन विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.10.2022 के अनुसार भूमि सुधार हेतु खातेदारों को 3 मीटर तक जिप्सम की परत हटाने हेतु प्रावधान किये गये हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 में प्रावधान हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक अवैध जिप्सम की निकासी की रोकथाम के लिये आपके विभाग द्वारा कब-कब अभियान चलाया गया? मैंने यह पूछा था, इसका जवाब नहीं दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतें देशली, 22 RJD, 10

(श्रीमती संतोष)

DOL, 2 KM (डब्बर) का मैंने इसमें आपसे पूछा था। इसमें सिर्फ देशली के 2 मुकदमे इन्होंने बताये हैं। क्या अन्य जगहों पर अवैध खनन नहीं हुआ है? इसका जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चार पंचायतों का पूछा है, एक पंचायत देशली में अवैध खनन हुआ है, बाकी तीन पंचायतों में अवैध खनन के कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं, इसलिए उन तीन पंचायतों के बारे में नहीं बताया गया। आपने विशेष अभियान चलाने की बात कही, विशेष अभियान चलाकर इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अभियान चलाकर तो कार्यवाही नहीं की गई लेकिन मैंने जो पूछा था, उसकी डिटेल नहीं दी गई है। इसके अलावा यह कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हुआ है। मैं यह दिखाना चाहूंगी, अवैध जिप्सम खनन रोकने गये वनपाल को माफियाओं ने घेरा और कुचलने की कोशिश की। यह क्या है? जो शिकायत करते हैं या जो सूचना देते हैं उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जाता है। मेरे पास रोज ग्रामीणों के फोन आते हैं और विभाग के सी आई वगैरह द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, हमें एस पी से बात करनी पड़ती है, कलेक्टर से बात करनी पड़ती है, तब जाकर कार्यवाही होती है। अवैध खनन हो रहा है लेकिन मुकदमे दर्ज होते ही नहीं हैं। हम सबको पता है कि वन भूमि में अवैध खनन एक बहुत बड़ा अपराध है। सरकार इसके स्थायी समाधान के लिये क्या कर रही है?

दूसरा मेरा सवाल है, इन्होंने देशली में दो मामले बताये हैं, 01.10.2022 और 05.11.2022 को दो मामले दर्ज हैं। इनमें एक में ढाई लाख की पेनल्टी लगाई है और दूसरे में 70 हजार की पेनल्टी लगाई है। इतनी कम पेनल्टी में क्या अवैध जिप्सम खनन रोका जा सकता है? इस प्रकार से तो पेनल्टी भर कर वह अवैध खनन करते रहेंगे। दूसरी बात...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष जी, प्रश्न ही पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कहां है, इसमें तो उत्तर को उत्तर बताया जा रहा है। स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): प्रश्न यही है कि क्या इतनी कम पेनल्टी में अवैध जिप्सम खनन को रोका जा सकता है?

श्री अध्यक्ष: बस काफी हो गया। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर दें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि विशेष अभियान नहीं चलाया गया है और माननीय सदस्या का यह कहना है कि विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन की रोकथाम के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं आज ही निर्देश दे दूंगा कि इसके लिये विशेष अभियान चलाया जाये।

दूसरा, अवैध खनन के बारे में आपने आज दिन तक तो कभी मुझे शिकायत नहीं की। अगर आपकी कोई शिकायत मेरे पास आती, चाहे लिखित में, चाहे मौखिक रूप से, तो मैं निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देश देता कि अवैध खनन हो रहा है, इसको रोका जाये। मुझे अनूपगढ़ के किसी भी व्यक्ति या किसी जन-प्रतिनिधि की अवैध खनन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिसकी वजह से वहां कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा सका।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैंने शिकायत की थी, मैंने विधान सभा में ही रखा था। फरवरी, 2021 में आनंदगढ़ 1 एनएम जो हमारा वन विभाग का क्षेत्र है, वहां अवैध खनन हो रहा है और वहीं पर एक महिला का मर्डर और रेप हुआ था। उसको अभी तक सोर्टआउट नहीं किया गया है। चावली देवी मर्डर केस था उसको दो साल हो गये, क्योंकि उसमें जिप्सम माफियाओं का हाथ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्लीज आप बैठें। माननीय मंत्री जी, उनका स्पेसिफिक प्रश्न है कि उन्होंने असेंबली में पूछा कि क्या वहां अवैध खनन हो रहा है, ऐसा केस आपको रिपोर्ट हुआ है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): मैंने कहा है कि अवैध खनन के बारे में आप मेरे को लिखित में दे दें, जांच करा दूंगा। जांच कराकर उच्च स्तरीय कमेटी बना दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): यहां से प्रधान कार्यालय से एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने खण्ड 2 में यह कहा कि राज्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार की अधिसूचना 21.10.2022 के अनुसार भूमि सुधार के लिये खातेदारों को आपने तीन मीटर तक जिप्सम की परत हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या तीन मीटर के नीचे अगर जिप्सम है तो खातेदार उसको निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? क्या सरकार जिप्सम खनन के लिये कोई पालिसी बनाने का विचार रखती है? आपके उत्तर से लगता है कि आपने दे दिया कि तीन मीटर नीचे तक भूमि सुधार के लिये निकाल लो। जिप्सम के खनन के लिये आपकी कोई पालिसी है या बनाने का विचार रखते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): यह जो अधिसूचना जारी हुई है, यह पालिसी ही तो है। इसके तहत कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में से जिप्सम निकालना चाहता है तो उसके लिये एप्लाई करना पड़ेगा और एप्लाई करने के बाद तीन मीटर तक उसको अनुमति प्रदान की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, हो गया, प्लीज बैठें।

लूणकरणसर ग्राम पंचायत में सरकारी भूमियों पर कब्जे की शिकायतें

474. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की ग्राम पंचायत लूणकरणसर में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक सरकारी भूमि गोचर, आराजीराज भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जे किये जाने की कितनी शिकायतें जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर को प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लूणकरणसर मंडी क्षेत्र व रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप आराजीराज रकबा है, उसे MFFR (महाजन फील्ड फायरिंग रेंज) के नाम पर आबंटन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में पूर्व या वर्तमान में कार्यरत कार्मिक हल्का लूणकरणसर की परोक्ष या अपरोक्ष भूमिका पाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि के आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) ग्राम पंचायत लूणकरणसर में वर्ष 2019 से दिसम्बर 2022 तक भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में तहसील लूणकरणसर में कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	**शिकायत का विवरण**	**तहसील स्तर पर की गई कार्यवाही/वर्तमान स्थिति**
01	कार्यालय अधिशाषी अभियंता, विद्युत विभाग लूणकरणसर के सामने एन.एच. 62 के पास स्थित भूमि पर अतिक्रमण।	मौके पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

02 अन्य प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त प्रकरणों में नियमानुसार अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**मि. नं.**	**प्रकरण दर्ज दिनांक**	**उनवान**	**पटवार मण्डल**	**ख.नं.**	**रकबा**	**किस्म**	**निर्णय दिनांक**	**वि.वि**
1	08	27.8.20	ओमप्रकाश पुत्र प्रभूराम जाति जाट	लूणकरणसर	266	1.86 हैक्टे.	मोठ	16.9.20	निर्णीत
2	24	15.10.20	दलीप कुमार पुत्र बीरबल राम जाति जाट सा. गोपल्याण	लूणकरणसर	1047	2.28 हैक्टे.	ग्वार	02.11.20	निर्णीत

(2) जी हां। लूणकरणसर मंडी क्षेत्र व रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप आराजीराज रकबा है उस पर एम एफ एफ आर (महाजन फील्ड फायरिंग रेंज) के नाम पर आबंटन किया गया क्योंकि आबंटी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित हैं। तहसील लूणकरणसर से प्राप्त आबंटियों का विवरण संबंधी सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज विस्थापितों को ग्राम लूणकरणसर में किये गये निम्न आबंटनों की जांच प्रक्रियाधीन है:-

1. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी मोहनलाल, रामुकमार वगै. पि. मोहनलाल वि. ग्रा. कानोलाई,

2. डूंगरराम पुत्र फुसाराम नायक निवासी भाडेरा,

3. लेखराम पुत्र गिरधारी राम वि. ग्रा. दुदेर तह. खाजूवाला, एवं

4. श्री गिरधारीराम वगै. पि. श्रीमती उमा देवी पत्नी फूसाराम, वि. ग्रा. कानालोई, श्री निम्बाराम, कोजुराम वगै. पि. अर्जुनराम नायक तहसील लूणकरणसर।

प्रकरण में जांच उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-अ के क्रम संख्या 5 पर बिशनाराम पुत्र रामूराम मेघवाल हाल 16 केएलडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर के प्रकरण में कोई परिवाद पेश होने पर परिवाद की जांच की जाकर गुणावगुण पर परीक्षण किया जाकर आबंटन की जांच के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

परिशिष्ट-अ के क्रम संख्या 6 पर चन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह कौम राजपूत साकिन देवासर तह. पूगल एम एफ एफ आर गैर खातेदार के प्रकरण में अति0 आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर द्वारा दिनांक 13.10.2017 को की गई जांच के आधार पर आबंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार लूणकरणसर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि आबंटन) नियम, 1970 के तहत प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2022 से राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 22(3) के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.04.2022 को रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 06.04.2023 को रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 6.4.2022 में संशोधन करते हुए स्टेट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि आबंटन) नियम, 1970 उचित माना जाकर प्रार्थना पत्र को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 06.02.2023 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी दायर होने पर प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि उक्त भूमि जो लूणकरणसर में है, यह रीको औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये, एक्सटेंशन के लिये लूणकरणसर मंडी जो ग्राउंडनट हब आफ इंडिया है, उसके विकास के लिये और मंडी समिति विकास एरिये के विकास के लिये लूणकरणसर के समीप जिसका बाजार मूल्य 100 करोड़ है, क्या कारण रहा कि उक्त भूमि का आबंटन लूणकरणसर के समीप ही उस जगह किया गया जो कि लूणकरणसर के विकास के काम आ सकती थी? आप भूमि कहीं भी दे सकते थे, यहां क्यों आबंटन किया गया?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, महाजन फायरिंग रेंज के विस्थापित 34 गांव थे, जिसमें लगभग कुल 5084 लोग थे। इसमें 31.12.2010 तक प्रार्थना पत्र पेश किये गये, उनके लिये लगभग 5,51,339 बीघा जमीन आरक्षित की गई। इसमें जिन लोगों ने आवेदन किया, उनको आबंटित की गई। उसमें कुछ मंडी की भी थी, बिजली के ग्रिड भी थे, रास्ते भी थे, और भी जमीनें हैं। उसमें किसी का आबंटन नहीं हुआ, लेकिन जो अतिक्रमी हैं, मंडी समिति में आबंटन है, उसमें किसी ने अतिक्रमण कर लिया, उसको जैसे ही 91 की कार्यवाही हुई, उसे दो साल पहले ही हटा दिया। इसके अलावा 31.12.2010 तक जो आवेदन प्राप्त हुए, उनको तो आबंटन हुई, उसमें 178 बाकी रहे। उनके लिये 31.10.2020 तक तारीख बढ़ाई गई। उसमें जो और आवेदन हुए, उन लोगों को आबंटन की जा रही है। वह उपनिवेशन के स्तर पर बीकानेर ही आबंटन होती है। पहले राज्य सरकार के यहां आबंटन की प्रक्रिया थी, लेकिन 2020 में इसके नियम बदल दिये गये और वहीं का वहीं आबंटन किया जा रहा है।

जहां तक सदस्य का प्रश्न है कि मंडी समिति को अलाटेड है, लेकिन कोई अतिक्रमण कर लेता है तो उसकी नियम प्रक्रिया है, उसके तहत हम हटाते हैं। तीन लोगों के अतिक्रमण थे, तीनों को हमने हटा दिये। एक 27.08.2020 को प्रकरण दर्ज हुआ और 16.09.2020 को हटा दिया गया। एक प्रकरण 15.10.2020 को दर्ज हुआ और 02.11.2020 को हटा दिया गया। इन तीन अतिक्रमणों में एक का रास्ते में अतिक्रमण था, एक बिलानाम

(श्री रामलाल जाट)

में था, एक मंडी समिति की जमीन पर था। तीनों को बेदखल कर दिया गया, फिर भी और कोई अतिक्रमी है तो आप हमें बताएं, हम निश्चित रूप से तुरंत एक्शन लेंगे।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या लूणकरणसर के भविष्य के लिये, जहां आधा इलाका झील में आ जाता है, और कोई स्थान नहीं है? जो यह भूमि आबंटन अवैध रूप से किया गया है, सरकार क्या उसको निरस्त करके लूणकरणसर के विकास के लिये सरकारी भूमि के रूप में करने का विचार रखती है?

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कारण रहे कि प्राइम लोकेशन की भूमियों पर राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से महाजन फायरिंग रेंज में किसानों के नाम पर जो लूट हो रही है, जिसका उदाहरण हमने रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण बीकानेर में देखा, यह प्रकरण लगातार आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं पूछना, बैठें आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी, चेयर का काम है, माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, यह चेयर का काम है, अनफोर्चुनेट है।

माननीय सदस्य, क्या मैं हाउस को बन्द कर दूं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बोलने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: बोलने क्या दिया जाये? क्या यह घर है कि बोलने दिया जाये? यह हाउस है, हाउस नियम से चलता है। आपके मन से नहीं चलता है। बैठकर बोल रहे हैं कि बोलने दिया जाये। पांच-छह बार के एमएलए हैं और आपको हाउस चलाने के नियम मालूम नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

सामोद वीर हनुमान मंदिर में रोप-वे का संचालन

475. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर के सामोद वीर हनुमान जी मंदिर में रोप-वे कब लगाया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोप-वे का संचालन प्रारम्भ करने के बाद उक्त का संचालन रोका गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त रोप -वे का संचालन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) आवेदक वीर हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट, नांगल भरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र पर अनुज्ञापन प्राधिकारी (जिला कलेक्टर, जयपुर) द्वारा वीर हनुमान जी मंदिर में पेसेन्जर रोप-वे लगाने हेतु दिनांक 01.06.2015 को सशर्त अनुमति प्रदान की गयी। तदुपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रोप-वे संचालन हेतु दिनांक 17.05.2019 को सशर्त अनापत्ति जारी की गयी। सशर्त अनुमति एवं अनापत्ति की प्रतियां परिशिष्ट-अ और ब पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। आवेदक द्वारा सशर्त अनापत्ति की शर्तों की पालना नहीं की गयी तथा राजस्थान रज्जू मार्ग अधिनियम, 1996 की धारा 13 में विहित मुख्य निरीक्षक, रोपवेज की रिपोर्ट के बिना ही रोप-वे का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया। अत: अनुज्ञापन प्राधिकारी (जिला कलेक्टर, जयपुर) के द्वारा दिनांक 27.06.2019 को नोटिस जारी कर उक्त रोप-वे का संचालन रोक दिया गया। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त रोप-वे के संबंध में वन क्षेत्र में रोप-वे संचालन के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.11.2022 में लिए गए निर्णयानुसार उक्त रोप-वे की प्रस्तावित भूमि का भाग जो कि वन विभाग के रिकार्ड में दर्ज है, का विधिवत प्रत्यावर्तन कराये जाने हेतु आवेदक को निर्देशित किया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही उक्तानुसार वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात् ही की जायेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 01.06.2015 को जिला कलेक्टर ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया, वह सभी सम्बन्धित विभागों से जांच

(श्री रामलाल शर्मा)

रिपोर्ट लेने के उपरान्त ही जारी किया होगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जब हम राजस्व रिकार्ड देखते हैं तो यह खसरा मन्दिर की जमीन के अन्दर बोलता है और गजट के अन्दर देखते हैं तो यही खसरा फोरेस्ट की जमीन के अन्दर बोल रहा है। ये दोनों डिपार्टमेंटों की लड़ाई है। राजस्व रिकार्ड के अन्दर यह खसरा है, उसी के आधार पर जिला कलेक्टर ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया था। 2019 के अन्दर इसको बन्द कर दिया। क्या सरकार यह मंशा रखती है कि आने वाले समय के अन्दर वहां के यात्रियों को देखते हुए आप कोई अंडरटेकिंग लेकर या शपथ-पत्र लेकर कुछ समय देकर फार्मेलिटी पूरी कर लें? रोप-वे का संचालन तो शुरू करवायें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले माननीय सदस्य बता रहे थे, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया था तो वह कंडीशनली जारी किया गया था, उसमें चार कंडीशंस लगायी गयी थीं कि रोप-वे का संचालन तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा, रोप-वे एवं यात्रियों की सुरक्षा के उपाय मन्दिर/ट्रस्ट द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे, रोप-वे की नियमित रूप से सार-संभाल एवं सुरक्षा आडिट मन्दिर प्रशासन द्वारा की जायेगी। वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पर्यटन विभाग व अन्य किसी विभाग या सक्षम प्राधिकारी के रोप-वे के संचालन हेतु अनापत्ति स्वीकृति की यदि आवश्यकता हो तो आवेदक के स्वयं के स्तर पर प्राप्त की जायेगी। इन्होंने यह एनओसी प्राप्त की नहीं और बिना अनुमति के ही इसका संचालन कर दिया, इसलिए फिर जैसे ही कम्प्लेन प्राप्त हुई, इसको फिर दोबारा रोक दिया गया।

श्री अध्यक्ष: जब 01.11.2022 को यह फैसला कर लिया गया कि भूमि का परिवर्तन कर दिया जाये तो उसको एक्सपेडाइट करके इस मामले को निपटायें। क्या सरकार की मंशा है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर, जयपुर एवं अध्यक्ष, रोप-वे समिति की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2022 को आहूत की गयी बैठक में सर्वसम्मति से रोपवे की प्रस्तावित भूमि का भाग जो कि वन विभाग के रिकार्ड में दर्ज है, का विधिवत प्रत्यावर्तन कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में यूजर्स एजेंसी द्वारा उक्त प्रकरण को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। अपलोड किये गये प्रस्ताव में पायी गयी कमियों की पूर्ति यूजर्स एजेंसी द्वारा पूरी कराकर इस

(श्री मुरारी लाल)

कार्यालय के पत्र क्रमांक 5805 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा प्रस्ताव नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर को अग्रेषित किया गया था जिसमें और कमियां होने के कारण नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान, जयपुर द्वारा सात बिन्दुओं के आक्षेप लगाये गये थे। उक्त आक्षेपों की पूर्ति यूजर्स एजेंसी से करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6557 दिनांक 06.06.2023 द्वारा लिखा गया, जिसका प्रत्युत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण संचालन नहीं किया जा सका।

श्री अध्यक्ष: माननीय रामलाल जी, मैं बता रहा हूं। भारत सरकार जब तक इसको एन.ओ.सी. नहीं देगी, तब तक यह नहीं हो सकेगा। आप अपनी गुडविल का उपयोग लें। राजस्थान के ही सांसद वहां पर मंत्री हैं। जब तक वहां पर कन्वर्ट करके नहीं आयेंगे, तब तक यहां कुछ नहीं होगा, आब्जेक्शन होता रहेगा, इसलिए आप अपने स्तर पर प्रयास करके वहां से एनओसी लायें। इसके बिना स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी। अगला प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। आपसे ज्यादा मैं well versed हूं। I am well versed. प्लीज बैठें। मैं बता रहा हूं कि जब तक भारत सरकार नहीं देगी तो राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं यह कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: यहां पर बैठे मिस्टर वर्मा, उनका काम ही यही है। वे भारत सरकार के आब्जेक्शन को मीट-आउट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पायेगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो इतना है कि राजस्व रिकार्ड में यह खसरा मन्दिर के नाम से है।

श्री अध्यक्ष: इससे कोई मतलब नहीं है। आप बैठें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि एक बार यदि फोरेस्ट की जमीन एन्टर हो गयी है तो किसी भी कंडीशन में बदल नहीं सकती, जब तक कि भारत सरकार से क्लियरेंस नहीं हो। Please, be clear about it. अगला प्रश्न।

कोटा में प्राकृतिक आपदा से हुए फसल खराबे का सर्वे

476. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) वर्ष 2022 में जिला कोटा के कितने गांवों में बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल खराबे का सर्वे करवाया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा किसानों को नष्ट हुई फसल का मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को जिला कोटा के किसानों से उनकी फसलों के खराबे का अधिकारियों द्वारा ठीक प्रकार से सर्वे नहीं करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) वर्ष 2022 में जिला कोटा के 963 गांवों में बाढ़ के कारण किसानों की फसलों में खराबे का सर्वे करवाया गया है।

(2) जी हां। खरीफ फसल संवत् 2079 (वर्ष 2022) में बाढ़ से फसल खराबा होने पर 71,392 कृषकों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार राशि रुपये 50.74 करोड़ का कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया गया है।

(3) जी नहीं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि 963 गांवों में 71,392 किसान प्रभावित हुए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहे, कितना बड़ा नुकसान और वृहद् सर्वे के उपरान्त भी जो प्रभावित किसान हैं उनको इतना अल्प अनुदान दिया गया, भुगतान में मिला? दूसरा है कि इस बार आपदा में खलिहानों में पड़ी जो फसल थी, जो किसानों के कच्चे-पक्के मकान ढह गये, क्या उनका भी सर्वे में आकलन किया गया?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2022 में बाढ़ से कोटा जिले में 33 परसेंट या इससे अधिक खराबे वाले कुल 1,00,063.55 7डी अनुसार काश्तकार प्रभावित हुए। इनमें से 71,392 किसानों को राशि 50.74 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 7बी के अनुसार 91,663 किसानों को भुगतान किया जाना लम्बित है। लम्बित का कारण पात्र किसानों के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। काश्तकारों के जन आधार कार्ड व बैंक विवरण में त्रुटि होना, खसरा में परिवार

(श्री गोविंद राम)

के अन्य सदस्यों के नाम, खसरे में कई नाम होने के कारण भुगतान नहीं हुआ। काश्तकारों के पलायन एवं अन्यत्र निवास करने के कारण पात्र काश्तकारों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। तहसीलदार एवं पटवारियों द्वारा भुगतान से शेष पात्र किसानों से दस्तावेज प्राप्त किये जाकर फार्म आनलाइन किये जा रहे हैं। डीएमआईएस पोर्टल पर आवेदन पत्र आज लम्बित नहीं हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 5 हजार करोड़ से भी अधिक नुकसान हुआ है इस बाढ़ आपदा में। जिस तरीके से अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया इसे गंभीरता से लेते हुए उन गरीबों, किसानों की जो अनुदान राशि है, उसका तुरन्त भुगतान करायें। मात्र कागजों के आधार पर उनको रोका नहीं जाये और उनको वास्तविक सर्वे कराकर प्रैक्टिकली जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाये।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कोई शिकायत करेंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे। पहले हमने एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार भुगतान कर दिया और शेष किसानों के जो 91,363 बचे हैं, उनकी स्थिति बता दी। उनसे ये आवेदन करवायें, सबका भुगतान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

जायल कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों की मरम्मत

477. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जायल के कृषि उपज मण्डी में कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र जायल में कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर द्वारा विगत 03 वर्षों (2020-21,

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

2021-22 व 2022-23) में 6 निर्माण कार्यों पर राशि 242.39 लाख रुपये व्यय किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभागीय आदेश दिनांक 31.12.2014 के अनुसार सम्पर्क सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य अनुमत नहीं है। परिपत्र की छाया प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निवेदन से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, आपने जो उत्तर दिया है कि तीन सड़कें प्रगति पर हैं, उनकी समय सीमा क्या है? उन कार्यों को कब तक किया जायेगा? वह बतायें। मेरा दूसरा प्रश्न है कि इन सड़कों के रखरखाव के लिए आपने जो अनुमत किया है, वह क्यों किया है? इसका कारण स्पष्ट करें। फिर इन सड़कों का रखरखाव और मरम्मत कौन करेगा? यह भी स्पष्ट करें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता। वर्ष 2010 के अंदर यह निर्णय किया गया था कि मंडी द्वारा जो भी सड़क निर्मित है, उनका रख-रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा। उसके लिए प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये देना निश्चित हुआ था। वर्ष 2014-15 तक ये पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग को जमा करा दिया गया था। उसके बाद में किसी कारण से 2014 में इस पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया था तो उसके बाद में इसमें न तो कोई डिसिजन हुआ और न सड़कों की मरम्मत की गयी। अब हम अतिशीघ्र ही दोनों विभागों की संयुक्त बैठक करके इसमें फैसला कर लेंगे।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय मंत्री महोदय, प्रगति वाली सड़कों का कार्य कब तक किया जायेगा? इसकी समय सीमा बता दीजिए आप?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): जो निर्माण पीरियड है, उसमें उन सड़कों का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल विश्नोई।

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

478. श्री बिहारीलाल (नोखा) (श्री मोहन राम चौधरी के स्थान पर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बिहारीलाल)

(1) प्रदेश में विगत चार वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया एवं उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। (1) विभागीय पोर्टल के अनुसार दिनांक 21 फरवरी, 2023 तक प्रदेश में कुल 18,40,044 पंजीकृत बेरोजगार हैं।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत 01 फरवरी, 2019 से 21 फरवरी, 2023 तक कुल 6,22,043 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है, जिन पर कुल 1927.90 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

(2) मुख्यमंत्री युवा सम्बल में केवल पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार (स्नातक एवं उच्च योग्यताधारी) आवेदकों को पात्रता एवं योजना के नियमों के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

योजनान्तर्गत एक समय में अधिकतम दो लाख आशार्थियों को लाभान्वित किये जाने की निर्धारित सीमा के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2023 तक कुल 37,235 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जन घोषणा पत्र की मुख्य बात थी। 18 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से 6 लाख बेरोजगारों को ही भत्ता दिया गया है। वर्तमान समय में बेरोजगारों की स्थिति को देखते हुए, पेपर आउट की स्थिति को देखते हुए बचे हुए 70 प्रतिशत बेरोजगारों को भी सारे हर्डल्स हटाते हुए बेरोजगारी भत्ता देने की मंशा सरकार की है क्या?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों में से जिन्होंने आवेदन दिए हैं, वे मात्र 11 लाख 93 हजार 571 हैं। चाहे पंजीकृत 18 लाख से ऊपर हैं, लेकिन आवेदन ही 11 लाख 93 हजार 571 ने किया है। इन 11 लाख 93 हजार 571 में से 4 लाख 83 हजार वे बेरोजगार हैं जो भत्ता प्राप्त करके उनका भत्ता बंद हो चुका है। आज की

(श्री अशोक)

तारीख में 1 लाख 96 हजार 843 आशार्थी इस भत्ते को प्राप्त कर रहे हैं। 3 लाख 11 हजार 532 फार्म, जिन्होंने एप्लाई किया अभी फार्मेलिटी बाकी होने की वजह से उन्हें पुन: वापस दिया गया। जांच हेतु लम्बित मात्र 22 हजार 555 फार्म हैं। जांच होकर भत्ते के लिए लम्बित 1 लाख 3 हजार 752 फार्म हैं। रिजेक्टेड, पूरे साढ़े चार साल में मात्र 62 हजार 80 फार्म रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा सभी लोग इसका फायदा ले चुके हैं या लेने वाले हैं।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, 50 परसेंट फिर भी बकाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो 2 लाख अभी आप दे रहे हैं, इनको आप कब तक देंगे? चार लाख को दे चुके हो। समय सीमा, गाइड-लाइन है, वह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: गाइडलाइन बताएं? प्लीज, आप सीधा बताइए कि 2 लाख जो बचे हुए हैं उनको कब तक देंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, बचे हुए 1 लाख 3 हजार 752 हैं, जिनके फार्म स्क्रूटनी होकर अभी आ गये। इसकी एक वजह है। कभी भी ये पेंडेंसी 20 से 30 हजार से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन 2022 में हमने पूरा साल, पूर्व किन्हीं का क्योंकि कई बच्चों को एक साल भत्ता प्राप्त होकर, उसके बाद में वे फार्मेलिटी अपलोड नहीं करते तो उनका अगले साल रुक जाता था। उन सभी को अलाउ कर दिया कि जिनका 2 साल से कम समय भत्ता प्राप्त हुआ है, उनकी फार्मेलिटी वापस अपलोड करा दें। पूरे चार साल में जिन्होंने फायदा लिया, उन्होंने फार्मेलिटी अपलोड कराई। उस कारण ये 1 लाख 3 हजार हुए हैं। बाकी लम्बित नहीं हैं। 11 लाख 93 हजार ने ही एप्लाई किया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिर्राज सिंह।

बाड़ी के राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत विषय

479. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय महाविद्यालय बाड़ी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी, राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब एवं राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में कितने विषय स्वीकृत हैं एवं कितने विषयों के आचार्य, सहायक आचार्य एवं सह-आचार्य हैं व कितने विषयों के नहीं हैं? क्या सरकार

(श्री गिर्राज सिंह)

उक्त रिक्त पदों पर संबंधित विषयों के आचार्य, सहायक आचार्य एवं सह-आचार्य लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय महाविद्यालय बाडी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी, राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब एवं राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में स्वीकृत विषयों व विषयवार सहायक आचार्य के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची इन्होंने जो दी है, जवाब है, सभी पद खाली हैं। कैसे कालेज चलेंगे? कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? कैसे बच्चों को शिक्षा मिलेगी? मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सभी खाली-खाली हैं, किसी पर जीरो, किसी पर एक, ये कब तक भर जाएंगे? क्या आप संविदा पर कोई व्यवस्था करेंगे? कोई न कोई व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। आपकी व्यवस्था के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई छूट रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके यहां राजकीय महाविद्यलाय, सैपऊ में 7 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 4 रिक्त हैं। चारों के लिए अभी विद्या सम्बल से मिल जाएगा। इसी तरह इनके चारों महाविद्यालयों में 14-15 पद खाली हैं, जो विद्या सम्बल से पूरे प्रदेश में ही हमने शुरू करवा दिया है, जहा रिक्त पद हैं। जब तक आर पी एस सी से आएंगे, तब तक विद्या सम्बल में सब जगह लगाने का प्रावधान शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: कब तक? पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, अगले दो-तीन दिन में शुरुआत हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

चाकसू में श्रमिक कार्डधारियों को देय सुविधाएं

480. श्री रफीक खान (आदर्श नगर) (श्री वेद प्रकाश सोलंकी के स्थान पर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कितने श्रमिक कार्ड बने हुए हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त कार्डधारियों को माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक क्या-क्या सुविधाएं दी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में अब तक कुल 5,586 पंजीयन आवेदनों को स्वीकृत किया गया है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मंडल द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक योजनावार स्वीकृत आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये जो संख्या बताई है आपने, इनको कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): संख्या जो बताई है, 2,335 को आवेदन के हिसाब से राशि दे दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: 5,586 आवेदन में से 2,335 को दी है, बाकी को कब देंगे? ये पूछ रहे हैं। भगवान पर विश्वास है। आराम से बैठे रहिए।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): अध्यक्ष जी, समस्त प्रक्रियाधीन है। आज दिन तक 2,300 लोगों को दिये हैं। इसमें 136.63 करोड़ रुपये बांट दिये गये हैं और प्रक्रिया निरंतर जारी है। दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

भर्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता

481. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय मैरिट बनाने एवं स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जी नहीं। जिला स्तरीय मैरिट बनाने एवं स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16(2) अनुसार स्थानीय निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में वरीयता नहीं दी जा सकती है।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया आप करते हैं और जहां दो-ढाई साल के बाद में वह जिला खाली का खाली रह जाता है? जैसे अध्यापक हो, एएनएम हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, पटवारी हो, अन्य कर्मचारी हो। मैं मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई नियम करेंगे? पूरा सिरोही जिला खाली हो जाता है, पिछड़ा जिला है। मेरा यही आग्रह है कि क्या नियम करेंगे? क्या व्यवस्था करेंगे अगर खाली होते हैं तो?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई, 2002 को एक आदेश दिया कैलाश चंद शर्मा वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान में "In 2002, the Supreme Court invalidated the appointment of government teachers in Rajasthan, where the state selection board gave preference to "applicants belonging to the district or the rural areas of the district concerned." इसके बाद में ये डिस्ट्रिक्टवाइज भर्तियां नहीं हुईं, स्टेटवाइज हुईं। जहां तक इनका सवाल है, रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, 64 परसेंट जिसमें आते हैं, विदिन राजस्थान के लोगों के अंदर ही उनका सिलेक्शन होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं सप्लीमेंट करूंगा। सरकार के जो नियम हैं, उस नियम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी पुलिस में रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करें कि जिस जगह पर भर्ती न होने के कारण, खास तौर से ट्रायबल इलाके में पोस्टें खाली पड़ी हैं, थर्ड ग्रेड की पड़ी हैं, मेडिकल-हैल्थ की पड़ी हुई हैं। क्या सरकार ये विचार करेगी कि हमारा जो पुराना सिस्टम था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट पर भर्ती होती थी, उस संबंध में दोबारा रिव्यू करें। ये तो प्रिफरेंस का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का प्रिफरेंस देने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, बाकी पहले जो राजस्थान में भर्ती होती थी, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती

(श्री अध्यक्ष)

होती थी, उसमें सब जगह टीचर उपलब्ध होते थे। अब जब से हमने सिस्टम बदला है तब से ज्यादातर आदिवासी इलाक़े के टीचर हैं वह शिफ्ट होकर जनरल में आ जाते हैं और वहां पूरी की पूरी जगह खाली रह जाती है। क्या सरकार दोबारा इस स्थिति को देखते समय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की लाइट में जो प्रिफरेंस का जजमेंट है, जजमेंट ने कहीं डिबार नहीं किया। आज भी राजस्थान में पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती है, इसलिए क्या इस पर रिव्यू करेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ऐसा है पुलिस की भर्ती में अन्य ज़िलों के लोग भी एप्लाई कर सकते हैं और वह चार-पांच स्थान पर होती है। आपने जो बिन्दु उठाए हैं, उन बिन्दुओं के बारे में मैं डीओपी से डिस्कस करूंगा, वैसे संविधान का अनुच्छेद 16 (2) है वह इस बात को रोकता है। 16 (3) में यह जरूर प्रावधान है कि पार्लियामेंट चाहे तो उनको हटा सकती है।

श्री अध्यक्ष: 16 (6) का इन्टरप्रिटेशन जब हम आउट आफ स्टेट के सम्बन्ध में करते हैं उस समय कि राजस्थान का आदमी, मध्यप्रदेश का यहां आ सकता है या नहीं आ सकता, उस सम्बन्ध में संविधान का 16 (6) है। विदिन दी स्टेट आज भी पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रही है, तो यह जजमेंट होता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतिभा भी रोकनी चाहिए, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको दोबारा रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसके सम्बन्ध में सरकार कुछ न कुछ, मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं, I just want to share a few figures. नॉन ट्राइबल इलाक़े में, नॉन टीएसपी इलाक़े में एक करोड़ आदिवासी भील हैं जो नाथद्वारा, कुम्भलगढ़, मावली, सिरोही, बाड़मेर में, वह बच्चे जो पढ़कर आ रहे हैं मैं उनका फिगर दे रहा हूं, 77 हजार की भर्ती हुई है, उनमें नॉन टीएसपी के भील हैं उनकी संख्या 200 भी नहीं है। यह एक स्थिति बनी हुई है जिसमें टीएसपी में आपने क्लाज कैडर कर दी, उनका तो काम्पिटिशन उसी में हो रहा है। वही आदिवासी जो महाराणा प्रताप की लड़ाई लड़ा वही आदिवासी नॉन टीएसपी में नहीं है, नॉन टीएसपी के अन्दर आ गया, उसका काम्पिटिशन दूसरे से हो रहा है, उसके कारण यह डिस्क्रिपेंसी बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार को इस बारे में निश्चित तौर पर कोई निर्णय करना चाहिए। एक तरफ पोस्ट खाली है, दूसरी तरफ हम स्टेट के रिक्रूटमेंट के कारण उन लोगों को

(श्री अध्यक्ष)

एडवांटेज नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर निर्णय करना चाहिए। यह जजमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का रिक्रूटमेंट, दोनों contradictory है। इसलिए पुलिस का रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो बाकी सर्विसेज के सम्बन्ध में भी निर्णय किया जाना चाहिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र में सम्बन्धित भर्ती यूनिट जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी सम्मिलित है, का विकल्प चयनित किया जाना होता है परन्तु उसमें भी स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सम्बन्धित भर्ती यूनिट का विकल्प लेकर उस भर्ती में किसी भी ज़िले का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है एवं वरीयता में आने पर उसका भी चयन उस यूनिट में हो सकता है। फिर भी आपने जो सुझाव दिए हैं मैं उसको रिव्यू करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: कानून कौन बनाता है? यह विधान सभा कानून बनाने के लिए है। कानून बनाने के सम्बन्ध में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो यह जो डिस्क्रिपेंसी है उसका न्याय नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को निश्चित तौर पर वापस निर्णय करना चाहिए कि क्या हम इस तरह के निर्णय लेकर उस आधार पर ब्लैंकट कर दिया। इसी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूटमेंट होता था। टीचर की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी। जिला परिषद् के अन्दर, टीचर का रिक्रूटमेंट जिला परिषद् के अन्दर होता था। केवल एक उदाहरण के कारण हमने उस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक कर दिया है, मैं समझता हूं कि इसमें आप दूसरे स्टेट का भी पता लगा लें। मैं समझता हूं कि इस डिस्क्रिपेंसी के सम्बन्ध में सरकार को कोई कान्शियस डिसिजन लेना चाहिए जिससे केवल मात्र इस भर्ती की प्रकिया में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, हज़ारों जगह पर हम बच्चों को डिप्राइव कर रहे हैं। बहुत-सी जगह पर टीचर उपलब्ध नहीं है, सब-सेंटर उपलब्ध नहीं है, माइग्रेट करने के लिए स्थिति बन रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 100 परसेंट भर्ती सीकर, झुन्झुनू में टीचर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती वहां पर है। एक भी वेकेन्सी खोलने से 500 आदमी तैयार हैं क्योंकि सब बच्चे अलग-अलग जगह डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ऐसे हैं जहां अवेलेबल नहीं है, वहां बिलकुल खाली पड़े हुए हैं। लेंग्वेज के सम्बन्ध में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां बोली बदलती है, उसको हैडर डाल दें आप

(श्री अध्यक्ष)

कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस बोली के आदमी को प्राथमिकता देंगे, तो आटोमेटिक दूसरी बोली वाला भी डिप्राइव हो जाएगा। सरकार को कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए, जिससे यहां के बच्चों के अन्दर जो डिस्क्रिपेंसी है वह ठीक ढंग से एड्रेस की जा सके।

अगला प्रश्न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पांच साल पूरे हो गए, कुछ नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, आप बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पांच साल हो गए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, I will throw you out. मिस्टर संयम लोढ़ा ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई प्रॉब्लम है क्या, स्प्रिंग लगी हुई क्या? चित्तौड़गढ़ के माननीय सदस्य, आपको स्प्रिंग लगी हुई है क्या? माननीय संयम लोढ़ा, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बैठें। I am on legs. प्लीज बैठें। आप इतने सीनियर आदमी होकर गलत tradition डाल रह हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप बेस्ट लेजिस्लेचर भी रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि जो अच्छे विधायक रहे हैं उनको अच्छे विधायक के बारे में जो हमने निर्णय किया उसका पुनरावलोकन करें क्या हम? हमें कुछ निर्णय करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर आशा करता हूं, I will not allow his attitude. अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा देवी। प्लीज बैठें। शोभा देवी। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मिस्टर संयम लोढ़ा, last time I am warning you. Don't give me an opportunity to set a wrong example. आखिरी सदन चल रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की परम्परा बने। आपको फिर कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे, आप नीचे बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप नीचे बैठें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप एक बार पहले भी कर चुके हैं। एक बार पहले भी इतिहास बना चुके बाहर निकालने का, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। (व्यवधान) श्रीमती शोभा चौहान। (व्यवधान) कमरा खाली है, इनके साथ आपको भी बाहर निकालूंगा। दोनों बाहर जाकर अच्छी बात करना। (व्यवधान) यह चाहते हैं कि अकेले नहीं जाएं, मैं भी साथ जाऊं।

सोजत में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

482. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में ऐतिहासिक धरोहर कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त धरोहरें अपने मूल एवं भौतिक स्वरूप को खोती जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण हेतु क्या-क्या उपाय एवं कार्य किये गये हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र सोजत जिला पाली में सोजत दुर्ग पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित घोषित स्मारक है।

(2) जी नहीं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में बजट उपलब्धता एवं कार्य प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाकर स्मारकों के संरक्षण एवं नवीनीकरण कार्य के लिए उनका चयन किया जाता है।

विभागाधीन संरक्षित स्मारक सोजत दुर्ग के संरक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षाकर्मी/होमगार्ड नियुक्त है।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने जो प्राथमिकता का जिक्र किया है, आखिरकार इस प्राथमिकता का क्या दायरा है और उक्त दुर्ग का नवीनीकरण कब किया गया? सोजत दुर्ग के संरक्षण हेतु क्या कार्य किये गये? स्पष्ट कराये, इसका उत्तर अस्पष्ट है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक निरीक्षण का सवाल है मैंने दो दिन पहले जोधपुर की एक टीम को वहां भेजा, उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, आप कहें तो मैं सदन की मेज़ पर उसको रख सकता हूं। उस किले का रखरखाव व सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबन्द है। इसके साथ-साथ सोजत दुर्ग पर 44.74 लाख और 44.13 लाख रुपये वर्ष 2012-13 व 2013-14 में खर्च किये, उसके बाद उसकी मरम्मत या सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कोई स्पेसिफिक बताएं कि इसमें यह गड़बड़ है तो मैं उसको ठीक करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक लाहोटी।

जयपुर शहर में स्कूलों को भूमि का आवंटन

483. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण व आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर में स्थित नीरजा मोदी स्कूल मानसरोवर, रूकमणी बिरला माडर्न हाई स्कूल दुर्गापुरा, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय सवाई रामसिंह रोड, आईआईएस इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल व वर्ल्ड स्कूल को कितनी जमीन किस उपयोगार्थ हेतु आवंटित की गई? यदि संस्था की स्वयं की जमीन है, तो इसका क्या उपयोग निर्धारित किया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) वर्तमान में मौक़े पर उक्त स्कूलों में क्या-क्या निर्माण हैं व नक्शे के विपरीत क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) प्रश्न के भाग-1 में अंकित संस्थाओं को आवंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 'ब' में माननीय मंत्री महोदय के यहां से जवाब दिया है, मैं जानना चाहूंगा इस जवाब में आपने लिखा है कि इन सब स्कूलों में स्वीकृत और अस्वीकृत यह है। इसका ले-आउट प्लान साथ में नहीं होगा तो हम किससे चेक करें कि कितना

(श्री अशोक लाहोटी)

स्वीकृत है और कितना अस्वीकृत है? नक़्शे की कापी और ले-आउट प्लान तो जवाब के साथ है नहीं। इसको कैसे मानें कि यह जो लिखकर आया है, जो अधिकारियों ने लिखा है वह सही है? दूसरा, जो अस्वीकृत है उसको आप कब तक हटाएंगे, उसके लिए आपकी क्या मंशा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने अपने प्रश्न में नक्शा नहीं मांगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मेरा मूल प्रश्न यह है जिसमें मैंने नक्शा मांगा है। यह मेरे हाथ में हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह मेरे भी हाथ में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दोनों के हाथ से कोई मतलब नहीं है, जो लिखा हुआ है वह होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसको मैं पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप जवाब दें, नक्शे के विपरीत कितना है? नक़्शे के विपरीत वाला बता दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नक्शे के विपरीत जितना भी है, उन स्कूलों में जो भी विपरीत निर्माण कार्य हुए हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि नक़्शे के विपरीत जो है, मेरे दो सवाल हैं, आप उनको कब तक हटाना चाहते हैं, कोई समय बाउंड, कब तक हटाएंगे? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह संरक्षण चाह रहा हूं कि यह जो जवाब आया है उस जवाब की सत्यता जांच करने के लिए आप इनसे नक़्शे की अप्रूव्ड कापी सदन में मंगवा ले जिससे इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नक्शे की कापी अगर मांगते तो मैं निश्चित तौर पर नक्शा आपको इसमें भेज देता लेकिन नक्शे की कापी नहीं मांगी है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मांगी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कहें तो मैं फिर प्रश्न पढ़कर सुना दूं? इसमें आपने नक्शा नहीं लिखा है। आपने सिर्फ यह लिखा है कि कितनी तो जमीन दी गयी है और किस उपयोग के लिए दी गयी है, सिर्फ यह बात आपने पूछी है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह रहा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं।

अब सवाल यह रहता है कि आपने यह कहा कि, साहब, जो नक्शे के विपरीत निर्माण हुआ है, उसको हटाने का क्या हुआ? तो उन सबको नोटिसेज दे दिये गये हैं और नोटिसेज देने के बाद में कुछ-कुछ कार्यवाही उनकी हुई है। जो विपरीत निर्माण उन्होंने अभी तक हटा दिये, उनके अलावा भी और कई निर्माण रह गये हैं तो उसके लिए भी नोटिसेज जारी किये गये हैं और उनको अतिशीघ्र हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लाखन सिंह।

करौली के वन क्षेत्रों में विकास कार्य

484. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला करौली में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक वन क्षेत्र में कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये व उक्त में से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? उक्त कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): करौली जिले में माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक वन क्षेत्र में करवाये गये विकास कार्यों एवं स्वीकृत राशि तथा पूर्ण व अपूर्ण कार्य संबंधित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 के बीच में जो कार्य किये गये हैं वह मौके पर, जिस तरह से पौधरोपण का कार्य है तो मौके पर पौधरोपण आज वहां पर नहीं है और जो एनिकट बनाये गये हैं वे भी नहीं हैं, तो मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि उनकी जांच करवायी जाये और कब तक यह जांच हो जायेगी?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): आपने यह कहा कि मौके पर अगर काम ही नहीं हुआ और पैसा खा गये हैं खुर्द-बुर्द कर लिया है तो यहां से एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवा लेंगे और आपको भी साथ में रखकर जांच करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश सिंह रावत।

करेड़ा उप खण्ड में कृषि भूमि आबंटन में अनियमितताएं

485. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत उप खण्ड करेड़ा की विभिन्न पंचायतों में कृषि भूमि आबंटन में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को शिकायत की थी? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत में कृषि भूमि के आबंटन में अनियमितताएं थीं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आबंटन को निरस्त करने व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी हां। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत उप खण्ड करेड़ा की विभिन्न पंचायतों में कृषि भूमि आबंटन में बरती गई अनियमतिताओं के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को शिकायत की थी। (शिकायतों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है)

(2) जी नहीं। ऐसी कोई भूमियां आबंटित नहीं की गई जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 और राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 04 में प्रतिबंधित भूमियां हैं और जिनके राजस्व रिकार्ड में खनन संभावित का अंकन दर्ज है। अपात्र व्यक्तियों को भूमि आबंटन नहीं किया जाकर राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 11 के अनुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को ही नियमानुसार भूमि आबंटन किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: आ गया? वैरी गुड।

अगला प्रश्न। श्री अमर सिंह।

बंध बारैठा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कार्ययोजना

486. श्री अमर सिंह (बयाना): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बयाना के बंध बारैठा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा पैरा संख्या 105 (1) अन्तर्गत बंध बारैठा क्षेत्र में साहसिक पर्यटन गतिविधियों के विकास एवं पर्यटकों हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राशि रुपये 200.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 11.10.2022 को जारी की गईं, जिसके क्रम में कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 01.03.2023 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। उक्त कार्यादेश के अंतर्गत कैफेटेरिया, वॉच टावर, गेस्ट हाउस रूम, आर.सी.सी. बैंच तथा टॉयलेट ब्लाक आदि कार्य कराये जाएंगे।

(2) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित विकास कार्य के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा पैरा संख्या 125.4 अन्तर्गत बंध बारैठा में Water based पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए Eco Adventure Tourism Sites के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बंध बारैठा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 11.10.2022 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पांच महीने बाद कार्यादेश जारी होने तथा कार्यादेश जारी होने के बाद भी आज दिनांक तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे?

दूसरा पाइंट, बंध बारैठा में water based गतिविधियों को कब तक प्रारम्भ करने की योजना है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बंध बारैठा डैम है यह जल संसाधन विभाग के अण्डर में आता है। प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को पर्यटन विकास कोष से राशि 50.00 लाख रुपये कार्य क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करवायी गयी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 01.03.2023 को कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में किये गये पत्राचार की प्रतियां आपको सुलभ उपलब्ध करवा दी जाएंगी। वहां से जैसे ही यह एन.ओ.सी. प्राप्त होगी, काम चालू कर दिया जायेगा। एन.ओ.सी. के लिए आप भी इसमें थोड़ा सा सहयोग करें।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 01.03.2023 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह कार्य प्रारम्भ होने की कोई निश्चित डेट तय है? यह कब तक हो जायेगा?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही जल संसाधन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त हो जायेगी, कार्य चालू कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

जातिगत जनगणना करवाने की कार्ययोजना

487. श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 488, श्री छगनसिंह।

सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी से जुड़ी सड़कों का डामरीकरण

488. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के कितने गांव सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी से जुड़े हुए हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छगनसिंह)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी सुमेरपुर से जुड़ी हुई सड़कों का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों को कृषि मण्डी सुमेरपुर से जोड़ने के बाद किसानों को क्या-क्या लाभ मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र आहोर की 12 ग्राम पंचायतों के 34 गांव कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर से जुड़े हुए हैं।

(2) विभागीय आदेश दिनांक 31.12.2014 के अनुसार सम्पर्क सड़कों के मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य अनुमत नहीं हैं। आदेश की छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) आहोर विधान सभा क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले गांवों के कृषकों को कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पढ़ा हुआ मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आहोर विधान सभा क्षेत्र जो सुमेरपुर कृषि मण्डी से जुड़ा हुआ है, जिसकी 12 ग्राम पंचायत हैं, 34 गांव हैं लेकिन आज दिन तक एक भी सड़क, जो मिसिंग लिंक है, उनको इन 12 ग्राम पंचायतों के लिए नहीं जोड़ा है तो एक मात्र रसियावास खुर्द से बिटिया तक सड़क है, क्या मंत्रीजी उसके लिए सैंक्शन देने का विचार रखते हैं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सड़क स्वीकृत की जाती है वह मण्डी स्तर पर जो बजट उपलब्ध होता है, उसके आधार पर की जाती है। वहां पर मण्डी में बजट उपलब्ध नहीं है, इस कारण से वहां पर किसी प्रकार की कोई स्वीकृति जारी नहीं की जा

(श्री मुरारी लाल)

सकी और यदि आगे बजट इकट्ठा होगा तो स्वीकृति जारी कर दी जायेगी। आप प्रस्ताव दे दीजिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र तीन किलोमीटर की सड़क है।

श्री अध्यक्ष: पैसा नहीं है। मण्डी का पैसा है क्या? यह पूछ रहे हैं कि मण्डी में पैसा है क्या?

श्री छगनसिंह (आहोर): मण्डी का पैसा तो सरकार ने मंगवा लिया, वहां पर है। सरकार ने मंगवा लिया।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। मिस्टर, यह बहुत गलत परम्परा है। तीसरी बार एम.एल.ए. हो आप। कोई प्राब्लम है कुछ आपको? यह बहुत गलत बात है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डी में जो विकास फण्ड था वह सरकार ने मंगवा लिया है, अगर मंत्रीजी चाहेंगे तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मण्डी की आय में से सड़क बना सकते हैं क्या?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास जैसे आंकड़े हैं उनके अनुसार मण्डी में बजट उपलब्ध नहीं है, इस वजह से सड़क स्वीकृत नहीं की जा सकती है। जैसे ही बजट उपलब्ध हुआ तो कर देंगे।

प्रश्न संख्या 489

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नामकरण

490. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना के

(श्री गिरधारीलाल)

पश्चात् नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया था? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय का नाम पुनः शेखावाटी विश्वविद्यालय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्या 10) द्वारा शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का नाम परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर किया गया। यह अधिनियम 04.07.2014 को अस्तित्व में आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बौद्धिक उपलब्धियों को देखते हुए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने शेखावाटी विश्वविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के रूप में परिवर्तित किया गया था।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम पुन: शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछ लें।

बूंदी में श्रमिक कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन

491. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किये गये हैं? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में जिला बूंदी में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितनों के कार्ड बनाये गये? शेष कार्ड कब तक बना दिया जायेंगे? कार्डधारकों को क्या-क्या लाभ प्रदान किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): जी हां। विगत 4 वर्षों में बूंदी जिले में प्राप्त, स्वीकृत एवं लम्बित आवेदनों का विवरण पंजीयन हेतु परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवेदनों का नियमानुसार एवं नियमित निस्तारण यथाशीघ्र वरीयता के आधार पर ही किया जाता है, जो एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों हेतु लागू योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं, जो मैंने प्रश्न लगाया है उसमें 44,557 आवेदन प्राप्त हुए बूंदी जिले से, यह आपने बताया है और उसमें से 24,497 स्वीकृत हुए। जो आवेदन 24,497 स्वीकृत हुए हैं उनमें से भी जो श्रमिक कार्ड नहीं बने हैं, उसका क्या कारण रहा? एक तो इतना-सा मुझे बता दें और शेष जो बचा है उसको कब तक बना देंगे? साथ ही, शुभ-शक्ति योजना में जिन्होंने आवेदन किया हुआ है जो तीन साल से लगातार चक्कर काट रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर आने दो।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्षजी, 44 हजार में से 24 हजार पास किये गये हैं। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम है। किसी ने अंश राशि जमा नहीं करवायी, किसी ने ठेकेदार का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, इस कारण से खारिज किये गये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार,
2. श्री शंकर सिंह रावत,
3. श्री राजेन्द्र राठौड़,
4. श्री सतीश पूनियां,

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री हमीर सिंह भायल,
6. श्री रामप्रताप कासनियां,
7. श्री ललित कुमार ओस्तवाल,
8. श्री पुष्पेन्द्र सिंह,
9. श्री नारायण सिंह देवल,
10. श्री प्रताप लाल भील (गमेती),
11. श्री अमृतलाल मीणा,
12. श्री बाबुलाल झाडोल,
13. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या,
14. श्री सुभाष पूनिया,
15. श्री पूराराम चौधरी,
16. श्री गोविन्द प्रसाद,
17. श्री रामलाल शर्मा,
18. श्री हरेन्द्र निनामा,
19. श्री गोपाल लाल शर्मा,
20. श्रीमती शोभा चौहान,
21. श्री धर्मनारायण जोशी,
22. श्री अभिनेश महर्षि,
23. श्री प्रताप सिंह,
24. श्री संजय शर्मा,
25. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर),
26. श्री कालीचरण सराफ,
27. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी,
28. श्री रूपा राम (मकराना),
29. श्रीमती कल्पना देवी,
30. श्री फूल सिंह मीणा,
31. श्रीमती अनिता भदेल,
32. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल,

(श्री अध्यक्ष)

33. श्री जोराराम कुमावत,
34. श्री मदन दिलावर,
35. श्री रामस्वरूप लाम्बा,
36. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी,
37. श्री कालूराम,
38. श्री जब्बर सिंह सांखला,
39. श्री बिहारीलाल,
40. श्री जोगेश्वर गर्ग,
41. श्रीमती संतोष, व
42. श्री वासुदेव देवनानी।

(2) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की नगरपालिका आबूरोड में सीवरेज कार्यों में निर्धारित मापदण्डों की अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिपरजॉय तूफान प्रभावित जिलों में लोन-रिन्यू अवधि बढ़ाने के संबंध में।

(4) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिपरजॉय तूफान प्रभावित क्षेत्रों में लोन-रिन्यू की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

(5) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा पिंडवाड़ा-आबू के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने के संबंध में।

(6) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं द्वारा लगातार हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने एवं बजरी के अवैध खनन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी में घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में हुए फसल बीमा क्लेम का क्रोपकटिंग से किसानों को भुगतान दिलवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री धर्मनारायण जोशी, श्री अभिनेश महर्षि, श्री फूल सिंह मीणा, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री सतीश पूनियां एवं श्री बलवान पूनियां को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के बड़ोपल-डेर के नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के भील समाज को डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा टीएसपी क्षेत्र की भांति मूलभूत सुविधाएं यथा शिक्षा, पानी एवं बिजली उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में ग्रामीण बस सेवा सुचारु रूप से प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के मेवात क्षेत्र में पंजाबी एवं उर्दू विषयों के शिक्षकों का पदस्थापन करने के संबंध में।

(7) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से सांभर-फुलेरा को जिला बनाये जाने के संबंध में।

(8) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारम्भ करवाकर घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से मालपुरा उपखण्ड को नवीन जिला बनाने के संबंध में।

(10) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से रूपनगढ़ कस्बे को अजमेर जिले में यथावत रखे जाने के संबंध में।

(11) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत सभी परिवारों को भी पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में फसल खराबे का मुआवजा शीघ्र दिलवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के क्रमोन्नत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति करने के संबंध में।

(14) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(15) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबा का किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आज बजरी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको बिल पर बोलने का पूरा अधिकार देंगे।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आज टोंक के अन्दर बजरी माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल की रैली का बहुत बड़ा आयोजन है। मैं

(श्री नारायण बेनीवाल)

आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बजरी माफिया राजस्थान में जो कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको फिर कह रहा हूं, माननीय सदस्य, जो चीज अलाउ नहीं है, I will not allow it. I will not allow it.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आप राजस्थान के बजट पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. अंकित नहीं होगा। श्री धर्मनारायण जोशी।

सदन कूप में

(माननीय सदस्य श्री पुखराज, श्री नारायण बेनीवाल एवं श्रीमती इन्दिरा देवी द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: संरक्षण दे दिया आपको। अध्यक्ष की रुलिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। आपको बिल पर बोलने का पूरा अधिकार होगा। बजरी के सम्बन्ध में बोलना चाहते हो तो संगठित अपराध का जो बिल आ रहा है, उसमें आपको पूरा अधिकार है बोलने का। अंकित नहीं होगा। श्री धर्मनारायण जोशीजी। बाकी किसी का अंकित नहीं होगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की क्रियान्विति का अभाव

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की 60 प्रतिशत आबादी खेतों पर निर्भर है। ऐसा मानना चाहिए कि गांवों और शहरों में रहने वाले लगभग देश के 60 प्रतिशत लोग केवल खेती पर निर्भर हैं। उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि को आधार मानकर उनका व्यवसाय चलता है। मेरा निवेदन है कि आज किसान देश का मालिक है, उस किसान की स्थिति ऐसी है....

श्री अध्यक्ष: माननीय धर्मनारायणजी, एक मिनट रुको।

माननीय पुखराजजी गर्ग, आप एक पार्टी के नेता हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपको नियम और कानून के अन्तर्गत बात करने का पूरा अधिकार है। इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं है। या तो आप सदन से बाहर चले जाएं

(श्री अध्यक्ष)

या फिर मैं सदन से निकालने की कार्यवाही करूंगा। आपकी बात हो गयी। अब आप सदन से बाहर चले जाओ। मैं आपको और आपकी पार्टी को फिर कह रहा हूं। यह गलत परम्परा मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज आपकी बात हो गयी। आपको बाहर जाना है या नहीं? मैं फिर मार्शल से भिजवाऊंगा आपको। I really don't want to set a wrong example. मिस्टर गर्ग, मिस्टर गर्ग, आपको मेरी बात समझ में आयी क्या? माननीय सदस्य, आप बाहर जाइये। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं आपको, माननीय पुखराजजी गर्ग। मैं आपको बाई नेम कह रहा हूं। माननीय सदस्य, I will name you.

श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की 60 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है और सारी अर्थव्यवस्था भी खेती पर ही निर्भर है, परन्तु आज हमारे देश के किसान की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। संसदीय समिति 2022 में बैठी, उसने एक रिपोर्ट दी। 2015-16 में किसान की आय 08 हजार 59 रुपये थी, 2018-19 में वह आय बढ़ कर 10 हजार 218 रुपये हुई। चार सालों में महज 2 हजार 159 रुपये किसान की आय भारत सरकार ने मानी।

अध्यक्ष महोदय, किसान का खर्च जो है वह है 4 हजार 226 रुपये खेती पर, 2 हजार 559 रुपये बुवाई पर, 01 हजार 267 रुपये पशुपालन पर। उस किसान के हाथ में केवल 6 हजार रुपये मासिक आ रहे हैं। आज किसान की यह स्थिति है कि हमारे देश के पिछले चुनाव में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कर्ज पर बोलो। जनरल डिबेट नहीं है। कर्ज पर आओ, आपका मामला कर्ज पर है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मैं वही निवेदन कर रहा हूं। हमारे देश के एक नेता ने घोषणा की थी कि हम किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे और उसके बाद घोषणा की थी कि किसान के खाते में 72 हजार रुपये डालेंगे। कुछ नहीं हुआ। आज हम बैठ कर विचार कर रहे हैं। स्थिति यह है कि चार वर्षों में 22 हजार किसानों की जमीन कुर्क हुई है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: कोई प्रोब्लम है आपको? आपकी पार्टी का आदमी बोल रहा है। आपकी पार्टी में कोई डिसिप्लिन भी नहीं है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार वर्षों में 22 हजार किसानों की जमीनें कुर्क हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह क्या हो रहा है? चैम्बर में जाकर बात करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 18 हजार 817 किसानों को नोटिस जारी हुए हैं। फसल बीमा की स्थिति यह है। फसल बीमा के मामले में एक नागौर का उदाहरण देता हूं आपको। फसल बीमा में कम्पनी का आदमी..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप कर्ज पर बोलें। कृषि की डिमाण्ड नहीं है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मैं इसी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। आप अपनी बात कन्क्लूड करें, फिर दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान की स्थिति है, अभी ओले पड़े, ओलों से हमारे क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ, उसके बाद भी मुझे लगता है कि उसको मुआवजा नहीं दिया गया। आज जंगली सूअर, ऐसा मानना चाहिये कि जंगली सूअर भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रताप सिंहजी, आपको प्रोब्लम है क्या? आप बैठें प्लीज। मिस्टर सिंघवी, आप पांचवीं-छठी बार के एम.एल.ए. हैं। आप पहली बार जीतकर आये हैं? श्री अभिनेश महर्षि। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं (व्यवधान) आप माइक तो चालू करायें।

श्री अध्यक्ष: आप बोलें, भूमिका में ही टाइम हो जायेगा। दो मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं होता इसमें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने जन-घोषणा पत्र में 10 दिन में किसान का कर्जा माफी करने की बात कही थी। पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 1 में है। उसके बाद में कल्ला कमेटी बनी। कल्ला साहब तो बिराज रहे हैं, लेकिन कल्ला कमेटी कहां गयी, इसका पता नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कई बार सदन के नेता ने यहां पर भी कही और कई बार इस बात की घोषणा की गयी, लेकिन उसके

(श्री अभिनेश महर्षि)

अन्दर कुछ भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को 66 लाख किसानों का कर्जा माफ करने के लिये 99 हजार 996 करोड़ रुपये की उस समय आवश्यकता थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 लाख किसानों का सिर्फ 14 हजार करोड़ रुपया ही कर्जा माफ किया, जिसमें भी पूर्ववर्ती सरकार के 6 हजार करोड़ रुपये शामिल हैं। 01 मार्च, 2023 को विधान सभा में तारांकित सवाल में (व्यवधान) आप बैठ जाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप ताली तो बजाओ, 14 हजार करोड़ का कर्जा माफ हुआ, उसमें से 6 हजार करोड़ रुपये आपके वादे के माफ किये हमने। आपने वादा किया था, आप नहीं कर पाये थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं, प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारांकित सवाल के अन्दर राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इसके अन्दर राष्ट्रीयकृत बैंक और शिड्यूल्ड बैंक के, 30 नवम्बर, 2018 को स्वीकार किया है कि 3 लाख 49 हजार 257 किसानों की NPA राशि 6 हजार 18 करोड़ 93 लाख रुपये थी। 5 हजार 638 करोड़ 47 लाख रुपये का ऋण माफ होना था, जो आज बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपये पार कर गया है। किसानों का कर्जा माफी नहीं होने के कारण गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे करौली हो, वहां के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। चार साल में 19 हजार 422 किसानों की जमीनें कुर्क की गयी हैं। 2021-22 के पैरा संख्या 75 में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही गयी थी। किसानों को दो ब्लाक में दिन में बिजली देने की बात भी कही गयी थी। लम्पी वायरस के अन्दर कुछ लोगों का यह काम किया गया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट के अन्दर मेरी बात को समाप्त करता हूं। लम्पी में 15 लाख 67 हजार पशुधन संक्रमित हुआ था। सरपंच संघ ने भी 5 लाख 13 हजार पशुधन की मृत्यु होना बताया था, लेकिन राजस्थान सरकार की जादूगरी देखिये, 76 हजार 30 गौवंशों की मृत्यु होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसानों को जो ठगने का काम किया है, असत्य बोलकर सरकार सत्ता में आयी है। यह अन्नदाता आपको माफ नहीं करने वाला है।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पांच साल के अन्दर, वास्तव में चुनाव के टाइम पर तो यह बहुत बड़ी-बड़ी घोषणा करके आये थे। मेरे उदयपुर के अन्दर कांग्रेस के नेताजी ने कहा था कि इन किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे केवल और केवल 10 दिन के अन्दर। इन्होंने गिनती भी बोली थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 दिन में कर्जा माफ करने वाली सरकार ने पांच साल तक इन किसानों की कोई सुध नहीं ली। कविता तो मुझे आती नहीं है, मगर बोलने का प्रयास करता हूं-

"पांच साल भी बीत गये,
लेकिन किसान अभी तक भी बेहाल ही है।
आप क्या कर्जा माफ करेंगे,
थी उनके पास जमीनें,
उनको भी कुर्की से साफ करेंगे।
क्या देते हो गरीब किसान को धोखा,
आपके पास था पांच साल का मौका।
कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है,
लेवियां भी आपने तुलवायी,
यह जनता कह रही है।
अब पांच साल बीतने पर किसान याद आ रहे हैं,
चुनाव पास आते ही नये सपने दिखा रहे हैं।
किसानों को कांग्रेस की करतूत याद है,
पांच साल तक गरीब करता रहा फरियाद है,
पर कांग्रेस का शासन कान में तेल डालकर सोता रहा।
किसान खेतों में बिजली के लिये रोता रहा,
अब किसान ही कांग्रेस को सबक सिखायेंगे।
असत्य वादे करने का फल तो फल होता है,
वह दिखायेंगे।"

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रकान्ता जी, आप बोलिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): पूर्व सरकार ने हमारे खेत-खलिहान का खराबा आपदा के अन्दर 33 प्रतिशत का मुआवजा देने का वादा किया था और हमारी फसल और खेत-खलिहान का मुआवजा 33 प्रतिशत खराबे पर दिया था मगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने, ओलावृष्टि के अन्दर खेत-के-खेत साफ हो गये, खेत रो रहा था, सर्वे सही नहीं किया गया। उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, हो गया प्लीज। श्रीमती चन्द्रकान्ता जी। आप बैठें, आपका हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज माफी पर बोलने के लिये समय दिया गया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। पांच मिनट का समय देने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट, स्थगन प्रस्ताव पर एक मिनट मिलता है। मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि 2018 के विधान सभा चुनावों में सम्माननीय राहुल गांधीजी राजस्थान की धरती पर आये और जिस तरह से उन्होंने चुनावी सभाओं में एक से दस तक गिनती गिनकर दस दिन में किसान के सम्पूर्ण कर्जे को माफ करने का जो वादा किया, आज भी किसान राजस्थान के कोने-कोने में उनको ढूंढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोले-भाले किसान उनकी बातों में आ गये और आप राज में भी आ गये, लेकिन चार साल सात महीने के बाद भी आज भी किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज माफी तो दूर की बात है, अब तो किसानों की जमीन भी नीलाम होने लगी है, यह हम सबको मालूम है।

कांग्रेस ने सत्ता में आते ही यह भी दावा किया था कि 22 लाख किसानों का 16 हजार करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जायेगा लेकिन यह नहीं बताया कि केवल और केवल हम सहकारी बैंकों का ही कर्जा माफ करेंगे। उसमें भी 50 हजार तक का कर्जा तो सम्माननीय वसुन्धरा जी जब हमारी मुख्य मंत्रीजी थीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ही माफ हो गया था। आप हमें सदन के माध्यम से यह बताने का कष्ट करें कि हकीकत में

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

50 हजार से ज्यादा किस किसान का कर्जा आपने माफ किया? निश्चित तौर पर किसान के साथ कहीं न कहीं मैं कहूंगी कि आप किसान पर दया कर रहे हो। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आखिर में क्या कारण रहा कि राहुल गांधी जी ने चुनावी सभाओं में कभी यह नहीं कहा कि हम सिर्फ सरकारी बैंक का ही कर्जा माफ करेंगे। आप यह बताइये कि क्या कारण रहा? हमारे जो भी नेशनल बैंक के रूल्स हैं उन सबका आपने क्यों नहीं कर्जा माफ किया, इसका भी कारण बताने का कष्ट करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार के ऊपर इस बात को ढोलना, क्या हमने केन्द्र सरकार से पूछकर यह वादा किया था? एक लाख 35 हजार से ज्यादा किसानों को नोटिस मिल चुके हैं और 19 हजार 422 किसानों की जमीनें कुर्क हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि किसान कितना दु:खी होगा। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लास्ट पाइंट। मुझे यह बताने का कष्ट करें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको समझ में नहीं आ रहा? श्री सतीश पूनियां जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां जी।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जून, 2019 की घटना है। श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर के ठाकरी गांव की घटना है। सोहन लाल कडेल किसान एक लाइव वीडियो जारी करता है अपने सुसाइड का और उस लाइव वीडियो में इस बात को मुखर तौर पर कहता है कि मैं राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार की वादाखिलाफी से तंग आकर उस कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी इस आत्महत्या का जिम्मेवार कोई है, स्पष्ट उस वीडियो में सोहन लाल कडेल ने यह कहा कि मेरी हत्या का कोई जिम्मेवार है तो वह राजस्थान का मुख्य मंत्री है। यह लाइव वीडियो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना 2019 की है, लेकिन यह घटना यहीं नहीं

(श्री सतीष पूनियां)

रुकी। जुलाई, 2022 में बारां जिले के किसान मुरलीधर मीणा ने सुसाइड किया। जून, 2022 में करौली के नादौती के किसान कमलराम मीणा ने साहूकार के कर्जे से तंग आकर आत्महत्या की और मार्च, 2022 में पृथ्वीराज मीणा ने सुसाइड कर लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुसाइड इसलिए किया, यह समाज का सुसाइड था, यह सरकार का सुसाइड था, क्योंकि कांग्रेस के एक अन्तरराष्ट्रीय नेता 2018 में कैम्पेन के लिए राजस्थान में आते हैं और हनुमानगढ़ की सभा में, अभी जिसका जिक्र किया 10 तक की गिनती का, जिन लोगों ने तेजाब फिल्म देखी होगी, उसका आनंद लिया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेकिन अन्तरराष्ट्रीय नेता भूल गये कि गिनती 10 तक थी, लेकिन आज 1700 दिन हो गये। वह जो 2018 का बयान था उसमें यह दावा किया था कि सूरज चाहे नहीं उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, हम सरकार में आते ही किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 लाख किसान 01 लाख करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहे हैं। यही सदन है, यही सरकार है, एक बार नहीं, 2-2 बार खुद मेरे प्रश्न के जवाब में और विद्याधर नगर से आने वाले माननीय विधायक के जवाब में 19,422 किसानों की जमीनों की नीलामी स्वीकार की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके की वादा खिलाफी केवल बयानों में नहीं, जन घोषणा-पत्र के कृषक कल्याण के पेज नंबर 101.1 में घोषणा की है। किस मुंह से बात करते हो? आपका क्या हक है बात करने का? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हक है ...(व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): करते हो यहां पर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मोदी जी ने क्या कहा था ...(व्यवधान) क्या कहा था मोदी जी ने ...(व्यवधान)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): वीडियो पड़े हैं ...(व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सतीश पूनियां जी, सतीश पूनियां जी, आप वाइंड-अप करें। आपकी बात को वाइंड-अप करें। सतीश पूनियां, अपनी बात को वाइंड-अप करें। धन्यवाद। श्री बलवान पूनियां।

भादरा में फसल बीमा क्लेम का क्रोप कटिंग से किसानों को भुगतान

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 50 के स्थगन प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, भादरा विधान सभा क्षेत्र में फसल बीमा क्लेम क्रोप कटिंग से दिलवाने की बात को लेकर के मैंने सरकार से कई बार मांग की है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह गलत बात है। नथिंग लाइक दैट, गलत बात है। मैंने बोला था ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह आपकी मर्सी नहीं है। बलवान पूनियां बोलेगा। आप बोलें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हनुमानगढ़ जिले में फसल बीमा क्लेम का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी जगह पर जाओ। अपनी जगह पर जाओ। जगह पर से बोलो। जगह पर जाओ। मैं अलाउ नहीं करूंगा। बलवान पूनियां, बोलिये। नहीं समझ में आ रहा है?

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अभी तक क्लेम का निपटारा सही ढंग से नहीं हुआ है। 2020 रबी की कई पालिसियां और 2021-22 रबी की पालिसियां भी अभी तक बाकी हैं। 2022 ख़रीफ़ में आज भी बहुत सी पालिसियां, अजीतपुरा आदि समेत कई पटवार मंडलों का बीमा क्लेम अभी बाकी है।

श्री अध्यक्ष: गलत बात है ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 2022 की कई बैंकों की पालिसियां बिना किसानों को बताये रिजेक्ट कर दी गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक समेत जिले के कई बैंकों की पालिसियां रिजेक्ट कर दी गई हैं, जो कि बहाल करके किसानों के खातों में बीमा क्लेम डलवाने का कष्ट करें।

श्रीमान, यही नहीं, बीमा कंपनी ने अभी तक आंकड़े सार्वजनिक रूप से पूर्ण नहीं किये हैं। कितने किसानों के खातों में अभी तक बीमा दिया है तथा किस पटवार मंडल में कितना बीमा क्लेम तय हुआ है? बीमा कंपनी के पास आज भी मानव संसाधन की कमी है, जिससे किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में आज भी किसान क्रोप कटिंग की मांग को लेकर के बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे यह बात साझा करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा में अभी तक 1450 करोड़ रुपये बीमा क्लेम किसान के खाते में आया है, लेकिन 150 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम अभी पाइप लाइन में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का इस बात के लिए तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे यहां बीमा क्लेम 1450 करोड़ आया है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): लेकिन जिले भर के किसानों का बीमा क्लेम अभी भी बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में यह बताना चाहता हूं कि राजेन्द्र राठौड़ के पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठें, बैठें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह असत्य बात कर रहे हैं। चूरू जिले के किसान आज भी बीमा क्लेम को लेकर लड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठें, बैठें प्लीज।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इनके पास कोई सामान नहीं है। यह यूं ही कर रहे हैं। कर्जा माफ नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें आप, अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां: 000

श्री अध्यक्ष: 295। श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित), श्री छगनसिंह (अनुपस्थित), श्री धर्मेन्द्र कुमार (अनुपस्थित), श्री गोविंद प्रसाद (अनुपस्थित), श्री सुरेश टाक (अनुपस्थित), श्रीमती सफिया जुबेर (अनुपस्थित), श्री निर्मल कुमावत (अनुपस्थित), श्री गिरधारीलाल। श्री गिरधारीलाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्रीडूंगरगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्य प्रारम्भ कर घरों तक पेयजल उपलब्धता

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने 3 साल पहले श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घर-घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए 700 करोड़ से अधिक राशि की जल जीवन मिशन परियोजना स्वीकृत की थी। मगर आज 3 साल बाद भी करीबन एक दर्जन गांवों में ही काम शुरू हुआ है और क्षेत्र के सैकड़ों गांव अभी भी काम शुरू होने से वंचित हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट के कार्य धरातल पर अभी भी शुरू नहीं हुए हैं।

अत: सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य धरातल पर शुरू करवाकर प्रत्येक घर तक नल व जल पहुंचाने का कार्य शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जावे।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2022 में किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे, यह किसने कहा था?

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल (अनुपस्थित), श्री सुरेश सिंह रावत (अनुपस्थित), श्री बिहारीलाल (अनुपस्थित), श्रीमती शोभा चौहान (अनुपस्थित), श्री प्रताप लाल भील (अनुपस्थित), श्री मदन प्रजापत। श्री मदन प्रजापत (अनुपस्थित), श्री कालूराम (अनुपस्थित)।

समिति के प्रतिवेदन। श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित)।

(श्री अध्यक्ष)

वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2023-24 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2023-24) (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023, श्री राजेन्द्र यादव।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, सभापति, जन लेखा समिति।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 156 से 159)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2023-24 के निम्न चार प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (अनुपालन-II) वर्ष 2019-20 का अनुच्छेद संख्या 7.3 एवं 7.4 में समाविष्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 156वां प्रतिवेदन;

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 07 (अनुपालन लेखा परीक्षा) में समाविष्ट वर्ष 2019-20 का अनुच्छेद संख्या 3.3 उद्योग विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 157वां प्रतिवेदन;

(3) जन लेखा समिति वर्ष 2019-20 (पन्द्रहवीं विधान सभा) के 66वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 158वां प्रतिवेदन व

(4) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 3.5 वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, खान एवं भू-विज्ञान, स्वायत्त शासन तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 159वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

राजस्थान कारागार विधेयक, 2023, श्री टीकाराम जूली।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान कारागार विधेयक, 2023

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित),

श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित),

(श्री अध्यक्ष)

श्री राजेन्द्र राठौड़, बाद में बोलेंगे?

श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित),

श्री बाबुलाल झाडोल (अनुपस्थित),

श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित),

श्री रामप्रताप कासनिया (अनुपस्थित),

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित),

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित),

श्री धर्मनारायण जोशी (अनुपस्थित),

श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित),

श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित),

श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित),

श्री अविनाश (अनुपस्थित),

श्री रूपा राम मकराना (अनुपस्थित),

श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्षजी। राजस्थान कारागार बिल, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

जेल सुधार पर अनेक समितियां बनीं, अनेक कमेटियां बनीं, अनेक रिपोर्टें आईं और बरसों से जेल सुधार की बातें चलती रहीं। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय आये, केन्द्र को भी कहा कि जेल मैन्युअल बनाया जाए, 2016 में जेल मैन्युअल बना भी, उसके बाद अभी पिछले महीने ही एक रिपोर्ट आई है कि एक नया जेल मैन्युअल बन कर तैयार है। 2016 के जेल मैन्युअल को 18 प्रदेशों ने माना।

वैसे तो यह जेल राज्य सूची का विषय है और इस पर सरकार राजस्थान कारागार बिल, 2023 लेकर आई है। माननीय अध्यक्षजी, अधिनियम में तीन वर्ष से कम कठोर कारावास के बन्दियों के लिए धारा 7 में अस्थायी कार्य शिविरों की स्थापना की बात कही गई है। इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राज्य सरकार स्वयं यह कार्य उपलब्ध करवाएगी या स्वयं बंदी को अपना कार्य ढूंढ़ना होगा। धारा 18, कारागार अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों को अभी भी जेलर, मुख्य प्रहरी तथा प्रहरी कहा जा रहा है। अधिनियम में ये पदनाम परिवर्तित होने चाहिए थे। जेलर पदनाम औपनिवेशिक

(श्री बिहारीलाल)

मानसिकता का परिचायक है। धारा 18 में कहा गया है कि जेलर कारागार परिसर के भीतर ही निवास करेगा, जबकि जेलर आवासों की स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी व्यवस्था बंदी बैरकों से भी बदतर है। अधिनियम में आधुनिक तलाशी उपकरणों की कोई बात नहीं की गई। धारा 36 के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित धारा को गैर जमानतीय धारा बनाया जाना चाहिए था। मोबाइल जैसी सामग्री बरामद होने पर बंदी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए न कि कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध। यदि अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध भी हो तो निश्चित तौर पर बंदी के विरुद्ध भी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान भी इस बिल में होना चाहिए था। यदि कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ही कार्यवाही होनी चाहिए, करे कोई भरे कोई, ऐसा न हो, खाली जेल अधिकारियों के विरुद्ध ही कार्यवाही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।

(समय: 13.32 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, धारा 43, आज के आधुनिक जमाने में भी पत्र लिखने की बात कही गई है, यह संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जबकि कारागार में प्रिजनर इमेज कालिंग सिस्टम भी संचालित है, कैदियों को इसकी सुविधा भी दी जानी चाहिए। अधिनियम में कैदियों को संरक्षण दिया गया है, जबकि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वैसा ही संरक्षण मिलना चाहिए। मुल्ला आयोग व अन्य कमेटियों के सुझावों को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए। जेल प्रहरी अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। धारा 65 में अब तो ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि वो अपने मौलिक अधिकारों और हक की बात भी नहीं उठा पाएगा। धारा 65 के प्रावधानों को भी इसमें विलोपित किया जाना चाहिए। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को अनावश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी, कैदियों द्वारा किये गये अपराध की सज़ा भी उन्हें न मिले, इसका आपको इसमें संतुलन रखना चाहिए था। धारा 54 में कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड की बात की गई है लेकिन धरातल पर ऐसी कोई कार्यवाही दिखाई नहीं देती है। हाल ही में राज्य सरकार ने 12.12.2022 को राजस्थान कारागार नियम, 2022 लागू किये हैं। जो कारागार अधिनियम, 1854 में प्रदत्त शक्तियों से बनाए गए थे, लेकिन अब इस अधिनियम को ही समाप्त किया जा रहा है। उसी को रिपील

(श्री बिहारीलाल)

करके यह नया अधिनियम लाया गया है, तो 2022 के नियम कैसे प्रभावी हो पाएंगे। केन्द्र सरकार भी मॉडल एक्ट लेकर आ रही है, ऐसे में राजस्थान कैसे अप्रभावी रह पाएगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जेल प्रहरी के पद का वेतनमान, अभी पूरे राजस्थान में जेल प्रहरी अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे, कइयों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मैं भी जाकर मिलकर आया, जेल प्रहरी के पद का वेतनमान पुलिस कांस्टेबल के बराबर करके 1998 से परिलाभ दिया जाना चाहिए, यह भी इस बिल में लेकर आते। नव सृजित वरिष्ठ जेल प्रहरी को विलोपित करने, राजस्थान कारागृह अधीनस्थ सेवा के शेष पदों का वेतनमान पुलिस के बराबर किया जाना चाहिए। यह भी इस बिल में लाया जाना चाहिए था। जेल कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी और जोखिम भत्ता पुलिस के बराबर करना और गृह और वित्त विभाग से पुलिस वेतनमान बढ़ोतरी, जेल विभाग में भी समान रूप से लागू की जाए, ये जो उनकी मांगें थीं, उन पर भी इस बिल में चर्चा होती, इस बिल में प्रावधान किये जाते तो निश्चित तौर पर अच्छा होता।

माननीय सभापति महोदय, इन सारे संशोधनों को भी इस बिल में शामिल किया जाए, तभी यह बिल पूर्ण रूप से सार्थक हो पाएगा और जिस भावना से यह बिल लाया जा रहा है उस भावना की पूर्ति भी हो पाएगी। इन सब संशोधनों के साथ मैं मेरे संशोधन देता हूं और मांग करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित),

श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित),

श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित)।

श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कारागार विधेयक, 2023, साढ़े चार साल के बाद जाती हुई सरकार, जो इमरजेंसी में हो, वेंटीलेटर पर हो, आक्सीजन पर हो, वो जाती हुई सरकार अब जेल सुधारों की चिंता कर रही है, तो यह राजस्थान की जनता को सीधा-सीधा संदेश है कि साढ़े चार साल से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है वह सरकार जाते हुए अपने लिए जेलों की व्यवस्था ठीक करना चाहती है ताकि आगे आने वाले दिन उनके ठीक कटें।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि साढ़े चार साल के बाद सरकार को अचानक याद आती है कि राजस्थान कारागार विधेयक लाया जाए। विधेयक तब ला रहे हैं, जब विधेयक का, आज हम जुलाई के लास्ट में बैठे हैं, अगस्त का एक महीना, सितम्बर 15 के लगभग आसपास आचार संहिता लग जाती है, राज्यपाल के यहां जाकर इन बिलों का गजट नोटिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से बिलों की बाढ़ लाकर सदन का समय जाया करना, मैं समझता हूं कि राजस्थान की आठ करोड़ जनता का जो पैसा है उसको राजस्थान की सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है। जब ये बिल ही लेकर आए तो इस बिल में कितना वित्तीय प्रावधान सरकार ने किया है, वो बताए। क्या जेल सुधार केवल इन कागज के चार पन्नों पर होना है? क्या जेलों का सुधार केवल यहां पर बिल लाने से होना है? आज राजस्थान की क्या स्थिति है? कैदियों के पास न टॉयलेट है और न पीने का शुद्ध पानी है, न शुद्ध हवा है, न उनके पास कोई जेल मैन्युअल प्रोपर बना हुआ है, न उनके पास कोई काम है। आज राजस्थान में जिस प्रकार से कैदियों की जो दुर्दशा है उसको एक बार जाकर यदि सरकार देखे, सरकार के मंत्री जाकर देखते तो शायद इन बिलों में वो चीजें इनकारपोरेट करके लेकर आते।

माननीय सभापति महोदय, बिना वित्तीय प्रावधानों के इस प्रकार के बिल लेकर आना, यह मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में जयपुर की एक खुली जेल बनी हुई है, उस खुली जेल के अंदर, यदि अंदर नहीं भी जाओ तो आप कभी आते-जाते, माननीय सभापति महोदय, आपका जो मकान है उससे थोड़ा-सा ही आगे पुलिया से दिखता है, उस पुलिया पर खड़े होकर आप कभी लेफ्ट साइट में देखना, उस खुली जेल की स्थिति क्या है? छोटे-छोटे टीन-टप्पर बने हुए हैं जिनमें आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इस प्रकार के खुली जेल में हालात हैं। मैंने इसी सदन में प्रस्ताव लगवाया कि इस जेल का जितना पैसा इस जगह का है, वह बहुत प्राइम लोकेशन हो गई है, सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन भी है कि इस खुली जेल की 25 बीघा जमीन आज जयपुर के सेंटर में आ गई है, उस जमीन को आक्शन किया जाए या उस जमीन पर सांगानेर हाट बनाया जाए, 300 साल पुराना जो सांगानेर का कपड़े का व्यवसाय है, जो प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, उनको वहां पर दिया जाए, उससे हजारों करोड़ रुपये जेल की आय होगी, उससे आप कई जेलों का सुधार कर पाओगे और इस जेल को जयपुर से बाहर आप बना

(श्री अशोक लाहोटी)

देते हैं, वहां पर जयपुर के मिनी सेक्रेटेरिएट बनाकर जयपुर शहर के सांगानेर तहसील की उप तहसील, रजिस्ट्रार कार्यालय, सांगानेर कोर्ट, सारी चीजें एक साथ वहां लाई जा सकती हैं। वहां बिड़ला आडिटोरियम जैसा आडिटोरियम है, यह धारीवालजी के ध्यान में क्यों नहीं आया? मैं तो यही सोच रहा हूं कि इतनी बेशकीमती जमीन और आपके ध्यान से कैसे रह गई? यह तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हजारों करोड़ रुपयों की इतनी बेशकीमती जमीन यूडीएच मंत्री जी के ध्यान से कैसे रह गयी! इसका सही उपयोग होता तो इस जमीन का भी डवलपमेंट होता, आपको हजारों करोड़ रुपये मिलते, सांगानेर कस्बे का भी विकास होता। सैटेलाइट हास्पिटल, जिसकी घोषणा हुए साढ़े तीन साल हो गये, वह कागजों में भी नहीं बना। वह इसमें बन सकता था। मिनी सेक्रेटेरिएट बन सकता था। जेल सुधार में यह काम आता।

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के बिल लाकर, जाती हुई सरकार के लोग जो भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे हुए हैं जिनका जेल जाना तय है, वे अपने लिए जेल सुधार की व्यवस्था करने के लिए यह ख्वाब देख रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से वे जेलों को ठीक कर लेंगे और उनके दिन ठीक से कट जाएंगे। मैं आपके माध्यम से उन्हें चेता रहा हूं कि कोई गलतफहमी न रखें। इन कागज के पन्नों से कोई जेल ठीक नहीं होने वाली। उसके लिए बजट का प्रावधान करें। अत: इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सर, एक मिनट। कल रात को विद्यार्थी मित्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ।

श्री सभापति: बाद में। अभी बिल पर चर्चा चल रही है। (व्यवधान) कृपया बीच में डिस्टर्ब न करें। It will continue. बिल पर चर्चा कंटीन्यू रहेगी। प्लीज बैठिये। (व्यवधान) बिल पर चर्चा चल रही है। बीच में कोई अन्य चर्चा नहीं होगी। Please be seated. बिल पर चर्चा चल रही है।

श्री बाबुलाल (अनुपस्थित), श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित), श्री रामप्रताप कासनियां (अनुपस्थित), श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित)। श्री चन्द्रभान आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): जेल और कारागार पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, कल विद्यार्थियों को पीटा गया...

श्री सभापति: बिल पर चर्चा चल रही है। (व्यवधान) बिल्कुल गलत परम्परा है। आप बीच में नहीं। कृपया बैठें। (व्यवधान) माननीय नेता, प्रतिपक्ष, प्लीज। बैठिये आप। आपको मौका दिया जायेगा, तब बोलियेगा। बैठिये प्लीज। Please be seated. Continue.

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सर, मुझे जेल और कारागार से सम्बन्धित इस बिल पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जेलों की वास्तव में बहुत दुर्गति है। जेलों में हद से ज्यादा मुलजिम हैं। अभी चित्तौड़गढ़ की जेल में मुझे जाने का मौका मिला और वहां अन्दर देखने का मौका मिला, क्योंकि कैदियों का आपस में कोई झगड़ा होने के कारण वहां पर हड़ताल थी। मैंने वहां जाकर देखा, जहां 200-250 होने चाहिये, वहां 600-700 कैदी हैं। वहां के भोजन की व्यवस्था से, उनके खाने-पीने की व्यवस्था से, उनके नहाने की व्यवस्था से वास्तव में वे इतने दु:खी हैं। इस सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। यह बिल लाने से अच्छा है कि एक बार आप जेलों की व्यवस्थाएं देख लें।

शकुन्तला जी, कभी भी मौका पड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एक बार उन जेलों को आप बिल्कुल देखें, उनकी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं देखें। हद से ज्यादा उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। मंत्री महोदय उन व्यवस्थाओं को देखेंगे। मंत्री महोदय, आपका बहुत कम समय बचा है आपके दो-ढाई महीने और बचे हैं। एक बार व्यवस्थाओं को सम्भाल लें, वरना वे कैदी बाहर आने के बाद आपको वोट दें न दें, पर माहौल आपका इतना खराब करेंगे। वास्तव में इन जेलों की हालत बहुत खराब है। इस बिल को पास करने से पहले आप जनमत जानने के लिए भेजें और इसे पारित न करें।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी (अनुपस्थित), श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित), श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित), श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान कारागार का यह विधेयक, अब चूंकि चुनाव में समय भी कम बचा

(श्री अविनाश)

है और मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा भी कोई ज्यादा ठीक नहीं लगती, क्योंकि पिछले साढ़े चार सालों में सरकार के कारागार के ऊपर जो काम-काज थे, आपको जो प्रयास करना था, वह साढ़े चार साल में नहीं करके आप बचे हुए तीन-चार महीनों में करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं, किस प्रकार से इस विधेयक को पास कराएंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसकी भी हमें बहुत चिन्ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि कारागार में आज भी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इन सुधारों को लेकर ही आज आप यह बिल लेकर आये हैं। मैं समझता हूं कि कारागार में जेलर और अन्य जो स्टाफ होता है, बहुत लम्बे समय तक एक ही स्थान पर एक ही जेल में रहते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जेल में अपराधियों की सांठ-गांठ होने के कारण, चाहे वह सरकार राज्य में किसी भी दल की हो, निश्चित रूप से उनकी निष्ठा पर सवाल उठता है। मैं समझता हूं कि अपराध का ग्राफ जेल के बाहर तो होता ही होता है, लेकिन इस प्रकार का वातावरण बनने से जेल के अन्दर भी अपराधियों में आपस में टकराव होता है, कहीं न कहीं मर्डर हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं और ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा होती हैं।

क्या आपने यह नहीं सुना कि पिछले साढ़े चार सालों में राजस्थान की जेलों में मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है? यह तस्करी, यह सप्लाई आखिर उन्हें करता कौन है? साथ में, जेल तोड़कर बहुत खूंखार अपराधी भाग जाते हैं। जेलर तथा अन्य स्टाफ, जिनकी मिलीभगत के कारण उन पर अंकुश नहीं रहता है, आये दिन अखबारों में हमें इस प्रकार के वाकये देखने को मिलते हैं। माननीय सभापति महोदय, एन.डी.पी.एस. के मामलों में जितने भी मुलजिम होते हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं सांठ-गांठ होने के कारण जेल प्रशासन और सरकार की मिलीभगत के कारण सरकार को नीचा देखना पड़ता है। राजस्थान की आठ करोड़ जनता को इस प्रकार के दुष्परिणामों से नीचा देखना पड़ता है।

मैं समझता हूं कि एक ही जेल के अन्दर, चाहे जेलर हो या स्टाफ हो, उनके लिए एक निश्चित समयावधि होनी चाहिये। इस समयावधि के बाद उनका कहीं न कहीं ट्रांसफर हो जाये ताकि अपराधियों के साथ उनकी सांठ-गांठ न हो। मैं समझता हूं कि जितने भी संगीन अपराधी हैं, उन्हें भी लगातार

(श्री अविनाश)

अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिये। एक ही समय पर अगर ये अपराधी एक ही जगह पर रहेंगे तो गुटबाजी भी होती है, कहीं न कहीं षड्यंत्र भी होते हैं, जिसके कारण जेल व्यवस्थाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, जो जेलर जिस जिले से आते हैं, उनका पदस्थापन उससे अलग जिले में होगा तो उसका फायदा जेल प्रबन्धन में और दूसरी सुविधाएं विकसित करने में होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ये जो कारागार के सम्बन्ध में आजकल हम लोग देखते हैं, न टॉयलेट की सुविधा है, न पीने के पानी की सुविधा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने पहले भी कहा था, जेल प्रबन्धन और कारागार के बारे में सरकार को उच्च तरीके से सोचना चाहिये ताकि गम्भीर अपराधों के अलावा सामान्य से अपराध के अन्दर जेल में जो अपराधी रहते हैं, उनका जीवन स्तर हम कैसे ऊपर उठा सकें, उनके जीवन में वापस से सकारात्मक तरीके से बदलाव ला सकें, जिससे वे जीवन की मुख्य धारा में आकर फिर से अपराध की ओर न जाएं।

मैं समझता हूं कि एक बार उन सब पर चर्चा करके इस विधेयक को जनमत जानने के लिए छह माह के लिए परिचालित किया जाये। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये और उसके बाद में पुन: जब जनमत आ जाये, कुछ संशोधनों के साथ उसे वापस लेकर आ जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, जेल और कारागार पर सरकार संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। सभापति महोदय, संशोधन से पहले क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस बात पर ध्यान दें कि राजस्थान में जेलों की स्थिति क्या है? सरकार इस बात के बड़े-बड़े दावे करती है कि जेलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हम जैमर्स लगाने का काम करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे। सरकार ने दो ढाई कदम भी चलने का काम नहीं किया। जिस दृष्टि से आज जेलें लोगों की सुविधा के लिए बनी हुई हैं, अपराधी जैसे चाहें वैसे इन जेलों का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि बाहर खतरा है। वे जेलों के अन्दर आने की कोशिश करते हैं। आज कई अपराधी तो ऐसे हैं जो जेलों में बैठकर संगठित अपराध संचालित करने का

(श्री रामलाल शर्मा)

काम कर रहे हैं। आज राजस्थान में जो जेलें बनी हुई हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी से अतिरिक्त कितने मुलजिमों को उन जेलों के अन्दर डाला जा रहा है?

सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की जेलों के जितने भी जेल मंत्री बने, एक ने भी जेलों का दौरा करने की हिम्मत तक नहीं की कि मैं जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखने का काम भी तो करूं। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि आप यह आनन-फानन में तीन महीने की सरकार के लिए इतना बड़ा कष्ट क्यों कर रहे हैं? आपका जाना तो तय है। हां, यह बात जरूर है कि आप इन जेलों में सुधार इसलिए करना चाहते हैं कि आपने सरकार में रहते हुए इतने भ्रष्टाचार किये हैं। पेपर लीक मामले से लेकर, आरपीएससी घोटाले तक कई अधिकारी, मंत्री जेल के अन्दर जायेंगे। इसलिए आप पहले से अपनी सुविधा बढ़ाना चाहते हो। आप सुविधाएं तो बढ़ायें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जेल जाना तय है। आप मानकर चलना राजस्थान की जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। इसलिए इस बिल को पारित करने से पहले 3 माह के लिए जनमत जानने हेतु भेजा जाये।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष (अनुपस्थित), श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। राजस्थान की सरकार जाते-जाते बिल लेकर आई है। यदि राजस्थान सरकार की मंशा सही होती तो सरकार बनने के तुरन्त बाद यह बिल लेकर आती और इसमें कोई इम्प्लीमेंट होता। सरकार द्वारा जाते-जाते वही काम किया जा रहा है जो होना नहीं है, न कुछ आना है, न जाना है।

आप सबको पता है। जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सभी भलीभांति परिचित हैं कि जेल में क्या होता है। किसी भी आदमी को जब सज़ा होती है या जेल जाने का नम्बर आता है तो सबसे पहले उसे जेलर को सैट करना पड़ता है, नहीं तो किस प्रकार की प्रताड़ना कैदी को दी जाती है। उसके सैट होने के बाद फिर उसको सब सुविधाएं मिलती हैं। जेल में भी ऐसी कौनसी वस्तु है जो नहीं मिलती है। मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट मिलती है और वे चीजें सौ-सौ गुना, दो-दो सौ गुना रेट पर मिलती हैं। यह भी सबके ध्यान में है

(श्री नरेन्द्र नागर)

कि वर्तमान में जेलों की संख्या बढ़ाने की महती आवश्यकता है। कैदियों की संख्या ज्यादा रखी गई है, इस वजह से परेशानियां और दिक्कतें आ रही हैं। वे सभी के सामने हैं। निश्चित रूप से वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए। वहां पर लेट-बाथ की अच्छी व्यवस्था मिले। इस प्रकार का वहां पर वातावरण बने।

हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि ऐसे बहुत से गैंगस्टर हैं जो वहां से पूरा संचालन करते हैं, वही से सारा काम करते हैं। सरकार आने वाले समय में यह प्रयास करे कि जेल में सभी सुविधा हो। सरकार के द्वारा जैमर लगाये जाते हैं, वे मुश्किल से साल दो साल चलते हैं और उसके बाद खतम हो जाते हैं। फिर उसके प्रोसेस में टाइम लगता है। सीसीटीवी कैमरे आधे समय खराब रहते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार को समय की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बिल को 6 माह तक जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जेलों की व्यवस्था है, राजस्थान में जेलों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताऊं, भवानी मण्डी में 30 कैदियों की जेल है, उसमें 70-70 कैदी रखे जाते हैं और वह जेल शहर के बीचों बीच है। माननीय सभापति महोदय, मैंने तीन-तीन बार विधान सभा में क्वेश्चन लगाये, कट-मोशन लगाये, उसके बाद भी इस जेल को आपने बाहर नहीं बनाया। अगर जेल शहर से बाहर रहती है, सिटी से बाहर रहती है तो कैदियों को भी उसकी सुविधा मिलती है और अगर शहर के बीचों बीच जेल रहेगी तो वहां का वातावरण बिगड़ता है।

जिस प्रकार से माननीय सदस्य बता रहे थे कि कैदियों से मिलने जाते हैं, बिना लिये-दिये कैदी को नहीं मिलाते हैं। बिना रिश्वत लिये कोई कैदी से नहीं मिलाता है, अगर कोई सेटिंग से मिलता है तो वह रात में मिल सकता है। अगर उसका कोई रिश्तेदार भी मिलना चाहता है तो कई घंटों तक वह बैठता है।

एक बार मैं स्वयं जेल में गया। उसका एक रिश्तेदार मिलने आया,

(श्री कालूराम)

उसके लेन-देने की, मैंने खुद जेल में जाकर जेलर से कहा कि आपके जेल की ये व्यवस्था है। जेल में सरेआम मोबाइल और सरेआम उनको खाने-पीने की चीजें, जो वे चाहते हैं। कैदियों से, जेलर से जो सम्बन्ध रखता है उनको तो अच्छी-अच्छी चीजें दी जाती हैं, जो गरीब व्यक्ति है, वह मिल नहीं पाता है, उनके साथ में प्रताड़ना होती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महीने पूर्व जेल में एक बन्दे की मौत हो गई। वह 40 वर्ष का युवा था। उसको पुलिस द्वारा प्रताड़ना दी गई और उसके बाद वह एक महीने तक जेल में रहा और ग्राम पंचायत डोबड़ा और डग विधान सभा क्षेत्र के एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई। मैं चाहता हूं कि आपको इस प्रकार का कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। पहले तो जेल की व्यवस्था सुधारें और जेलों में जो अव्यवस्था हो रही है उस अव्यवस्था को पहले सुधारने की कोशिश करें। आप आखिरी टाइम में यह बिल लेकर आये हैं, इस बिल से कुछ होने वाला नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने साढ़े चार साल में व्यवस्था बिलकुल बिगाड़ दी है। कारगार में हमने कई बार प्रस्ताव भी दिये और कई बार क्वेश्चन भी लगाये, बाकी व्यवस्था ज्यों की त्यों ही है।

मैं आपको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जेल में खाने-पीने की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाये, उनके नाश्ते-पानी पर ध्यान दिया जाये। जेलियों को, कैदियों को नाश्ता दिया जाता है, उनको सुबह चने दिये जाते हैं। उनको सुबह सही तरीके से नाश्ता नहीं दिया जाता है। कैदियों को पूरी तरह से सुविधा दी जाये। इस बिल को जनमत जानने के लिए 6 महीने या 3 महीने के लिए परिचालित किया जाये। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 निश्चित तौर से जेलों में सुधार की ओर आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि देश में जेल का कंसेप्ट खतम हो और सभ्य समाज की तरफ हम आगे बढ़ें। जिस तरह से बाल संरक्षण गृह नाम दिया जाता है, वैसे ही जेलों का नाम सुधार गृह किया जाये। आज

(श्री बलवान पूनियां)

कम्प्यूटर का युग है, हर जेल में लाइब्रेरी हो और लाइब्रेरी ऐसी उच्च हो जिससे लोगों की सोच बदले।

मुझे किसान आंदोलन में 6 महीने चूरू जेल में रहने का मौका मिला। मैं एमएलए बनने के बाद जेल में गया। वहां एक छोटी लाइब्रेरी है, अब वह बड़ा रूप ले चुकी है। हर जेल में ऐसी लाइब्रेरी बने जिससे लोगों की सोच बदले, लोगों की समझ बदले। जिस तरीके से लोग अपराध की दुनिया में जाते हैं, कुछ फिल्मों का असर होता है, कुछ संगत का असर होता है, कुछ दुराचारियों का असर होता है, जिससे नौजवान भटकाव की ओर बढ़ते हैं और संगठित अपराध की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जेल का मतलब वहां प्रताड़ना देकर लोगों को सुधारा नहीं जा सकता है। जो बंदूक के साये में उसी ठाय-ठाय से खुश होते हैं, वे शायद कम्प्यूटर से बदल जायें, वे लाइब्रेरी से बदल जायें, वे अच्छे लोगों की किताबों से बदल जायें, वे अपने जीवनयापन से बदल जायें, जो जेल के भीतर करना है। जो खुली जेल हैं, उनकी स्थिति सुधारने के साथ-साथ जो जेलें हैं, उनकी स्थिति सुधारी जाये।

सभापति महोदय, जो छोटा अपराध करके गया है, जिसकी जमानत दस-बीस दिन में होने वाली है, अगर उसे 302 वाले के पास बिठा दिया जाता है तो निश्चित तौर से वह बड़ा अपराधी बनकर बाहर निकलता है। इसलिए इन जेलों को सामाजिक विश्लेषण के साथ देखना पड़ेगा। हमें जेलों को अलग-अलग तीन पार्ट में बांटना ही पड़ेगा, नहीं तो ये विधेयक काम नहीं करेंगे। हमें समाज को सुधारना है, निश्चित तौर पर जेल इसीलिए बनाई जाती है कि जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो विक्षिप्त मानसिकता के हैं, उन लोगों को समाज से अलग रखने के लिए जेल का कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट को हमें ढंग से देखना पड़ेगा। राजस्थान में आज जो जेलों की स्थिति है, उसे और बेहतर करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मेरे से पहले कालूराम जी सही कह रहे थे। जो तहसीलों की जेलें हैं, भादरा की जेल है, 40 बन्दी रख सकते हो, 70-70, 80-80 ठूंस रखे हैं। इससे अन्दर गया हुआ मुल्जिम और अधिक बागी होता है। वह व्यवस्था के प्रति बगावत करना चाहता है। इसलिए ये व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है। जो जेलें शहर के भीतर हैं उनको बाहर ले जाया जाये। उनका वातावरण ऐसा हो कि बाहर निकलते हुए व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में

(श्री बलवान पूनियां)

शामिल होना चाहे। जेल प्रहरी की बात आती है, सभापति महोदय, उसकी ड्यूटी इतनी हार्ड है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कहता हूं दुनिया में यदि कहीं नरक है तो वह जेल है। मैं किसान आंदोलन में गया। मेरे से अलग ट्रीट था, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनके साथ अलग ट्रीट था। नरक अगर कोई चीज है तो वह जेल के भीतर है। उसके आगे जो प्रहरी खड़ा है, उस प्रहरी को आप पुलिस के जवान के बराबर तनख्वाह नहीं देते हैं। इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता है। वह वैसा ही हो जाता है जैसे भीतर के लोगों के टच में रहता है। सारा दिन जैसे भीतर वालों को कोरोना है तो प्रहरी को भी कोरोना हो जायेगा। भीतर वाले जिस मानसिकता के हैं, वैसी ही मानसकिता का वह हो जाता है। इसलिए उसका जीवनयापन ढंग से हो। जेल प्रहरी की तनख्वाह और बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरा, मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि जेल का जो जेलर है 5-5, 7-7, 10-10 साल, सर, उनकी दुनिया ही अलग है। सभापति महोदय, उनकी दुनिया ही अलग है। जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक की दुनिया अलग है। वो आपके

(समय: 13.00 बजे)

इस प्रशासन से ज्यादा इत्तफाक नहीं रखते। वो इस बात से इत्तफाक नहीं रखते कि आप विधान सभा में क्या सोच रहे हैं, वो तो भीतर कैसे एडजस्ट रखना है, वो भाग नहीं जाये, उसका जैमर काम करे, नहीं करे तो भी भीतर कोई गतिविधि न हो जाये, कोई आपस में झगड़ा नहीं हो जाये, उसकी सारी की सारी टेन्शन उस जेलर पर है। इसलिये, सभापति महोदय, एक साल, दो साल बाद में निश्चित रूप से उनके ट्रांसफर होने चाहिये, ताकि वो वहां भीतर एक गिरोह के रूप में काम नहीं कर पाये और अलग-अलग जगह पर उनकी पोस्टिंग होगी तो जो अपराधी कंटीन्यू बार-बार अपराध करके जेल में आते हैं और जेलों में जिस तरीके से ये अलग से दुनिया चला रहे हैं उस दुनिया को न चलायें।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में बात सम्पन्न करना चाहूंगा। जेल में बैठा हुआ आदमी और फोन करके धमकी देता है। यह अख़बार में छपे तभी मानने की जरूरत नहीं है। हकीकत है यह। जेल में फोन है तो फिर अलाउ कर दो न। अलाउ ही कर दो। घर वालों को आने की जरूरत नहीं, फोन पर

(श्री बलवान पूनियां)

बात करा देंगे। पंजाब में कराते हैं फोन पर बात। डेट तय है, आदमी की 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे परिजनों से बात करवायेंगे दो मिनट। तय करवा दो न फिर। बात करवानी है परिजनों से, करवा दो। अपराधी अपराधी से बात करके सुपारी दे रहा है, यह तो बन्द हो कम से कम।

मेरा मानना यह है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जो आदमी अपराध की तरफ बढ़ता है, आखिरी स्टडी तो यही है कि उसको अपराध से वापस लाया जाये, इसलिये जेलों की स्थिति सुधारी जाये। जेलों में सारी जगह लाइब्रेरीज स्थापित की जायें। ज्यादा से ज्यादा समय कैदी का पढ़ने में व्यतीत हो, कम्प्यूटर चलाने में व्यतीत हो। इसी बात के साथ मेरा जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव दिया है वह मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिये गये हैं और उसी की व्याख्या इस रूप में की गयी है कि कैदियों को भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। देश की पहली जेल, केन्द्रीय कारागार पहला 1846 में आगरा में बना और तब से लेकर आज तक कैदियों के प्रति समाज का, शासन का नजरिया लगातार वैसा नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिये। प्रयास तो अनेकों हुए अनेकों समितियां बनीं। यहां तक कि जस्टिस ए.एन. मुल्ला की कमेटी भी बनी जिन्होंने यह सिफारिश की कि जेलों में सुधार के लिए आयोग गठित किया जाये लेकिन सुधार की गति वो ही है।

राजस्थान उच्च न्यायालय भी 2012 से जेलों की स्थिति में सुधार के लिए एक पिटिशन की सुनवाई कर रहा है जिसमें बिन्दुवार सरकार को निर्देश भी दिये गये कि जेलों में सुधार कैसे लाया जाये। उसमें कई बिन्दुओं पर पालना भी हुई, कई बिन्दुओं पर पालना जारी भी है। कई बिन्दुओं पर नहीं भी कर पाये हैं लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार का नजरिया साफ है कि हम एक लोक कल्याणकारी सरकार हैं। हमें कैदियों के लिए भी उनके जीवन में जेल में रहते हुए बदलाव आ सकें, इस बात का प्रयास करना चाहिये और इन विगत चार वर्षों के अन्दर अनेक कदम इस सरकार ने उठाये हैं और जो कदम उठाये गये हैं उसको पूरे भारतवर्ष में माना भी गया है, रेखांकित भी किया गया है और राजस्थान को उसमें आला दर्जे के

(श्री संयम लोढ़ा)

स्थान भी मिले हैं, लेकिन कैदियों के प्रति शासन किस रूप के नजरिये के साथ आगे बढ़े, इस पर अभी भी, माननीय सभापति महोदय, बहुत चिन्तन करने की जरूरत है।

दुनियाभर में अलग-अलग तरह की परिस्थितियां हमको मिलेगी। कैदियों को हैण्डल करने के मामले में हर राष्ट्र ने अपने-अपने तरीके से, अपनी-अपनी समझ से कोशिश की है पर पूरे विश्व में नीदरलैण्ड एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसने मनोवैज्ञानिक तरीके से इन कैदियों को डील किया है कि उनमें जो अपराध का तत्व है, उनके भीतर जो मानसिकता है उसको खतम कैसे किया जाये और उसका नजरिया है कि आज नीदरलैण्ड की जेल खाली हो चुकी है। उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन अपने राष्ट्र के कैदियों में कर दिया और कमाल की बात है कि जो जेल नीदरलैण्ड ने अपने देश के कैदियों के लिए बनायी थी वह पड़ोस के एक देश नार्वे को उन्होंने किराये पर दी है जिसमें उस जेल में नार्वे के कैदी रहते हैं। इसलिये यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम जितना ज्यादा काम करें, जितनी व्यापक दृष्टि से काम करें, माननीय सभापति महोदय, वह कम है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि राजस्थान के जेल मंत्री जी मेरे क्षेत्र में सिरोही आये थे। तब मैंने उनसे विनती की कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तो अनेकों बार संघर्ष में रहा पर कभी जेल गया नहीं। जेल कमेटी का आपने मुझे सदस्य जरूर बना रखा है पर कभी मुझे मीटिंग में बुलाते नहीं हैं। कभी किसी तरह के...

श्री सतीश पूनियां (आमेर): जाकर देख लो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी केन्द्र में सरकार है आप तो पीछे पड़े हुए ही हो। भेजोगे तो चला जाऊंगा वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कंटीन्यू।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, ये बीच में...

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें प्लीज। आप कंटीन्यू करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की इच्छा पूरी की जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कंटीन्यू करें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम सारे ही लोग जो इस तरफ बैठे हुए हैं सरकार के सहयोगी हैं। हम सारे इंतजार ही कर रहे हैं कि हम में से किस-किस की कब बारी आयेगी। किस-किसका ईडी को नाम दिया गया है, किस-किसका नाम सीबीआई को दिया गया है। सारे लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: विषय पर आ जायें, प्लीज। प्लीज, विषय पर आ जायें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिये इसकी चिन्ता मत करो। हम घबराने वाले लोग नहीं हैं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, यह तो बहुत स्वागत योग्य है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम वो हैं जिन्होंने वह रथ इस राजस्थान की सरजमीन पर रोक दिया है जो सरकार गिराने के लिए निकल पड़ा था।

श्री सभापति: आप विषय पर आ जायें प्लीज। सब्जैक्ट पर आ जायें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी कृपा चाहिये, सभापति महोदय, ये बार-बार...

श्री सभापति: विषय पर आ जायें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं जेल समिति का भी सदस्य हूं जिला कारागार की पर मुझे कभी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मुझे कभी यह देखने के लिए किसी अधिकारी ने आमंत्रित नहीं किया कि जेल की व्यवस्था क्या है, देखिये। आबू रोड की जेल के बारे में जब मुझे कैदियों के परिवार की तरफ से कभी सूचना मिली तब भी मैं बेबस था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को टेलीफोन किया कि इस-इस तरह के हालात सामने आये हैं, तब उन्होंने वहां के जो सी जे एम वगैरह, जो भी ए डी जे वगैरह होंगे, उनको भेजा कि इसको कैसे करें तो मैं निवेदन कर रहा था कि जेल मंत्री जी जब सिरोही आये तब मैंने इनसे प्रार्थना की कि आप चलिये, आये हुए हैं, यहां जेल देख लेते हैं। मैं इनके साथ गया तो सबसे दारुण दृश्य जो मैंने देखा और मंत्री खुद साथ थे। (व्यवधान) यह क्या पंचायत है? आई एम सोरी। (व्यवधान)

श्री सभापति: दोनों ही पक्षों से निवेदन है कि कृपया माननीय सदस्य को बोलने दें, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, इधर वाले भी और उधर वाले भी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री जी के खुद के सामने उन कैदियों का वह दारुण दृश्य सामने

(श्री संयम लोढ़ा)

आया कि दो-दो साल से उन कैदियों की पेशी नहीं हुई, वे अण्डरट्रायल हैं। उनको पेशी तक में कोर्ट में नहीं ले जाया गया। आप अन्दाजा लगाइये, हम कितना ही दावा करें कि हम यह सुधार कर रहे हैं वह कर रहे हैं, जमीन पर हालात क्या हैं? ऐसे करोड़ों-लाखों कैदी सड़ रहे हैं। जिस अपराध में उनको बुक किया गया है सम्भव है उसी अपराध के मामले में जितनी अवधि की सज़ा नियत है उससे ज्यादा वो जेल में बिता चुके हैं लेकिन उनकी कोई पेशी नहीं होती। वो कोई संविधान नहीं जानते, कोई वकील उनकी पैरवी करने वाला सक्षम नहीं है। उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपना पक्ष भी रख सकें। ऐसे ही मुझे अनेक मामलों में जैसा कि पुलिस का स्वभाव है, बहुत बार जब दबाव बनता है, पहले से जो लोग किसी अन्य मामले में बुक होते हैं, उठा कर ले आती है उनको बन्द कर देती है।

ऐसे इस सदन में ही मैंने दो मामलों में खुलासा किया था कि किस तरीके से पुलिस ने हत्या के मामले में लोगों को असत्य फंसाया और बाद में इसी सदन ने जांच बैठायी आईजी लेवल के अधिकारी की और उसने रिपोर्ट दी कि हां, असत्य फंसाया गया है और सरकार को उनको मुआवजा देना पड़ा तो ऐसे बहुत से कैदी सड़ रहे हैं पर उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कौन मॉनिटरिंग करेगा कि उसकी निश्चित समय पर पेशी होनी चाहिये, उसका ट्रायल समय से चलना चाहिये, उसके केस की सुनवाई नियत समय पर होनी चाहिये? सबसे जरूरी प्रश्न यह है और आपका यह जो एक्ट है इस बात का कोई प्रावधान नहीं करता। मैं इसकी बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूं क्योंकि मैंने तो आपके साथ, और कोई मैं अपनी ओर से कपोल-कल्पित बात नहीं कर रहा हूं। मंत्री जी खुद साथ थे, उनके सामने कैदियों ने वो बातें रखीं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। एक योग्य मंत्री हैं, इन्होंने सामाजिक न्याय में भी अच्छा काम किया है। जेल में भी अभी के डी.जी., पहले वाले डी.जी., इन सबके साथ मिलकर सकारात्मक दिशा में राजस्थान में कारागार विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आप इन चीजों को भी इसमें शामिल कीजिए। समय ले लीजिए, फिर से एक दिन, दो दिन के लिये सदन बुला लीजिए, लेकिन अगर इन बुनियादी चीजों को आप ठीक नहीं करेंगे तो जो आप हमारी जेलों में सुधार और परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्री जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि राजस्थान जेलों में सुधार की दृष्टि से अग्रणी राज्य रहा है। प्रतिष्ठित संस्था की 2020 की रिपोर्ट में जेल सुधारों की दृष्टि से राजस्थान को पूरे भारत में पहला स्थान मिला है। 2019 में राजस्थान का 12वां स्थान था। इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो दिल्ली में सीसीटीएनएस तथा आईसीजेएस अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें राजस्थान को पहला स्थान मिला, इसलिए राजनीति से प्रेरित होकर जो भी बातें भले ही कर रहे हों कि यह सरकार तो जाने वाली है, आप तो जाने वाले हो, जाते-जाते आप यह एक्ट लेकर आये, ऐसा नहीं है। इस सरकार ने साढ़े चार साल हर क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि पूरे भारत वर्ष में इस सरकार को प्रतिष्ठा मिली है। देश के प्रधान मंत्री इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कोरोना प्रबंधन के काम की सराहना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में यह दूसरे नंबर पर जाकर खड़ा है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में अभी 6 दिन पहले आर्टिकल छपा है, देश में 83 प्रतिशत लोगों की आय कम हुई है। इसलिए यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो कि यह जाने वाली है। यह तो यही रहेंगे और अगले पांच साल फिर आपकी छाती पर मूंग दलेंगे।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड कर लीजिए, बहुत लोग हैं बोलने वाले।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई नाराजगी है? इधर की तरफ से तो मैं पहला आदमी ही हूं। एक घंटा तो पहले यह पेल चुके हैं ...(व्यवधान) फिर भी मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा, मैं तो बहुत अनुशासित सदस्य हूं। आसन की आज्ञा का पालन करना तो हमेशा मैंने अपना कर्तव्य समझा है, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

जेलों की संख्या के आधार पर भी भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। हमारे यहां 144 जेल हैं। इसके साथ-साथ बंदी की क्षमता के आधार पर हम सातवें स्थान पर हैं। महिला कारागार के लिहाज से भी पूरे भारत में हम पहले स्थान पर हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग की जो सुविधा कारागार विभाग उपलब्ध करा रहा है, उसमें भी राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर है। अभी जरूर चूक हुई कि भरतपुर में कैदी ने कह दिया था कि मेरी जान को खतरा है, उसके बाद भी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहिये। हो सकता है मैं श्योर नहीं हूं कि वह पुलिस कस्टडी में था या आपकी जुडिशियल कस्टडी में था, मुझे अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन जो भी हुआ, गलत हुआ। जब कैदी ने यह आशंका व्यक्त कर दी थी तो शासन का दायित्व था कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उसको उपलब्ध करवाते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि जेलों में कैदियों की जितनी क्षमता है, उससे कहीं अधिक कैदी जेलों में हैं और जाहिर है उससे व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती। आपने खुद ने सिरोही की जेल में अनुभव किया था, जब आपको बताया कि टॉयलेट जाने में कितनी समस्या होती है। कितने-कितने लोगों को टॉयलेट जाने के लिये लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अब आप बताओ, कोई टॉयलेट रोक सकता है? आपको हाईकोर्ट ने डाइरेक्शन दे रखा है कि 10 कैदियों पर एक टॉयलेट का आप अरेंजमेंट करो। 2012 से हाईकोर्ट में आपकी यह पिटिशन चल रही है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भी आप व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। उदयपुर की जेल में 2022 में 1254 बंदी संख्या थी और आपके 102 शौचालय थे। हाईकोर्ट के डाइरेक्शन के बाद भी वहां पर आपके 30 टॉयलेट कम हैं। इसी तरीके से स्नानघर 132 होने चाहिये थे, वह 104 हैं। सभापति महोदय, यह चीजें बहुत छोटी-छोटी जरूर हैं, पर इसकी पूर्ति की जानी चाहिये। वह कैदी भी इंसान हैं और कम से कम उनको ऐसा सामान्य जीवन जीने का अवसर तो मिलना ही चाहिये कि जिससे वह स्थायी रूप से अपराधी नहीं हो जाये। यह जेलें हमने इस दृष्टिकोण से बनाई हैं कि हम उनको अवसर देंगे कि उनका सुधार हो सके।

मैं आपके विभाग के काम की सराहना करूंगा, सिरोही की जेल के बाहर महात्मा गांधी की सुंदर प्रतिमा आपने देखी होगी, वह उसी जेल में बंद एक कैदी ने जो काम सीखा, उसी जेल में बंद कैदी ने बनाई और उस कारागार के बाहर लगाई। कौशल विकास, आत्म निर्भर होना, रोजगार का सृजन, इन सभी दिशाओं में जेल के भीतर काम हो रहा है। सभापति महोदय, अब तो हाईकोर्ट ने 5 पेट्रोल पम्प खोलने का डाइरेक्शन दिया है, लेकिन पालना की गति बहुत स्लो है। अभी सिर्फ एक पेट्रोल पम्प आपका चालू हुआ है, मंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि तीन हो गये, बधाई आपको तीन हो गये तो, वैसे पांच का उनका डाइरेक्शन था।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर की सेंट्रल जेल में टॉयलेट और

(श्री संयम लोढ़ा)

स्नानघर में पानी प्रेशर से नहीं आता। कोर्ट ने आपको डाइरेक्शन दिये कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए, आप नहीं कर पाये। पांच साल हो गये कोर्ट के डाइरेक्शन को, अभी तक भी आपका पाइप लाइन का कागजों में ही काम चल रहा है और आप स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बीसलपुर से कनेक्ट करने वगैरह का मैटर था। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, ऐसे नहीं, गलत है। आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, इनकी केसरिया जैकेट देखकर मुझे एक चीज ध्यान में आ गई। माननीय सभापति महोदय, 1975 से 1977 के बीच में देश के बहुत नेता जेलों में गये। कई पूर्व मंत्री जेलों में गये, कई पूर्व मुख्य मंत्री जेलों में गये और जेल कैसा नरक है, यह उन्होंने उन जेलों में देखा। लेकिन उसके बाद भी आज 46 साल हो गये, उन जेलों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सारे बड़ेबड़े नेता बंद रहे हैं। इसलिए यह बातें करना आसान है।

मैं फिर आपके माध्यम से विनती करूंगा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ें। अभी आपने इस कानून में जो व्यवस्था की है, आपने इसमें कारागार सलाहकार बोर्ड बनाया है, इसमें सारे अधिकारी हैं। क्या करना चाहते हैं आप? कम से कम दो आदमी तो वह रखो जो नोन गवर्नमेंट के हों, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, ताकि कम से कम कैदियों की बातें इसके बीच में रखी जा सकें। इसमें आपको क्या तकलीफ है? इसमें आपने हड़ताल पर प्रतिबंध कर दिया। यह कारागार सेवा क्या आपका सशस्त्र बल है? यह कोई सशस्त्र बल तो है नहीं, फिर इसमें यूनियन बनाने में क्या दिक्कत है? वैसे भी यह जेल कर्मी सरकार की सबसे आखिरी प्राथमिकता पर हैं, जो लाभ आप सरकारी कार्मिकों को दे रहे हो। इसलिए या तो उनके समकक्ष जेल कार्मिकों को लाओ, वरना इस तरह की रोक आप मत लगाओ। जो आंदोलनकारी बंदी हैं, जो किसी एजिटेशन में अरेस्ट होकर जेल में आ रहे हैं, कम से कम उनके लिये हार्डकोर अपराधियों से अलग रहने की व्यवस्था तो करो। वह भी एक जगह और वह भी एक जगह। एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो जनता के किसी मुद्दे पर संघर्ष करते हुए जेल में आया है उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा।

मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है, मैसूर में कैदियों की व्यवस्था का काम,

(श्री संयम लोढ़ा)

यह जो जयपुर में हिंगोनिया गौशाला चलाते हैं, अक्षयपात्र या जो मिड-डे मील का भी काम करते हैं, उनको दे रखा है। लेकिन आपके अधिकारी पता नहीं क्या अडंगा लगाते हैं, आपको बातचीत करके उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिये जिससे जेलों में जली हुई रोटियां, कच्ची रोटियां, पानी वाली दाल, यह इस तरह का खाना जो कैदियों को मिल रहा है, इससे निजात मिल सके। कम से कम खाना तो ढंग का मिल सके, ताकि आप जो रिफॉर्म्स के प्रयास कर रहे हैं, उन रिफॉर्म्स के प्रयास में आपको और ताकत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपना जो जनमत जानने का प्रस्ताव है, वह वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद (अनुपस्थित), श्री सतीश पूनियां जी।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। अभी तक मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्यों की चर्चा और बातचीत के आधार पर एक नतीजा सामने दिखता है कि जेल सजा और सुधार, इन दोनों का मिश्रण है। मुझे लगता है कि कई बार, एक अंग्रेजी की कहावत है कि जब एक स्कूल खुलता है तो एक जेल खाना बन्द होता है। समाज की और शासन की विकृति का नतीजा भी जेल है। इसलिए जो तमाम बातें कही गयी हैं और राजस्थान के वर्तमान परिवेश में जब जेलों की चर्चा आती है, यों तो बहुत अर्से से बॉलीवुड की फिल्मों में जेलों का जो दृश्य दिखायी देता है, वह प्रत्यक्ष तो कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन उनकी दुर्दशा का चित्रण जरूर करता है। आज मीडिया और सोशल मीडिया का युग है, उसके बारे में खूब सारी चीजों को देखते और सुनते हैं। एक पक्ष मानवाधिकारों का भी है, लेकिन यह सीधे-सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए जेल की शुरुआत किसी प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार, जो लोगों को जन सुरक्षा का भरोसा देती है, उसकी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। समाज में और शासन में अपराधी क्यों पैदा होते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले सभी सदस्यों ने अलग-अलग एंगल से अपनी बातें रखी हैं।

37 वर्ष पहले कश्मीर के आन्दोलन के सिलसिले में 1979 में मुझे सात दिन सेंट्रल जेल में रहने का अवसर मिला। अभी जो बात माननीय सदस्य ने कही, वहां जेल के भीतर कुछ लोग मिलते थे। नौजवान बच्चे झाड़ू

(श्री सतीश पूनियां)

लगा रहे थे। पूछा कि कैसे जेल में आये, कि बिना टिकट पकड़े गये। कितने दिन से हो तो उन्होंने बताया कि एक महीने से हैं। उस समय न फोन थे, न कम्युनिकेशन का कोई साधन था। उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था तो यह बात सत्य साबित होती है कि समय बदलने के बाद आज भी वह व्यवस्था लगभग ऐसी दिखती है। सुधार के लिए व्यक्ति जेल में भेजा जाता है, उसको अवसर दिया जाता है, लेकिन आज जो दृश्य जेलों का दिखता है, राजस्थान की जेलों की तारीफ बहुत हुई लेकिन जो पिछले दिनों के दृश्य हैं, वे तो इस बात का साफ संकेत करते हैं कि जेलें सरकार के सुधार और नियन्त्रण से बाहर हैं। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था तो बदहाली का शिकार है ही, लेकिन पूरे देश में जेलों की जो गतिविधियां हैं, जो अवांछित गतिविधियां हैं और खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्र की जो जेलें हैं, उनका भी सही तरीके से आकलन करें तो आज ड्रग्स का, हथियारों का और अपराधियों का पनपना, यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि राजस्थान की सरकार ढिंढोरा कितना ही पीटे, लेकिन राजस्थान की जेलों में जिस तरीके से सुधार चाहिए, जिस तरीके की सख्ती चाहिए, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मानवाधिकारों का ख्याल तो हो ही। कोशिश यह की जाती है कि अपराधी वहां से सुधरकर बाहर आये, उसकी क्या प्रक्रिया है? किसी लाइब्रेरी में चन्द चार किताबें रखने से वह किताब पढ़ लेगा या गीता सिरहाने रखने से वह अपराधी यहां आकर एकदम से साधु हो जायेगा, इसकी कल्पना बेमानी है। यह बात ठीक है कि वहां सहूलियतें होनी चाहिए वहां हैल्थ और हाइजीन का ख्याल रखा जाना चालिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं अपने अनुभव से बताता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परिस्थितिवश शिकार हुए और उन्हें जेलों में आने का मौका मिला, अवसर मिला, लेकिन वे जेल से बाहर जाकर अपने जीवन की शुरुआत कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं, किसी न किसी पक्ष से वे प्रताड़ना का शिकार हुए दुर्भाग्य का शिकार हुए। इसलिए व्यक्ति जब जेल से बाहर आये; उसके भीतर, चाहे वह करियर काउंसलिंग का काम हो या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो परिवारों से भी पीड़ित हैं और समाज से भी पीड़ित हैं; ऐसा व्यक्ति जब जेल से बाहर कदम रखेगा तो उसका जीवन क्या होगा? क्या वापस अपराध की तरफ जायेगा? मुझे लगता

(श्री सतीश पूनियां)

है कि कम से कम इसके बारे में एक अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो, इस तरीके की रोजगारपरक किसी व्यवस्था की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज का अपराधी है, दोबारा से कल अपराधी न हो, इसके लिए उसको जितने जायज साधन दिये जा सकें, सुविधा दी जा सकी, उसको दिशा दी जा सके, यह करना चाहिए। लेकिन आज राजस्थान में जो यक्ष प्रश्न है, जो कि आग की तरह सुलगता है, किस तरीके से जेलों से धमकियां दी जाती हैं और यहां सदन में बैठे हुए लोग भी उस बात के साक्षी हैं और सदन के बाहर भी बहुत लोग हैं। कम से कम उस पर प्रभावी नियंत्रण कैसे हो? इस पर चर्चा लाजिमी है। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आग्रह करूंगा कि इसको जायज संशोधन के साथ कुछ समय के बाद इसको प्रस्तुत किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित), श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राजस्थान की सरकार से जानना चाहता हूं कि पहले जो कानून बना हुआ है, क्या वह शत-प्रतिशत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? इसलिए नहीं हो पाता है कि राजस्थान जेल का जो डीजी बनाते हैं, वह डीजी अपने आप को वह सजा की पोस्टिंग मानते हैं। वह ये समझते हैं कि यह मुझे तो सज़ा दे दी, इसलिए उसके ऊपर डीजी, जेल भी आंख बन्द करके बैठ जाते हैं कि अब मुझे तो सज़ा दे दी है, इसलिए मैं तो आराम करूंगा। माननीय जेल मंत्री जी, यह सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत दारुण दृश्यों का यहां पर उदाहरण दिया, बहुत चिन्ता व्यक्त की। ये वकील भी हैं। मैं समझता हूं कि अब तक कैदियों की जो दुर्दशा देखी है, वह दुर्दशा देखने के बाद अब तक ये कई कैदियों की पैरवी करने का जिम्मा उठा चुके होंगे, क्योंकि संवेदनशील आदमी हैं। आने वाले समय के अन्दर ये वकालत के पेशे को उन कैदियों की दशा और दिशा सुधारने की तरफ काम में लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कैदी इंसान हैं, यह सब लोग कहते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन गलती से जेल में चला गया, किसी कारणवश चला गया, किसी षड्यन्त्र का शिकार हो गया। वह व्यक्ति जेल में जाने के बाद उसको जिस तरह के अपराधी वहां पर मिलते हैं, जो साधारण सीधा-सादा,

(श्री अभिनेश महर्षि)

सच्चा कोई व्यक्ति भी अन्दर चला जाये तो दुर्दान्त अपराधी और कैदी उसका जो हाल वहां पर करते हैं, वह निश्चित रूप से जेल से बाहर निकलकर दुर्दान्त अपराधी बन जाता है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई लेना-देना नहीं है, वे लंबे समय तक जेल में सड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान सरकार को इन मुद्दों के ऊपर विचार करना चाहिए कि इन हालातों के अन्दर जो बना हुआ कानून है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। इम्प्लीमेंट कैसे करें? किस तरह से हम इनके ऊपर विचार करें?

कारागृह प्रहरी हड़ताल पर रहे। आपने कह दिया कि उनको तो हड़ताल करने का अधिकार ही नहीं है। आप उनकी तनख्वाह को देखिए, आप उनको दी जाने वाली सुविधाओं को देखिए। वे किस तरह से, कैसे लोगों के बीच में रहकर अपने आप को जीवित रखते हैं। उनके भी परिवार हैं। उन लोगों की तनख्वाह के बारे में, उनकी सुविधाओं के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो वे वहां पर सही तरीके से काम कर सकेंगे। एक बार वह व्यक्ति जेल चला गया, परमानेंट अपराधी बनकर निकलता है। माननीय सभापति महोदय, यह सत्य बात है, मेरे रतनगढ़ के अन्दर एक ओपन जेल है। ओपन जेल के अन्दर सरकार सारी सुविधाएं देती है, लेकिन मुझे मालूम है, वहां रहने वाले कुछ कैदी रतनगढ़ के भी रहने वाले हैं और ओपन जेल में मुझसे मिले। मिलकर उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि बल्ब लगाओ, टोंटी लगाओ, यह काम करो, इसके लिए पैसा लाओ, उसके लिए पैसा लाओ। माननीय विधायक जी हमको कुछ पैसा दे दें, जिससे हम वहां जो ओपन जेल, सरकार जो सुविधायुक्त जेल की बात करती है, वहां पर हम सुविधाएं दे दें। यह एक जगह का मैंने उदाहरण बताया है। यह हालत अनेक जगह की है। मोबाइल के लिए आप लोगों ने जैमर लगा दिया। समय-समय पर आप लोगों ने इतना पैसा खर्चा कर दिया। सीसीटीवी कैमरा लगा दिये, जैमर लगा दिये। राजस्थान सरकार का पैसा वहां पर लगा दिया। आज राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, राजस्थान की जेलों के अंदर लगे कितने जैमर काम कर रहे हैं? राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर लगाया गया पैसा, राजस्थान की भोली-भाली जनता का टैक्स पेड पैसा, वहां पर लगाकर उन दुर्दांत अपराधियों से मिलकर राजस्थान सरकार ने लोगों के पैसे को बर्बाद करने का काम नहीं किया? आज सारे सीसीटीवी कैमरा

(श्री अभिनेश महर्षि)

बंद कर दिये गये। आज जैमर यदि लगे हुए हैं तो वहां पर मोबाइल कैसे काम कर रहे हैं? चाहे जो काम जेल में बैठा हुआ अपराधी अपनी सेटिंग के साथ में करवा सकता है। ऐसे हालात के अंदर राजस्थान सरकार इन सब मुद्दों के ऊपर ध्यान दे तो अच्छी बात है।

बड़ा बजट, सरकार समय-समय के ऊपर जेल में रहने वाले लोगों के लिए दिखावा तो करती है। अभी अनेक बातों पर चर्चा की गयी। कहा गया कि हम इसमें नंबर एक पर हैं, महिला कैदियों के अंदर नंबर एक पर हैं, मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि बाकी कामों के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में भी राजस्थान नंबर एक पर चल रहा है। जेलों की स्थिति क्या है? ये आप सब लोगों को मालूम है। जेल में ऐसा वातावरण बने कि जहां पर सुधार की गुंजाइश हो। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि वहां पर ऐसा वातावरण बने कि वहां सुधार की गुंजाइश हो। कुछ लायब्रेरी भी बने, कुछ वहां पर नियमित ऐसा कार्य हो जिससे जेल में जाने वाला व्यक्ति ये सोच सके कि मैं गलती से यहां पर आ गया, लेकिन आने के बाद मैं जब वापस जाऊं तो मैं अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित होकर निकलूं।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर बात कही। इन्होंने कहा कि कई-कई दिनों तक, कई-कई महीनों-सालों तक उनकी सुनवाई नहीं होती है। यह न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाया है माननीय सदस्य ने। मैं समझता हूं कि जो हमको नहीं उठाना चाहिए। ये व्यवस्था करने के लिए हम सब लोगों को जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबको इसके ऊपर अलग से विषय लेकर के काम करने की आवश्यकता है कि जो अपराधी हो या जो लम्बित या पेंडिंग जितने भी केसेज हैं, उनके ऊपर किस तरह से जल्दी सुनवाई होकर, जो अपराधी नहीं भी है, ट्रायल भी नहीं हुई, जिसके ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई फैसला भी नहीं हुआ है, वह व्यक्ति भी जितनी सज़ा हो या कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह जेल में रहता है सज़ा भी नहीं होती है, इन सब मुद्दों के ऊपर राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 जो लाया गया है, उसके अंदर बहुत बातों की गुंजाइश है बहुत सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि ये जेल वाला कॉडर अलग बना दीजिए क्योंकि डीजी, जेल और अधिकारी जो पुलिस विभाग

(श्री अभिनेश महर्षि)

से भेजे जाते हैं प्रतिनियुक्ति पर या ट्रांसफर किये जाते हैं, वे लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जेल विभाग की जो भर्ती है, उसी के अंदर सर्वोच्च पद तक ले जाकर, जिससे उस व्यक्ति का इंटरेस्ट तो बना रहे। जेल में जाते ही नहीं है। जेल मंत्री भी जो बनाते हैं तो कहते हैं कि ये तो जेल मंत्री हैं। ये तो धन्यवाद देना चाहता हूं जेल मंत्री जी को कि कुछ जेलों के अंदर ये गये भी हैं। इनके मन में भी सुधार की बातें हैं। मैं इन सब बातों को रखते हुए राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा। श्री फूल सिंह मीणा। श्री बलजीत यादव। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, कारागार में प्रबंधन और सुविधाओं में सुधार डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कारागारों की व्यवस्था के सुधार के लिए कई निर्देश जारी किये हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विषय को बहुत अच्छे से रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य यहां पर सिर्फ एक पोजिटिव सोच से और उनको किस तरीके की अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, इसी बात से हम आज अपनी बात और विषय रख रहे हैं। सभी ने अपनी-अपनी बात बोली। आज एक रिपोर्ट के अकोर्डिंग राजस्थान में जितने कारागार हैं, 30 प्रतिशत से ज्यादा कैपेसिटी पर वे भरे हुए हैं। जो बेसिक सुविधाएं हैं हम चिकित्सा की बात करें, उनके लिए स्पेशल एम्बुलेंस होना, वहां पर अच्छी चिकित्सा सुविधा होना, अगर उनको कुछ भी होता है तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये इस विधेयक में कहीं भी प्रावधान नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों ने क्या-क्या गलत किया, मैं अपनी तरफ से सिर्फ सुझाव के रूप में देना चाहती हूं कि इस विधेयक के अंदर क्या-क्या अमेंडमेंट्स और होने चाहिए। इसमें चिकित्सा, जो कि एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पाइंट है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सेनिटेशन की बात करें, अगर हम यह बात करें कि किस तरीके

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

की व्यवस्थाएं वहां पर हैं, कैसे उनको ठूंस कर रखा गया है और किस तरीके की बेसिक सेनिटेशन फैसिलिटीज भी हम कारागार में नहीं दे पा रहे हैं, उस बारे में इस विधेयक में कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। सिरोही से आने वाले विधायक यह बात बोल रहे थे कि हम सब मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं हां पक्ष में बैठने के। मैं उनको ये बात कहना चाहूंगी और ये पूछना भी चाहूंगी कि सपने कौन देख रहा है, ये तो 2023 में पता पड़ ही जाएगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हुई कि ये विधेयक इतनी तुरता-फुरती में लाया गया और इस बारे में चर्चा की गयी?

माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी कितने ह्यूमन राइट्स, क्या-क्या फैसिलिटीज, क्या-क्या अपराधियों को मिलना चाहिए, उस बारे में तय करके अपनी रिपोर्ट बनाएगी। केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट उनको लेकर आएंगे। तीन-चार महीने में ही वह रिपोर्ट आने के लिए तय है, तो ऐसी क्या जरूरत हुई? उनके भी सुझाव अच्छे ही होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी कमेटी का गठन किया है तो वह कमेटी भी अपने सुझावों को अच्छे से देगी। हम उन सुझावों को भी इसमें ले सकें ताकि राजस्थान में कारागारों की व्यवस्थाएं और सुधरे। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि क्यों हम इतनी जल्दी और इतनी तुरता-फुरती में ये कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जनसंघ से ही हम लोगों का ये रहा है कि अपराधियों को अच्छा मोटिवेशन दें, अच्छी फैसिलिटीज दें ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। लाइब्रेरी, जैसा कि श्री अभिनेश जी ने अपनी बात रखी। मैं भी उस बात से सहमत हूं कि कहीं न कहीं हम उनको अच्छा वातावरण देंगे तो हम अपराधियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वह अच्छा सोचे और अच्छा उनका व्यवहार हो। मैं इसमें एक बात और रखना चाहूंगी, जिस बारे में कहीं भी इस विधेयक में बातचीत नहीं की गयी, यह बात एक लॉ एक्सपर्ट की है। इनको अधिकार से हम सरकार की तरफ से एक लॉ एक्सपर्ट दें, जो इनको गाइड कर सके। कितनी ही बार ऐसा होता है कि छोटा-सा जुर्म है, लेकिन फिर भी वह निरंतर कारागार में ही रहते हैं। उनको ढंग से एक्सपर्ट नहीं मिल पाते हैं, उनको ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। हम हर जिला कारागार के ऊपर ऐसा गठन करें कि वहां पर एक लॉ एक्सपर्ट बैठे और इन लोगों को ढंग से गाइड कर सके।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, हम लोग बहुत गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कारागार में किस तरीके से इनको सुविधाएं दे सकें और क्या-क्या इनके अंदर नहीं हो रहा है। ह्यूमन राइट्स, इसके अंदर कहा गया है कि बंदियों को अच्छी तरह से उनके राइट्स पर गाइड करने के लिए भी हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी। मैं निवेदन करूंगी कि जो आप विधेयक लेकर आए हैं, आपने बहुत अच्छी चीजें इसमें लिखी हैं लेकिन कहीं न कहीं बहुत जरूरी है कि हम केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जो रिजल्ट आएं, उसको भी देखें कि और क्या-क्या हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर चिकित्सा और लॉ एक्सपर्ट, सेनिटेशन फैसिलिटीज को हम बेहतरीन कर सकते हैं। इस पर विचार करें और उसके बाद वापस इसको लाएं। जस्ट बिकॉज तीन महीने बचे हैं और सरकार बदलने वाली है, इसलिए ये बताने के लिए और वापस जब विपक्ष में बैठें तो चिल्ला-चिल्ला कर बोलें कि हम वह विधेयक लाए थे, पास किया था, क्या किया आप लोगों ने, इस पर न जाएं, सोचें-समझें और मैं आपसे ये निवेदन करती हूं कि इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। इसमें अच्छे अमेंडमेंट्स लाकर वापस इस विधेयक को सदन में रखा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर बोलने पर मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी व माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उस वर्ग के बारे में सोचा जिसके बारे में आज के टाइम कोई नहीं सोच रहा। आज के समय जो कैदी जेल में बन्दी हैं, वहां पर ऐसे-ऐसे बन्दी हैं जिस जुर्म में उनको बन्द किया है, ज़मानतें नहीं हुई हैं मैक्सिमम जितनी सज़ा होनी चाहिए उससे भी ज्यादा समय उनका जेल में बीत चुका है और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने उस वर्ग के बारे में भी सोचा जिसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आजादी से लेकर अब तक, हमने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और जेलों में गए, बड़े नेता भी गए और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी गए,

(श्री रफीक खान)

सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे लोग थे जिनका पूरा समय जेल में बीत गया। उनकी उस लड़ाई का नतीजा है कि आज हम आजाद हिन्दुस्तान में आजादी की सांस ले रहे हैं। उनके लिए दो लाइन कहना चाहता हूं।

''तेरी आंखों में हमने क्या देखा,

अंग्रेज़ों ने कातिल तो हमने फरिश्ता देखा।''

उन्हीं लोगों की वजह से आज हम आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर हैं। मैं यह कह सकता हूं कि आज के समय कारागार में हमें यह जरूर देखना चाहिए कि क्या सुविधाएं हैं। मानवाधिकार का समय है, मानवाधिकार के समय जेल में रहने वाला बन्दी कोई छोटे जुर्म में भी हो सकता है, गलती से भी कोई जुर्म हो सकता है, तो उनको हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं। उनको कैसे सही मार्ग मिले, कैसे उनको सही दिशा मिले कि वह जेल से छूटने के बाद, जिन सुधारों की सोच के हिसाब से जेलों की परिकल्पना की गई थी उससे उनको फायदा मिले और वह अपने नेक रास्ते पर वापस आ सके, ऐसी क्या कार्यवाही करें कि वह लोग सही रास्ते पर चल सके।

सभापति महोदय, अभी दीप्ति जी चिकित्सा सुविधा की बात बोल रही थीं, वाकई सही बात है। मंत्री महोदय, अभी राजस्थान में किसी भी जेल में ऐसा नहीं है कि वहां 24 घंटे डिस्पेंसरी उपलब्ध हो। जेल के सर्टेन नियम हैं। जयपुर सेन्ट्रल जेल की बात करें तो करीब दो हजार कैदी हैं। अगर कोई गम्भीर बीमारी से त्रस्त हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, बाहर लेकर आने और हास्पिटल लेकर जाने में इतना समय लग जाता है कि कई बार समय कम पड़ जाता है। ऐसा काम जरूर होना चाहिए कि उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके और 24 घंटे डाक्टर हो। जयपुर सेन्ट्रल जैसी जेल है वहां जरूर एक डिस्पेंसरी हो, जिससे उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके। गम्भीर बीमारी से उनकी जान नहीं जाए, उनको इलाज मिल सके, यह एक बात जरूर होनी चाहिए।

आजकल मोबाइल का चलन है, मोबाइल का युग है। जब से जेल बनी तब से सिक्योरिटी के मापदण्ड भी बदल गए। जयपुर की सेन्ट्रल जेल है उसके पीछे 4-5 मंजिल के मकान हैं, बड़े-बड़े टॉवर लग गए, जैमर हमने लगा रखी है लेकिन ऐसी स्थितियां है कि मोबाइल भी फैंके जा सकते हैं। सिक्योरिटी के एंगल से भी जेलों को हमें दोबारा से जांचना होगा। जो जेल

(श्री रफीक खान)

शहर के अन्दर है और आबादी के अन्दर आ चुकी है, उनको हमें शहरों से दूर शिफ्ट करना चाहिए। आज के मापदण्ड के हिसाब से नई जेलों को जरूर बनाना चाहिए ताकि कैदी को सुधरने का मौका मिल सके। ऐसा माहौल बन सके जिससे कैदी वहां से निकले तो वाकई सुधार गृह के रूप में जाना जाए, लोग कह सकें कि यह आदमी उसके बाद नेक रास्ते पर आ गया है।

खाने-पीने की सुविधाएं। बाहर से हम खाना देने नहीं देते हैं और अन्दर खाने की ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। बहुत हाइजेनिक फूड नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत से बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने उस वर्ग के बारे में सोचा जिस वर्ग के बारे में कोई नहीं सोचता है। घृणा की दृष्टि से देखते हैं, असल में वे घृणा के पात्र नहीं हैं, असल में वे दया के पात्र हैं, उनको हमें सही रास्ते पर लाना चाहिए। आपके यह प्रयास न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश को दिशा देंगे कि जेलों में वाकई सुधार की जरूरत है।

आपने अनुशासन की बात भी लिखी। अनुशासन की बात भी इसमें लेकर आए हैं, जेलों में भी डिसिप्लिन हो, कैदी अन्दर कोई छोटा-मोटा क्राइम करे तो उसको कैसे सुधार करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उनको पावर दें, इस पर भी आपने इस बिन्दु को इसमें शामिल किया। मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने हर बिन्दु को टच करने की कोशिश की है। कुछ बिन्दु रह गए हैं, उनके ऊपर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा।

कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की। व्यावसायिक प्रशिक्षण, हमारे बीकानेर के जेलों की दरियां पहले फेमस थीं और पूरी दुनिया में जानी जाती थी। दरियों की बड़ी कीमत हुआ करती थी लेकिन अनफोर्चुनेटली इन दिनों में ऐसे प्रशिक्षण नहीं हो पा रहे हैं और न ऐसा कोई प्रोडक्ट आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण का मॉडल आपने इसमें लिया है, इसमें आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को भी शामिल करो जो वाकई उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सके, ताकि अपनी सज़ा पूरी होने के बाद आदमी बेरोजगार नहीं रह सके, वह अपना रोजगार डवलप कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके।

आजकल बहुत एजिटेशन होते हैं। खासतौर से मैं स्टूडेंट एजिटेशन की

(श्री रफीक खान)

बात करता हूं, एजिटेशन में किसी स्टूडेंट को सज़ा हो गई, अब आप उनको खतरनाक कैदियों के साथ डाल देते हो, तो खतरनाक कैदियों के साथ नहीं डाला जाए। ऐसे लोगों को अलग से कोई स्पेस दिया जाए ताकि वह उन क्रिमिनल के साथ नहीं रह सके। युवा आदमी है, पढ़ाई कर रहा है, किसी एजिटेशन में शामिल हुआ, किसी कारण से जेल हुई, अब वह उनके साथ शामिल नहीं हो जो बहुत गम्भीर प्रकृति के अपराधी हों, तो इसमें भी हमें एक संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि उनका अलग से स्पेस हो।

मैं जयपुर जेल पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। सेन्ट्रल जेल आगरा रोड पर ऐसी जगह उसकी लोकेशन है कि वह शहर के बीचों-बीच है। पिछले बजट सत्र में मुख्य मंत्री जी ने अनाउंस भी किया कि इसकी डीपीआर बनाएंगे और इसको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। जयपुर सेन्ट्रल जेल हर सूरत में जल्द से जल्द आबादी से बाहर जानी चाहिए। न तो वह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, न जेल के प्रमिसेस के हिसाब से ठीक है, न आइडली लोकेटेड है। आपसे गुजारिश है कि ऐसी जेल जो सेच्युरेटेड इलाक़े में आ गई, आस-पास घनी आबादी है, दो कदम पीछे ही बड़ी-बड़ी स्कूलें हैं, बच्चों को क्या एग्जाम्पल मिलता है कि हमारी स्कूल सेन्ट्रल जेल के सामने है, तो ऐसी नजीर नहीं हो, सेन्ट्रल जेल को जयपुर से दूर होना चाहिए। आपने मापदण्ड इसमें दिये हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसे मुद्दे को चूज किया।

मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। आपने इसमें बोर्ड बनाने की बात की। माननीय संयम लोढ़ा जी अभी कह कर गये थे, एक जनप्रतिनिधि का होना बहुत जरूरी है। उसमें सारे अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि को उसमें शामिल किया जाए। जेनुअन ग्रिवेंस हो तो वह सुन सके और उनका निदान हो सके। ऐसे कैदी जो छोटी-मोटी धाराओं में बन्द हैं, उनके लिए भी कोई लीगल आफिसर नियुक्त किये जाएं ताकि वह उनकी ज़मानतें करा सकें। ऐसी धाराओं में बन्द हो गए जिन धाराओं में उनकी जितनी सजा होनी चाहिए उससे ज्यादा समय उनको जेल में हो गया, तो उनकी भी सुनवाई हो। आप बहुत अच्छा बिल लेकर आए हो, मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं। मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव मैं वापस करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपीचंद मीणा। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रही है। चर्चा में भाग ले रहे सत्ता पक्ष के लोगों की बात मैं सुन रहा था, एक के बाद एक मंत्री महोदय को बधाई दे रहे थे, जेलों के व्यापक सुधार की बात कर रहे थे, इस बिल को लाकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, इस प्रकार की बात कह रहे थे।

सभापति महोदय, यह बिल क्यों आया? किस हालात में आया? क्या सरकार अपनी मर्जी से बिल लेकर आई या सरकार माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन डीबी सिविल रिट 2808/2012 जिसमें इस सरकार को निर्देश दिए थे, 47 बिन्दुओं के साथ निर्देश दिए थे कि आप इस 129 वर्ष पुराने जेल मैन्युअल जो 1894 में बना था उसको बदलें। 63 वर्ष पुराने राजस्थान प्रिजन एक्ट को बदलें, पर आपने नहीं बदला। आपने नहीं बदला तो आपको 20 दिसम्बर, 2022 को माननीय उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने यह कहा कि, डी.जी. साहब, आप भी पधारो और मुख्य सचिवजी, आप भी आओ। आप कोर्ट के आदेश को मानते क्यों नहीं?

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद 28 फरवरी, 2023 को जब उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इनको कहा कि अब 10 दिन के अन्दर-अन्दर नया प्रिजन एक्ट बनाकर आप उसको कैबिनेट में रखेंगे और विधान सभा के पहले सत्र में रखेंगे तो ये पहले सत्र में नहीं रख पाये। आप इसको लेकर नहीं आते।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह जो मैंने इसको पूरा पढ़ा, यह राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 नखहीन और दंतहीन है। मैं आगे चर्चा करूंगा कि आपने इसमें बहुत बड़े व्यापक सुधारों की बात कही है। मैं इसके सेक्शन के आधार पर वे सारी बातें आपके सामने रखूंगा पर, माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब 129 वर्ष पुराने अंग्रेजों के टाइम में बने हुए किसी जेल मैनुअल को तब्दील करने का प्रस्ताव लेकर आते हैं, 1960 में बने राजस्थान प्रिजन एक्ट को रिपील करने का प्रस्ताव लेकर आते हैं, ये व्यापक सुधार की बात कहते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन की बात कहते हैं, जेल कारागार नहीं, सुधार गृह की बात कहते हैं तो आपको कुछ आधारभूत संरचनाएं बनानी पड़ेंगी, वर्तमान जेलों में परिवर्तन करना पड़ेगा। मंत्रीजी, आप बात कहें तो मुझे बता दें कि इस पूरे एक्ट के साथ वह वित्तीय ज्ञापन कहां पर है? एक रुपये का प्रावधान भी आप जिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिल को लेकर आ रहे हैं, जिस बिल के अन्दर खुली जेल से लेकर जेल के पूरे वातावरण को तब्दील करने की बात लिखी है, उसको कैसे पूरा करोगे, इसलिए यह दंतहीन और नखहीन है।

माननीय सभापति महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों को मैंने पढ़ा है, तो वही बात लिखी है कि ब्रिटिश काल से भी कारागार प्रबंधन आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा था। यह राजाओं के राजतंत्र में भी था और यह 1894 का हमारा अधिनियम है, उसके बाद संविधान आया। संविधान ने फंडामेंटल राइट दिये। स्टेट को डाइरेक्टिव-प्रिंसिपल के आधार पर शासन करने की बात कही और आज की तारीख में 1894 के जो प्रोविजन हैं उसकी कोई रेलेवेंसी ही नहीं रही है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की जेलें ही नहीं, हिन्दुस्तान की जेलों के बारे में मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों ने कई प्रकार की टिप्पणियां कीं और अब आप विधेयक में यह लिख रहे हैं, प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से बंदियों के मूलभूत मानवाधिकारों के हक, कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कारागार का बेहतर प्रबंधन, कारागार सलाहकार बोर्ड भी बनाएंगे, इन सारी बातों को आपने कहा।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, कानून बनाना, मैं खुद राजस्थान का विधि मंत्री भी रह चुका हूं, कानून बनेगा, गजट में जायेगा, गजट में जाने के बाद प्रकाशन होगा, रूल्स बनेंगे। मुझ से पहले जो बोल रहे थे हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, एक बात तो शाश्वत सत्य है कि राजस्थान की फितरत भी है और लोकतंत्र का तकाजा भी है कि हर पांच साल में एक निश्चित समय के अन्दर चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा से पहले आदर्श आचार संहिता भी आती है। आपको अगर यह प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आना था और आप कह दो कि हम लेकर आये हैं, एक पर्ची देकर बार-बार माननीय सदस्यों को कहते हो कि मेरा कशीदा पढ़ो, मैंने बहुत क्रांतिकारी काम कर दिया और हमारे मुख्य मंत्रीजी, उनकी तो मैं बात क्या कहूं? मुख्य मंत्रीजी का नाम लो, अशोक पुराण पढ़ो, तो फिर आप पहले क्यों नहीं लेकर आये? किसने आपके हाथ बांधे थे? ये कुछ यक्ष प्रश्न हैं, माननीय सभापति महोदय, इस सदन में वह सवाल भी वह ही यक्ष प्रश्न है, और जवाब भी वह ही यक्ष प्रश्न है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि इस देश के अन्दर जेलों में व्यापक सुधार के लिए, माननीय सभापति महोदय, जस्टिस अमिताभ रॉय की एक कमेटी बनी थी, जिसका जिक्र अभी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने भी किया और 2016 के अन्दर जो जस्टिस अमिताभ रॉय की कमेटी बनी थी, उसने देश की जेलों में व्यापक सुधार के लिए, आमूल-चूल सुधार के लिए एक ड्राफ्ट बनाया और यह कहा कि यह 1894 के जेल मैनुअल को बदलो और वह ड्राफ्ट सारी राज्य सरकारों को भेजा। 2016 में यह ड्राफ्ट राज्य सरकारों के पास आया। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने तत्समय प्रिजन एक्ट को बदला। 2020 तक बदला पर हमने नहीं बदला और जब हमने नहीं बदला तो एक डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 2808/2012, इसके अन्दर जेलों में व्यापक सुधार, इस रिट पिटिशन में जेलों का चित्रण किया गया और एक लॉ मित्र जिनको कहते हैं, कानून मित्र, उन्होंने इस बहस को आगे बढ़ाया। 45 दिशा-निर्देश जारी किये और उसके बाद दिसम्बर, 2022 और 28 फरवरी, 2023 को यह दो फैसले आये। माननीय सभापति महोदय, यह मजबूरी में लाया गया कानून है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपको 45 दिशा-निर्देश इस रिट पिटिशन में हाई कोर्ट ने दिये थे तो यह उनकी बुनियाद पर खड़ा है। मैंने इनके सारे प्रोविजन को पढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मैंने हाई कोर्ट की रिट पिटिशन के उन 45 निर्देशों को पढ़ा और मैं यह कह सकता हूं कि मौजूदा रूप में जो कानून अभी विधेयक के रूप में राजस्थान में आयेगा, उसकी बुनियाद के अन्दर राजस्थान हाई कोर्ट के वह निर्णय हैं। सरकार का न मत है, न नीति है और न ही नीयत है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालात क्या हैं?

माननीय सभापति महोदय, सरकार का समय, कोई भी सरकार आयेगी तो उसका समय निश्चित है। आज इस राजस्थान में, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इस आफिसर्स गैलरी में बैठे अधिकारी भी सुन रहे हैं कि यह जेल, माननीय सभापति महोदय, गैंगस्टरों की ऐशगाह बन गयी। आज गैंगस्टर जेल से वॉट्सऐप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, अपने गुर्गों से अपराध कारित करवाते हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूं, राज्य के मुख्य मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कई बार वे सही-सही बात कह जाते हैं। उन्होंने दिसम्बर, 2022 में एक ही बार समीक्षा की जेलों की और उसमें उनके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आब्जर्वेशन हैं कि जेल कुख्यात अपराधियों का अड्डा बन गयी। मोबाइल, अवैध सामग्री, मादक पदार्थ, वह सारे जेलों में मिल रहे हैं। गैंगस्टर को घर से बेहतर सुविधा वह वहां पर इस्तेमाल कर सकता है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका, एक ऐसा समाचार पत्र जिसके बारे में हम उसकी खबरों पर विश्वसनीयता का सवाल खड़ा नहीं कर सकते। मंत्री महोदय, 28 फरवरी का राजस्थान पत्रिका का मुख पृष्ठ, लॉरेंस बिश्नोई को कौन नहीं जानता, ढाई दर्जन हत्या का अपराधी है वह और वह लॉरेंस बिश्नोई बंद था अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में और बात कर रहा था विक्रम उर्फ लादेन से, भरतपुर जेल में। दोनों की फोटो प्रकाशित हुई, दोनों जो चैट कर रहे थे, वह प्रकाशित हुए तो यह जेल है? आप वाहवाही ले रहे हो? आप कह रहे हो मेरी प्रशंसा करो।

माननीय सभापति महोदय, यह समय का चक्र रुका नहीं है। यह समय का चक्र इतिहास पर एक ऐसी लकीर खेंच जाता है जो आगे जाना जायेगा। मैं आरोप लगा रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर इस जेल प्रबंधन ने, जेल के बड़े अधिकारियों ने राजस्थान की जेल को अपराधियों की ऐसी ऐशगाह बनायी कि वहां पर गैंगस्टर आपस में बात भी करते हैं, माननीय सभापति महोदय, और जो धमकियां मिलने का काम है न रंगदारियों का, यह भी वहां पर ही होता है।

माननीय सभापति महोदय, एक हत्या हिन्दुस्तान में बड़ी चर्चित हुई। पंजाब के एक नेता थे गुरलाल सिंहजी। वह गुरलाल सिंह बरार की हत्या हुई और यह जो लॉरेंस बिश्नोई है, यह फेसबुक में यह लिखता है कि यह हत्या मैंने करवायी, मेरे गुर्गों ने करवायी, अब खूनी जंग आगे देखो। क्या कारण है? क्या बात है? आप इस एक्ट में यह प्रोविजन लेकर आये हैं पर 1894 के एक्ट में भी यह प्रोविजन था कि जेल के अन्दर निषेध सामग्री नहीं जा सकती, पर मैं यह निवेदन करूं, मंत्री महोदय, आपने एक आपरेशन फ्लश-आउट चलाया था और उस आपरेशन फ्लश-आउट में जो फरवरी, 2022 में चलाया। मेरा सवाल है, मंत्रीजी, मैंने अखबारों में पढ़ा, उसमें कितने मोबाइल मिले? उसमें कितने हेरोइन और अफीम की सामग्री मिली? कितनी सिम मिली? आपने एक भी कर्मचारी, अधिकारी, अधीक्षक को दण्डित किया हो तो बताओ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय: 14.00 बजे)

यह गठजोड़ क्यों? इस गठजोड़ को स्वीकार करो। आप और हम सब मिल कर व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ बातें साफसाफ कह देनी चाहिए। किस कारण से आपरेशन फ्लश चला और उसमें जो मोबाइल पकड़े गये, किस कारण से उनमें कार्यवाही नहीं होती है और किस कारण से सामग्री जब्त हो जाने के बावजूद भी सारी बातों की इतिश्री हो जाती है?

सभापति महोदय, अभी मुझसे पहले रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जेल में जैमर की बात कही। यह बात सही है कि 2010-11 के अन्दर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर में जेल में जैमर लगाये गये ताकि मोबाइल काम नहीं कर सकें। वह जैमर 2जी स्पेक्ट्रम के लगाये गये। जेल में जैमर लगे उसके पहले ही 3जी स्पेक्ट्रम आ गया और उसके बाद 4जी, 5जी स्पेक्ट्रम आ गया। आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य अभी सही कह रहे थे कि जयपुर की सेन्ट्रल जेल राजधानी के हार्ट में है, आसपास घनी आबादी है। एक भी मोबाइल कम्पनी ऐसी नहीं जिसके टावर आसपास में नहीं लगे हों। जैमर कैसे काम करेगा? इसमें निश्चित तौर पर देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि कुछ बातें जिन बातों पर हमें यथार्थ के साथ आंख मिलानी पड़ेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान में अधिकांश जेलें राजशाही के समय की हैं और उसके बाद आबादी के विस्तार ने शहरों के बीच में ला दिया। आज वह जमीनें भी बेशकीमती हो गयीं। इसी सदन में कई बार हम सभी ने जेलों के अन्दर ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कहा, एक्ट के बारे में कहा और यह भी कहा कि आप जेलों में सुविधा दिलायें। कैदी ने किस हालात में अपराध किया होगा, पर सुधार गृह का नाम लेते हैं तो उसको जीवन जीने की सुविधा मिलनी चाहिए। उसको स्वच्छ पानी मिले, उसको स्वच्छ हवा मिले। ये बातें इन जेलों में सम्भव नहीं हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान प्रिजन एक्ट, 2023 के सेक्शन 2(A) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें आपने सिविल बन्दी को तो परिभाषित कर दिया, लेकिन इससे पहले मैं आपका ध्यान कारागार अधिनियम, 1894 के सेक्शन 3(2) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें दोनों को परिभाषित किया था और प्रिजन एक्ट, 2023 में एक ही परिभापित कर रखा है। I may be

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

wrong; I want to be wrong क्योंकि अपराध की ग्रेविटी अलग-अलग है। सिविल प्रिजनर और क्रिमिनल प्रिजनर, दोनों को एक साथ जोड़ कर नहीं देख सकते।

सभापति महोदय, जलदाय मंत्रीजी मेरी तरफ इशारा करके कुछ कह रहे हैं। क्या मैं बोलूं नहीं? आप क्या समझते हो, मेरी जुबान को बन्द कर दोगे आप?

श्री सभापति: ये आपको इशारा कर रहे हैं कि आप अच्छा बोल रहे हो।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय राठौड़ साहब, आप टीडीएच हो।

एक माननीय सदस्य: यह क्या होता है?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): वह नहीं बताया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): राज को राज रहने दो।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): टीडीएच का मतलब वह अलग समझते हैं और मैं अलग समझता हूं।

श्री सभापति: प्लीज कंटीन्यू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सेक्शन 2(A) के अन्दर क्रिमिनल प्रिजनर की परिभाषा क्यों नहीं लेकर आये? जरा इसको देखें। इस पूरे प्रोग्रेसिव लॉ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन 3 है, इसमें आपने व्यापक व्याख्या की है। बंदियों की सुलभ व्यवस्था हो, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ह्यूमन राइट पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, बैरक में अलग-अलग पर्याप्त स्थान हो, दिनचर्या अच्छी हो। आज हालात क्या हैं? मैंने पहले भी कहा कि जब कानून बदलता है, 129 साल बाद बदलता है, दुनिया बदल गयी तो आप भी इस कानून बदलने में जिस प्रकार की जेल की व्यवस्था, जेल के भवन, बैरक और आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है, उसके बजट का प्रोविजन तो लेकर आते। हम आपका स्वागत करते।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में 146 जेलें हैं और उनमें 22 हजार की क्षमता है। यह मैं नहीं कह रहा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा। मंत्रीजी, आपके पास उस निर्णय की कापी नहीं है तो मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भेजूंगा आपके पास। राजस्थान में जेलों की क्षमता से 7 परसेंट ज्यादा कैदी हैं। सही कहा था सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने। अगर हमारी कुल क्षमता 22 हजार है फिर भी 34 हजार से 40 हजार तक कैदी राजस्थान की जेलों में रहते हैं। हाईकोर्ट का आब्जर्वेशन आ गया, पर हम नहीं सुधरेंगे। हम क्यों करेंगे काम?

मंत्री महोदय, यदि सेक्शन 3 की पालना करनी है तो राजशाही के समय पर बनी जेलों को जिनके भवन जर्जर हो गये, भवन छोटे पड़ गये, जहां ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं, जहां खाना बनाने की जगह नहीं, जहां हाइजीन का वातावरण नहीं, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी व्यवस्था के लिए मुख्य मंत्रीजी को कहो। मुख्य मंत्रीजी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। पहली बार देखा उस दिन ऊपर से बरसात से ओले टपक रहे थे, थोड़ी देर में जिले टपक गये। वह कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यह भी करवा दो आप।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के 12 बड़े शहर-जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, नागौर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करणपुर की जेलें आबादी में आ गयी हैं। जेलों के अन्दर आपत्तिजनक वस्तुओं को पहुंचाने में आबादी हाईराइज भवनों का भी बहुत बड़ा योगदान है।

नये एक्ट के सेक्शन 5 में आपने व्यवस्था की है कि सिविल कैदी होगा, क्रिमिनल कैदी होगा, अंडर ट्रायल होगा, सजायाफ्ता होगा, हार्डकोर होगा, नशे का आदी होगा, इनको अलग-अलग रखेंगे। आज हालत क्या है? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे तो अनुभव भी है। मेरे मुंह से जलदाय मंत्रीजी यही कहलवाना चाहते थे। मैं कहता हूं कि अंडर ट्रायल का शोषण जितना जेल में हो रहा है, जेल में जब तक हफ़्ता नहीं पहुंचाता कुख्यात बंदियों के माध्यम से जेल के सुपरिंटेंडेंट के पास पैसा नहीं जाता, जेल के सुपरिंटेंडेंट के माध्यम से पूरे राजस्थान से पैसा इकट्ठा करके पैसा ऊपर नहीं जाता तब तक अंडर ट्रायल्स आराम से जिन्दा, सो नहीं सकता।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप अपना अनुभव बता रहे हो मेरे ऊपर लाद कर। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा, माननीय राठौड़ साहब। आप खुद ही बता रहे हो और आप यह कह रहे हो कि जिन्दा ही नहीं रह सकता तो प्रभु, आगे की बात भी बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेल के मेन्युअल के अनुसार जेलों का इंस्पेक्शन होना बन्द हो गया। जेल का सुपरिंटेंडेंट जेल से अपने घर में चला जाता है। वहां राज ही कैदियों का हो जाता है। कुख्यात कैदी ही जेल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं।

सेक्शन 23 के बारे में, खुली जेल के बारे में मुझसे पहले सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। हमारे यहां 23 जेलें हैं। खुली जेल के अन्दर कैदी परिवार के साथ रह सकता है, अपना काम धंधा भी कर सकता है और सुबह-शाम की हाज़िरी उसको देनी पड़ती है। मंत्री महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के 2016 के फैसले के अनुसार सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर में पांच खुली जेलों को और सृजित करना था। आप इसमें तो बहुत लम्बा चौड़ा प्रोविजन ले आये, पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को तो इम्प्लीमेंट कर देते। उसमें तो कोई बाधा नहीं थी। आपके पास बजट नहीं था।

सेक्शन 17 में आप लेकर आयें हैं कि जेल में बन्दी की मृत्यु हो जाए तो 24 घंटे में उसकी सूचना जेल अधीक्षक राज्य सरकार को देगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को देगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को देगा, डीजी को देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा, संबंधित थाने के माध्यम से परिजन को देगा। बहुत अच्छी बात है। डैथ हो जाए वह दूसरी बात है, लेकिन संदिग्ध अवस्था में असमय मृत्यु हो तो पोस्टमार्टम के बारे में कुछ भी नहीं है। मैंने एक्ट के उस प्रोविजन को पढ़ा। उसमें कहीं भी पोस्टमार्टम का प्रोविजन नहीं लिख रखा था। हो सकता है, मेरी आंखों से निकल गया हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पोस्टमार्टम का भी देखें।

सेक्शन 36 जो इसमें प्रस्तावित किया है, आपने कहा कि जेल में जेल अधिकारी, जेलकर्मी कारागार निषेध सामग्री, मोबाइल, सिम, मादक पदार्थ लाता है, किसी कैदी को उपलब्ध कराता है तो तीन साल की सज़ा होगी। यह प्रावधान नया नहीं है। इसी तरह का प्रावधान जेल मेन्युअल के बारे में कारागार अधिनियम, 1894 के सेक्शन 42 में था। इसी तरह का प्रावधान जेल एक्ट, 1960 में था।

आप मुझे बता दें, मंत्री महोदय, अखबारों में तस्वीर छप जाती है, गैंगस्टर आपस में बातचीत करते हैं, चैट आता है, चैट छप जाता है, यह मोबाइल और चैट का साधन वहां गया कैसे? यह ऊपर से नहीं आता। बंदी तारीख पर जाता है, वापस आमद कराता है, आप बॉडी स्कैनर से उसकी पूरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तलाशी लेते हैं। जेल के अन्दर कोई सामग्री जाती है तो आप पूरी तलाशी लेते हैं। इसका सोर्स कौन है? कुछ बुनियादी बातों पर बुनियादी सोच के साथ अपने को इसको आगे बढ़ाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, सेक्शन 44 में आपने बंदियों के अधिकार के बारे में बात की है। मानवीय गरिमा का अधिकार, न्यूनतम मूल्य, आवश्यकताओं का अधिकार, संसूचना, परिवार से सम्पर्क का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, जेल में कार्य योजना, रोजगार का अधिकार, समय पर न्याय का अधिकार, यह सब मिल रहे हैं? आज यह मिल रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, आज बिलकुल शाश्वत सत्य है, कई ऐसे कैदी, जितनी सज़ा उनको मिलती है उससे ज्यादा सज़ा भुगत लेते हैं, पर रिहाई नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, इसमें खेल ही दूसरा है। अगर कोई सरमायेदार आदमी जेल में आ गया और अगर उसकी जमानत हो गयी तो जेल में उसके जमानत मुचलके की तस्दीक के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक सुपरिंटेंडेंट साहब के टेबल पर कोई चीज नहीं पहुंच जाये। यह कहानी एक जेल की कहानी नहीं है, घर-घर की जेल की कहानी है।

इन जेलों के अन्दर जिस प्रकार की कार्यवाही चल रही है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, 27 जनवरी, 2016 को उच्च न्यायालय ने आपको एक आर्डर किया था। जेल के अन्दर खाना बनाने की जगह इतनी अन-हाइजेनिक है, अंडर ट्रायल से रोटियां बनवाते हैं। एक अंडर ट्रायल एक-एक दिन में 1200-1300 रोटियां बनाते हैं। यह सुओमोटो काग्निजेंस में हाईकोर्ट ने 27 जनवरी, 2016 को कहा था कि अक्षय पात्र से आप MOU कर लें, इन्होंने नहीं किया।

आप इंदिरा रसोई की बात करते हैं, इंदिरा रसोई के नाम पर बड़ी-बड़ी संख्यात्मक खानापूर्ति होती रहती है। और कोई नहीं तो इस इंदिरा रसोई को इन जेलों से जोड़ दो। आठ रुपये में आप इनको भोजन देते हैं। कम से कम इंदिरा जी के नाम पर जो रसोई आप चला रहे हो तथाकथित, इसके साथ अगर हमारे केन्द्रीय कारागार जुड़ जायेंगे तो जेल में बंद कैदियों को खाना मिल सकेगा। यह दावा करते हैं न वह तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, उसको स्वादिष्ट भोजन देने के लिये निश्चित तौर पर आपको बात करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहकर एक अंतिम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात कहूंगा। मैंने रिहाई के बारे में आपको कह दिया और निश्चित तौर पर यह स्किल डवलपमेंट की और इन सबकी बातें चलीं। माननीय सभापति महोदय, मैं खुद मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जेल में गया था। 15 अगस्त को उन्होंने मुझे बुलाया था और खुद मेरे विधायक कोटे से मैंने पहले 10 लाख दिये थे, बाद में 10 लाख और दिये। मैं उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने भी गया। मैं समझता हूं कि इस जेल के परिदृश्य को सुधार गृह में बदलना है तो हमें कुछ बुनियादी बातें ठीक करनी पड़ेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सेक्शन 44 डी है, इसमें, मंत्री महोदय, बंदियों को भौतिक रूप के साथ-साथ इलैक्ट्रोनिक माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहने का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर एक बार नहीं, राजस्थान के हाईकोर्ट ने 27.01.2016, 04.11.2022, 20.12.2022 इन सबमें कहा कि जितने कैदी बंद हैं, मेरा आब्जर्वेशन नहीं, 65 प्रतिशत कैदी उनको अदालत में जिस दिन पेश किया जाता है, या तो गार्ड की कमी है, प्रहरियों की कमी है, अदालत में समय पर पेश नहीं हो सकते। 35 से 40 प्रतिशत जेल में प्रहरियों के खाली पद पड़े हैं। यह वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिये राजस्थान का पहला हाई कोर्ट होगा, जिसने वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिये रूल्स बना रखे हैं। सुओमोटो रूल्स बनाये हैं। यह सुविधा दे रखी है और वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा नहीं ली तो कल ही राजस्थान की खण्डपीठ में मुख्य न्यायाधीश ए.जी. मसीह और समीर जैन ने भरतपुर के मामले में इनको नोटिस दिया है और यह कहा है कि जब उस कैदी कुलदीप जघीना ने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, वीडियो कांफ्रेंसिंग से आप मेरी पेशी कराओ। यह स्पेशल पी.पी. कौन है, ये जैन साहब कौन हैं जिन्होंने तहरीर भेज दी और उस कुलदीप को षड्यंत्रपूर्वक, क्योंकि तहरीर के बाद भौतिक रूप से ज्यों ही वह गया, गोली चलती है और वह मारा जाता है। अगर वह वीडियो कांफ्रेंसिंग हो तो मैं समझता हूं कि कई मामले या आप जो देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा है, इसको निश्चित तौर पर स्ट्रेंथन करना चाहिये। जेल के अन्दर अगर यह सारी वीडियो कांफ्रेंसिंग होती तो जेल के अन्दर अजय जैतपुरा पेशी में जाता हुआ नहीं मारा जाता चूरू राजगढ़ में, संदीप नागौर में कोर्ट में नहीं मारा जाता पेशी में ले जाते हुए। यह कुलदीप जघीना नहीं मारा जाता।

माननीय सभापति महोदय, अब इन हार्डकोर अपराधियों का चित्रण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुनो। मैं एक कार्यक्रम में चूरू की कलेक्ट्रेट में था। मैं उस गैंगस्टर का नाम नहीं बताऊंगा, पर अचानक गाड़ियों पर गाड़ियां आती हैं और कोई 10-20 गाड़ियों के बीच में एक गैंगस्टर पेशी के लिये उतरता है। रेबेन का चश्मा है, नाइक के जूते हैं, सफेद झक शर्ट और पेंट पहने हुए है और उसके बाद वह कहते हैं कि कौन आया? फिर नौजवान चारों तरफ खड़े होते हैं तो वह फ्लाइंग किस करता है, हाथ हिलाता है। यह इनका महिमामंडन गैंगस्टर का तभी बंद होगा जब कम से कम हार्डकोर अपराधियों को आप वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करेंगे तभी यह सही होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपको कुछ बातें कही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें उच्च न्यायालय ने अपने-अलग अलग निर्णयों में कहीं, आप वास्तविक रूप से उनको लागू करोगे और जेल के अन्दर जो अपराधियों की ऐशगाह बन गयीं राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की कानून-व्यवस्था को खराब करने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो राजस्थान की जेलों का है। इन जेलों की व्यवस्था को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान है तो आपके सुपरविजन की कमी सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद सबसे बड़ा योगदान है तो उन लोगों को लगाते हैं जो कहते हैं पनिशमेंट पोस्टिंग है।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि जेल के प्रहरी भी इंसान हैं। जेल के प्रहरी आपके सामने भूखे रहकर मैस का बहिष्कार करके कितनी बार गुहार लगा चुके हैं, कम से कम उनकी मांगें क्या हैं, क्या नहीं हैं, कम से कम वार्ता तो करते। राजनीति में रहने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध किस वक्त क्या हो जाये, भगवान मालिक है। इन जेलों को इसीलिये कृष्ण जन्म भूमि कहा गया। यह जेल नहीं है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, कंस के उस राज को खतम करने के लिये। इसलिये आप याद कर लो, आपातकाल के अन्दर भी जेल से बयार निकली थी और आज मैं कह रहा हूं यह नखविहीन, दंतविहीन कानून लाकर आप हमारा समय जाया करते हैं, आप इसको नोटिफाई करेंगे, रूल्स बनायेंगे। आपके पास बजट का प्रावधान नहीं इसलिए, मंत्री महोदय, आप भले आदमी हो, पर कुछ बातें अपने माथे पर लेकर मत जाओ।

मेरे मित्र आ गये। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात खतम कर रहा हूं। मुझे बड़ी पीड़ा है। मैं संयम लोढ़ा की पीड़ा से पीड़ा मिलाता हूं। यह मुख्य मंत्रीजी के सलाहकार हैं, इनसे एक सलाह भी नहीं ली। अब और तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और केन्द्रीय कारागृह सिरोही की उस कमेटी के मैम्बर हैं, उसमें भी नहीं लेते। मैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो खलनायक बनोगे तो टिकटों का मामला आयेगा न, तो टिकट भी आपको पिछली बार की तरह नहीं मिलेगी। पर मैं चाहता हूं आप जैसे आदमी यहां पर आयें। आपके साथ यह पार्टी जिस तरह बर्ताव कर रही है, आप भी +++ होकर पार्टी की जिस तरह पैरवी करते हो, यह भी इतिहास में लिखा जायेगा। मुझे आपसे सहानुभूति है। मेरी बात सुनी, धन्यवाद।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय राठौड़ साहब, आप आमंत्रण दे रहे हो क्या संयम जी को? आप खुले में बोलो। खुले में बोलो आप।

श्री सभापति: बैठिये प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही है। यह विधेयक राजस्थान के कारागार के अन्दर जो बंदी हैं, उनके लिये और जेलों के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके लिये काम करेगा। एक फिल्म आयी थी शोले, उसमें आप सब लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आज जो हमारा कानून है वह भी अंग्रेजों के जमाने का ही है। राज्य में कारागार अधिनियम, 1894 प्रभावी है और राजस्थान बंदी अधिनियम, 1960 है। मूल कारागार अधिनियम 129 साल पुराना है और बंदी अधिनियम 63 साल पुराना है। धीरे-धीरे अलग-अलग नियम, अलग-अलग संशोधन किये गये। उन संशोधनों को इकजाई करके हमने यह विधान सभा में पेश किया है।

राज्य में कारागार और बंदियों के प्रशासन और प्रबंधन हेतु कारागार विधेयक, 1894 और राजस्थान बंदी अधिनियम, 1960 प्रभावी है। समय के अनुसार कारागारों में सुधार वाद-विवाद का बड़ा विषय है। समय-समय पर यह अवधारित किया गया है कि बंदियों के भी मानवाधिकार हैं। बंदियों में सुधारात्मक कार्यवाही एवं बंदियों की सुरक्षा, उनके रहने के स्थान में सुधार एवं बंदियों के पुनर्वास हेतु यह आवश्यक है कि उनके कौशल में भी विकास किया जाये। उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान दिया जाये ताकि उनकी सज़ा पूरी होने के बाद वह समाज के अंदर अच्छे से काम कर सकें।

(श्री टीकाराम जूली)

इस विधेयक के अंदर मुख्य रूप से कुछ चीजें हैं, जैसे खुले शिविर हमने इसके अंदर जोड़े हैं। इसके लिए 1972 का नियम प्रभावी है। आज हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान के अंदर खुले शिविर में पहले नंबर पर है। पहले में भी लगभग 40 परसेंट हिस्सा अकेले राजस्थान का है। यह मैं कह सकता हूं।

दूसरा, इसके अंदर बंदियों का स्थानान्तरण लिया गया है। कई बार उनको चाहे मेडिकल की वजह से, प्रशासनिक या मानवीय आधार पर चेंज करते हैं, उसको लिया है। कई बार बंदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेजा जाता है। कारागार के प्रवेश द्वार पर कारागृह के अनुशासन के नियम भी हैं। वह भी इसके अंदर लिए गये हैं। बंदियों के द्वारा अपील किये जाने का अधिकार है, वह भी इसके अंदर हमने लिया है। यह अलग-अलग समय पर सारे अधिकार बने थे जिनको हमने इसके अंदर लिया है।

बंदियों द्वारा कारागार में पत्राचार है। बंदियों के अधिकार, शिकायतों का निवारण है। पेरोल और समय पूर्व रिहाई है। सुधारात्मक पहल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। बंदियों का काम करने के लिए नियोजन भी है। यह सारी चीजें इसके अंदर हैं। बंदियों की रिहाई समय से पहले हो तो उनके कार्यक्रमों के आयोजन का भी प्रावधान है। कारागृहों का निरीक्षण भी है। राज्य कारागृह सलाहकार बोर्ड भी है। आपात स्थिति के निवारण और नियंत्रण के उपाय भी इसके अंदर रखे गये हैं। कर्मचारी कल्याण की भी इसके अंदर बात रखी गयी है। कारागार से संबंधित जो अपराध हैं, उनकी भी सारी चीजें इसके अंदर रखी गयी हैं। इसलिए विधेयक हम लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा दु:ख इस बात का है कि ज्यादातर सदस्य जो बोले थे वह बोलकर चले भी गये। उनको यह नहीं कि हमको बिल पर बोलना है या जेल की सुविधाओं पर बोलना है। सब लोगों ने एक ही बात क्योंकि रटी-रटाई चीज है कि जेलों के जैमर काम नहीं कर रहे हैं, वहां मोबाइल काम कर रहे हैं, वहां सुविधाओं का ध्यान नहीं है। यही बात लगभग सभी सदस्यों ने कही है, अच्छा तब लगता जब आप अच्छे सुझाव देते।

अपनी-अपनी परिस्थितियां हैं। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि सांगानेर की जेल खाली हो जाए तो वहां पर कोई दूसरा उद्योग लगायें ताकि उनके क्षेत्र में उनके वोटों में इजाफा हो। क्या बंदी जो वहां खुले

(श्री टीकाराम जूली)

शिविर में रह रहे हैं, उनको शहर में रहने का हक नहीं है? उनको आप चाहते हैं कि हम बाहर निकाल दें या उनको कोई सुविधा नहीं दें? इस प्रकार की जो चीजें हैं, अलग-अलग सदस्यों के द्वारा जो बातें कही गयी हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि उनमें कोई अर्थ नहीं है।

आमेर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि लाइब्रेरी से कोई फायदा नहीं है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य संयम जी ने जो बात कही कि लाइब्रेरी जरूरी है। आज भी किसी इंसान के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई लेकर आ सकती है तो वह पुस्तकें हैं। यह हम सब लोग जानते हैं। चूंकि संयम जी ने इस चीज को अच्छा बता दिया तो पूनियां जी ने उसके लिए एतराज जता दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजसमन्द से जो हमारी माननीय सदस्या आती हैं, उन्होंने इस चीज को फिर वापस बता दिया। आप लोगों के अंदर ही तारतम्य नहीं है कि कौनसी चीज सही है, कौनसी गलत है।

एक चीज मैं और देख रहा था कि सब लोगों का जो पूरा फोकस था वह जैमर पर था कि जैमर काम नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं भी यह बात मानते हैं कि जैमर आपकी सरकार ने खरीदे थे। आप बार-बार पूर्व मुख्य मंत्री जी को टार्गेट करना चाहते हैं, यह क्या बात है, यह तो मेरी समझ से बाहर है। और चीजों की तो आपने कोई बात ही नहीं रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैमर काम नहीं कर रहे, क्योंकि जैमर पिछली सरकार ने, आपकी सरकार ने खरीदे थे। अब यह आपको देखना था कि आने वाले समय में 2जी चलेगा, 3-जी चलेगा, 4-जी चलेगा या 5-जी चलेगा। यह टेक्नोलॉजी का तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। आप तो बड़े विद्वान सदस्य हैं।

मुझे एक चीज का बड़ा अचम्भा आता है कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष, जब आप कोई बात रखते हैं, हम तो वैसे ही आपको सीरियसली लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई असत्य बोल रहे हैं और उसको सच साबित करने के लिए, मैं जिम्मेदारीपूर्वक यह कथन कह रहा हूं, आप हर बार यह बात बोल रहे थे। सिर्फ आप ही जिम्मेदारी से कह रहे थे और कोई जिम्मेदारी से नहीं कह रहे। आप कोई 2-4 बातें बीच में बोल रहे हैं जिस पर आप ज्यादा जोर लगाते हैं कि मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तो वही जिम्मेदारी से है, बाकी तो सब गैर-जिम्मेदाराना है। कम से कम आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। मैं तो

(श्री टीकाराम जूली)

जानता हूं कि आप जिम्मेदारी से ही बोल रहे होंगे। आप तो स्वयं अंदर का भी निरीक्षण करके आये हैं, तो आपसे बढ़िया बात तो कोई बता नहीं सकता। आपने जो चीजें देखी हैं, आप कह रहे थे कि हाइजीन का ध्यान नहीं है, पानी खराब है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी अगर तबीयत खराब हुई हो, आपको मेडिकल की जरूरत पड़ी हो तो आप बतायें।

आप तो सुनी-सुनाई बातें कह रहे हैं। अपने को तो क्या है कि इस अशोक गहलोत सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं, जनता के लिए जो नये-नये कानून, नये-नये प्रावधान हमने बनाये हैं, उसकी सच्चाई आपको जनता के सामने लेकर के नहीं आनी है, उसकी तो आपको बुराई करनी है। यह तो आपने ही कहा न कि 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का और केन्द्र सरकार का निर्देश था कि यह कानून बने। फिर आपने क्यों नहीं बनाया? 2016, 2017, 2018 इन 3 सालों तक तो आपकी सरकार थी। आप यह विधेयक क्यों नहीं लेकर आये? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। आज आपने यह कहा कि पूरे देश के अंदर सभी यह कानून ले आये तब आप लेकर आ रहे हो, यह बात भी आपकी गलत है। अभी तक तकरीबन 7-8 राज्य ही खुद का यह विधेयक लेकर आये हैं। बाकी तो कहीं भी नहीं लेकर आये हैं। हम आठवें या नौवें राज्य हैं जो इसको लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप कमी निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम हुए हैं उनको भी आप बतायें।

सभी जेलों के अंदर लाइब्रेरी हैं, उसके लिए हम पर्याप्त बजट की भी व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर से भी ऐसे काफी दानदाता हैं जो हमारी मदद करते हैं। हम खुद इस ओर चाहते हैं कि जेलों के अंदर लाइब्रेरियां हों। नई जेलों के निर्माण भी हम लोग करा रहे हैं। आप लोगों के समय में कोई काम नहीं हुआ। आपने तो कतई ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोग यह काम कर जाते तो हमें सुननी नहीं पड़ती। हम तो सुन ही इसलिए रहे हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किये। आज हम कर रहे हैं, क्योंकि जो करता है उसी से लोग कहते हैं। जो कोई करता है उसी से आज कहते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इस सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं, वह उम्मीदें आप लोगों से थी ही नहीं। कोई आपसे मांगने ही नहीं आया क्योंकि मांगा भी वहीं जाता है जहां देने की क्षमता नजर आती हो। आप लोगों के यहां ऐसा कुछ था नहीं।

(श्री टीकाराम जूली)

सभापति महोदय, 2 चीजें आप लोग बड़ी उससे कह रहे थे कि एक तो आप जाने वाले हैं, यह तो राजस्थान की जनता तय करेगी। आपने ही तय कर दिया क्या? तो आपने पहले ही मशीनों में कुछ फिट कर दिया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात यह थी कि जब नेता, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों की बैठक ले रहे थे तो उन्होंने 2 डायरेक्शंस दिये। एक डायरेक्शन तो यह था कि हर भाषण में यह बोलना है कि आप लोग तो 2 महीनों में जा रहे हो। लेकिन आधे आदमियों ने भी उसकी पालना नहीं की। हकीकत यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप बता दो। आज तक आप इस कुर्सी पर जब भी बैठे हैं तो ऐसे जाते हो, गायब होते हो, वापस 5 साल बाद आते हो। आज तक रुके हो तो मुझे बता दो। आज तक परम्परा यह रही है। आप रुके हो तो मुझे बता दो कि मैं इस विधान सभा में वापस आया था।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं 1993 में भी आपके साथ था और 1998 में भी आपके साथ था।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब कर्नाटक में राज बदला है और राजस्थान के अंदर रिवाज बदलेगा। आप निश्चिंत रहें, आप चिंता मत करो। बदलना है तो राजस्थान की जनता बदलेगी। आप क्यों चिंता कर रहे हो?

दूसरा, आप यह कह रहे हो कि आप लोगों को जाना है इसलिए जेल में सुधार कर रहे हो तो जज भी आप ही हो, डाइरेक्शन आप ही देंगे, आप ही हमें सज़ा करेंगे, यह भी आपने तय कर रखा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से केन्द्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को आप जेल में भेज रहे हो, वो सब लोग जानते हैं और इसी बात पर आप बोल रहे हो। अन्यथा आप कैसे कह सकते हो कि आप जेल जाएंगे? हमने कौनसा क्राइम कर दिया जो जेल जाएंगे? आप बताइए, लेकिन आप लोगों ने तय कर रखा है। (व्यवधान)

फिर आपने कहा कि जेलों के अंदर निरीक्षण नहीं होता है। कौन कह

(श्री टीकाराम जूली)

रहा है, हमने तो जिला कलेक्टर और एसपी को फुल डाइरेक्शन दे दिए, वो भी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं, जिला सेशन न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा और वरिष्ठ एवं अपर जिला न्यायाधीश जेलों में और उप जेलों में निरीक्षण करते हैं, रेगुलर करते हैं। विशेष रूप से अभियान भी चलाए हैं, आप लोगों से कई गुना ज्यादा हम लोगों ने निरीक्षण किया है। अभी राजस्थान की जेलों के अंदर फोन की सुविधा उपलब्ध है, वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है और मिलने की सुविधा उपलब्ध है। मेरे को एक चीज का बड़ा दु:ख हो रहा था, आप सारे माननीय इस विधान सभा के सदस्य हैं, इतने सीनियर-सीनियर लोग हैं, जब इन सारी चीजों का पता है तो आप अपने इलाके के अंदर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? आप मेरी जानकारी में क्यों नहीं लाते हैं? आपने आज तक तो मेरे से नहीं कहा कि आपके यहां पर इस प्रकार से हो रहा है, आप बताइए। आप भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है अपनी बात रखने के लिए, इसलिए जरूरी नहीं है कि केवल विधान सभा में ही रखें, आप औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, आप लोकल पता लगा सकते हैं, आप मेरे से मिलकर बात कह सकते हैं लेकिन आप लोगों ने आज तक मेरे से तो कुछ कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि जेलों के अंदर यह दिक्कत आ रही है, किसी ने कहा हो तो बता दें। चूंकि ये सारी चीजें एक इस प्रकार का कि आज कितने बोलेंगे और उस चीज को फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करके फायदा उठाएंगे कि हमने सरकार के खिलाफ यह बोल दिया, उसमें नहीं है, आप तथ्यों पर बोलिए, निश्चित तौर पर आप जो कहेंगे, जो जायज चीज है उसको मानूंगा, उसमें कहीं न कहीं सुधार करने की जरूरत है तो उसमें सुधार करेंगे क्योंकि हम और आप दोनों ही पक्ष, क्योंकि जनता हमको चुनकर भेजती है तो दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कुछ अच्छे काम करें जो कि आने वाले समय में लोगों को एक नवाचार के रूप में मिले।

माननीय सभापति महोदय, आज हमने नवाचार किये हैं, यह हमारे जो खुला बंदी शिविर हैं यह हमारा नवाचार है। स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम हमारा नवाचार है, पेट्रोल पम्प हमारा नवाचार है, पेट्रोल पम्पों के अंदर हमारा जयपुर का जो पेट्रोल पम्प है, सबसे अच्छी सेल उसकी है। अभी अलवर के अंदर चार दिन पहले अलवर में भी पेट्रोल पम्प शुरू हो गया है। कोटा में भी शुरू हुआ है और भी 7 जगह हम शुरू करने की स्थिति में हैं। 15 जगह

(श्री टीकाराम जूली)

इनको हम शुरू करना चाह रहे हैं, काफी तेजी से हम इसके लिए काम कर रहे हैं, तो यह कहना कि हम इसकी दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। अभी हमारे यहां पर जेलों के अंदर जो हमारे कैदी हैं, एलईडी बल्ब बना रहे हैं, हम हमारी खुद की शॉप खोल रहे हैं, उन पर उनका बेचान भी किया जा रहा है। अभी सरकारी जितनी जरूरत हैं सबसे पहले हम उनसे खरीद रहे हैं। बहुत ही कम रेट के अंदर एलईडी बल्ब जेल से मिल रहे हैं। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कारखाने लगे हुए हैं। अलग-अलग प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप सही कह रहे थे कि गांधीजी की बहुत ही सुन्दर प्रतिमा, अलग-अलग जेलों के अंदर ऐसे-ऐसे हमारे पास कलाकार हैं, जयपुर की जेल के अंदर ऐसे पेंटर हैं जो जेल के अंदर हैं, उन्होंने हमारी पूरी जेल के अंदर इस प्रकार की चित्रकारी की है कि आज जेल अलग ही दिखाई दे रही है। जेल का मतलब यह नहीं है कि उसमें क्रिमिनल ही आ गया तो उसको वापस क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट करना है, जेल का मतलब यह है कि उसके अंदर क्रिमिनल, अपराध भावना जो भी उसके अंदर आई है, उसको प्रायश्चित करने का मौका मिले और वो वापस जनता के अंदर जाए, बाहर की दुनिया में जाए तो उसको अपने किये पर पछतावा हो और वो वापस अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखे और शांति से अपनी जिन्दगी बिताए, इस दिशा में हमारी प्राथमिकता है। यह काम हम करना चाहते हैं।

आप लोगों ने पिछली सरकार के अंदर नया जेल मैन्युअल बनना था, आपने नहीं बनाया, हमने बनाया। अवैध मोबाइल, आपके समय में हमारे से कई गुना ज्यादा मोबाइल मिले थे। हमारी जांच आपसे ज्यादा हुई है। आप जिस लॉरेंस बिश्नोई की बात कह रहे थे, वो यहां की जेल में सख्ताई की वजह से यहां से जेल ट्रांसफर करके चला गया। दिल्ली के अंदर और उसका जो वीडियो वायरल हुआ है वो जयपुर की जेल का नहीं है, अदर स्टेट का है, उसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। आप गुमराह इस प्रकार से कर देते हो कि सारा ही जो काम यहां आपके स्टेट से है। हम क्षमताएं भी बढ़ा रहे हैं और नई जेल भी खोल रहे हैं। अभी डूंगरपुर के अंदर और अकलेरा-झालावाड़ के अंदर उनका भवन बन चुका है, उसका बहुत जल्द ही हम शुभारम्भ भी कर रहे हैं।

राजस्थान की जेलों का विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और जो दोषी मिले, आपने कहा कि

(श्री टीकाराम जूली)

किसी पर कार्यवाही ही नहीं की, आपने किसी को दंडित ही नहीं किया, हमने उनको चार्जशीट भी दी है और सस्पेंड भी किया है और कई लोगों को बर्खास्त भी किया है। ऐसा नहीं है कि कोई जुबानी जमा-खर्च कर रहा है, जो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है।

अभी कहा गया कि बंदियों से जेलों में खाना बनवाया जा रहा है, यह बात सही है कि जेलों के अंदर खाना बनवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी 48 चपाती मेकिंग मशीन हमारी जेलों के अंदर आ चुकी हैं और सभी जेलों में आटा लगाने की मशीनें भी लग चुकी हैं। काफी जगह सरकार ने पैसा दिया है, कुछ जगह हमने एमपी, एमएलए फंड से और कुछ जगह भामाशाहों के सहयोग से भी इसमें करवाया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं।

आप लोगों ने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी करवा देते हैं, हम तो यह चाहते हैं कि वीसी के माध्यम से ही पेशी हो, हमारे तो डबल फायदा है, हमारा तो स्टाफ भी बचेगा, समय भी बचेगा, बाहर क्राइम होने की जो संभावना है वह भी बचेगी और लगभग 96 परसेंट जेलों में वीसी का काम पूरा हो चुका है, वहां वीसी रूम बन चुके हैं, कुछ कनेक्टिविटी पांच-सात जगह की बाकी है, वो भी बहुत ही जल्द हो जाएगी, उसके बाद सौ परसेंट हमारी जेलें वीसी से जुड़ जाएंगी। अभी कई बार माननीय उच्च न्यायालय के जो डाइरेक्शन होते हैं या कोर्ट हमें डाइरेक्शन देता है कि इनकी पेशी वीसी से करवानी है या इनको भेजना है, उसी के आधार पर हम भेजते हैं।

कई और भी चीजें आईं, जेल के अंदर वो छूट नहीं रहा है, उसको बंद कर दिया, हमारा काम कोर्ट के आदेश से ही जेल के अंदर लेने का है और कोर्ट के आदेश से ही जेल के बाहर छोड़ने का है। हमारा काम तो अंदर जो आ गया उसका ध्यान रखने का है। ये छोड़ने का या रखने का काम हमारा नहीं है। ये कानून मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं और आप खुद कानून मंत्री रहे हैं, तो उस समय इस दिशा में कोई थोड़ा अच्छा-सा का कानून बन जाता तो ठीक रहता।

एक आपने पूरी सनसनी फैला दी कि इसके अंदर जो परिभाषा 2(ए) है उसमें सिविल प्रिजनर की तो परिभाषा है, क्रिमिनल की नहीं है क्योंकि 2 (एन) में प्रिजनर को परिभाषित कर दिया गया है आलरेडी कि अमुक-अमुक परिस्थितियों में जेल में भेजा गया व्यक्ति प्रिजनर यानी बंदी कहलाएगा, इस

(श्री टीकाराम जूली)

परिभाषा के 'बंदी' से विभेद करने के लिए 'सिविल प्रिजनर' की परिभाषा दी गई है। इसलिए अलग से क्रिमिनल प्रिजनर की परिभाषा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के द्वारा बहुत्सी चीजों के बारे में गलत तथ्य या असत्य बातें यहां पर कही गई हैं और जेलों के अंदर काफी काम हुआ है, जेलों को और मजबूत बनाने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। आपको तो पता ही है कि कोरोना के अंदर भी, माननीय हमारे मुख्य सचेतक महोदय जानते हैं कि कैदियों द्वारा मास्क बनाने तक का काम जयपुर की जेल के अंदर किया गया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 76 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 76 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 76 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

श्री टीकाराम जूली, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: इस थर्ड स्टेज पर बोलने के लिए श्री नारायण बेनीवाल और श्री पुखराज गर्ग ने अपनी पर्ची दी थी, लेकिन जैसा मैं सामने देख रहा हूं, दोनों ही अभी मौजूद नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, प्रश्न यह है कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक। सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्थान में एक कहावत है, ''घणी गयी अर थोड़ी रैगी।'' जिस सरकार का ज्यादातर समय चला गया हो, साढ़े चार साल तक जिस सरकार ने राजस्थान में अपराधों को पाल-पोसकर उनमें बढ़त का ग्राफ कायम किया हो, सरकार के संरक्षण में संगठित अपराधी बढ़त के साथ राजस्थान में रहे और अब जाती

(श्री अशोक लाहोटी)

हुई सरकार यह कहे कि हम संगठित अपराधों में बचत करेंगे, ...(व्यवधान) राहत देंगे तो मुझे लगता है, इस बढ़त, बचत और राहत की उलझन में राजस्थान की जनता को नहीं डालें। राजाखेड़ा से जिन संगठित अपराधों की शुरुआत होती है, वे यहां सदन में आकर बीच में बात करें, वह भी उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये प्लीज। माननीय सदस्या, प्लीज डिस्टर्ब न करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, एक बार हाउस आर्डर में लाएं। ट्रांसफर, पोस्टिंग्स का काम शुरू कर दिया इन्होंने यहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज। House be in order. माननीय सदस्य, Please continue.

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों में एक बार आप देखें। राजस्थान के संगठित अपराधों को कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने एक वित्तीय ज्ञापन रखा है, उसमें 3.32 करोड़ रुपये नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेज यहां पर रखा है और 1.14 करोड़ रुपये इन्होंने रैकरिंग एक्सपेंसेज रखा है। इस छोटे-से रैकरिंग और नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेज से ये सोचते हैं कि राजस्थान के संगठित अपराधों को हम नियंत्रित कर लेंगे, इतने से बजट मात्र से।

माननीय मंत्री जी, इन्होंने आपको जो यह कागज दिया, उसी को देखा आपने, पढ़ा नहीं। अन्दर पढ़ते तो आपको भी शर्म आ जाती कि राजस्थान में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए हम किस तरह का बिल लेकर आये हैं। क्या संगठित अपराध इतनी छोटी परिभाषा है? संगठित अपराध को यदि आप देखेंगे तो राजस्थान ने पिछले चार साल में क्या-क्या नहीं झेला। राजस्थान की जनता ने ऐसा कौन-सा दिन नहीं देखा जिस दिन अख़बार में संगठित अपराध और संगठित गिरोह का कोई न कोई कारनामा न छपा हो।

सभापति महोदय, इस बिल में अपराधों का विवरण तो दिया है पर क्या सरकार बतायेगी, साढ़े चार साल में प्रदेश में सरकार के संरक्षण में चल रहे नकल माफिया के संगठित अपराधों को रोकने के लिए इस बिल में क्या मैकेनिज्म किया है? यह संगठित अपराध है। इसी प्रकार से संगठित अपराध

(श्री अशोक लाहोटी)

में बजरी माफियाओं को रोकने के लिए आपने क्या किया? (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि एक बार पहले हाउस आर्डर में आ जाये?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप अपनी बात बाद में कह दीजिये, चैम्बर में चली जाएं। No, This is not allowed. Please go. Don't disturb him.

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, यहां पर इन्होंने केवल कुछ साइबर अपराधों के लिए लिखा है, लेकिन आप यह देखें कि साइबर क्राइम हुआ कितना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या। नहीं, इन्हें भेजिये यहां से प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अकेले राजस्थान में दो लाख से ज्यादा ठगी और साइबर क्राइम के अपराध घटित हुए हैं। 26 हजार करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई है। इस तरह का जो ग्राफ राजस्थान में बना है, यह साइबर क्राइम रोकने के लिए क्या इस बिल में लिखना मात्र काफी है? सभापति महोदय, संगठित अपराधों का भी यदि आप देखें तो केवल बजरी माफिया और नकल माफिया ही नहीं हैं, आप देखें, पेपर माफिया, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, बैंक माफिया, टैक्स माफिया, गौ तस्कर माफिया, लव जिहाद माफिया, शराब माफिया, भू-माफिया। प्रदेश में आयल माफिया, यह केवल राजस्थान में ही है आयल माफिया। इसका भी एक बड़ा नैक्सस है। राजस्थान जैसे प्रदेश में आयल का भी एक माफिया गिरोह चल रहा है।

कोचिंग माफिया। आज भी आपने अख़बार में पढ़ा होगा, किस प्रकार से कोटा में बच्चे लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। यह क्या है? स्कूल माफिया, डिग्री माफिया, शिक्षा माफिया, ड्रग माफिया। भू-माफिया के साथ-साथ, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी... पाली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं दो मिनट मंत्री जी का... माननीय मंत्री जी, मैं यह कह रहा हूं कि इन सब माफियाओं के साथ-साथ आपने यह बिल रखा है, पर आप ही के विभाग जेडीए, नगर निगम के अधिकारियों का पट्टा माफिया, यह भी राजस्थान में ही पनप रहा है। यह और किसी प्रदेश में नहीं है।

(समय: 14.48 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इसके अलावा मीट-मांस की अवैध दुकानों का

(श्री अशोक लाहोटी)

माफिया। शहरों में हटवाड़ा का माफिया। ये आप ही के विभाग के माफिया हैं। संगठित अपराध केवल एक तरह का अपराध नहीं है, राजस्थान की जनता कई तरह के अपराधों का सामना कर रही है। अभी जो मंत्री जी बिल रखकर गये हैं, उनके क्षेत्र का टटलू माफिया, जो टटलू काटने का काम करता है। जितनी तरह के माफिया की जनता बात करती है, मैं उन माफियाओं की बात कर रहा हूं। साढ़े चार साल बाद आपको इस बिल की याद आयी और खोटा, खरा एक छोटा-सा बिल आप चार लाइनों का लाकर कागज में, अभी मंत्री जी ने कहा, हम यह करेंगे, हम यह करेंगे, हम यह करेंगे, करने का अब समय कौन दे रहा है आपको? करेंगे वाला समय नहीं है अब। जब तक यह सत्र पूरा होगा, आप एक बार क्षेत्र में जाकर आएंगे तब तक आचार संहिता लगी हुई मिलेगी। करने का मौका अब आपको कौन दे रहा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गलतफहमी के शिकार मत बनें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): गलतफहमी आप मत रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप भी मत रखें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हम भी नहीं रख रहे। जनता का जो रिवाज है, वही चलेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह सरकार तो डंके की चोट पर रिपीट होगी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह सरकार डंके की चोट पर जायेगी। मंत्री जी, टैम्पो में भी नहीं आयेगी। गलतफहमी के शिकार मत रहें। बाली से आने वाले माननीय सदस्य, इन्हें कान में सच-सच बताकर उठना यहां से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, पहली बार इस राज में...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ओ भइया, आपकी नजरें मेरे फूफा जी की तरफ रहनी चाहिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हां। सभापति महोदय, एक नया माफिया इस राज में पहली बार इन दिनों गर्मियों में पैदा हुआ जयपुर शहर में, वह है पानी का टैंकर माफिया। 1200 रुपये में भी टैंकर नहीं मिलता, 1500 रुपये में भी टैंकर नहीं मिलता। इस टैंकर माफिया को भी रोकने के लिए इसमें कुछ लिखते दो लाइन।

कितने तरह के माफिया बतायें, आज पूरा बिल डिस्कशन कर लें, जितने तरह के राजस्थान में माफिया हैं, उसमें बिल में डिस्क्शन कर सकते हो।

सभापति महोदय, मैं कहता हूं कागज पर चार लाइनें लिखने से क्या संगठित अपराध रुकेगा। आखिर अपराध रोकेगा कौन? पहले आप जो बिल लाये, उन बिलों में क्या हुआ? इसी सदन में हुक्का का बिल आया। जयपुर शहर का कौन-सा ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें हुक्का नहीं मिल रहा हो? क्या आपके बिल लाने से हुक्का रुक गया? जयपुर शहर में आप मिलावट के लिए बिल लेकर आये। जयपुर शहर की कौन-सी दुकान है जिसमें मिलावट नहीं हो रही हो? सभापति महोदय, आज मैं इसलिए कह रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये कहना चाहते हो आप कि सब दुकानदार +++ हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सब दुकानदार नहीं, आपकी +++ हैं। आपकी +++ हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका कहने का मतलब जयपुर के व्यवसायी +++ हैं। आप यही कहना चाहते हो। आप व्यवसायियों को +++ बता रहे हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): +++

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो बेचने वाले हैं, वो +++ नहीं हैं क्या? माननीय अशोक जी जो बेचने वाले हैं, वे +++ नहीं हैं क्या? आप कह रहे हैं, दुकानदार को +++ कह रहे हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): +++ मंत्री जी बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा।

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। +++ शब्द जो कहा है, मैं उसे विलोपित करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, अब कैसे विलोपित होगा? व्यवसायी +++ बताये हैं इन्होंने। आप क्या बात कर रहे हो। +++ बता रहे हैं व्यवसायियों को। हर दुकानदार मिलावटखोर है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैंने +++ नहीं कहा, मैंने +++ नहीं कहा। मैं यह कह रहा हूं, +++

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हर दुकानदार मिलावटखोर है, ये कहा है इन्होंने।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपके संरक्षण में +++

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, धारीवाल जी बिलकुल सही कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, विलोपित मत करिये, ये बात तो जाहिर होनी चाहिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, विलोपित कराओ या नहीं कराओ, वो आपकी इच्छा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने सारे व्यापारियों को +++ बताया, आपने मिलावट करने वाला बताया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को फिर कह रहा हूं कि आपके संरक्षण में +++ कर रहे हैं।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजिये। दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बिल का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में घट रहे संगठित अपराध पर रोक लगे। आप यह नहीं चाहते? आप सिर्फ वाद-विवाद करके इसे समाप्त करना चाहते हैं। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता में मैसेज यह जाना चाहिए कि दोनों पक्ष के विधायक इस बात के लिए बड़े गम्भीर हैं कि राजस्थान में संगठित अपराध रुकने चाहिए। सरकार बिल लेकर आई है, बिल पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तू +++ है, मैं +++ हूं। यह क्या तरीका है? मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। अपनी बात रखें और संक्षेप में रखें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जी, सभापति जी।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी मंत्री जी के संरक्षण

(डा. महेश जोशी)

में ये सब अपराध हो रहे हैं, इसको विलोपित करवायें, नहीं तो यह सीधा आरोप है। यह पूरे तरीके से आरोप लगायें, लगाना हो तो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तो अपराध किससे, सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। अपराध सरकार के संरक्षण में ही हो रहे हैं। आप फिर बिल भी मत लाओ।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मंत्री जी पर आरोप लगाने की कोशिश है यह। आप दिखवा लीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नहीं तो फिर आप बिल क्यों ला रहे हो? संरक्षण में ही अपराध हो रहे हैं, माननीय।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपने मंत्री जी का नाम लिया है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सरकार के संरक्षण में, मंत्री जी के संरक्षण में, मंत्री सरकार का पार्ट है। मंत्री इज अथोरिटी। सभापति महोदय, मंत्री इज अथोरिटी। मंत्री सरकार का पार्ट है।

श्री सभापति: विराजिये। अभी डंका बजने में समय है। अभी इतने उत्साहित मत होइए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, यह बात नहीं कटनी चाहिए कि जयपुर का हर दुकानदार मिलावट करता है +++ बताया है इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री जी, बात को बदलो मत। क्या कहा है मैंने? बात को मत बदलो। मैंने यह कहा है कि कौन-सी दुकान पर मिलावट का सामान नहीं मिल रहा है, इसकी कौन जांच कर रहा है? इस बात को मत बदलो आप। आप बैठिए, जो मैंने कहा है, बिलकुल कायम हूं।

श्री सभापति: विराजिये। श्री बाबुलाल झाडोल। बाबुलाल जी, आप बोलेंगे। विराजिये, किसी का भी अंकित नहीं होगा। जो आपने कहा कि +++ उसे विलोपित करता हूं। बाकी सारे का सारा अंकित रहेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सर, मैंने +++ नहीं कहा। मैंने कहा मंत्री जी के संरक्षण में जो +++ हैं।

श्री सभापति: बैठिये, अनावश्यक उत्तेजना मत फैलाइये। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जी। सभापति महोदय, अल्टीमेटली इन सब अपराधों को रोकने का काम कौन करेगा? रोकने का काम हमारी पुलिस करेगी। पुलिस की स्ट्रैंथन के लिए इस बिल में क्या किया? आपने इन सारे अपराधों को रोकने के लिए, पुलिस को मजबूत करने के लिए कौन-सा कानून लाये? पुलिस को मजबूत करने के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दीं? इन अपराधों को रोकने के लिए आपने कितने साइबर एक्सपर्ट को नौकरी दी? बिल पढ़ने के बाद ही बात कर रहा हूं, मंत्री महोदय।

सभापति महोदय, आज थानों की स्थिति क्या है, पुलिस की स्थिति क्या है? एक-एक थाने में मात्र तीस-चालीस लोगों का पुलिस का जाब्ता है। राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर थाने किराये पर चल रहे हैं। कहां से संगठित अपराध रुकेगा। पुलिस के पास अपराधियों का पीछा करने के लिए गाड़ियां तक नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर कंफाइन करें और समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं संगठित अपराध पर ही बोल रहा हूं। थाने किराये पर चल रहे हैं।

श्री सभापति: किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेरा मालपुरा गेट थाना किराये पर चल रहा है। जयपुर शहर में पांच थाने किराये पर चल रहे हैं। आप चलो मेरे साथ। आप चलो न। कल की इतनी बड़ी हैड लाइन राजस्थान पत्रिका की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो? आप अब बन्द करें। श्री बाबुलाल झाडोल।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं मेरी बात तो पूरी करूं।

श्री सभापति: मैं मतदान कराऊंगा फिर, जब आप नहीं चाहते हो कि चर्चा हो। आप बात कहना ही नहीं चाहते हैं। आप अकारण उत्तेजना पैदा करते हैं। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, बिलकुल कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि थाने किराये पर चल रहे हैं। वे बीच में खड़े हो गये। उनको ध्यान नहीं है। चल रहे हैं, मैं गलत थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है? आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप इस बिल का मजाक मत बनाइये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इन चाचा-भतीजों ने ही पूरी विधान सभा में सबसे ज्यादा उद्दण्ड कर रखा है। सभापति महोदय, आज हालत क्या है? राजस्थान में जिस पुलिस के दम पर हम अपराधों को रोकने की बात कह रहे हैं, उस पुलिस की स्थिति, अभी पुलिस की कस्टडी में गैंगवार हुई और अपराधी मारा गया। यदि पुलिस की कस्टडी में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और हम संगठित अपराध को रोकने की जब बात करते हैं तो उस संगठित अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले हमको पुलिस फोर्स को मजबूत और पुलिस फोर्स को आज के युग के अनुरूप करना होगा। उस अनुरूप करने के लिए हमने क्या किया? मैंने कहा कि 26 यहां केस दर्ज हुए और साइबर फ्रॉड के 26 हजार करोड़ के केस चल रहे हैं। आज तक कितने मामलों में साइबर फ्रॉड पकड़ा? कितने मामलों में क्या कार्यवाही हुई?

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजधानी जयपुर में भी महिलाएं अपने सुहाग का प्रतीक चिह्न मंगलसूत्र पहनकर बाहर नहीं निकल सकती हैं। आये दिन इतनी चेन स्नैचिंग हो रही है। हम किस अपराध को रोकने की बात कर रहे हैं? जब तक अपने महकमे को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम रोकने की बात कहां से करेंगे।

मेरा इस बिल के माध्यम से केवल यही निवेदन है कि जिस संगठित अपराध को राजस्थान रोकने की बात करता है उस संगठित अपराध को रोकने के लिए हमको उस 21वीं सदी के अनुरूप ढलना पड़ेगा। आप बजट उठाकर देखें, हमने पुलिस में बजट कितना दिया है। आज पुलिस के पास एस्कॉर्ट के लिए गाड़ियां तक नहीं हैं, व्हीकल्स नहीं हैं, बीट के अधिकारियों के पास व्हीकल्स नहीं है, उनमें डीजल-पेट्रोल नहीं है। जिस प्रकार की पुलिस थानों की व्यवस्था है, उनमें वहां पर कोई वर्क कल्चर नहीं है। वहां पर बैठकर काम करने की कोई स्थिति नहीं है। अपराधियों से लड़ने के लिए आज भी हम मालखाने में पड़ी जंग लगी हुई बंदूक देकर हम अपने पुलिस के जवान को मरने के लिए भेजते हैं और सामने एके 47 लेकर अपराधी खड़ा है। हम चाहते हैं हम अपराध को रोकेंगे। राजस्थान में संगठित अपराध को रोकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि संगठित अपराध को रोकने के लिए ये सब चीजें इस बिल में इन्कारपोरेट नहीं हों, तब तक इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाये, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल झाडोल। सभी माननीय सदस्य बिल पर कन्फाइन करेंगे और संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

(समय: 15.00 बजे)

श्री बाबुलाल (झाडोल): दो मिनट में खतम कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 सरकार लेकर आई है। सभापति महोदय जी, इस विधेयक को मैंने पढ़ा है। आपने कुछ व्यवस्था की है कि जो संगठित अपराध में लिप्त होगा, उसमें इन्वोल्व होगा। ऐसे लोगों को आप सज़ा का प्रावधान करेंगे, उसमें सज़ा की अवधि भी बढ़ायी है आपने और आपने यह भी कहा है कि जो इसमें लिप्त पाया जायेगा, इसमें सम्मिलित होगा अगर वह दोषी पाया जाता है तो हम लोग उनकी सम्पत्ति को भी कुर्क करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन अपराधों में केवल अपराधी ही दोषी नहीं हैं, उतने ही दोषी उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। कहीं न कहीं हममें से ही, मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, अपराधियों से हमारे भी कहीं सम्बन्ध होंगे। पुलिस सक्षम है, वह कार्यवाही कर सकती है लेकिन हम उसको कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं, इसके कारण से पुलिस कमजोर होती है और इस चीज को रोकने के लिए हमको सर्वसम्मत होकर कहना चाहिये कि अपराधी अपराधी है, उसकी हम कोई मदद नहीं करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो अपराध रुकेंगे बाकी मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के कानून बनाने से अपराध रुक जायेंगे।

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार एक प्रश्न लगाया था और मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया था। आजकल हमारे क्षेत्र में पत्थरबाज आ गये हैं। हाईवे पर जाते हैं और रात्रि के समय निकलने वाले यात्रियों को पत्थर मारते हैं, रोक कर लूटपाट करते हैं और इसके कारण से मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाईवे है वहां पर कई लोगों की मृत्यु हो गयी क्योंकि पत्थर मारा, वह गिर गया और उसके चोट आयी जिसके कारण से उसकी मौत हो गयी। मैंने उस समय मंत्री जी को कहा, मंत्री जी, इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाइये। आज तक वह उसी प्रकार से चल रहा है। अभी एक पत्रकार आ रहा था, उसको पत्थर मारा, वह बेहोश होकर गिर गया, उसके आठ-दस टांके आ गये। अभी तक उसकी सेहत बढ़िया नहीं है और ये सारी चीजें पुलिस के ध्यान में हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था और वह मोबाइल पर सोशल मीडिया पर चैलेंज करके फिर जाते हैं। अब इनको रोकने के लिए हम और क्या करेंगे, इसमें आपने तो कहा है लेकिन कुछ बातें नहीं हैं इसमें।

(श्री बाबुलाल)

आज हमारी पुलिस की कमजोरी के कारण कहीं न कहीं अपराध बढ़ते हैं। बच्चियों के अपहरण के मुक़दमे दर्ज नहीं होते। मैं फलासिया थाने का जिक्र करूंगा। एक महीने से बच्ची का अपहरण करके लेकर गये लेकिन आज तक पुलिस ने कुछ किया नहीं है और वह परिवार वाले रो रहे हैं। कैसे अपराध रुकेंगे? मैं मेरे क्षेत्र कोटड़ा की बात करूंगा। एक थाने के इंचार्ज ने, अब यह घटना उससे सम्बन्धित है इसलिए मैं कह रहा हूं, ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, एक गांजा बेचने वाला वहां से निकल रहा था, उनको सूचना थी। वो पकड़ नहीं पाये तो एक हार्डकोर अपराधी को कहा कि यह आ रहा है, आप पकड़िये। उसने उसको पकड़ लिया। वह गांजा उससे ले लिया और गांजा लेकर उसने बेच दिया। अब वो कहता है कि वह गांजा ला, उसको लाकर बन्द कर दिया, फिर कहा कि गांजा, तो आपने बन्द कर दिया, मेरी पत्नी ने जला दिया। इस चक्कर में पुलिस चैलेंज करके वहां जाती है, उसने भी चैलेंज किया। वहां पर पुलिस और वो आमने-सामने होते हैं। पुलिस भी मार खाती है, वो भी मार खाते हैं, वो भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद में अपराधी को पकड़ना चाहिये। वह अपराधी है हमारी नजर में लेकिन अपराधी को पकड़ने के बहाने से उस गांव के महिला और पुरुषों को पुलिस ने पीटा। इस प्रकार का होता है तो पुलिस के प्रति हमारा क्या विचार होगा। मंत्री जी, इस प्रकार का कुछ आप करेंगे।

इस बजट में जिस प्रकार से आपने कुछ भाषाएं लिखी हैं। अब अधिकारियों के प्रति भी आपने कहा कि जो अधिकारी/कर्मचारी, लोक सेवक अगर उसमें लिप्त होगा और वह काम ठीक से नहीं करेगा तो तीन साल की हम सज़ा देंगे। अब तीन साल की सज़ा के लिए उसकी जांच करके, आप ठीक से जांच करेंगे और उस लोक सेवक को पकड़ने का काम करेंगे तब जाकर कुछ होगा न, लेकिन मुझे लगता नहीं है यह होगा। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो विधेयक लेकर आये हो इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित), श्री रामप्रताप कासनियां (अनुपस्थित), श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित), श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय,

(श्री मदन दिलावर)

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक पर चर्चा और उसको पारित करने के लिए यहां लाया गया है। संगठित अपराध हमारी कमजोरियों से ही होते हैं। जहां सरकार अपने-आपको कमजोर समझती है और वह अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कसते हैं, इसके कारण से नीचे की मशीनरी अपराधियों पर शिकंजा नहीं कस पाती और इस कारण से अपराध बढ़ रहे हैं। हमको चाहिये कि इसकी सख्ती से मानिटरिंग करें, इसको देखें, पर ऐसा हो नहीं रहा है। बिल में यह प्रावधान किया गया है कि हम इसमें सज़ा का जो समय बढ़ा रहे हैं, दुगुनी सज़ा कर रहे हैं, लोक सेवक उसमें सम्मिलित पाया जायेगा तो उसको भी सज़ा का प्रावधान किया जायेगा। कई प्रावधान पहले से भी हैं, क्या हम उनकी पालना कर रहे हैं?

हम जब अपराधियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही करने का प्रावधान है लेकिन क्या होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है और बड़े अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है, इसके कारण से अपराधी बेखौफ अपराध करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुकेत में एक कम्पनी है जो खनन का काम करती है, उसने सरकारी जमीन पर जहां बस्ती बसी हुई है पचास सालों से, उसको खोदने के लिए लोगों का पानी बन्द कर दिया। पानी नहीं लेने दे रहे हैं, बिजली नहीं लेने दे रहे हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और जब बड़े फोर्स के बाद रिपोर्ट दर्ज की तो क्लीन चिट दे दी। क्या सरकार के कारिन्दों ने ये विचार किया कि इतना बड़ा जो अपराध हो रहा है तो क्यों नहीं यहां मुख्यालय से एक बड़ी टीम बना करके भेजें कि नीचे के अधिकारियों ने जो कहा है वह सच है या गलत है? यदि वह गलत पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होती। एट्रोसिटी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, उसको जेल भेजते लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी कारण से अपराध पनप रहे हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। चूंकि छबड़ा में दंगा होता है लूटपाट होती है, आग लगायी जाती है, हमला होता है और वहां के आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। पुलिस घूमती रहती है बहाना बना कर, फिर वह मुख्य मंत्री के निवास के अन्दर सारे कांग्रेस के मंत्रियों की उपस्थिति में, कांग्रेस के

(श्री मदन दिलावर)

सारे बड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति में भोजन करते मिलते हैं और सारे के सारे कांग्रेसी उन आतंकवादियों की आवभगत करते मिलते हैं। बताइये संगठित अपराध कैसे रुकेंगे? नहीं रुक सकते न क्योंकि संगठित अपराधियों के हम संरक्षणदाता हो गये हैं।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): सभापति जी, ये क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता आतंकवादियों के साथ बैठते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, यह हटाइये आप कार्यवाही से।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसलिये, माननीय सभापति महोदय, हमको भी सजग रहना पड़ेगा। मैं ईमानदार हूं तो मुझे ईमानदार दिखना पड़ेगा। अब सभी थानों में एफ.आई.आर. दर्ज होती है, ऐसा कहा जाता है और इसलिये मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, इसलिये बढ़ रही है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने आर्डर दे दिये हैं कि सारी एफ.आई.आर. दर्ज हों। आर्डर दिये हैं, हम जानते हैं पर मैं एफ.आई.आर. दर्ज कराने गया कि प्रधान मंत्री जी की हत्या करने का भाषण अमुक आदमी ने दिया है। आप कहोगे तो नाम बता दूंगा मैं। मोदी का खात्मा कर दो यानी उनकी हत्या कर दो। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया।

श्री सभापति: आप बिल पर कन्फाइन करें, माननीय सदस्य। अनावश्यक उत्तेजना पैदा नहीं करें वरना मैं अलाउ नहीं करूंगा। मेहरबानी करके बिल पर बोलिये आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां-हां। संगठित अपराध हो रहा है मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। संगठित अपराध हो रहा है तो जिन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की, जो एफ आई आर दर्ज नहीं करते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं कोर्ट में जाता हूं। मेरा निवेदन सुन लें, सर। मैं कोर्ट में जाता हूं, कोर्ट आदेश देता है कि इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करो, तो थानेदार खुद कोर्ट में जाता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): थानेदार खुद कोर्ट में जाता है और कहता है कि इनके खिलाफ जो एफ.आई.आर. दर्ज करने की बात की है वह गलत है। जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो रही थी वह जाये तो हो सकता है माना जाये पर यह नहीं, हाईकोर्ट के पच्चीस वकील जाते हैं सरकार

(श्री मदन दिलावर)

के कहने पर, कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होनी चाहिये, संगठित अपराध कैसे रुक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाये जो संगठित अपराधों पर सख्ती से कार्यवाही नहीं करते हैं और उनको भी उसी धारा में मुलजिम बनाना चाहिये जिसमें अपराधी को बचाने के लिये उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा था ताकि वह कभी भी संगठित अपराध करने वालों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तभी यह अपराध रुक सकते हैं, नहीं तो कैसे रुकेंगे, क्योंकि यह पहले से ही प्रावधान हैं।

जांच अधिकारी अगर गलत जांच करता है, ऐसे कुछ 20-30 परसेंट मामलों की सैम्पल के रूप में जांच करनी चाहिये। जांच अधिकारी अगर जांच में गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन होना चाहिये। किसी आरोप में पुलिस वाला पकड़ा जाता है तो आगे से उसको जांच नहीं दी जानी चाहिये। जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है, एसीबी में पकड़ा जाता है, वह पद पर नहीं रहना चाहिये, उसको बर्खास्त करना चाहिये। वह कोर्ट जाकर आर्डर लेकर आ सकता है, लेकिन जो रंगे हाथों पकड़ में आ गया, उसको बर्खास्त का प्रावधान होना ही चाहिये, सस्पेंशन का नहीं, ऐसा कानून में प्रावधान करना चाहिये था। यह नहीं कर रहे हैं। मैं आज भी कह सकता हूं कि सरकार में सैकड़ों लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो एसीबी के द्वारा आरोपित किये गये हैं, लेकिन वह हमारे पर कानून का डंडा चला रहे हैं, हमको नियंत्रित कर रहे हैं। वहां के एसपी, वहां के डीआईजी, वहां के सेक्रेटरी हैं, पता नहीं कौन-कौन हैं, हमको संचालित कर रहे हैं। हमसे कहते हैं कि आप कानून से काम करो। कैसे संगठित अपराध रुकेंगे? संगठित अपराध रोकने के लिये पहले अपने आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। अपने आपको नियंत्रित नहीं करोगे तो यह सम्भव नहीं होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिसने अपराध किया है और उसको पांच साल से ज्यादा की सज़ा दी गई है, उसकी सारी सम्पत्ति सरकार अपने कब्जे में ले ले, जब तक फैसला न हो। फैसला उसके पक्ष में होता है तो सरकार वह सम्पत्ति संभला दे और फैसला उसके विरोध में आता है तो सरकार उसको सरकार में समाहित कर ले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यदि अपराधी बचने की कोशिश

(श्री मदन दिलावर)

करता है, छुपता है, किसी की शरण लेता है, आमना-सामना करता है तो पुलिस को यह अधिकार हो कि कम से कम उसके पैरों में तुरंत गोली मारे ताकि वह कोशिश न करे। यदि ऐसा नहीं होगा तो अपराधी कहीं भी छुप जाता है। मेरे जैसे उद्दंड लोग उसे बचा लेते हैं, जो नहीं बचाना चाहिये। उस अपराध में मुझे भी दंडित होना चाहिये। ऐसा प्रावधान तो है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। नहीं करने के कारण से यह अपराध बढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह अपराध रोकना है तो जो पहले नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनकी सख्ती से पालना करो और फिर जहां कमी है उसमें उस कानून को और बढ़ा सकते हो, विधेयक लाकर जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन हम पहले की पालना नहीं कर रहे हैं। हम उनकी पालना नहीं करना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अनलिमिटेड समय नहीं है, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हम किसी अधिकारी के पास गये, मैंने कहा कि यह आदमी सही है, बोला, यह तो चोर है, इसने तो पैसे लिये होंगे। मैंने कहा कि आपको तो एसीबी ने पकड़ा था, आप तो वही अधिकारी हैं न? आपको तो दो लाख रुपये लेते हुए पकड़ा था न?

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी (अनुपस्थित)। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित), श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री अविनाश।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज आप सहयोग कीजिए। विराजिए, विराजिए। श्री अविनाश, आपको बोलना है, बोलिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिए, नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकारूंगा।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप बोलिए, बोलिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आप अपने सदस्य को कंट्रोल कीजिए। विराजिए, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, प्लीज सहयोग करें आप। विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिए, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप नहीं बोलोगे तो मैं दूसरा नाम पुकारूंगा।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आज पिछले साढ़े चार सालों में जिस मुकाम पर पहुंचा है, मैं समझता हूं कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राजस्थान...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, माननीय राजेन्द्र राठौड़, यह क्या हो रहा है?

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले साढ़े चार वर्षों में राजस्थान ने इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता को क्या दिया? राजस्थान देश में अपराध के

(श्री अविनाश)

मामले में नंबर वन। राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर वन। राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर वन। पिछले साढ़े चार सालों में लगभग 10 लाख के करीब अपराध हुए। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े। पेपर लीक में नंबर वन, 19 बार पेपर लीक होते हैं। 28 प्रतिशत बेरोजगारी दर के हिसाब से बेरोजगारी में भारत में दूसरे पायदान पर और वादा करने के बावजूद कर्ज माफी हो, चाहे बिजली कटौती के मामले में और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करके राजस्थान में जनता के साथ जो धोखा किया, मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने साढ़े चार सालों में यह जो अन्याय किया है, यह आने वाले 4-5 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी।

मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जिस संगठित अपराध की बात करते हैं, भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जघीना की दिनदहाड़े हत्या हो जाये, जोधपुर के यूनिवर्सिटी कैम्पस में नाबालिग के साथ गैंग रेप हो जाये, पेपर लीक का आरोपी सुरेश ढाका 6 मामलों में वांछित हो और वह अभी तक पकड़ में नहीं आये। अभी हाल ही गोपाल केसावत राज्य घुमंतू बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष, जो कांग्रेस का सदस्य है, 18 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा जाये और जब एसीबी मुकदमा दर्ज करती है तो उसमें यह आता है कि आर.पी.एस.सी. के दो मैम्बरों को दलाली की रिश्वत देने जानी थी। अब आप समझिए कि राजस्थान सरकार किस प्रकार से काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, कल की एक घटना, लगभग 7-8 हजार विद्यार्थी जो पंचायत सहायक थे, कल शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके उनको हटाया। इसमें कई लोग घायल हुए। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार के नाक पर कलंक है।

माननीय सभापति महोदय, आजकल गम्भीर अपराध, चाहे 302 का मुकदमा हो, चाहे 376 डी हो, चाहे पोक्सो हो, ऐसे अनगिनत मामलों में केस आफिसर स्कीम में नहीं लिया जाना, कहीं न कहीं सरकार की शिथिलता को दर्शाता है। आजकल क्षेत्र में संगठित अपराध के मामले में, चाहे वह कोबरा गैंग हो, चाहे बिच्छू गैंग हो, चाहे कच्छा गैंग हो, यह गैंग एरिये में सक्रिय हैं। दिन हो, चाहे रात हो, मां-बहन-बेटी परिवार के साथ निकलते हैं तो उनका घर पर सुरक्षित लौटना भी मुश्किल होता है। क्या कारण है कि ऐसी गैंग पर कोई कार्यवाही नहीं होती है?

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी माननीय डीजी साहब ने थोड़े दिन पहले राजस्थान में एक आर्डर किया कि दिन में 12 बजे से लेकर 1.30 बजे के बीच में पुलिस थानों के स्वागत कक्ष में अनिवार्य रूप से जन सुनवाई हो। मैं चैलेंज करता हूं कि राजस्थान के किसी पुलिस थाने में, किसी डीवाई.एस.पी. सर्किल में कोई अधिकारी, चाहे वह एस.एच.ओ. हो, चाहे डीवाई.एस.पी. हो, चाहे एस पी हो, 12 बजे से लेकर 1.30 बजे के बीच में कितनी जन सुनवाई करता होगा, मेरा दावा है कि एक बार इसकी सत्यता को जांच लें। अगर डीजी साहब के आर्डर को भी नीचे के अधिकारी नहीं मानेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सरकार का पुलिस पर कितना कंट्रोल है, यह भी सोचने वाली बात है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं। मैं समझता हूं कि उनमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है।

एक परिवार, जब बेटी 18 साल की हो जाती है और 18 साल के बाद अपनी मर्जी से किसी के बहकावे में आकर लड़के के साथ में भाग जाती है और अपने घर से मां-बाप के पैसे, गहने एवं आभूषण लेकर चली जाती है, पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन कानून की शिथिलता के कारण न पुलिस वह पैसे बरामद करती है, न गहने बरामद करती है और सांठ-गांठ करके, मिलीभगत करके वह जो परिवादी है, उसके मां-बाप हैं, वे खून के आंसू रोने को मजबूर होते हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर भी रायपुर पुलिस थाने में ऐसा एक मामला है, जहां ऐसा का ऐसा वाकया हुआ, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उस लड़की के जो माता-पिता हैं, वे आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।

आज संगठित अपराध के अन्दर छोटे-छोटे चोर मिलकर मोटर साइकिल चोरी का गिरोह बना लेते हैं। बाई-पास पर राह चलते ट्रकों से तिरपाल को फाड़कर सामान चुरा लेते हैं और पुलिस इस तरह से भटकाती है कि मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, मेरा नहीं है। लगातार, दो-चार दिन बाद में यह पुलिस मुकदमे के लिए भटकाती है। आखिर में पैसे देने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज होती है, लेकिन कई महीनों के बाद न माल बरामद होता है, न मुकदमे में कोई कार्यवाही होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस के वाहन कितने नाकारा साबित होते हैं। आजकल चाहे वह

(श्री अविनाश)

माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे वह तस्कर हो, चाहे और भी कोई मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हों, फोर्च्यूनर या बड़े अत्याधुनिक वाहन लेकर चलते हैं और पुलिस के खटारा वाहन उनका पीछा नहीं कर पाते। वे किसी दुर्गम रास्तों से चले जाते हैं और अपनी तस्करी को अंजाम देते हैं। इसलिए पुलिस के वाहनों को भी अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो पुलिसकर्मी शारीरिक रूप से कमजोर हैं, दुर्बल हैं, जो फिट नहीं हैं, उनको फील्ड पोस्टिंग कम से कम नहीं दी जाये, उनको नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जाये, ताकि वे अच्छी तरीके से अपनी जॉब कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से महिला अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पिछले तीन-चार साल का आंकड़ा अगर हम लोग देखें तो लगातार साल-दर-साल इस आंकड़े में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कमजोरी इस बात की रहती है कि जो अपराधी होते हैं, उसके अन्दर कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, अपराध की सज़ा के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए भी अपराधी लगातार इस मामले में लगातार लिप्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसे रोकने के लिए डीवाईएस पी को सर्कल में, एस.एच.ओ. को थाने में और एस.पी. को जिले के अन्दर कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए, ताकि अपराधों की सज़ा के बारे में उनको जानकारी दे सकें और विशेष रूप से चाहे वह कालेज हो, चाहे स्कूल हो या अन्य संस्थाएं हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर इस प्रकार की दो-तीन महीने के बाद कार्यशाला आयोजित हो, ताकि महिला अपराध के बारे में भी अंकुश लगाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सर्कल में पुलिस थानों से बहुत अत्यधिक दूरी पर पुलिस चौकियां भी हैं। सरकार ने नयी पुलिस चौकियां भी खोली हैं लेकिन दुर्गम रास्तों पर होने के कारण, उनकी पुलिस थानों से अधिक दूरी होने के कारण भी उनकी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, उनको व्यवस्थित करने की भी मैं सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया, सरकार ने कहा कि अनिवार्य रूप से एफ आई आर दर्ज करें, लेकिन इस बात की कहां सत्यता है? अनिवार्य रूप से कैसे दर्ज हो जाये? प्रतिदिन हजारों लोग इस

(श्री अविनाश)

उम्मीद के साथ में पुलिस थानों में जाते हैं कि जो अपराध हुआ है, उस अपराध के बारे में पुलिस संज्ञान लेगी, मुकदमा दर्ज करेगी, लेकिन आज इतनी एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद में भी इसके बराबर भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो पाती है। अगर और मुकदमे दर्ज होते तो मैं समझता हूं कि राजस्थान भारत के अन्दर नम्बर वन पर आ जाता, एफ.आई.आर. के मामले में।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जैतारण में सदर बाजार में एक बड़े व्यापारी श्री शांति लाल जी सोनी की दुकान में चोरी होती है, सीसीटीवी फुटेज में अपराधी का फोटो आ जाता है। पुलिस का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी, आज चोरों का सुराग लगने के बाद भी आभूषणों का पता नहीं लगा। ऐसा का ऐसा ही, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। एक डम्पर चोरी होता है, चोर पकड़ा जाता है, मेवात के अन्दर। वह स्वीकार कर लेता है, लेकिन पुलिस की नाकामी के कारण आज भी वह डम्पर मालिक को नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, संगठित अपराध को रोकने में सबसे बड़े बाधक हैं, मैं समझता हूं कि चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे हैड कांस्टेबल या ए.एस.आई. हो, वे जहां जिस जिले में भर्ती होते हैं, उसी जिले में उनको पोस्टिंग दी जाती है। वे अपराधियों के साथ सांठगांठ करके कहीं न कहीं संगठित अपराध को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। मैं समझता हूं कि बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, आर्म्स एक्ट हो, एनडीपीएस हो, डकैती हो, इस प्रकार से जो गैंग होती है, वह कांस्टेबल और अधिकारियों से मिलकर जो अपराध करते हैं, उसके कारण भी राजस्थान में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अक्सर यह देखा जाता है। एक ही थाने में अधिकांश एक ही कम्युनिटी के लोगों को पोस्टिंग दे दी जाती है। उसके कारण भी अपराध बढ़ जाते हैं, वे अपराधियों के साथ में मिल जाते हैं और अपराधियों के साथ मिलने के बाद किसी प्रकार का डर नहीं होने के कारण, एक पालिसी बननी चाहिए जैसे कि एसपी के लिए पालिसी होती है, इसी प्रकार से इन कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए यह पालिसी होनी चाहिए कि एक ही जिले के अन्दर दो साल तक अधिकतम नौकरी कर सके, उसके बाद में उसको कहीं और जगह पर पोस्टिंग मिलती है तो अपराधियों के साथ में, उसके साथ सांठगांठ होती है, उस पर अंकुश लग सके।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को फील्ड के अन्दर पोस्टिंग दी जाती है, उनके बारे में कम से कम फीडबैक तैयार करके रखें, ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर 17 सीसीए के नोटिस दिये जाते हैं, उनको फील्ड में पोस्टिंग नहीं देकर नॉन फील्ड में अगर हम लोग पोस्टिंग देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आजकल पुलिस का रवैया कैसा हो गया है? हम लोग संगठित अपराध रोकने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल छोटी-छोटी धाराओं में धारा 151 को आधार बनाकर रिश्वत की राशि मांगते हैं और लगातार कहते हैं कि अगर आपने पैसा दिया तो 151 में पाबन्द करके छोड़ दूंगा, नहीं तो संगीन मुकदमे में दर्ज कर दूंगा। ऐसे मामले भी हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार के रिकार्ड का अध्ययन भी करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कई एस.एच.ओ. ऐसे हैं, कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिनको 17 सीसीए का नोटिस मिलता है। एस.ओ.जी. में ट्रैप होते हैं, उनको पुन: फील्ड पोस्टिंग दे दी जाती है। इससे उनके ऊपर जो लगाम लगनी चाहिए, वह नहीं लग पाने के कारण मैं समझता हूं कि यह भी अपराध में बढ़ावा है।

माननीय सभापति महोदय, एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज महिला अपराध के बारे में और महिला अत्याचार को रोकने के बारे में हम सब बातें करते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है? चाहे वह पुलिस थाना हो, चाहे पुलिस चौकी हो, चाहे सर्कल हो, उसमें कम से कम हम एक लेडी आफिसर की नियुक्ति नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? अधिकांश थानों में न महिला अधिकारी है, न महिला पुलिस कांस्टेबल है, तो मैं समझता हूं कि उनको भी इस मामले में जोड़ना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि पुलिस को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। पुलिस पर सरकार के कंट्रोल की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, आज हिन्दू धार्मिक त्यौहार आते हैं, चाहे वह रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयन्ती हो, उनके ऊपर तो डीजे पर बैन लगा देती है, जुलूस पर रोक लगा देती है, लेकिन आज कोटा के अन्दर पीएफआई का अगर कोई सम्मेलन होगा तो उसको परमिशन दे दी जाती है। मैं समझता हूं कि मन्दिर के सम्बन्ध में अगर कोई छोटी-मोटी बात होती है तो तुरन्त प्रभाव से संज्ञान लेकर...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आज मैं आंकड़े तो बहुत लाया हूं। अख़बार की कटिंग हम लोग डेली देखते हैं अख़बार के अन्दर कहीं न कहीं जो चीजें आती हैं, उससे सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो आम जनता के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसका निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री रूपा राम (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से इतनी ही मांग करता हूं कि संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार एक पालिसी लाये, कानून बनाये, ताकि ये जो अपराध हो रहे हैं, इस पर लगाम लगायी जा सके।

मैं समझता हूं कि सरकार ने साढ़े चार साल में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि तीन महीने में ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए मैं इस विधेयक को तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, निश्चित तौर पर पूरा सदन, आफिसर गैलरी में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पूरे प्रदेश की जिस चिन्ता का डिस्कशन आज हम यहां कर रहे हैं, पिछले चार-पांच वर्षों में ऐसा लगता है कि न कहीं कानून बचा है, न कहीं कानून का पालन कराने वाले की व्यवस्था बची है। आये दिन, अपराध तो छोड़िये, आपराधिक घटनाएं छोड़िये, एनसीआरबी के आंकड़ें तो चीख-चीख कर कहते हैं कि राजस्थान संगठित अपराध में पहले पायदान पर, महिला अपराध में पहले पायदान पर, दुराचार में पहले पायदान पर। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में, परसों की भरतपुर की घटना, पुलिस अभिरक्षा में भी, अपराधी आते हैं और दनादन गोलियां चलाकर हत्याकांड कर जाते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। नागौर कोर्ट में संदीप सेठी की हत्या, जोधपुर पुलिस कस्टडी में सुरेश की हत्या, उदयपुर में पुलिस से सुरक्षा मांगने के बाद टेलर कन्हैयालाल का सिर कलम कर देने की लोहमर्षक घटना, सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या, उदयपुर बजरंग दल के कार्यकर्ता राजू की हत्या, ये तो बानगी भर हैं। ऐसी अनेकों वारदातें राजस्थान में देखी हैं। अवाम में इस बात के लिए बड़ी चिन्ता है कि कानून और पुलिस का इकबाल खतम होता जा रहा है।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति जी, इस बात की चिन्ता जो सदन की है और प्रदेश की है कि पुलिस पर जिस तरह से पोलिटिकल सिस्टम हावी हुआ है, ट्रांसफर-पोस्टिंग में जिस तरह से पुलिस की पोस्टिंग होती है, अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, वे भी कहीं न कहीं इस बात के लिए बहुत जिम्मेदार है। वर्तमान पुलिस की पुलिसिंग, अनुसंधान का तरीका तो ऐसा है, जैसे कि थाने पर जो ध्येय वाक्य लिखा होता है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस के अनुसंधान के तरीके से, इन्वेस्टीगेशन से और परिवादी के साथ पुलिस के बर्ताव से ऐसा कहीं नहीं लगता। इसके उलट व्यवस्था लगती है। पुलिस तो परिवादियों में ही डर पैदा करती है और अनुसंधान के तरीके इस तरह के जिससे न्याय अगर समय पर नहीं मिले और उसको न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़े, पीड़ित होकर वह भी कहीं अपराध की स्थिति में पहुंच जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो पुलिस अनुंसधान का तरीका है, इस पर बहुत मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और ये ही अपराधों को पैदा करने की स्थली बनता जा रहा है, जिन पर अपराध की रोकथाम का जिम्मा है।

माननीय सभापति जी, संगठित अपराध राजस्थान में, इस शांतिप्रिय प्रदेश में किसने कल्पना की होगी कि चार-पांच वर्षों में राजस्थान ऐसा हो जाएगा। शूटर, गैंगस्टर, मुखबिर अनेकों नाम, गुप्त सूचना देने वाला, हथियार आपूर्ति करने वाला, विदेशों से संचालित होना, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव, तकनीक का इतना इस्तेमाल, इस तरह की बातें संगठित अपराध, ये राजस्थान प्रदेश में बहुत चिंता का विषय है।

खाली संगठित अपराध ही नहीं, अभी कोचिंग माफिया का जिक्र हुआ, ये भी बहुत बड़ा संगठित अपराध है। नकल माफिया, नकल माफियाओं के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं किस-किस तरह के संगठित गिरोह के रूप में वे काम कर रहे हैं। हजारों लाखों नौजवानों के भविष्य पर कुठाराघात कर रहे हैं। ये भी राजस्थान प्रदेश जानता है। बजरी माफिया, बजरी माफिया का इतना दुस्साहस कि पुलिस के अधिकारी और खनन अधिकारियों पर दिन-दहाड़े गाड़ियां चढ़ा देना और उनकी हत्या कर देना। साइबर क्राइम, शराब माफिया, तेल माफिया, सरकार से पिछले पांच वर्षों से मांग कर रहे हैं कि सीमावर्ती जिलों में वैट की दरें दूसरे स्टेट के बराबर लागू कर दे, सरकार को सैकड़ों-करोड़ की रेवेन्यू होगी और ये जो तेल माफिया पनप रहा है, उस पर भी अंकुश लगेगा। यहां तक कि

(श्री बिहारीलाल)

गरमी के दिनों में टैंकर माफिया जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं और ये हकीकत है।

माननीय सभापति जी, इन सब संगठित अपराधों पर, ये जो संगठित अपराध करते हैं गवाहों को धमकाना, गवाहों का मर्डर करना, इस तरह का राजस्थान में वातावरण बना है, तो निश्चित तौर पर आप उसके लिए एक कानून लेकर आये हैं। इस कानून में आप जो यह प्रावधान लेकर आये हैं, इन प्रावधानों में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि आप इस बिल में जो प्रावधान लेकर आये हैं, उन प्रावधानों में सख्त से सख्त मृत्युदंड का प्रावधान है, उम्र कैद का प्रावधान है, लेकिन इन प्रावधानों में आपस में कंट्राडिक्शन भी है। ये प्रावधान पुरानी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो हमारा है, सीआरपीसी, 1872 और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1985 और सीआरपीसी, 1973, इनमें आपस में कंट्राडिक्शन है। उनमें भी आप संशोधन कीजिए, क्लॉज 14, 18 और 21 के 4 में, तब ये सुसंगत बिल होगा।

सभापति महोदय, इसी तरह का प्रावधान, जो आपने इसमें मकोका का उदाहरण दिया है कि ऐसा महाराष्ट्र में भी बिल बना, हरियाणा में भी 2023 में बना, गुजरात, कर्नाटक में भी बना, उसी की तर्ज पर राजस्थान की सरकार लेकर आयी है, तो मकोका में भी जमानत की शर्तों के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है क्लॉज 21(5) में इसलिए इसमें भी आप कीजिए। एक इंटरसेप्शन की प्रक्रिया टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन करती है। उसमें भी आप सुसंगत स्थिति लाइए क्लॉज 13 और 16 का। एक समीक्षा समिति की संरचना भी आपने इसमें की है क्लॉज 13 और 15 में। समीक्षा समिति में सदस्य के रूप में गृह विभाग का एक सचिव होगा। यह भी एक असंगत स्थिति है, इसको भी सुसंगत करके बिल में सुधार करके लाइए। क्लॉज 3 आर्थिक दंड में अपराध में जो रेशो है, उसमें भी विसंगति है, उसको भी दुरुस्त करने का काम कीजिए। अन्य सभी मामलों में सुनवाई में देरी करना उचित नहीं होगा, क्लॉज 10 आपका कहता है कि वह किसी दूसरे मामले में बरी हो गया और इसमें अपराधी है तो उसमें भी उसको जमानत न मिले, इस तरह के जो प्रावधान इसमें हैं और कंट्राडिक्शन आपस में पुराने कानूनों और इस बिल में है, उनमें भी संशोधन करने की जरूरत है।

माननीय सभापति जी, आपको व पुलिस प्रशासन को बहुत काम करना पड़ेगा। इस सरकार की अगर वास्तव में मंशा है तो प्रदेश में रायल्टी के

(श्री बिहारीलाल)

नाम पर जो लूट हो रही है, बीकानेर में डीजीटी, जिस कंपनी को रायल्टी का ठेका है, वह निश्चित दरें जो सरकार की हैं उससे दस-दस गुना ज्यादा वसूली करती है। सिंगल मोटर मालिक कोई विरोध करता है तो इतना संगठित गिरोह है उनका, इतनी बड़ी ताकत है कि सरकार को भी चेलेंज करते हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उनको है। छोटे ट्रक मालिकों को पीटते हैं। उनके खिलाफ असत्य मुकदमे करके उनकी आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। छोटे ट्रक मालिकों ने तीन-तीन दफा बीकानेर में हड़ताल की लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उनकी ताकत को दबा दिया गया। इतने ताकतवर ये रॉयल्टी के माफिया हो गये हैं।

माननीय सभापति जी, बजरी के माफिया, जिप्सम के माफिया इन सब पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जिस भावना से देर से आए दुरुस्त आए, ये सरकार जिस भावना से बिल लेकर आयी है और जो मैंने बताए कि कंट्राडिक्शन इस बिल में हैं, उन कंट्राडिक्शन को दूर करते हुए इस बिल को पास किया जाए।

हम सबकी मंशा है कि निश्चित तौर पर इन अपराधियों पर अंकुश लगे जो जेलों से अपराध चलाते हैं, सोशल मीडिया से अपराध चलाते हैं, विदेश में कहीं बैठे अपराध चलाते हैं। किसको धमकी देना, व्यापारियों में धमकी, आजकल इतनी ताकत बढ़ गयी है कि इनके नाम से व्यापारी पुलिस के पास जाना उचित नहीं समझता, उनकी अनवांटेड डिमांड को पूरी करना उचित समझता है। ऐसी जब पुलिस की स्थिति हो गयी है तो निश्चित तौर पर पुलिस के इकबाल को बुलंद करने की जरूरत है। पुलिस के अनुसंधान के तरीके को दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस का जो ध्येय वाक्य थानों पर लिखा हुआ है 'आमजन में विश्वास अपराधियों में भय' इसको लागू करने की जरूरत है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है, तब हम सही मामले में, सही मंशा से बिल को पास कर पाएंगे, तब तक मेरा आपसे आग्रह है, मंत्री जी से आग्रह है इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 पर बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। हमारा प्रदेश अपराधियों के लिए अंडरवर्ल्ड हो गया है।

(श्रीमती संतोष)

अपराधी तभी पनपते हैं जब उन्हें पुलिस के कमजोर होने का पता हो। सवाल यह उठता है कि पुलिस प्रशासन कमजोर है या राज्य शासन? राज्य शासन ने जानबूझ कर उसे कमजोर किया है। आज राजस्थान जिस प्रकार से अपराध के अंदर डूबा जा रहा है, हम सबसे छिपा नहीं है। जिस प्रकार से राज्य में गिरोह बनाकर अपराध किये जा रहे हैं और जिस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये विधेयक अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। जिन व्यक्तियों पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है वे ही अपराध करने और करवाने में अगर लिप्त हों और सरकार अगर मौन साध ले तो जो संगठित अपराध है, उन पर कैसे कंट्रोल हो पाएगा?

सभापति महोदय, इस कानून में प्रावधान नहीं किया गया है कि यदि अधिकारी, कर्मचारी भी उस संगठित अपराध में लिप्त हों तो सरकार उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान करेगी। आखिर गड़बड़ है कहां? आखिर इन चार सालों में इतनी गैंग और अपहरण और माफियाओं की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, ये किस प्रकार से आज यहां तक राजस्थान के अंदर पहुंची हैं? इन पर पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? जब तक कानून में आमजन में सुनवाई त्वरित गति से नहीं होगी तब तक अपराध को रोकना कानून लाने से सम्भव नहीं हो पाएगा। अगर इच्छा शक्ति होगी और वास्तव में इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आमजन को राहत देना चाहते हैं तो सख्ती से इन माफियाओं पर, इन संगठनों पर कार्यवाही करनी होगी।

माफिया जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और इतने ग्रुप इन माफियाओं के बन चुके हैं, चाहे बजरी माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, शराब माफिया हो, अवैध खनन माफिया हो, भू-माफिया हो, इतने माफिया हैं, पेपर-लीक माफिया, अगर गिनाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। माफियाओं की इतनी लंबी जो लिस्ट है, आज राजस्थान में कितने माफिया पनप रहे हैं? ये माफिया सरकारी संरक्षण में फलते-फूलते हैं और इन माफियाओं को रोकने में कानून अपने आप को अक्षम समझता है। कहीं न कहीं इनको संरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। थानों में शिकायत तक दर्ज नहीं होती है, एफ आई आर तक दर्ज नहीं होती है। छोटी-छोटी जो घटनाएं हैं, छोटे-छोटे जो अपराध हैं, अगर उन्हीं पर अंकुश लगा दिया जाए तो ये जो बड़े-बड़े माफिया पनप रहे हैं शायद इन पर कंट्रोल हो पाएगा।

(श्रीमती संतोष)

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूं अपने क्षेत्र की तो खाजूवाला के अंदर अभी जो हमारी एक बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई उसके अंदर पुलिसकर्मियों का हाथ होना, पूरे राजस्थान को आज शर्मसार कर रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन गए तो किस प्रकार से अपराध पर कंट्रोल हो पाएगा? इसी प्रकार से दो साल पहले रावला क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई थी। एक बहन +++ जो लापता हो गयी, उसकी एफ आई आर के लिए थाने के अंदर गए लेकिन दो दिन तक थाने में कोई कार्यवाही नहीं की। उनकी कोई सुनवाई नहीं की। दो दिन बाद उसकी लाश मिलती है और वह भी दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। शायद वह बहन बच जाती अगर समय पर कार्यवाही हो जाती। इसी प्रकार से रोजड़ी क्षेत्र के अंदर दो माह से एक बच्ची जो लापता है, जिसका अपहरण हो गया, मां-बाप उसको ढूंढने के लिए थाने में गुहार लगा रहे हैं लेकिन थाने के अंदर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये छोटी-छोटी घटनाएं हैं। ऐसी कितनी ही सैकड़ों, हजारों घटनाएं आज राजस्थान के अंदर घटित हो रही हैं, उन पर अगर समय पर ही कार्यवाही हो जाए तो इस प्रकार से जो बड़े-बड़े अपराध हैं, वह आगे नहीं पनपेंगे।

इसी के साथ हमारे घड़साना के अन्दर विजय जी झोरड़ थे, नशे के खिलाफ लड़ रहे थे लेकिन उन्हीं को पुलिस के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि आखिर में वह भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, तो अपराध पर लगाम कैसे कसेगी जब तक इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा?

एक तरफ थानों में आमजन या किसान एफ आई आर लेकर जाता है तो डरा धमकाकर उसी को बन्द कर दिया जाता है। ऐसी घटना मेरे रामसिंहपुर थाने में हाल ही में हुई है। सुखजीत नाम का किसान अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर थाने में गया और उसी को थाने के अन्दर बन्द कर दिया गया, तो कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा? बेलगाम भूमाफिया, धोखाधड़ी और कब्जे के मामले बढ़े हैं मगर जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं आया है, इस कारण पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सभापति महोदय, इन सारे अपराधों को रोकने के लिए यह सरकार क्या कर रही है, संगठित अपराध कैसे रुकेगा?

पुलिस थानों में पूरी व्यवस्था नहीं है। गैंगस्टर और अपराधी हैं, हम सब को पता है कि उनके पास इतने संसाधन हैं कि वह भागने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के पास थानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है

(श्रीमती संतोष)

कि वह उनको पकड़ पाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप यह बिल लेकर आए हो अच्छी बात है लेकिन इस बिल में कुछ सुधार करके थानों के अन्दर अच्छे संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं और पुलिस फोर्स मजबूत करने के लिए कोई प्रावधान लेकर आएं। एस्कॉर्ट के लिए अच्छी गाड़ियां, अच्छी व्यवस्था थानों में उपलब्ध करवाई जाए। अपराधी इसमें संलिप्त हों उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाए, तभी इन अपराधों को हम रोक पाएंगे। इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर। श्री रामलाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 लेकर आई है। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सरकार को यह बिल लेकर आने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बिल के अन्दर लिखा है, संगठित अपराध। सबसे पहले तो एक काम कर दो कि राजस्थान की पुलिस और अपराधियों, इन दोनों की सांठ-गांठ को ही खतम कर दो ताकि यह संगठित अपराध होंगे ही नहीं।

सभापति महोदय, मैं एक-एक शब्द कहूंगा तो प्रमाण के साथ कहूंगा। मैं कोई असत्य वाचन करने के लिए भी खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं पहली बार जब विधायक बना, मेरे चौमूं से जयपुर तक टैक्सियां बहुत चलती हैं, आपकी जब चौमूं में शादी हुई होगी, तब भी शायद आप उस समय टैक्सी के अन्दर आए होंगे।

श्री सभापति: पैदा ही नहीं हुए थे जब मेरी शादी हुई थी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जी, सर?

श्री सभापति: पैदा ही बाद में हुए हो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं 2003 में पहली बार विधायक बना। उस समय सिंगल रोड थी, मैंने एस एच ओ को कहा गाड़ियों की वजह से, लापरवाही की वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं, आप इन पर अंकुश लगाइये और बिना परमिट जो गाड़ियां चल रही हैं, उनको रोकने का काम कीजिए। दूसरे दिन यूनियन का अध्यक्ष मेरे पास आया और बोला कि, साहब, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने पूछा कि क्या बात हुई? तो उसने कहा कि आप एस एच ओ को कह रहे हो और एस एच ओ हमें बुलाकर कह रहा है कि एम एल ए का दवाब है। मैंने दूसरे दिन एस एच ओ को फोन

(श्री रामलाल शर्मा)

किया, तो उसने कहा कि नहीं, साहब, मैंने तो बहुत सख्त कार्यवाही की है, कल ही 20 गाड़ियों के चालान काटे हैं, 20 गाड़ियों को बन्द किया है, जबकि एक भी गाड़ी को बन्द नहीं किया और बिना बन्द किए 20 गाड़ियों के चालान काटकर कार्यवाही की इतिश्री कर ली।

सभापति महोदय, अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। सरकार के नियम हैं कि आठ बजे बाद शराब नहीं बिकेगी।

श्री सभापति: रामलाल जी, एक मिनट विराजें।

अनुपूरक कार्य सूची। विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, पहला उदाहरण, राजस्थान की विधान सभा में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरक कार्य सूची अचानक सर्कुलेट की जाए और एक साथ आठ-आठ बिल...

श्री सभापति: बीएसी से पहले जब भी, सरकार का अधिकार है ... (व्यवधान) बीएसी से पहले कर सकती है। इससे पहले भी बहुत दफा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आ गई। अगर इमरजेंसी है तो सरकार स्पष्ट करे। अभी क्यों सर्कुलेट किया, अभी क्यों इसको रख रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: विधेयक की कापी सबकी टेबल पर भिजवा दी गई। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इससे पहले भी हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): इस सदन के अन्दर सिर्फ बिल पारित करके सरकार भागना चाहती है। सरकार की मंशा बिल को इम्प्लीमेंट करना नहीं ...(व्यवधान) सरकार भागना चाहती है। यह संसदीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है जिसको कमजोर करने का काम यह करती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बीजेपी सरकार तो दिल्ली के अन्दर बिना बहस के बिल पारित कर रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): तो आप भी वही करोगे न? आप भी वही करोगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप भी वही करोगे?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अगर इतना ही गुमान है तो कर लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आनन-फानन में बिल लाकर सरकार भागना चाहती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान की विधान सभा में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कभी ऐसा हुआ है, ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर आप डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विराजो, विराजो। विराजो, घबराओ मत।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री परसादी लाल मीणा।

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री लालचन्द कटारिया।

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंह भाटी।

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे न कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे न कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

सूचना

अजमेर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से सदन को एक सूचना देना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं और उन्हीं अपराधों के ऊपर क्राइम को लेकर, आर.पी.एस.सी. के भ्रष्टाचार को लेकर युवा मोर्चा का अजमेर में प्रदर्शन था। सरकार ने हठधर्मिता अपनाते हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। चार बार लाठीचार्ज किया। सैकड़ों कार्यकर्ता उसके अन्दर घायल हुए हैं और सरकार ने एक बार भी इस तरीके के ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह सरकार सरकार नहीं बची है, यह सरकार लाठी-गोली की सरकार बनी है। अजमेर में एक बार नहीं, चार-चार बार लाठीचार्ज करते हैं, यह शर्मनाक बात है। लाठी की भाषा समझाना चाहती है हमें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

(श्री सभापति)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइये। अपने स्थान पर जाइये आप। विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार संविदाकर्मियों पर लाठीचार्ज कर रही है, विद्यार्थी परिषद् पर लाठीचार्ज कर रही है। सरकार अजमेर के अन्दर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): जिस प्रकार का रवैया इस सरकार का है, सरकार लाठी की भाषा इस्तेमाल करेगी? क्या प्रजातंत्र में विरोध प्रकट करना हमारा अधिकार नहीं है? आर.पी.एस.सी. में मैम्बर पकड़ा जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आर.पी.एस.सी. में बाबूलाल कटारा पकड़ा जाता है। आर.पी.एस.सी. के मैम्बरों के नाम आते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: आप अपने स्थान पर जाइये।

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, सरकार जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, आंदोलनकारियों को लाठियों से पीट रही है, सरकार के इस गैर-प्रजातांत्रिक रवैये के कारण मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग। ...(व्यवधान) विराजिये-विराजिये। प्लीज, क्या हो रहा है यह?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): साहब, रामलालजी का पूरा करवा लो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं जाकर वापस आया हूं।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग। हो गया उनका पूरा। माननीय जोगेश्वर गर्ग, आप बोलेंगे? बोलिये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, इस बिल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और काफी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। माननीय विधायकों ने अपने विचार रखे हैं। संगठित अपराध नियंत्रण को लेकर राजस्थान चिंतित है, यह तो अच्छी बात है लेकिन यह चिंता बहुत देर से हुई है। संगठित अपराध कई वर्षों से चल रहे हैं और विशेषकर पिछले चार वर्षों में तो यह बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): इससे पहले भी चल रहे थे।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हां, उससे पहले भी चल रहे थे। जब से दुनिया बनी तब से चल रहे हैं लेकिन पिछले चार साल में जो कीर्तिमान स्थापित किया है आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के संरक्षण में, उसका कोई उदाहरण नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर गुजरात नजदीक लगता है, गुजरात में शराबबंदी है और इसलिए राजस्थान से शराब जाना एक आम बात है और वह वर्षों से चल रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, नई बात यह है कि इस बार, हमेशा तो यही आरोप लगता था कि पुलिस की सांठ-गांठ से, जैसे-तैसे रिश्वत लेकर वे अलाउ कर देते हैं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार, राजस्थान के माथे पर एक कलंक तब लगा जब आपकी सरकार का एक जिम्मेदार अफसर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह उसको रोके, वह अधिकारी उसमें भागीदार पाया गया और आपने उसको सस्पेंड भी किया, आपने उसको सज़ा दी क्योंकि वह भागीदारी कर रहा था। पार्टनरशिप थी उसकी, कमाल है? अपराधियों के साथ शराब तस्करी में पार्टनरशिप में आपका एस.पी. लेवल का अफसर, आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि संगठित अपराध किस सीमा तक बढ़ गये हैं?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इसी प्रकार से जो आगे जाकर हुए। परीक्षा में नकल करना कोई नई बात नहीं है। जब से परीक्षा शुरू हुई होगी तब से ही नकलें भी शुरू हुई होंगी। नकल एक दूसरे को करवाना, सहयोग करना, टीचर्स से पूछकर, सर से पूछकर जैसे-तैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, वह ढूंढ कर निकालना ताकि थोड़ा-बहुत पता लग जाये, वह सब तो शुरू से चल रहा होगा लेकिन जिस तरह से संगठित रूप से पेपर लीक आपके इस कार्यकाल में हुए हैं, उनका कोई उदाहरण नहीं है।

आर.पी.एस.सी. जैसी प्रतिष्ठित संस्था, पूरे देश में जिसका नाम, पूरे देश में जिसका सम्मान, वह संस्था इन सारे काले धंधे में लिप्त पायी गयी और आर.पी.एस.सी. के मैम्बर तक पर आपको कार्यवाही करनी पड़ी। आपके बनाये हुए मैम्बर पर आपको ही कार्यवाही करनी पड़ी, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता।

देश भर में जितने शिक्षा बोर्ड बने हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें राजस्थान का बड़ा नाम था। प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड था। जब राजस्थान के बोर्ड की डिग्री लेकर, सर्टिफिकेट लेकर बच्चा बाहर की दूसरी स्टेट्स में जाता था, यू.पी. या गुजरात में जाता था तो उसको बहुत सम्मान के साथ देखा जाता था और उसको वहां पर इज्जत मिलती थी कि ये राजस्थान के बोर्ड से आया है। उस राजस्थान बोर्ड का चेयरमैन आपने ही बनाया था, उसको क्यों हटाना पड़ा? पेपर लीक के आरोप में। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है, और इस प्रकार से हर क्षेत्र में जितना वर्णन करूं उतना कम है।

माननीय सभापति महोदय, आप इतना समय मुझे देंगे नहीं, मुझे यह पता है और इसलिए इसकी बहुत गहराई में जाने का कोई मतलब नहीं है। इस स्तर तक बात पहुंच जाये कि आपके मंत्रियों तक आंच आ जाये, आपके मंत्री तक संदेह के घेरे में आ जायें और मुख्य मंत्री कार्यालय तक संदेह के घेरे में आ जाये, इससे अधिक शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती, यह सारा इसमें हुआ है और इसलिए जब आप यह बात कर रहे हैं कि हम संगठित अपराधों को रोकेंगे तो मुझे संदेह होता है। जिसको रोकने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, एक शेर याद आ रहा है, माननीय सभापति महोदय, कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जिसे न्याय करना था, वह खुद अन्यायपूर्ण कार्यों में,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

गतिविधियों में लिप्त हो गये, संलिप्त हो गये, शामिल हो गये, उसके हिस्सा बन गये तो इससे अधिक शर्मनाक बात और हो नहीं सकती और सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। अब अपराध का नियंत्रण करने के लिए यह कानून आप ला रहे हैं तो, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी की एक कहावत है, 'it is not the gun that fights', बंदूक नहीं लड़ती है। 'it is the man behinds the gun that fights' यह कानून आपने बना भी दिया तो लागू कौन करेगा? वे ही लोग जो शामिल हैं उसमें। वे ही लोग जो अपराध में शामिल हैं, वे ही इसको लागू करेंगे। आपके अफसर शामिल हैं। छोटे-छोटे कर्मचारी तो पहले होते ही थे, आपके अफसर शामिल हैं, उन अफसरों को संरक्षण देने वाले नेता शामिल हैं।

(समय: 16.00 बजे)

संगठित अपराध क्या होता है, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। मैं दुर्भाग्य से उस जिले से आ रहा हूं, इतिहास में कभी बहुत बड़ा नाम रहा होगा जालौर का, लेकिन पिछले पांच-सात सालों में जालौर की जो स्थिति बनी है, अपने आप को जालौर का कहते हुए शर्म आती है क्योंकि वहां संगठित अपराध पनप गये। पहले शराब और अफीम तक ही सीमित थे। अब उससे बहुत आगे बढ़ गये और इतने आगे बढ़ गये कि हमारा जिला पूरे देशभर में बदनाम हो गया। काम कोई और करता है, नाम जालौर का बदनाम होता है। इसलिए मुझसे ज्यादा इसको कोई जान नहीं सकता कि संगठित अपराध कैसे होता है और उस संगठित अपराध को संरक्षण हमारे राजनेता दे रहे हैं। आज नहीं तो कल सामने आयेंगे, पकड़े जायेंगे, बचेंगे नहीं। निश्चित रूप से पकड़े जायेंगे लेकिन आज की तारीख में उनको संरक्षण प्राप्त है इसलिए सब कुछ हो रहा है।

मैं इस सरकार से उम्मीद तो नहीं करता था कि ऐसा बिल आयेगा। आपकी मंशा भी नहीं थी। आप लाने वाले भी नहीं थे। राजभवन से पत्र नहीं आया होता तो यह बिल नहीं आता। राज्यपाल महोदय ने कहा कि राजस्थान में यह सब हो रहा है आप लोग क्या कर रहे हो, सरकार क्या कर रही है। ऐसा कुछ कानून बनाओ, तब आपको मजबूर होकर यह बिल लाना पड़ा है। आपकी मंशा बिलकुल नहीं थी। आपकी नीयत तो राजस्थान की सारी जनता को पता लग चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल को लाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक अधिकारियों, कर्मचारियों की नीयत साफ नहीं होगी और उन अधिकारियों,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कर्मचारियों को संरक्षण देने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, अधिकारियों के माध्यम से और डायरेक्ट भी अपराधियों के साथ भागीदारी करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी तब इस बिल को लाने का कोई मतलब नहीं है और इसको पास कराने का भी कोई मतलब नहीं है। हम इस पवित्र सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और राजस्थान की जनता को भुलावे में रख रहे हैं। राजस्थान की जनता कल से सोचेगी कि कानून पास हो गया है, अब कोई तरह का अपराध नहीं होगा लेकिन अपराध बढ़ेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, आजकल साइबर क्राइम भी एक बड़ा संगठित अपराध हो गया है। साइबर अपराध भी बढ़ गये हैं और साइबर अपराधों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस थानों में साइबर सेल भी आप बना रहे हैं। जिसको कम्प्यूटर ठीक से चालू करना नहीं आता है, उसकी पोस्टिंग वहां होती है। जिसको पनिश करना है उसको वहां डाल दिया जाता है और जो साइबर के एक्सपर्ट्स हैं, मेरी जानकारी में आपके कई अफसर एक्सपर्ट्स हैं, जो आईटी के लोगों से ज्यादा जानते हैं, वह लोग रात्रि में गश्त करते घूम रहे हैं या फिर थानों पर संतरी बन कर बन्दूक लेकर खड़े हैं। पहचान ही नहीं है आपको। किसका उपयोग कहां करना है, आपको पता ही नहीं है। साइबर क्राइम्स को पकड़ने की दिशा में हम बिलकुल सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिलकुल कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि जैसी हमारी जीपें दौड़ती हैं, जैसी राइफल चलती हैं, वैसे ही साइबर सेल में लगे हुए कर्मचारी जानते हैं इसलिए वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उस दृष्टि से भी हमको सोचने की जरूरत है। हम उन प्रतिभावान एक्सपर्ट कर्मचारियों/अधिकारियों की पहचान करें और उनको उस काम में लगने के लिए प्रेरित करें, उनको जिम्मेदारी दें और उनको अधिकार दें ताकि वे कुछ कार्यवाही कर सकें, तब तो हम साइबर क्राइम को भी रोक पायेंगे। साइबर क्राइम भी संगठित अपराध का एक बड़ा सेक्टर है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसका उपयोग करते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस कानून को पास कराने से पहले सरकार और सरकार के कर्ता-धर्ता, सारे कर्णधार अपनी नीयत साफ करें, अपना मन साफ करें। फिर मैं कह रहा हूं कि it is not the gun that fights, it is the man behind the gun that fights. वह मैन कितना मजबूत है और वह मैन कितना लड़ने के लिए तत्पर है। यह स्थिति हमको लाने की आवश्यकता थी। उसके बिना इस बिल का कोई मतलब नहीं है और वह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

स्थिति आ पायेगी, मुझे नहीं लगता। चार महीने बाद चुनाव होंगे। सरकार बदलेगी। ढंग के लोग सरकार में आयेंगे तो कुछ स्थिति बदलेगी। इस कुनबे के भरोसे हम कुछ कर पायेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये और अधिक तैयारी के साथ इसको लाया जाये और तब तक के लिए इसको स्थगित रखा जाये। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालू राम (अनुपस्थित), श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार जो यह विधेयक लेकर आयी है, अपने बचाव के लिए जितने बड़े महंगे वकील संगठित अपराध गिरोह के सरगना लाकर खड़ा करते हैं, उतना ही लचर कानून यह है। हमारे लॉ डिपार्टमेंट के साथ समस्या यह है कि जिस विभाग का कानून लाना होता है, उसका ड्राफ्ट खुद नहीं बनाते। जिस विभाग का विधेयक आना है, उसको कहेंगे कि आप इसका ड्राफ्ट बना कर भेजिए और उसके बाद उसमें कांट-छांट करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। इसमें आपको कहीं भी कानून की भाषा नहीं दिखेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पुलिस के द्वारा बनाया हुआ ड्राफ्ट है और उसको लॉ डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा होता यदि सरकार इस विधेयक को लाने से पहले राजस्थान की जनता को बताती कि किस शोध के आधार पर, किस तथ्यात्मक अन्वेषण के आधार पर आप यह विधेयक लाने के लिए प्रेरित हुए हैं। आप 2011 में भी राजपासा कानून लाये थे। क्या वह पर्याप्त नहीं था? यदि नहीं था तो आपने राजस्थान के अन्दर जोधपुर में पुलिस यूनिवर्सिटी बना रखी है, उसने अब तक क्या रिसर्च किया, सरकार को अब तक क्या रिपोर्ट दी? क्यों राजपासा के माध्यम से हम सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं? क्या इस सदन के अन्दर आपने यह बताने का कष्ट किया कि जिन राज्यों के अन्दर संगठित अपराध रोकने के कानून बनाये गये, मुम्बई में, कर्नाटक में, दिल्ली में, वहां उसके क्या परिणाम रहे, जनता को क्या भुगतना पड़ा?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपको याद होगा, मुम्बई के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को आप भूले नहीं होंगे। इस एक्ट

(श्री संयम लोढ़ा)

की आड़ में क्या कबाड़े किये उन्होंने? लोगों को धमकियां दीं। बयान लिखवा-लिखवा कर यह कहा कि लाओ इतने पैसे, नहीं तो यह तैयार है। पूरा भारत जानता है कि इस कानून की आड़ में उसने अरबों रुपये बटोर लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): खरबों।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खरबों हो सकते हैं। देवल साहब मुम्बई के व्यापारी हैं, इनको ज्यादा जानकारी है। खरबों भी हो सकते हैं।

सभापति महोदय, आप सिस्टम पर पुलिसगीरी क्यों थोपना चाह रहे हैं? क्या यह अपराध की सज़ा में इजाफा कर देने से कमी आती है? आज क्या परिस्थियां बनी हुई हैं? इस कानून के अन्दर फाइनेंस करने वाले की, संगठित गिरोह का सदस्य है, इसकी, संगठित गिरोह के किसी आदमी को शरण दे, इसकी कोई ठोस परिभाषा आपने इस विधेयक में दिखाई है, प्रकट की है? आप पूरी तरह से पुलिस अधिकारियों की मर्सी पर लोगों को छोड़ना चाह रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमने इस संगठित अपराध से निपटने के लिए एस ओ जी बनायी, आज इतने साल हो गये, एस ओ जी क्या काम कर रही है?

इंटर स्टेट लेवल का कोई एक चूहा भी लाकर पकड़ा है उन्होंने? उलटा इनसे ज्यादा तो हमारा पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहा है। उनसे बैटर तो सी.आई.डी. की क्राइम ब्रांच काम कर रही है। जालौर की यह अभी महिमा गा रहे थे हमारे प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक, जालौर की जेल तोड़कर भागा था कमल राणा। वह मध्य प्रदेश और तीन स्टेट में वांटेड था, उसके खिलाफ 43 मुकदमे थे। कौन पकड़कर लाया उसको? सी.आई.डी. की क्राइम ब्रांच उसको पकड़कर लायी। आपका यह एस ओ जी क्या काम कर रहा है? अभी इसकी एक उपलब्धि जानकारी में आयी। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टर को पकड़ा और वह प्राइवेट डिटेक्टर क्या कर रहा था? किसी लड़की की कॉल डिटेल निकाल रहा था। उस लड़की की कॉल डिटेल निकालने वाले को इस एस ओ जी ने पकड़ा और बाकी यह काम क्या कर रहे हैं? जमीनों की जांच कर रहे हैं और जमीनों के सौदे करवा रहे हैं, प्लाट दिलवा रहे हैं और वहां एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया। इसलिये मेहरबानी करके आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, धारीवाल साहब गृह मंत्रीजी की हैसियत से जवाब देते हैं, यह हमारी बात सुनने के बाद निकल जाते हैं और इस सदन से निकलने के बाद गृह

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्रालय से इनका कोई वास्ता नहीं रहता। यह जितनी बात हमने बोली वह यहीं रह जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि लारेंस की इन्फोर्मेशन NIA ने लीक की या कोर्ट के जरिये मालूम पड़ा होगा। जेल में रहते हुए थ्रेट किया कि सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो मैं उसकी हत्या करूंगा और उसी NIA ने यह जाहिर किया कि बहुत-से ऐसे प्रभावशाली लोग सुरक्षा प्राप्त करने के लिये मुझे पैसे देते हैं कि तुम मुझे थ्रेट करो ताकि हमें सुरक्षा मिल सके और पैसे देकर उससे थ्रेट प्राप्त करते हैं। इस लेवल की स्थिति, माननीय सभापति महोदय, बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करूंगा कि मकोका का क्या दुरुपयोग नहीं हुआ? क्या-क्या बयान लिखवाकर लोगों को प्रताड़ित किया गया और ED क्या करती है? किसी को पकड़ लेती है और उसके बाद उससे बयान करवा देती है। आइये, चलिये। अन्दर चलिये, बाद में निर्दोष है, छूटता होगा जब छूटेगा, ले-जाकर बंद करो। राजस्थान का क्या हम ऐसा परिदृश्य बनाना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आपके खुद के पड़ोस के जिले और सदन में हमारे विपक्ष के माननीय नेता जिस जिले से आते हैं, जिस गाड़ी के पीछे भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है, आप समझ लीजिये वह लारेंस गैंग की गाड़ी है। जितने उस गैंग से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने पीछे भगत सिंह की फोटो लगा रखी है। आई.पी.सी. तक तो ठीक था, 216-217 में पहले उद्घोषणा जारी कर देते थे तो एक आधार बन जाता था। अभी कुछ काम राजस्थान पुलिस ने ठीक किया है। उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, आई.पी.सी. ही पर्याप्त है। गैंगस्टर की पोस्ट को जिस आदमी ने लाइक किया, उन्होंने लाकर उसको 151 में बिठा दिया। यह उस गिरोह के विस्तार को रोकने की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। उन लड़कों को भी भटकने से रोकने की दिशा में अच्छा प्रयास है, लेकिन इस कानून के दुरुपयोग की, माननीय सभापति महोदय, पूरी संभावना है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करूंगा, एक संगठित गिरोह द्वारा राजस्थान के अन्दर बजरी का यह जो काम हो रहा है,

(श्री संयम लोढ़ा)

कौन कर रहा है? मंत्रीजी, लाइसेंस आपने दिये हैं और जगह-जगह इनकी चौकियां लग गयीं। जिनको लाइसेंस दिये उनके आदमी बिना नंबरों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनकी कोई आई.डी. नहीं है, कोई जनाधार उनके पास नहीं है और जाकर हमले कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। अब आप बताइये, इनको यह चौकियां लगाने की छूट किसने दी है? वह जिसको पकड़कर पेश करते हैं, जिस जगह पकड़ते हैं, सबसे पहले पुलिस पहुंचती है। उनके कहने से पुलिस पहुंचती है। यह कौन करवा रहा है? आपने पिछले चार सालों में पचासों बार अख़बार में पढ़ लिया होगा, भास्कर में और पत्रिका में पढ़ लिया होगा। बड़े-बड़े ट्रोले बजरी के भरे हुए जयपुर में घुस रहे हैं। रात को आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे से आ रहे हैं। टोंक से आ रहे हैं, बीसलपुर से आ रहे हैं। यह कौन करवा रहा है? यह कोई आर्गनाइज्ड गैंग है या सबकी मिलीभगत से यह खेल चल रहा है, लोगों को लूटने का खेल चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, लाइसेंसी को आपने अधिकार दिया। 400-450 रुपये टन बजरी बेचने का अधिकार दिया। क्या राजस्थान में बजरी की फसल खराब हो गयी या राजस्थान में बजरी की फसल पर पाला पड़ गया? महाराष्ट्र के अन्दर 55 रुपये टन पर मिल रही है, गुजरात में 110 रुपये टन पर मिल रही है। आप किस बात से 400 रुपये टन वसूल करवाकर राजस्थान की गरीब जनता को लुटवाने का काम कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है। जितने भी सरकारी कांट्रेक्टर हैं, वह भाग गये। वह BSR जिसके आधार पर उन्होंने ठेके भरे थे, एकाएक बजरी का दाम तीन गुना हो गया, मकानों की कोस्ट बढ़ गयी। क्या यह लोक कल्याणकारी सरकार है? इस तरह के कानून लाकर अधिकारियों की बातों में आकर आप फिर शासन में आने का सोचते हैं? मेहरबानी करके जनता की पीड़ा और वेदना को समझिये और उसके आधार पर निर्णय करिये तब आपको जो आशीर्वाद दिया, वह आशीर्वाद जनता का फिर से मिलेगा। अशोक जी गहलोत कठोर परिश्रम करके मंहगाई राहत कैम्प, शानदार बजट से फिजां बनाते हैं और इस तरह से चोट्टाइयों को प्रोत्साहन देकर सारा पानी फेर देने का काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आदर्श सोसायटी, आपको याद होगा। सबसे बड़ा स्कैम हुआ। आर्गनाइज स्कैम था, क्या हुआ? आपने वह डायरी पकड़ी थी हरियाणा के गुड़गांव से, जिसमें लिखा हुआ था कि

(श्री संयम लोढ़ा)

किस राजनीतिक दल को आदर्श सोसायटी के घोटाले का पैसा गया है। भारत सरकार के किस मंत्री का उसमें नाम लिखा हुआ था और वह पैसा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खाते में गया 700 करोड़ रुपये, वह जो कपड़ों के भेंट करने वाले के खाते में गया 1,500 करोड़ रुपये और भी जिनके खातों में पैसे गये, उनके खातों में पैसे पहुंचने के बाद पैसे आगे कहां गये? आज साढ़े चार साल बाद भी आप आर्गनाइज्ड गैंग को रोकने का कानून बनाकर क्या दिखाना चाहते हो? अगर आपमें सच्चाई है कि राजस्थान के 20 लाख लुटे हुए लोगों को अपना पैसा वापस लौटाना चाहते हो तो आप सच्चाई को सामने लाइये कि वह पैसा किन लोगों के खातों में गया है। आपने साढ़े चार साल के बाद भी नहीं पकड़ा है जिन लोगों के खातों के अन्दर वह पैसा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, अब एक और नया देश के अन्दर संगठित गिरोह कायम हुआ है जिससे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो गया है, वह है विधायकों की खरीद-फरोख्त का गिरोह। विधायकों की खरीद -फरोख्त का गिरोह, यह आर्गनाइज्ड क्राइम नहीं है? आप गोवा से चले विधायकों को खरीदते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, नोर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, तो इस आर्गनाइज्ड क्राइम को कौन रोकेगा, जो 50-50 करोड़ के अन्दर विधायकों की बोली लगा रहे हैं, प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। जनता चुनकर भेजती है दूसरे लोगों को और यह उन विधायकों को खरीदकर जनता के जनादेश के ऊपर पानी फेर देने का काम करते हैं। क्या आपका यह एक्ट उस संगठित अपराध को रोकने में सक्षम है और नहीं है तो पूरे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा, प्रजातंत्र को बचाने का खतरा मौजूद है, वह यह है। अगर उसके बिना यह प्रावधान लेकर आये हैं तो इस कानून का कोई महत्व नहीं है। आपको यह कानून वापस लेना चाहिये और इस सदन में यह कहना चाहिये कि हम फिर से सदन बुलायेंगे और इन तमाम प्रावधानों के साथ हम कानून लेकर आये, जिससे प्रजातंत्र के सामने जो खतरा उत्पन्न हुआ है, उसको रोका जा सके, प्रजातंत्र की रक्षा की जा सके, प्रजातंत्र को बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं शराब के बारे में निवेदन करूंगा। अभी कुछ पूर्व सदस्यों ने कहा है बिना पुलिस की सहमति से शराब इधर-उधर हो सकती है और जो आज आपके पास कानून है, क्या उस नेटवर्क को तोड़ने में वह कानून सक्षम नहीं है? माननीय सभापति महोदय, आपका जो अभी का सिस्टम है, आपकी जो अभी कानूनी व्यवस्था चलन में है, उसको प्रभावी ढंग

(श्री संयम लोढ़ा)

से लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिये। आप यह सज़ा बढ़ा-बढ़ाकर अपराधों को नहीं रोक पायेंगे। आपके अन्दर इच्छा शक्ति नहीं है। आपकी यदि नीयत नहीं है, आपकी यदि नीति नहीं है तो कितने ही कानून आप लाकर खड़े कर दें, इस पर कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अच्छी क्वालिटी का कोयला उठाओ जगह से, खासतौर से बाड़मेर से उठाते हैं। बाद में क्या होता है? पूरे राजस्थान के अंदर एक चेन बनी हुई है। उसके अंदर नकली चीजें मिक्स करते हैं और उसके बाद में उसको बेचते हैं। क्या आपके मौजूदा कानून उसको रोकने के लिए सक्षम नहीं हैं? इस कानून को बनाने से उसको रोकने में क्या इजाफा हो जाएगा?

ड्रग्स, राजस्थान का कौनसा ऐसा गांव है जिसमें ड्रग्स नहीं पहुंच रही है, अफीम नहीं पहुंच रही है, डोडे नहीं पहुंच रहे हैं? किस पुलिस के अधिकारी को पता नहीं है कि कौन सप्लायर है? किस पुलिस के अधिकारी को पता नहीं है कि किस-किस गांव के अंदर कौन यह चीजें पहुंचाता है? सब आपको पता है। मेहरबानी करके इस तरह की चीजों से खुद की आत्म तुष्टि का प्रयास मत करिये। यह जो अधिकारी हैं, इनसे मजबूती से काम लीजिए, काम के लिए उनको बाध्य करिये। सिर्फ उनके हाथ में असीमित अधिकार देने से कुछ नहीं होगा।

आपने इसमें आथोराइज्ड और अप्रूवल एस.पी. के हाथ में दे दिया। वह किसी की भी बात सुन सकता है। किसी का भी फोन रिकोर्डिंग पर ले सकता है, सर्विलांस पर ले सकता है। क्या यह टेलीग्राफ एक्ट का वायलेशन नहीं है? क्या यह लोगों के संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन नहीं है? उसको कौन चैक करेगा?

माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से यह कोई अच्छा प्रयास नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार एक से एक बढ़िया कानून इस सदन के अंदर लायी है। अभी भी पेश किये हैं। आपका पूरे भारत वर्ष में नाम है। आपने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। आप अभी न्यूनतम आय की गारंटी का कानून ला रहे हैं। पूरे भारत में आपका पहला स्टेट है। यह क्या लेकर आये हैं? इससे राजस्थान की जनता की तकलीफ बढ़ेगी, राजस्थान की जनता पीड़ित होगी। निर्दोष लोगों को फंसाया जायेगा। पुलिस की चौथ वसूली और

(श्री संयम लोढ़ा)

बढ़ेगी। पहले ही लोग पुलिस के उत्पीड़न के शिकार हैं। पहले ही पुलिस मर्जी आये जिसको उठाकर ले जाती है, मर्जी आये जिसको बंद कर देती है। यह मालूम पड़ने के बाद भी कि उस आदमी ने अपराध नहीं किया है, इनको कोई ग्लानि नहीं होती। किसी तरह का आत्मबोध नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि साइबर क्राइम में क्या परफॉर्मेंस है, बताइये आप? आपने थाने तो खोल दिये पूरे राजस्थान के अंदर, आपने अलग-अलग स्तर के अधिकारी भी बैठा दिये। आप बताइये कि साइबर क्राइम के अंदर आपकी क्या रिकवरी है? 25 हजार करोड़ रुपये का चूना लगा है साइबर क्राइम में राजस्थान की जनता को। 25 हजार करोड़ का। बताइये बरामदगी क्या है? आपने क्या रिजॉल्व किया है?

माननीय सभापति महोदय, भू-माफिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पुलिस उसका सबसे बड़ा स्तम्भ है। सबसे बड़ी शरणस्थली है। हाईएस्ट लेवल पर आप बात पहुंचा दें उसके बाद भी न्याय मिल जाये, यह जरूरी नहीं है। इन परिस्थितियों में आयल चोरी, नकल, बोलिये आप, यह क्या है? 2005 से इस प्रदेश में चल रहा है। मैं कोई दलगत राजनीति के आधार पर नहीं कहता। 14 पर्चे इस सरकार में लीक हुए तो 12 पर्चे इनकी सरकार में लीक हुए। आपने तो फिर भी कार्यवाही की, लोगों को पकड़ा। यह तो कुछ ही नहीं कर पाये। इन परिस्थितियों के मुकाबले के लिए इसको लाये हो? इससे मुकाबला हो जायेगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि योग्य और अच्छे अधिकारियों के माध्यम से जो कानून आलरेडी चलन में हैं, उनको प्रभावी ढंग से आप लागू करिये। सबसे जरूरी चीज जो करने की है वह यह है कि पुलिस के जो आपके अधिकारी हैं, इनकी काउंसलिंग करिये। उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको हीलिंग की जरूरत है, उस दुनिया से बाहर लाने की जरूरत है। कुछ नहीं हो तो विदेशों में भी आप प्रशिक्षण लेने के लिए भेजिये। तब जाकर के उनमें कमिटमेंट पैदा होगा।

आज कोई क्राइम ऐसा नहीं है जो बिना थानाधिकारी की स्वीकृति के चलता हो। एस.पी. जिले में जोइन करता है तो उसको सब पता होता है। कौनसा चलेगा और कौनसा नहीं चलेगा, यह तय करने के माध्यम हैं। मेहरबानी करके इस राजस्थान की जनता पर कृपा करते हुए यह विधेयक

(श्री संयम लोढ़ा)

आप वापस लीजिये। कुछ दिन के बाद वापस लाइये। जो बातें मैंने आपसे निवेदन की हैं, उनको सम्मिलित करिये। असीमित अधिकार पुलिस को मत दीजिए। यह घूम-फिरकर सब अपने माथे ही फूटने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 राजस्थान की सरकार लेकर आयी है। इसके उद्देश्य और कारणों में कथन है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 में अधिनियमित किया गया था। उसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा भी अपनाया गया। राजस्थान भी इसको अपना रहा है।

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में एक बाजार है, उस बाजार का नाम है नाइजीरियन मार्केट। नाइजीरियन मार्केट से पिट्ठू बैग कंधे पर लेकर लोग निकलते हैं। पूरे देश में चिट्टे का व्यापार करते हैं। चिट्टा वह नशा है जो बच्चा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस्तेमाल कर ले, नपुंसक हो जाता है। हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं। चिट्टा हमारी राजस्थान रोडवेज और वोल्वो में चढ़कर आता है। जिस दिल्ली में यह कानून आया उस दिल्ली की आंख के नीचे, नाक के नीचे यह व्यापार फल-फूल रहा है।

सभापति महोदय, यह सिंथेटिक ड्रग है। इसका गंगानगर और हनुमानगढ़ में गली-गली में व्यापार हो गया। यह 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, चौथे दिन जमानत हो जाती है। मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया है कि हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। यह पंजाब और हरियाणा लील गया है।

सभापति महोदय, समाज में ऐसी त्रुटि आयी है, ऐसा विघटन आया है कि हर दसवें दहेज के मुकदमे में लड़के और लड़की के बीच विवाद का विषय चिट्टा है। हमारी पुलिस, हमारा कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। ऊपर से डीएसटी बनी है। एस एच ओ के सिर पर एक डीएसटी बैठी है, जो एस.पी. अपनी मर्जी से अफसर बैठाता है, उस डीएसटी के लोगों को पता है कि चिट्टा कहां मिलेगा।

सभापति महोदय, मेरी राजस्थान के इस पवित्र सदन से इल्तिजा है

(श्री बलवान पूनियां)

कि वह चिट्टा हम नहीं रोक पाये तो हम चाहे कितने ही कालेज खोल दें, कितने ही स्कूल खोल दें, कितने ही अच्छे-अच्छे काम कर दें, लेकिन हमारे युवा बर्बाद हो जायेंगे। एक-एक, दो-दो बच्चे हैं लोगों के। लड़कियों में चलन बढ़ गया। कालेजों के पास, स्कूलों के पास, मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास, मंदिरों के पास, बस स्टैंड के पास लोग इस नशे से जूझ रहे हैं। इससे बचाने का काम करें। यह संगठित अपराध नहीं है तो क्या है? यह कानून अगर उसको रोक पायेगा तो मैं समझता हूं कि कानून की मंशा पूरी होगी।

सभापति महोदय, गुजरात में हमारी सड़कों से शराब जाती है। जो सड़कें हमने बनाईं उससे राजस्थान और हरियाणा से शराब जाती है। कहते हैं कि गुजरात में शराब बंदी है। नहीं, सभापति महोदय, बहुत बड़ा कारोबार है हरियाणा का वाया राजस्थान। रास्ते बिकते हैं। यह बात कड़वी है लेकिन रास्ते बिकते हैं कि इस रास्ते से जायेगी तो एक साल का यह ट्रक वाला इतना देगा। यह संगठित अपराध नहीं है तो क्या है?

सभापति महोदय, नशा बिक रहा है। 35 सौ करोड़ का ड्रग्स बंदरगाह पर पकड़ा गया। मुझे आंकड़ा सही से याद नहीं है कि 35 सौ करोड़ का था या 35 हजार करोड़ का था। पूरे हिन्दुस्तान में कोकीन हो गया। इस कानून से हम यही तो रोकना चाहते हैं। क्या हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं? इसमें अकेली पुलिस शामिल नहीं है, हम भी शामिल हैं। हम एसएचओ की सिफारिश करते हैं न। एसपी भी तो हम ही लगवाते हैं। सर, एसपी बंधी लेते हैं। एस एच ओ बंधी लेते हैं।

मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम यह तो कह दिया कि कोई दान करता है तो उसका नाम मत लिखना। नहीं तो दानदाता आकर के, टांग पर टांग रखकर के एसएचओ को कहेगा कि यह ए.सी. मैंने दिया है, यह तेरा कमरा मैंने बनाया है, यह तेरा सोफा मैंने लगाया है, मेरा यह काम कर। थोड़े दिन पहले एक कानून बना दिया, एक सूचना निकाल दी कि कोई भी दानदाता थाने में या किसी भी जगह अपना नाम नहीं लिख पायेगा, नेम प्लेट नहीं लगा पायेगा। नहीं तो थाने में प्लेट किसकी? ए.सी. किसकी लगी हुई है? शराब माफियाओं की।

सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति महोदया आई थीं। उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि जनता हमसे कितना प्यार करती है, वह हमें इस पवित्र सदन में भेजती है। हम सब लोग हमारे इस प्रदेश की बहुत सारी

(श्री बलवान पूनियां)

चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। यह जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। इस कानून के जरिए और इससे पहले जो कानून आये हैं, हो ही नहीं सकता कि थाने का थानेदार चाहे और वहां से कोई बदमाश गुजर जाये। हो ही नहीं सकता, यह कहीं नहीं हो सकता, न इस राज में न उस राज में।

हमने देखा है, माननीय सभापति महोदय, मैं विरोध की राजनीति में 20 साल रहा हूं। एक दिन धरना प्रदर्शन करते हैं तो 50 पुलिस वाले बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। शराब माफिया की तो कोई औकात नहीं, वो पढ़ा-लिखा भी नहीं है। वो समाज का तिरस्कृत आदमी जो थाने में पैर पर पैर रखकर बैठता है। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य, राजेन्द्र राठौड़ बोल रहे थे कि एक आदमी ऐसे उतरता है जैसे सलमान खान उतरता है और वो फ्लाइंग किस करता है लोगों के सामने। ऐसे अपराधियों को शह किसने दी? हम लोगों ने। ऐसे-ऐसे कांड हुए हैं राजस्थान में जिसके लिए कभी ये, कभी ये और कभी हम, सब लोग जिम्मेदार रहे। माननीय सभापति महोदय, ये सिर्फ प्रिंसिपल बातें नहीं हैं, इनको हमको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो हम जद में आएंगे, बस्तियां जब जलेंगी तो घर आपका और हमारा भी जद में आएगा। नशे में जिस तरीके से डूबा जा रहा है ऐसा राजस्थान, इस राजस्थान में ऐसे नशे थे नहीं, गंगानगर का जिक्र आता था थोड़ा-बहुत, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनूं, सीकर यहां तक सिंथेटिक ड्रग पहुंच गया, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, कोटा बर्बाद हो गया, उसको स्मार्ट सिटी धारीवालजी ने बना दिया होगा लेकिन नशे में बर्बाद हो गया। आज कोई चाहता नहीं कि कोटा में हमारे बच्चे-बच्चियां जाएं क्योंकि कोटा में सिंथेटिक नशा चल गया, ड्रग चल गया। माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह बात कहता हूं कि तीन दिन पहले हमारा डेलिगेशन गया था करौली में, बच्ची से प्रेम प्रसंग था, बहला फुसला कर, दलित की बच्ची को उस बच्चे ने बुलाया, ले गया, पता नहीं किस बात पर बिगड़ी, पुलिस खुलासा करेगी, मर्डर कर दिया और मुंह पर तेजाब डाल दिया। केस आफिसर स्कीम में लिया जाए, यह सरकार से मेरी इल्तिजा है। सरकार ने मुआवजा दिया कि नहीं दिया, राज्य सभा के सांसद महोदय मुआवजे की कहकर आये थे, अभी तक तो दुग्गी मिली नहीं। मैं तो यह चाहता हूं कि मुआवजे की बजाय, मुआवजा दे तो स्टेट गवर्नमेंट दे, मुआवजे की बजाय न्याय दो। जिन गांवों में जो डोमिनेंट कौम है, वो चाहे किसी जाति की हो, वो लोग, माननीय सभापति महोदय, जुल्म करते

(श्री बलवान पूनियां)

हैं। मुझे शक है उस मुआवजे की सेटिंग में भी। यह नहीं हो जाए कि दो महीने बाद मुआवजे की राशि अपराधी दे। न्याय चाहते हैं हम, करौली के उस मोहनपुरा गांव की बच्ची के लिए, मेरी पार्टी का डेलिगेशन जाकर आया है।

माननीय सभापति महोदय, हम इस कानून के जरिये चाहते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से संगठित अपराध चल रहे हैं अवैध शराब के, नशों के, मादक पदार्थों के, वे अवैध धंधे बंद हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा-सा निवेदन और करना चाहूंगा। जयपुर में वैशाली नगर में हनुमान नगर एक्सटेंशन के नाम से कालोनी है, 1983 से वहां संगठित अपराध चल रहा है। पट्टे पर पट्टे, पट्टे पर पट्टे, इसको पट्टे, उसको पट्टे, इनके आईजी साहब के घर पर कब्जा कर लिया था, माननीय सभापति महोदय, पुलिस के आईजी के घर पर कब्जा कर लिया, आईजी ने पीछा छुड़ाया कि, साहब, यह मेरी घरवाली के नाम से है, मुझे तो बख्श दो। ऐसे संगठित अपराधी लोगों से बचाने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, ये गांधीजी, बापू कह रहे हैं कि न्याय आखिरी आदमी तक मिलना चाहिए। आखिरी आदमी को न्याय मिले, यह हम उम्मीद करते हैं। मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है वो मैं इस बात के साथ कि राजस्थान अपराध मुक्त होगा, राजस्थान में अपराध को हम सब लोग शरण नहीं देंगे और पुलिस को मजबूती से अपराध रोकने के काम में लगाएंगे। थैंक यू सर।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद (अनुपस्थित), श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, बीच में अभिनेश महर्षि का नाम है। मेरा निवेदन है कि दो मिनट के लिए उनको अनुमति दें। (व्यवधान) उनका लिस्ट में नाम है संशोधन के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन दिया हुआ है। (व्यवधान) संशोधन का अधिकार तो है।

श्री सभापति: मेरे पास तो नहीं है कोई भी संशोधन।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): यह फर्स्ट रीडिंग है, संशोधन पर थर्ड रीडिंग में पारित कराने से पहले आप बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): जनमत के लिए, जनमत के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): लिस्ट के अंदर है। जनमत जानने के लिए दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (बायतू): ...(व्यवधान) बाद में बोल लेना।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हरीशजी, आप शांति रखो, आसन दे देगा व्यवस्था। आप पार्टी की व्यवस्था दे दो।

श्री सभापति: विराजिये। श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित), श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा की। मेरा विषय एक तो इस बिल को लेकर है कि जब इसमें सज़ा का प्रावधान मैंने पढ़ा, संगठित अपराध के लिए दण्ड, तो उसमें मृत्यु करने वाले संगठन को आजीवन कारावास का दण्ड और न्यूनतम एक लाख रुपये लिखा हुआ है। इसके सैकंड पैरा में लिखा है कि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी अन्य मामले में, मृत्यु नहीं करता है तो न्यूनतम पांच लाख रुपये बताया है और मृत्यु करता है तो न्यूनतम एक लाख रुपये बताया है। पहले तो इस बिल में मृत्यु जिसको एक बड़ी घटना कह सकते हैं, उसमें तो एक लाख रुपये न्यूनतम और मृत्यु नहीं होती है तो पांच लाख रुपये, यह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।

दूसरा विषय, हम अपराध रोकने की जो चर्चा कर रहे हैं, अलग-अलग माननीय सदस्यों ने चर्चा की, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि अपने जो एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनमें ऐसी हत्या करने वाले पांच साल, सात साल बाद ही बाहर क्यों आ जाते हैं? कभी आपने इस पर विचार किया है क्या? कई बार ऐसी निर्मम हत्या करके भी जो मुजरिम होते हैं वो जेल से बाहर आकर बेखौफ घूमते हैं। इस पर विचार नहीं किया क्या? मैं मेरे आहोर क्षेत्र की बात करूं तो तीन ऐसी हत्याएं हुई हैं हुकम सिंह हत्याकांड, लक्ष्मण मीणा हत्याकांड और बलदरा की एक बूढ़ी माता की हत्या, इन तीन हत्याओं का तो पुलिस वालों को आज दिन तक पता ही नहीं है कि

(श्री छगनसिंह)

किसने की। पूरे राजस्थान प्रदेश में इतनी हत्याएं हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, पुलिस प्रशासन ने चोरियों के मामले में तो अब एफ आई आर ही दर्ज करना बंद कर दिया है। एक ही गांव में रेगुलर पन्द्रह-पन्द्रह चोरियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक गांव में हुई, कल अख़बार में न्यूज आई थी कि एक ही घर में सात बार चोरी हो गई लेकिन वहां आज दिन तक पुलिस नहीं गई। ये इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं डकैती की बात करूं तो खुलेआम, दिन दहाड़े डकैती होती है, लूटते हैं, लूटने के बाद अपराधी पकड़ा जाता है, उसका नाम तो बाहर निकल जाता है और जो अपराधी नहीं होते हैं उनका नाम लिखकर चार दिन तक जेल में रखकर उसको भी जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जो हम यह देख रहे हैं, जिस दिन से यह सरकार सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ अपराधी पनप रहे हैं। आपने पुलिस थानों में कई जगह एक ध्येय वाक्य लिखा देखा होगा, 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय', लेकिन अब जिस प्रकार से यह सरकार सत्ता में आई है, माननीय प्रभारी मंत्रीजी, आमजन में तो भय व्याप्त हो गया है और अपराधियों का यह समझो कि खुले बेखौफ घूम रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के बिल के साथ-साथ जिन-जिन थाना क्षेत्रों में चोरियां होती हैं, चोरियों के साथ में डकैती होती है, हत्या होती है, उसकी भी जानकारी लें और जानकारी लेकर उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करें और उसका पता करें। आज हत्या तो एक नोर्मल बात हो गई है, हत्या करने वालों को पता है कि पांच साल के बाद तो हम बाहर आ जाएंगे, सात साल के बाद तो हम बाहर आ जाएंगे और सात साल के बाद में हम बेखौफ घूमेंगे, इस प्रकार का यदि हो रहा है तो इसमें हमको कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक लाया गया है, इसमें जो कमियां हैं, अलग-अलग माननीय सदस्यों ने भी जो बताई हैं, उनको दूर कर जनमत जानने के लिए छह माह के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय,

(श्री अभिनेश महर्षि)

राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर बोलने का मुझे मौका दिया।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी सारी बातें कही हैं। संगठित अपराधों को रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रभावी कानून होने चाहिए, इसमें कोई दो-राय नहीं है लेकिन क्या ये जितने कानून अब तक बने हुए हैं उन कानूनों से अपराध रुके हैं? अपराध रोकने के लिए सरकार की मंशा और मन:स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही जिनके अंदर सरकार की संलिप्तता, अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कानून तो बना हुआ है। इस राजस्थान के मुखिया अनेक बार कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जाए, उसकी एफ आई आर दर्ज होगी लेकिन यह सदन गवाह है इस बात का कि राजस्थान के डीजीपी रहे हुए हरीश मीणा जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको एफ आई आर दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठना पडा, यह कानून की स्थिति है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अभी तो मेरी ही नहीं दर्ज हो रही एफ आई आर।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ये मदन दिलावर जी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफ आई आर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बैठिये मदन जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा कुछ भी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह कथनी और करनी में अन्तर साफ दिखाई दे रहा है। या तो जो डीजीपी पुलिस पूर्व रहे हैं, उन्हें कानून का ज्ञान नहीं था कि वे गलत एफ आई आर दर्ज करा रहे थे और यदि वे सही थे तो उन्हें धरने पर क्यों बैठना पड़ा? क्या सरकार के मुखिया जो बात कह रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में अन्तर है? मेरी मंशा यह है कि कानून बने, लेकिन कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए किस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है, यह हम सब लोगों के सामने है।

इस सदन में हम सब लोग क्यों आये हैं? कानून बनाने के लिए आये

(श्री अभिनेश महर्षि)

हैं। कानून जनहित के लिए बनने भी चाहिये। कानून की स्थिति के बारे में मुख्य मंत्री जी के सलाहकार सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से बातें कही। मुख्य मंत्री के सलाहकार ये बात कह रहे हैं कि कानून-व्यवस्था इस स्टेट के अन्दर खतम हो गयी है। मुख्य मंत्री के सलाहकार मुख्य मंत्री जी को सलाह नहीं दे रहे हैं, ये इस सदन में कह रहे हैं। गम्भीर आरोप सरकार के ऊपर लगाये हैं, या तो वे सलाहकार जी अन्यथा बोल रहे हैं और नहीं तो सलाहकार जी की बातों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

अब पुलिस के पास क्या संसाधन हैं? कोई भी कानून बनाएं, कानून को लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस के पास पर्याप्त नफरी नहीं है, यह हम सब लोग जानते हैं। पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं, यह सर्वविदत है। पुलिस के पास अपराधियों से मुकाबला करने के लिए गाड़ियां नहीं हैं। माननीय गृह मंत्री जी के प्रतिनिधि मंत्री महोदय बैठे हैं शान्ती धारीवाल जी। पिछले दिनों नेता, प्रतिपक्ष राजेन्द्र जी राठौड़, रतनगढ़ से आने वाले विधायक अभिनेश महर्षि और लाडनूं के विधायक भाकर जी को गैंगस्टर्स द्वारा धमकियां दी गयीं। एक के बाद में एक, तीन बार धमकियां दी गयीं।

पुलिस ने व्यवस्था की, प्रोटेक्शन दिया। एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी लगायी कि इलाके में कहीं जाएं तो एस्कॉर्ट गाड़ी जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं संरक्षण चाहता हूं कि वह गाड़ी चार बार गांवों में जाकर बन्द हो जाती थी। रात को जाते थे तो वह धक्का स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद में हमें दूसरी प्राइवेट गाड़ी मेरे घर से बुलाकर, उसमें पुलिस के सिपाहियों को बैठाकर उनके संरक्षण में रात को आना पड़ता था। ये हैं पुलिस के संसाधनों के हालात। ऐसे में हम कैसे कल्पना करेंगे कि वे दुर्दान्त अपराधी, जो आधुनिक हथियार और आधुनिक गाड़ियां लेकर असलहे के साथ चलते हैं, उनके साथ मुकाबला करेंगे?

मैं मनःस्थिति की बात करूं, मैं पुलिस के अधिकारी का नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन पुलिस के दो अधिकारी बैठे हुए थे, मैं अपने मामले में पीएचक्यू गया था और पीएचक्यू जाने के बाद में जब मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा कि आप लोग अपराधियों को इतने दिन से पकड़ नहीं पा रहे रहे हैं, आपकी साइबर टीम क्या कर रही है, दो महीने तक पता नहीं लगा? मंत्री महोदय, साइबर क्राइम के बारे में हम चाहे थाने खोल दें, लेकिन

(श्री अभिनेश महर्षि)

आज जो साइबर क्राइम के क्षेत्र में काम होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। यह निकाल दीजिये मन से कि कौन एक्सपर्ट कहां से क्या है। एक्सपर्ट लोगों को लीजिये। पुलिस में भर्ती हुए जो थाने के लोग हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिन्हें साइबर क्राइम के बारे में मालूम नहीं हैं, उन्हें आप साइबर क्राइम में ट्रेंड करें।

आज अपराध जगत में इसका बहुत बड़ा रोल हो गया है। उसके अन्दर हम उनका पार नहीं पा सकते हैं, इसलिए आप इसके लिए कार्य-योजना बनाएं। साइबर क्राइम के ऊपर काम करने वाली अनेक संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं से भी आप सम्पर्क करें ताकि साइबर क्राइम की दिशा में काम हो सके और अपराधी पकड़े जा सकें। अब आप उसके बाद में देखिये, उन पुलिस अधिकारियों के नाम नहीं लेना चाहता। दो बैठे थे। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराधी घरों को छोड़कर, स्टेट छोड़कर बाहर चले गये, वहां ऐसा कोई कानून बनाकर नहीं किया गया। कानून तो पहले ही है। आईपीसी के अन्दर, बाकी सब धाराओं के अन्दर सब प्रोविजंस बने हुए हैं, लेकिन सरकार का भय होना चाहिये। सरकार की मन:स्थिति होनी चाहिये कि हम अपराध जगत के अपराधियों को खतम करेंगे और आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा योगी दिलवा दीजिये, हम भी यहां से अपराध खतम कर देंगे। यह स्थिति राजस्थान की है। मैं पिछले दिनों असम गया था असम में रात को 12 बजे, 01 बजे भी बहन-बेटियां सुरक्षित और आराम से जाती हैं, निकलती हैं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मणिपुर नहीं गये क्या?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मणिपुर का भी बता दूंगा। बैठ जाएं। आपको मणिपुर याद आ रहा है, क्योंकि आपकी स्थिति भी वही है। बैठ जाइये आप। विराजें।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं। मैं मेरी बात कह रहा हूं और बहुत गम्भीर बात कह रहा हूं। आज मन:स्थिति की जरूरत है। कानून कितने भी बनाइये, लेकिन उन कानूनों को लागू करने के लिए जो आपके पास साधन-संसाधन हैं, उनके बारे में भी

(श्री अभिनेश महर्षि)

सोचिये। अब मेवात क्षेत्र में चले जाइये। मेरे क्षेत्र का एक ट्रक चोरी करके रात को वहां से उठाकर ले गये और मेवात क्षेत्र से दिल्ली में ले जाकर उस ट्रक को गायब कर दिया। मैंने अधिकारियों से गुहार लगायी कि इनके साथ न्याय तो करें। माननीय मंत्री महोदय, अधिकारी मुझे कहते हैं कि वे दुर्दान्त अपराधी हैं, उनके क्षेत्र में जाना पुलिस के बस की बात नहीं है। यह मैं आन रिकार्ड कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे वश की बात नहीं है। उन्होंने उसको गायब कर दिया, काट दिया होगा। उस इलाके के अन्दर जाना हमारे बस की बात नहीं है। मैंने 8 बार टेलीफोन किया है, 8 बार कहा है कि इस गरीब के साथ न्याय करने का काम करें। कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून का क्या हुआ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, बस समाप्त कर रहा हूं मेरी बात को।

श्री सभापति: अनलिमिटेड नहीं होता टाइम, लिमिटेड है टाइम।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हां, लिमिटेड टाइम के अन्दर ही समाप्त करता हूं। ऐसी स्थिति में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से सारी बातें आप लोगों को बतायीं। मैं समझता हूं कि सरकार के सलाहकार ने सरकार की पोल खोल दी। अब तो बराए-मेहरबानी, इस बिल को तो भले ही आप संशोधन करने के बाद लाइयेगा, लेकिन पुलिस की स्थिति को पहले सुधारें और मन:स्थिति को ठीक करके इस राजस्थान में जो गुण्डा राज चल रहा है और जिस तरह से अपराधी बेखौफ़ घूम रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इस पुलिस को सशक्त कीजिये। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत। सुश्री दिव्या मदेरणा। श्री फूल सिंह मीणा। श्री बलजीत यादव। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझसे पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात बहुत डिटेल में और बहुत सही तरीके से रखी है। सभापति महोदय, जब यह बिल पढ़ रही थी तो चूंकि इस विधान सभा में मैं सबसे नयी विधायक भी हूं और एक्सपीरियंस में भी सबसे कम हूं और कहीं

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

न कहीं कल से जब से बिलों पर चर्चा होनी चालू हुई है भले ही वे विश्वविद्यालयों के बिल हों या फिर संगठित अपराध का बिल हो, सरकार को यह गलतफहमी हो गयी है कि बिल ले आओ और सरकार बचा लो। जैसे बिल लाने से सरकार नहीं बच सकती, वैसे ही यह बिल लाने से कानून-व्यवस्था नहीं सुधर सकती है।

सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय विधायक ने ड्रग्स के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है। मेरे पास यह एक आर्टिकल है, जिसमें प्रेस कान्फ्रेंस दी गयी है डीजीपी द्वारा और स्पष्ट आंकड़े लिखे हुए हैं कि पिछले चार वर्षों में क्राइम 31 परसेंट से ज्यादा बढ़ गया है। सभापति महोदय, इसके अचीवमेंट्स के अन्दर एक लाइन दी गई है, action taken against 2000 police personnel for various disciplinary actions. यानी 2000 पुलिसकर्मियों के ऊपर एक्शन लिये गये हैं।

सभापति महोदय, यह हालत हमारे स्टेट की है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि करप्शन के अगेंस्ट 107 police personnel को अरेस्ट किया गया। ढाई हजार किलो मेरीजुआना पकड़ा गया। सभापति महोदय, अगर ढाई हजार किलो पकड़ा गया तो रूह कांपती है यह सोचकर कि कितना मेरीजुआना, कितना ड्रग्स हमारे प्रदेश में फैला हुआ होगा, जब यह आंकड़ा पकड़े जाने का है।

सभापति महोदय, हम सब इस बात को जानते हैं कि ड्रग्स, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये वे विषय हैं जिन पर बहुत जने बोलते नहीं हैं लेकिन हमारी युवा पीढ़ी खतम होती जा रही है। हर सिटी में, हर जगह यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सभापति महोदय, यदि मैं राजसमन्द की बात करूं तो एक किलोमीटर के अन्दर-अन्दर आपको तीन-तीन एल्कोहल वाइन शाप्स मिलेंगी। सभापति महोदय, शर्म आती है यह बात सोचकर कि जिस प्रदेश को मान-सम्मान के लिए जाना जाता था, वहां पर ये घटनाएं, अपराध इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इन चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा।

सभापति महोदय, ड्रग्स, युवाओं को ईजीली स्मोक अवेलेबल होना, इन सब पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हमें किस तरह से नियंत्रण लाना चाहिए। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कि आर्गनाइज्ड क्राइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जो छोटे-छोटे इश्यूज हैं, उस पर चर्चा इस सदन में कभी होती

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

ही नहीं है। मैं यहां पर इस सदन में खड़े होकर हर उस मां की तरफ से बोलना चाहती हूं जो अपने बच्चों को कोटा, उदयपुर, जयपुर जैसी जगह बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं यह सोचकर कि हम हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भेज रहे हैं, लेकिन मन में यही डर रहता है कि इस तरह की चीजें, जो इतनी आसानी से अवेलेबल हो गई हैं।

सभापति महोदय, हम जब छोटे थे तो एक बात मेरे दादा हमेशा कहते थे कि अगर पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करे, अगर सीआई या एक हवलदार अपना काम सच्ची निष्ठा से करें तो मन्दिर से कोई एक चप्पल तक नहीं चुरा सकता। अब तो यह हालत है कि मन्दिरों की दानपेटियां, मन्दिरों की मूर्तियां तक चोरी हो जाती हैं।

सभापति महोदय, यहां पर इस सदन में खड़े होकर आर्गनाइज्ड क्राइम का यह विधेयक लाना और इस विधेयक के अन्दर जो लिखा गया है, सभापति महोदय, इस कानून से सिर्फ और सिर्फ राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। यह बात मैं आपको कह सकती हूं। कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी कि आर्गनाइज्ड क्राइम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि ये-ये क्राइम हम आर्गनाइज्ड क्राइम के अन्दर मानते हैं। सभापति महोदय, कल को तो फिर अगर कोई धरना, प्रदर्शन जब हमारी सरकार बनेगी और आप लोग करेंगे तो वह भी आर्गनाइज्ड क्राइम में आ जायेगा क्या?

सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने पहले भी कानून के नाम पर प्रशासन का बहुत दुरुपयोग किया है। दोबारा हम कहीं न कहीं उसी लाइन पर जा रहे हैं।

सभापति महोदय, साइबर क्राइम की बात कही गई। साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है, हम सब, ऐसा यहां पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके पास कॉल नहीं आये होंगे या फेक कॉल्स नहीं बोले गये होंगे कि आप यह लाटरी जीते हैं और आप इतने रुपये डालें और आपको इतने लाख रुपये मिलेंगे। मैं मान ही नहीं सकती कि इस सदन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास कभी जीवन में अभी तक एक बार यह कॉल नहीं आया हो।

सभापति महोदय, डेटा इतना ईजीली अवेलेबल हो गया है। ये कॉल्स हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट पर जब हम हमारे नम्बर्स

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

को डालते हैं तो वह डेटा इतना ईजीली अवेलेबल हो गया है इन लोगों के पास। उन पर नियंत्रण करने के लिए हम क्या चीज कर रहे हैं? हमने इस बात की चर्चा तो की ही नहीं है। वह भी आर्गनाइज्ड क्राइम है। वह भी ऊपर से विदेशों के नम्बर आते हैं, प्लस 44 का आ गया कि लंदन से बोल रहे हैं, कि आपको यह लॉटरी मिल रही है।

सभापति महोदय, फिर से एक बात दोहराउंगी कि जिस इम्पॉर्टेंट इश्यू की हमें पिछले चार सालों में जरूरत महसूस नहीं हुई, चुनाव से तीन महीने पहले ऐसा क्या हो गया कि इस आर्गनाइज्ड क्राइम के विधेयक को लाने की हमें इतनी अर्जेंट जरूरत आज लग रही है?

सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले विधायक महोदय ने एक बात बहुत अच्छी कही और बहुत पोजिटिव सोच के साथ कही कि हम लोगों को यह विधेयक जरूर लाना चाहिए लेकिन यह सोचें कि इस विधेयक में क्या-क्या इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जो होनी चाहिए। इस विधेयक में यह लिखा गया है कि एसपी साहब के सामने अगर कोई बात कही गई, कोई गवाही दी गई तो उसको माना जायेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कहीं न कहीं दबाव के अन्दर। सभापति महोदय, आपको तो पता है कि मैं वैसे भी बहुत कम बोलती हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज। प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं कन्क्लूड करूंगी। सभापति महोदय, एक मिनट और दीजिए।

हम जानते हैं कि इसका भी दुरुपयोग बहुत ईजीली हो सकता है तो इस चीज पर जरूर सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इसका संशोधन लाकर इसको इम्पेक्टफुल करें ताकि लोगों को एक्चुअली में सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि दस वर्ष की अवधि के भीतर-भीतर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक आरोप पत्र किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें सज़ा तीन वर्ष से अधिक की अवधि की हो, यदि न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तो उसे भी संगठित अपराध माना जायेगा। सभापति महोदय, सीधा-सीधा कांस्टीट्यूशनल राइट्स का दुरुपयोग है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगी, कि बातें तो बहुत सारी कहनी थीं, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा बायस्ड है बहुत सारी चीजों को लेकर लेकिन मेरे राजसमन्द क्षेत्र में एक बच्ची जिसका पिछले डेढ़ महीने से अपहरण हो गया है। +++ कितनी बार हमने बोला उस बच्ची को हम आज तक नहीं लेकर आ पाये, उस किडनेपर को पकड़ नहीं पाये। इस सदन में बैठकर यह जो आर्गनाइज्ड क्राइम के विधेयक पर डिस्कशन कर रहे हैं, वीमन ट्रैफिकिंग का क्या, ऐसे कितने ही गिरोह का क्या? उनको पकड़ने का क्या? उस बारे में चर्चा करनी चाहिए और पुलिस को उस बारे में करना चाहिए।

अन्त में, अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए आपको यही कहूंगी कि इस प्रस्ताव को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। इसमें बहुत इर्म्पोटेंट चीजें हैं, जो मिसिंग हैं, उनको जरूर लेकर आयें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

श्री रफीक खान।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों बहुत सारे गैंग्स की बात सामने आई और जयपुर में एक बहुत ही भयावह माहौल पैदा हो गया। अमेरिका से कॉल आ रहे हैं, रशिया से कॉल आ रहे हैं, क्लब्स में धमकियां मिल रही थीं।

(श्री रफीक खान)

बड़े-बड़े उद्योगपतियों को धमकियां मिल रही थीं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को और राजस्थान सरकार के पूरे पुलिस प्रशासन को कि न केवल उस मामले को शान्त किया, मुल्जिमों को गिरफ्तार किया और उस दिशा में उठाया गया सार्थक कदम आज इस बिल के रूप में यहां विधान सभा के अन्दर है।

मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरह से कानून का दायरा बढ़ा है, जब से कानून बने हैं तब से लेकर आज तक के माडर्नाइजेशन के सफर में मोबाइल का उपयोग, कम्प्यूटर का उपयोग, वायरलैस उपकरणों का उपयोग, बाहर बैठे आदमी आर्गनाइज्ड क्राइम कर जाते हैं, जेल में बैठा आदमी आर्गनाइज्ड क्राइम कर जाता है। ऐसे संसाधन आ गये हैं कि पता नहीं लगता कि यह आवाज कहां से आ रही है, कौन बोल रहा है, किससे बात की जा रही है और एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। पूरे शहर के अन्दर अगर पिछले 5-6 महीनों की बात करें तो हर तीसरे दिन धमकियां मिल रही थीं, न केवल उन धमकियों का समाधान किया, न केवल उन लोगों को जिनको धमकियां मिल रही थीं, उनको सुरक्षा दी गई बल्कि मुल्जिमों को भी गिरफ्तार किया गया है।

सदन में बात बहुत तरह की हो रही है। अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया कि यूपी में ऐसा हो गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो मुल्जिम पकड़े गये, उनमें से आधे मुल्जिम यूपी के ही थे, वहीं से आये थे। वहीं के लोग-बाग़ धमकी दे रहे थे। राजू ठेहट का मर्डर हुआ, हरियाणा के आदमी मर्डर करने में शामिल थे। यूपी के आदमी मर्डर करने में शामिल थे। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि यहां जी क्लब पर फायरिंग हुई बाहर से धमकियां मिलीं और न केवल उसके कन्क्लूजन पर पहुंचा गया, न केवल मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया, आज पूरे राजस्थान के अन्दर वातावरण भय से मुक्त है। तो ऐसे समय में ऐसे एक कानून की जरूरत है। जो ये आर्गनाइज्ड क्राइम करते हैं उनको कैसे पुलिस के चंगुल में लिया जाये और कैसे पुलिस की तफ्तीश में शामिल हो, तो ऐसे कानून की जरूरत थी। मैं कह सकता हूं कि बहुत सही समय पर सही कानून लेकर आये और बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने वालों के लिए एक शेर पढ़ देता हूं-

(श्री रफीक खान)

(समय: 17.00 बजे)

'जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिन्दा हैं, वो भी आये हैं हमें नसीहत देने।'

आज छोटा-सा जुर्म है, चेन स्नेचिंग हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चेन स्नेचिंग हो जाती है। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लेती है, तीन दिन में जमानत हो जाती है। ऐसे-ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि जो पुलिस की कानून की डिक्शनरी से बाहर हैं। ऐसे समय में उनकी रोकथाम करने के लिए नये कानून की जरूरत है। जब कानून बने तब ऐसा नहीं था कि कोई कम्प्यूटर से अमेरिका से कॉल कर देगा, कोई लन्दन से कॉल कर देगा। एक समय में तो ऐसा समय आ गया, सभापति महोदय, कि लोगों ने पैसे दे दिये डर के मारे और घरों में छुप गये। जब एक आदमी ने कम्प्लेन की तो दूसरे की भी हिम्मत हुई कि वह भी कम्प्लेन करने लायक हुआ तो न केवल जो संगठित अपराध करते हैं, उनके सरगना हैं न केवल उन्होंने कॉल किया, बल्कि उनके लोगों ने भी ऐसे कामों को अंजाम दिया और उनके लोगों ने भी धमकियां देनी शुरू कर दीं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी।

अभी नशे का कारोबार भी बहुत बढ़ा है। जगहृजगह हर पार्क में, हर कालोनी में आप देखोगे तो आप यह पाओगे कि हर जगह सिरिंज, इंजेक्शन हर जगह मिल जाते हैं, तो जैसे-जैसे हम पुलिस को सशक्त करेंगे, उनके हाथ कानून से मजबूत करेंगे तो वह एक सख्त एक्शन ले पायेंगे और पूरे प्रदेश को भयमुक्त वातावरण दे पायेंगे।

अभी एक और इश्यू चल रहा है, एक रिटायर्ड आई ए एस आफिसर हैं, वो सम्प्रदाय विशेष को टारगेट करते हुए भद्दी टिप्पणियां करते हैं, भद्दे नारे लगाते हैं, भद्दी बातें बोलते हैं, न केवल बातें बोलते हैं बल्कि प्रोफेट को गालियां देते हैं और अभी कंटीन्यू उनकी कई टेपें चल रही हैं, तो मैं सदन के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए भी कानून बनें। जब पहला इंसिडेंट्स कोई हो, पहले इंसिडेंट्स पर ही मुकदमा दर्ज हो जाये तो आदमी की आगे हिम्मत नहीं होती है ऐसा काम करने की और वो कंटीन्यू करते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमें टॉरगेट करना चाहिये। न केवल टारगेट करें, बल्कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उनको उस बात की सज़ा मिले, ताकि आगे कोई इस तरह के एग्जाम्पल नहीं क्रियेट कर सके।

प्रतिपक्ष के नेताओं ने बहुत सारी बात की लेकिन उनको यह बात

(श्री रफीक खान)

नजर नहीं आती है क्योंकि ये बातें उनको सूट करती हैं तो मैं सदन के माध्यम से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देकर कानून के अन्दर इसको भी शामिल किया जाये।

जिस तरह से अभी पिछले दस-पन्द्रह सालों के अन्दर भूमाफियाओं का काम हो गया, जमीनों के दाम बढ़ गये और बहुत सारी जगह ये जो संगठित अपराध करने वाले आदमी हैं, ये पुलिस को भी शामिल कर लेते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें। खास तौर से ये जो जमीन-जायदाद के धन्धे हो रहे हैं, इसके अन्दर जो क्राइम करते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फायदा नजर आता है, फाइनेंशियल बेनिफिट नजर आता है तो क्रिमिनल इन्वोल्व हो जाते हैं और कई जगह पुलिस भी शामिल हो जाती है, तो इसको भी हमें सख्ती से निपटने के लिए मौका मिलेगा।

आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं अपने जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज सदन राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, मैं काफी समय से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। मैं समग्र रूप से एक बात कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात से चिन्तित हैं कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था के हालात ठीक नहीं हैं। अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य बात कहते-कहते यहां तक बोल गये कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर हर पांचवें बड़े आदमी को कहीं न कहीं से किसी गैंगस्टर से धमकी मिली। मैं समझता हूं कि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जो अपने-आप में बहुत कुछ चीजें बयान कर जाते हैं। हमें यथार्थ के साथ आंख मिलाकर देखना चाहिये और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रभारी मंत्री जी, आपको। मैं इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन को पढ़ रहा था। आखिर सरकार की ढलती उम्र में आपने यह तो स्वीकार कर लिया कि प्रदेश में संगठित अपराध हो रहे हैं। आपने उद्देश्यों और कारणों में यह कहा कि संगठित अपराधों में वृद्धि हुई तथा अपराधी गिरोह बनाकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जघन्य अपराध, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और वसूली करते रहे और आपने यह भी स्वीकार किया कि संगठित अपराधी गिरोह बनाकर कांट्रेक्ट किलिंग, व्यापारियों को धमका कर प्रोटेक्शन मनी रंगदारी वसूल करना, मादक पदार्थों की तस्करी द्वारा बड़ी मात्रा में सम्पत्ति अर्जित करना। निश्चित तौर पर, सभापति महोदय, जब हम कोई कानून बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं तो सत्ता में बैठे लोग समग्र चिन्ता करते हैं जब उनको दिखता है कि आज जो हमारे विद्यमान कानून हैं, आज जो प्रचलित कानून हैं उनसे हम स्थिति का नियंत्रण नहीं कर सकते, तो इस प्रकार का कानून लेकर आते हैं तो यह कानून को लाना अपने आप आपके हालात को बताता है और आपने इसमें यह कहा है उद्देश्यों और कारणों के कथन में आन्तरिक सुरक्षा विशेषज्ञ, वो विशेषज्ञ आपके हैं और नीति निर्माता वो आप हो ही, उनकी सहमति बनी है कि संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए अब प्रभावी कार्यवाही करनी आवश्यक है, कठोर कानून बनाना आवश्यक है। यानी अब आप यह स्वीकार कर रहे हो कि अब तक आपने प्रभावी कार्यवाही नहीं की। मैं सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपके आन्तरिक सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, ये विशेषज्ञ इतने दिन कहां चले गये थे, क्या आपने यह संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक लाने से पहले किसी दूसरे विशेषज्ञ की सलाह ली, जिन्होंने आपको आपका दर्पण दिखा दिया।

मैं समझता हूं कि सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है, मुझे अफसोस है मैंने आज पहली बार इस सदन के अन्दर चलते सदन में एक विधेयक पर चर्चा हो रही हो और उसके बीच में मैंने इस सप्लीमेंट्री कार्य सूची के द्वारा विधेयकों को रखते देखा है। मुझे इस बात का भी दर्द है कि राजस्थान में मुख्य मंत्री जी ने गृह मंत्री के रूप में कभी सदन में किसी बात का जवाब नहीं दिया, परन्तु पूर्णकालिक गृह मंत्री राजस्थान में नहीं आये, इसकी व्यवस्था भी उन्होंने कर दी और मैं समझता हूं हुजूर अगर मैं आपसे बात कर दूं कि हुजूर, बहुत देर कर दी आते-आते, यह संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक आप उस समय ला रहे हो जब आचार संहिता से हम दो-ढाई महीने दूर खड़े हैं। आपने पूरे चार साल सात महीने तक राजस्थान को दहशतगर्दी का जो वातावरण दिया, आपके आन्तरिक विशेषज्ञ कहां हैं, उनके नाम बताना, मैं उनको माला पहनाने जाऊंगा कि उन्होंने इस सरकार के अन्तिम समय पर आपको यह सलाह तो दी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, अब इस राजस्थान के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं। मुझे मालूम है, मैं लम्बी बात भी नहीं कहूंगा, पर अब राजस्थान के अपराध और अपराधियों के बारे में बहस की गुंजाइश नहीं बची। यह एक मासिक प्रतिवेदन है, सभापति महोदय, पुलिस एक्ट 2003 बना, सारे सूबों को यह निर्देश दिये गये कि वो अपना मासिक प्रतिवेदन, अपराध मासिक प्रतिवेदन जारी करे और उसके सारे आंकड़ों के आधार पर जो नेशनल ग्रिड बना, जिसको एन सी आर बी कहते हैं, उसके अन्दर आंकड़े जाते हैं। अब यह दीगर बात है कि यह ऑनलाइन हमने एफ आई आर दर्ज करना चालू कर दिया, इसलिये आंकड़े बढ़ गये पर, सभापति महोदय, अब ये आंकड़े खुद ही अपनी कहानी कहते हैं और मैं समझता हूं गृह मंत्री जी हैं नहीं, पर यह मुख्य मंत्री जी की सफलता-असफलता का फिल्मांकन जब कभी भी होगा, यह किस्सा कुर्सी का क्लाइमेक्स में अगर पहुंच जाता तो शायद राजस्थान को पूर्णकालीन गृह मंत्री मिल जाता। कानून-व्यवस्था में रुचि नहीं रही।

सभापति महोदय, अनादिकाल से राजतंत्र में भी राजा की कुर्सी जब हिलती थी तो राजा की प्राथमिकता अपने विद्रोह को दबाने के लिए रहती थी, अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए रहती थी। इस किस्सा कुर्सी ने राजस्थान में ऐसा परिदृश्य पैदा किया कि यह खतम ही नहीं हुआ। कभी आलाकमान के दूत बैरंग लौटते हैं, कभी 92 लोगों के साथ विधायकों के साथ संसदीय कार्य मंत्री त्याग पत्र का नाटक करते हैं, कभी दिल में दर्द उठ जाता है जब आलाकमान से बुलावा आता है, कभी पैरों में चोट लग जाती है। मैं उस पर लम्बी बात नहीं कहूंगा पर एक बात जरूर कहूंगा, सभापति महोदय, यह जो किस्सा कुर्सी में साइड हीरो है, यह कानून-व्यवस्था उनसे जुड़ गयी। यह साइड हीरो एक नहीं, 200 बन गये। 200 लोगों ने डिजायर सिस्टम से राजस्थान में फील्ड में जिन अधिकारियों को तैनात करवाया, चाहे कोई भरतपुर के डीआईजी का दलाल पकड़ा जाये, चाहे कोई एसपी दौसा में पकड़ा जाये, चाहे कोई एडिशनल एसपी अस्मत मांगते हुए पकड़ा जाये, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को उन कुर्सियों पर बैठाया किसने?

सभापति महोदय, अभी मैं आपका वार्षिक प्रतिवेदन जो 2022 में जारी हुआ, वह देख रहा था। मंत्री महोदय, अब की बार तो मुझे शिकायत है, यह मासिक प्रतिवेदन आपने तीन-चार महीनों से तो बंद ही करा दिये दिखते हैं, पहले हमें आनलाइन मिला करते थे। 2020 में राजस्थान में 2,60,378 अपराध दर्ज हुए। 2021 में 2,84,579 और 2022 में 3,12,000, यह मैं नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कह रहा हूं। इस कानून की आवश्यकता आज क्यों पड़ी, यह आंकड़े मैं इसलिए रख रहा हूं। मैं कोई सदन का समय जाया नहीं कर रहा हूं। सभापति महोदय, मेरे जैसा सीधा आदमी कभी समय जाया करता है क्या? सभापति महोदय, यह जो 20.13 परसेंट की बढ़ोतरी है, यह आनुपातिक बढ़ोतरी है। यह आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञों को पहले क्यों नहीं दिखी? हुजूर, इसको आप पहले क्यों नहीं लेकर आये, यह तो बताओ मुझको?

सभापति महोदय, कई बार प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जब सत्ता व्यवस्था प्राथमिकता बन जाती है, कानून व्यवस्था नहीं बनती। आलाकमान को कभी मनाओ, कभी डराओ की बात चलती है तो निश्चित तौर पर फिर वह बात आ जाती है जो पुलिस का ध्येय वाक्य बदलते हुए हम देखते हैं, आम आदमी कहने लग जाता है कि अब आम आदमी में तो भय व्याप्त हो गया और अपराधियों में बिश्वास हो गया कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। आज देशभर में जितनी भी चर्चित गैंग हैं, जिनकी चर्चा मुझ से पहले लोगों ने की, चाहे वह लॉरेंस विश्नोई की गैंग हो, चाहे नेहरा गैंग हो, चाहे विक्रम गुर्जर की गैंग हो, चाहे कैलाश मांजू की गैंग हो, आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा था, सारे शहरों में इन गैंगों की दहशतगर्दी हो गई। सभापति महोदय, मैं क्या कहूं, इस सदन में किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, मुझे भी जब धमकी मिली, मैंने किसी प्रेस को नहीं कहा। मैंने उसी समय डीजी साहब को एक पत्र लिख दिया कि इस टेलीफोन से मुझे यह धमकी मिली है, पर वाह रे कानून व्यवस्था के रखवाले, आपकी नजरें भी दो हैं। यह नजरें बदलते देर नहीं लगतीं। उस समय मैं उप नेता था, चलो एमएलए मानो, आपने कभी टेलीफोन करके पूछा ही नहीं कि, नेता जी, आपको किसने धमकी दी, बताओ तो सही। एक अदना-सा हवलदार भी चलकर नहीं आया, प्राथमिकताएं दूसरी हैं। जब पांच सितारा होटल में संगीनों की पुलिस घेराबंदी करनी हो तब तो करते हैं, पर एक गैंगस्टर सदन के एक विधायक को धमकी देता है तब आपकी आंखें नहीं खुलतीं। सभापति महोदय, इन गैंगस्टरों के खुले संघर्ष ने जमीन को लाल कर दिया। मुझे मालूम है राजू ठेहट को जिस प्रकार मारा गया था। लोग मुझे कह रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर कोई दुःखी हैं तो वह हमारे शहर के विधायक हैं जो हिंसा से दूर रहते हैं, जो अहिंसा के पुजारी हैं। भरतपुर में कृपाल जघीना और उसके बाद कुलदीप जघीना, इन गैंगस्टर का संघर्ष, कृपाल जघीना को कुलदीप जघीना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एलान करके मारता है और कृपाल जघीना के लोग उस कुलदीप को कहते हैं कि हम तेरे को पुलिस प्रोटेक्शन में उड़ायेंगे, इस प्रकार की पुलिस है। नागौर में संदीप सेठी, मैं किस-किस की बात करूं? सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहूंगा, इन गैंगस्टरों के खूनी संघर्ष ने पुलिस के इकबाल को तोड़ दिया और हालत यह हो गई कि गैंगस्टर ने अप्रैल, 2021 में भीलवाड़ा में दो पुलिस कांस्टेबल, ओंकार राय और पवन को मार दिया। यहां लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, कइयों को अप्रिय लगेगी कि पुलिस के दो कांस्टेबल एक गैंगस्टर का पीछा कर रहे हैं, गोली का शिकार हो रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी दो वर्ष बाद जून, 2023 में हुई। आज हम संगठित अपराध का कानून लेकर आ रहे हैं। कभी इनको बजरी माफिया कुचल कर मारता है।

सभापति महोदय, मैंने एक सवाल लगाया था, मेरा तारांकित सवाल था, प्रश्न संख्या 910, उसमें मैंने पूछा था जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक कितनी जगह पर किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर हमले हुए? उत्तर मिला कि इस पूरे मामले में 1787 प्रकरण दर्ज हुए हैं और उसमें 1741 प्रकरणों में जमानत हो गई और 223 अनुसंधान में हैं। पुलिस के हमले में 1532 जो वांछित अपराधी थे, वह सामने आये। सभापति महोदय, क्या होगा, इस हालत को देखते हुए दिल कांप उठता है।

मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री महोदय का रुतबा बड़ा है, मैं तो इनको मानता हूं। पूरे देश में पीएफआई की रैली को अगर अनुमति दिलाई तो हिजाब रैली को इन्होंने अनुमति दिला दी। कोई खास बात नहीं है, हो गई, लेकिन उसके बाद में इस्लामिक आतंकवादी संगठन इतने बेखौफ हो गये, कन्हैयालाल का सर कलम हुआ, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। हदें तब पार हो गईं, इस कन्हैयालाल के आतंकवादी भाग रहे थे, दो नौजवानों ने पीछा करना प्रारम्भ किया। एक-एक मिनट ट्रेस करते रहे, हाथ में खून टपकता हुआ चाकू था, पर यह दोनों नौजवान, शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह डटे रहे और इनके कहने पर पुलिस की गाड़ियां सामने आईं और उसको पकड़ा। पिछले दिनों यहां गुहार लगा कर कहा कि हमारे घर के चारों ओर हमें सुरक्षा नहीं मिली, हमारे घर के चारों ओर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, आतंकवादियों की धमकी मिल रही है, यह तो हालात हैं। अब एनआईए के पास मामला गया। दिसम्बर, 2022 में चालान प्रस्तुत हुआ, मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिख दी कि सज़ा दिलाओ। मंत्री जी, फास्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ट्रेक कोर्ट का क्या मामला है, क्यों नहीं गठन कर रहे हैं? यह क्या मेरे को लिखना है राजस्थान हाईकोर्ट को कि फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन करो, एनआईए ने चालान पेश कर दिया, ये अनुत्तरित सवाल हैं।

सभापति महोदय, हत्या जैसे जघन्य अपराध में मैं सिर्फ एक साल का आंकड़ा पेश कर रहा हूं। 2022 में 1834 हत्याएं हुईं और दिसम्बर तक 920 में चालान हुए हैं। सभापति महोदय, हत्या का मुकदमा जब दर्ज होता है जब सामने डैड बॉडी मिलती है। यह दीगर बात है कि हमारे रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य पर एक जिंदा व्यक्ति भाषण ठोक रहा है, हत्या के मुकदमे में मुल्जिम बैठा है सदन में, यह दूसरी बात है, संसदीय कार्य मंत्री जी यह अपने रुतबे से कर सकते हैं। हत्या जैसे मामले में अगर 50 परसेंट चालान होगा तो क्या होगा? यह हत्याओं का निरंतर बढ़ता हुआ ग्राफ, 2020 में 1719, 2021 में 1786, 2022 में 1834, मैं समझता हूं इसका एक कारण भी है। इनके पुलिस प्रतिवेदन के आंकड़े मैं देख रहा था, दिसम्बर 2022 तक राजस्थान में 1,21,649 लोग, जिनके खिलाफ स्थायी वारंट निकला हुआ है, वे फरार हैं। अगर मेरा आंकड़ा आगे पीछे हो तो आप पूछ लेना, मेरे को करेक्ट कर देना। 13,326 भगोड़े, जो भाग गये। 2423 प्रोक्लेम्ड आफेंडर, यह आपका पुलिस का प्रतिवेदन कह रहा है कि यह लोग जिनको जेल की सींखचों के पीछे होना चाहिये था, आज हमारे समाज में विद्यमान हैं।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा इन गैंगस्टरों का रुतबा बहुत है। यह गैंगस्टर जमानत करा कर जब अदालत से निकलते हैं, भगवान न करे इनकी जमानत हो जाये, इनको रिसीव करने के लिये डेढ़-डेढ़ सौ गाड़ियां आती हैं। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 के सेक्शन 3 की ओर दिलाना चाहता हूं। 3 का सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, इसके 3(2) में है, किसी संगठित अपराध को करने का षड्यंत्र का कोई अपराधी हो, 3(3) में किसी संगठित अपराध की सिंडिकेट के किसी भी सदस्य को आश्रय देता हो, 3(4) में संगठित अपराध यानी सिंडिकेट का सदस्य हो, 3(5) में संगठित अपराध कर सम्पत्ति अर्जित करने वाला अपराध हो। यह अलग-अलग अपराध हैं और इन सब अपराधों में आपने सज़ा एक दी है, 5 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना, जैसा कोर्ट चाहे। मंत्री जी Law of Jurisprudence आपने पढ़ा होगा, आईपीसी की धाराएं पढ़ी होंगी, सीआरपीसी पढ़ी होगी। आईपीसी, सीआरपीसी और Law of Jurisprudence

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह कहता है कि अपराध की गंभीरता, अपराध जिस प्रकार का कारित हो रहा है, उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिये। इन सब में आपने लिख दिया एक तरह की सज़ा है। यह मूल विधि सिद्धांतों के खिलाफ आपको देखना चाहिये। आपने सेक्शन 5 में कहा कि हम स्पेशल न्यायालय का गठन करेंगे, करना चाहिये। अगर संगठित अपराधी पकड़े जाते हैं, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको ज्यादा पता है। संगठित अपराधी पकड़े जाते हैं तो स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ चालान निश्चित तौर पर होना चाहिये, फुर्ती से होना चाहिये।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): आप और हम तो साथ-साथ ही थे। वह सारी लिस्ट मेरे पास है। आप और मैं उसमें अलग नहीं थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मेरा यह कितना दुर्भाग्य है। मैंने आस्तीन में कैसे दोस्त पाले हैं? मतलब, आप देखो तो सही। अपनी भी जांघ उघाड़ रहे हैं, मेरी भी उघाड़ रहे हैं।

श्री सभापति: इस सदन का भी सौभाग्य है कि ऐसी अद्भुत जोड़ी देखने को मिल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे मुझे बहुत सहानुभूति है। आपको कुचक्र में फंसाकर जिन लोगों ने गुजरात भेजा, मैं उन्हीं के खिलाफ बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा एक दोस्त तो दुनिया से चला गया, अब कुछ ही दोस्त बचे हैं। सभापति महोदय, मैं इनसे उम्र में कुछ बड़ा हूं, इनका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। आप विश्वविद्यालय में जिसको बाबा-दादा कहते थे, वह मरा नहीं है, वह जिन्दा है, छह फीट दो इंच खड़ा है, आप चिन्ता मत करो।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि स्पेशल कोर्ट के गठन की जो बात है, ठीक इसी तरह की बात एंटी चीटिंग बिल, 2022 में की। Banning of Unregulated Deposit Schemes 2019 में की। ठीक इसी प्रकार स्पेशल कोर्ट एनआईए में गठित करनी थी, पर सारे मामलों में जब मैं देखता हूं, यह सरकार न जाने क्यों हाईकोर्ट को लिखने में कंजूसी करती है। मंत्री महोदय, सिर्फ आगाह कर रहा हूं। संगठित अपराध के इस बिल के अन्दर सेक्शन 5 में स्पेशल कोर्ट के लिए मेहरबानी बनायें। अब तक का जो ट्रैक रिकार्ड रहा है, उससे अलग हटकर आप हाईकोर्ट को लिखेंगे, मुझे पता है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): नहीं, एक्ट में तो है, पर गठन कब होगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखा है, राज्य सरकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से विशेष न्यायालय, न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर इस बिल को पूरा पढ़ लेते तो मैं यह समझता हूं कि इस बिल के बाहर आप भाषण नहीं देते। आप आज जो भाषण दे रहे हैं वह कानून व्यवस्था पर दे रहे हैं। अगर हम बिल पर बोलें तो बिल के मामले में भी सारे सदन को भी जानकारी मिल जायेगी और आपकी भी जो सूझ आपने पैदा की है, वह भी सुधर जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने ठीक बात कही। मैंने भी यह कहा, सेक्शन 5 में स्पेशल कोर्ट के गठन की बात है। इन्होंने भी कहा कि हाईकोर्ट की सहमति से हम गठन करेंगे पर, महाराज, आप प्रेम पत्र लिखने में लेट क्यों करते हो? एंटी चीटिंग का करा दिया, आपने स्पेशल कोर्ट बना दिया क्या? आपने हमसे एंटी चीटिंग का बिल कब पारित करवाया? आपने क्या आज की तारीख में बना दिया? कन्हैया का सर कलम करने वाले, एनआईए के अन्दर स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है, क्या आपने वह पत्र हाईकोर्ट को लिख दिया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखने की जरूरत ही नहीं थी। पकड़ा तो हमने था चार घंटे के अन्दर-अन्दर। आपके सेन्टर के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि, साहब, एन आई ए ने पकड़ा था। आप तो यहां तक देख लो, उसके बाद हमने फिर एन आई ए को भेज दिया। इसकी कार्यवाही एन आई ए करेगी, हम थोड़े ही करेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, पकड़ा उन दो नौजवानों ने, जिनकी जिन्दगानी आज खतरे में है।

श्री सभापति: प्लीज, कृपया शान्त रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा, सरकार की कलई खुल गयी। एनआईए के अन्दर जो चालान पेश हुआ, उसके लिए स्पेशल कोर्ट कन्हैया लाल के मामले में नहीं बनायेंगे। आपकी यह स्वीकारोक्ति, उसके लिए आपको धन्यवाद। राजस्थान की जनता चुप नहीं रहेगी। कन्हैया का बलिदान रंग लायेगा। आपको नेस्तनाबूद करेगा, मैं आपको आज कहकर जा रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं सेक्शन 7 का कह रहा था। मंत्री महोदय, सेक्शन 7 का मुलाहिजा फरमायें। उसमें सरकार यह प्रावधान लेकर आयी है कि संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 में बढ़ते हुए अपराधों के अन्तर्गत कोई भी अपराधी गिरफ्तार होगा तो उसके पूर्व में किये गये अन्य अपराधों की ट्रायल उसी विशेष न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेगी। आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी। 1973 की है। सीआरपीसी यह कहती है कि जहां अपराध कारित हुआ, उस क्षेत्र के न्यायिक क्षेत्र में जो भी कोर्ट होगा वह विचरण करेगा, वह ट्रायल करेगा। ये सीआरपीसी से ऊपर जा रहे हैं। आपको मालूम है, सीआरपीसी आर्टिकल 246 में सातवें शिड्यूल में कन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। 254 (1) यह कहता है कि कन्करेंट लिस्ट में जो विषय है, अगर उसमें केन्द्र विधि है और राज्य की विधि है, राज्य विधि बनाता है, केन्द्रीय विधि ओवरराइड इफेक्ट केन्द्र का होगा, सेन्ट्रल लॉ का होगा, ये सीआरपीसी के प्रोविजन इसमें चलने वाले हैं, इनके प्रोविजन नहीं चलेंगे। ये कहते हैं कि मान लें लॉरेंस बिश्नोई को यहां संगठित अपराध में पकड़ा जाता है और उसने चण्डीगढ़ में कोई मामला किया है, उसने गुजरात के अन्दर कोई मामला किया है तो वे सारे मामले इनके कोर्ट में आकर हस्तान्तरित होंगे। क्या यह सम्भव है? मतलब आप कानून बना रहे हैं। कानून की पूरी बैटरी आपके पास है तो आपको निश्चित तौर पर इसमें देखना चाहिए।

सेक्शन 8 में आपने इसमें लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया है। आप कह रहे हैं कि लोक अभियोजक स्पेशल कोर्ट में जो बनायेंगे, संगठित अपराध में, वह होगा जिसको विधि का दस साल का अनुभव होगा। सभापति महोदय, सीआरपीसी में सेक्शन 24(7) के अन्दर, जिसे पीपी कहते हैं, लोक अभियोजक, उसकी अर्हताएं सात साल हैं। सात साल तो सीआरपीसी, जो पूरे देश में लागू है। यह सेक्शन 24(7) कह रहा है। ये सेक्शन 8 के अन्दर लेकर आये हैं कि दस साल होगी। यह सीआरपीसी के प्रोविजन के कान्ट्रावेंशन में आपके जो प्रोविजन हैं, वे कैसे टिकेंगे? आप उत्तर दें तो उसका जवाब जरूर दे देना।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह जो सेक्शन 10 है, इसमें विशेष आपने न्यायालय को शक्तियां दी हैं। सभापति महोदय, शक्तियां क्या दी हैं, यह आप देखें। इन्होंने कहा है कि सेक्शन 7 में गठित किसी विशेष न्यायालय में कोई मुकदमा दायर होगा तो अन्य मुकदमे जो अपराधी के खिलाफ हैं, वे जब तक वहां स्थानान्तरित नहीं होंगे तब तक स्थगित माने जायेंगे। यानी एक अपराध राजस्थान के अन्दर कारित होता है संगठित अपराध में और वह सेक्शन 7 में स्पेशल कोर्ट में जाता है और अगर चण्डीगढ़ में कोई अपराध लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया तो वह स्थगित हो जायेगा, जब तक स्थानान्तरित नहीं होगा, मैं समझता हूं कि यह कैसे प्रोविजन होगा? यह जो सीआरपीसी में न्यायिक क्षेत्र परिभाषित किया है, उसके कान्ट्रावेंशन में आप कैसे करेंगे? अगर हो गया तो मुकदमों का अम्बार नहीं लग जायेगा। एक कोर्ट के अन्दर सारे मुकदमे बनाकर लेकर आओगे। सभापति महोदय, क्या यह सम्भव है? आपसे ज्यादा विधि का ज्ञाता कौन होगा, मैं सोचता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिए।

सेक्शन 13 से बड़ा प्रेम है। संगठित अपराधियों के फोन और इलेक्ट्रोनिक मैसेज इंटरसेप्ट करने का प्रावधान इसमें है। ये जो प्रावधान लेकर आये हैं, सभापति महोदय, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, The Indian Telegraph Act, 1885, उसके ओवरराइड इफेक्ट डाल रहा है। इनको कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने यह कहा है कि इसमें जो सेंट्रल एक्ट है, इसमें इन्होंने कहा कि हम इंटरसेप्ट करेंगे, सेक्शन 14 में गृह सचिव की अनुमति से हम सारे टेलीफोन टेप कर लेंगे। मंत्री महोदय, आपको ध्यान में है, अभी हाईकोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड के एक मामले में आपके टेलीफोन के इंटरसेप्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम या चीफ सेक्रेटरी की अनुमति से ही कर पायेंगे। आपने इसमें काम्पीटेंट अथोरिटी सेक्रेटरी मानी है। सेक्रेटरी नहीं होगी, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा क्योंकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अन्दर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम लिखा है। आप जो टेलीफोन टेप की बात कर रहे हैं, सभापति महोदय, इनका टेलीफोन टेप से बड़ा प्रेम है। सभापति महोदय, यह वही टेलीफोन है, जब किस्सा-कुर्सी में एक टेलीफोन की आडियो क्लिप ओएसडी टू सीएम को अचानक मिल गयी और राष्ट्रद्रोह के धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज। अब एफआर भी लगा दी। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हम पर आरोप लगा रहे थे कि एमएलए की खरीद-फरोख्त हो रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मना किसने किया है? सरकार लिये बैठे हो, जांच करायें। मैं आज इस सदन में चुनौती से कह रहा हूं कि यह किस्साकुर्सी के अन्दर यह टेलीफोन टेप किसने करवाये, इसकी जांच भी करवायें। यह भी जांच करवायें कि किस एमएलए ने किससे कब-कब पैसे लिये, इसकी जांच भी कराओ। अगर दोषी हैं तो उनको लटकाओ, पर यह हिम्मत आप नहीं करेंगे।

सेक्शन 18, जिसका जिक्र अभी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने किया, उसको भी कहना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2013 में अगर कोई अभियुक्त गिरफ्तार होता है, सभापति महोदय, वह एसपी या एसपी से ऊपर किसी को सीआरपीसी के सेक्शन 161 में बयान देता है, बयान पुलिस के सामने दे रहा है, वह कन्फेशन माना जायेगा। मतलब, मेरी समझ में नहीं आया, क्या यह सम्भव है क्या? कल्ला जी विराज रहे हैं नींद के झोंकें में। बताओ, क्या यह सम्भव है, सीआरपीसी के सेक्शन 161 में कोई मुल्जिम एसपी या एसपी के ऊपर के रैंक के, को बयान देता है तो कन्फेशन माना जायेगा। आपने जीपीसी तो लिख दी, गहलोत पैनल कोड, अब आप कौनसी सीआरपीसी लिख रहे हैं? ये भी घर की बनाओगे। मतलब ऐसे प्रोविजन डाल रहे हैं जो एनफोर्स हो ही नहीं सकते। इसके बारे में आप बताओ कि ये जो एविडेंस एक्ट बनाया है 1872 का, ये जो सीआरपीसी है 1973 की, इनके प्रोविजन क्या कहते हैं? कन्फेशन कौनसा माना जाएगा? फिर ये खतम ही हो जाए। कन्फेशन उसने मान ही लिया, सज़ा उसको आप कर ही देंगे। इस प्रकार के प्रोविजन के बारे में आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए।

मंत्री महोदय, ये सेक्शन 21(3), इस 21(3) में आपने क्या लिख दिया कि उसको अग्रिम जमानत नहीं। आईपीसी में 438, सभापति महोदय, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, 438 में मेरे को अग्रिम बेल का अधिकार है, यह कहते हैं कि वह अधिकार नहीं मिलेगा आपको। क्या कोई कानून इस हिन्दुस्तान में कोई विधान सभा ऐसा बना सकती है जो केन्द्र में प्रचलित विधि, जो आज आईपीसी (इंडियन पीनल-कोड) है, उसके प्रोविजन से इतर करके किसी को कह देगा कि नहीं, आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा? अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश महाराष्ट्र सरकार बनाम शांतिलाल शाह, इसमें उन्होंने कहा है कि जमानत का अधिकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपराधी का कानून सम्मत अधिकार है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो आप 21(3) के अंदर लेकर आये हैं, ये भी आपका चलने वाला नहीं है।

आपने 21(4) में लोक अभियोजन बनाए हैं, उनको असीमित अधिकार दे दिया। यानी किसी मामले में, किसी अपराधी की सुनवाई तब तक नहीं होगी जमानत की या दूसरे मामले की, लोक अभियोजक नहीं आएंगे तो सुनवाई नहीं होगी। लोक अभियोजक बीमार हो गए तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। जज को अधिकार नहीं। आज किसी मामले की सुनवाई करना, ये न्यायालय के अधिकार का आप अतिक्रमण कर सकते हैं? मतलब, आप आनन-फानन के अंदर, इस छोटे सत्र के अंदर आपने रिकार्ड बना दिया बिल पारित करने का। बस नाम लेना है कि देखो हमने ऐसा कर लिया। ऐसा करने से उत्तर प्रदेश के योगी नहीं बन सकते हैं। उसमें नीति व नीयत दोनों साफ चाहिए। नीति व नीयत दोनों में खोट है। 21(3) में आपने ये कह दिया कि संगठित अपराध, इसमें अगर कोई एफ आई आर दर्ज होगी तो उसमें संगठित अपराध के प्रोविजन में तो डी आई जी को बताना पड़ेगा आपको। डी आई जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन एफ आई आर कराना और पुलिसिंग के सिद्धांत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं आप? मेरे समझ से परे की बात है।

इसी तरह धारा 23(2) में विशेष न्यायालय में अगर कोई काग्निजेंस भी लेना है तो एडीजी की उसमें स्वीकृति चाहिए। आप न्यायालय के अधिकार ले सकते हैं? कोर्ट की शक्तियां पुलिस के नियंत्रण में आ सकती है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक और बात कहकर मैं मेरी बात को सीमित करने की कोशिश करूंगा। अब इन्होंने सेक्शन 28 में लिखा है कि हाई कोर्ट इस विधेयक के अंतर्गत विशेष न्यायालय के संबंध में कार्यवाही के लिए नियम बना सकता है, ठीक बात है और सेक्शन 29 में लिख दिया कि राज्य सरकार बना सकती है। मतलब आप सेक्शन 28 और सेक्शन 29, एक तरफ कह रहे हैं हाई कोर्ट नियम बनाएगा, न्यायालय का मामला बनाएगा, सेक्शन 29 में कह रहे हैं सरकार बनाएगी। इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए।

इस पूरे बिल में आज जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, सभापति महोदय, साइबर क्राइम में झारखंड के जामताड़ा से भी हम आगे निकल गये, भरतपुर का मेवात। ऐसा ही टिटलूबाज साइबर क्राइम से बैठा-बैठा नेता और अफसरों को ठग लेता है। मैं समझता हूं उसकी बात लिखते तो ज्यादा ठीक था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंत में, मंत्री महोदय, संगठित अपराधों की इस परिभाषा में इन पेपर लीक करने वालों को किस तरह लेकर आएंगे? ये जो हमारे लोक सेवा आयोग के उच्च पदस्थ संस्थाओं में जो लोग बैठ कर पेपर चोरी करते हैं, पेपर लीक करते हैं, इनसे बड़ा संगठित अपराधी कोई और हो नहीं सकता। इनको इस परिभाषा में, ये मेरा सुझाव है जिसको आप रिजेक्ट करेंगे कि इनको भी इस परिभाषा में शामिल किया जाए। मैं समझता हूं कि ये जो संगठित अपराधी हैं इनको इन संस्थाओं में भेजा किसने? वह भी तो एक तरह से अपराधी हो गया, पिछले दरवाजे से। इन सबके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए।

मैं अंत में यही कहूंगा ये पूरा कानून जो आनन-फानन में सरकार लेकर आयी है, इससे न तो चिट्टे का व्यापार रुकेगा, जो माननीय सदस्यों ने चिंता की, न सट्टे का रुकेगा, न बजरी का रुकेगा, न नशीली दवाइयों का रुकेगा। ये पुलिस भी आपकी यही है, आपकी नीति और नीयत भी यही है। जब तक इन अपराधियों की समीक्षा लगातार नहीं होगी, तब तक अपराधी बेकाबू रहेंगे। दहशतगर्दी का वातावरण जो राजस्थान में लगातार बना है, यह दहशतगर्दी का वातावरण इस सरकार के लिए एक तरह से बदनुमा दाग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत के लिए भेजेंगे तो ये कम्पीटिशन करना वीडियो कंटेस्ट, इसका कंटेस्ट करा दो आप, पता लग जाएगा कि इनके पक्ष में कितने मत आते हैं। आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 39)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2023 को मध्याह्न पश्चात् 4:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023	1. राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023; 2. राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023; एवं 3. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023; - पर विचार एवं पारण। 4. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2023-24 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान, पारण एवं तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023	1. राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023; 2. राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023; 3. मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023; एवं 4. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023; - पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023	1. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) विधेयक, 2023; 2. राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023; 3. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023; एवं 4. राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023; - पर विचार एवं पारण।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान में अपराध की प्रवृत्तियों के अध्ययन के बाद जो नीति विशेषज्ञ थे, सब्जेक्ट विशेषज्ञ थे, उनकी सलाह पर ये पिछले दशक अपराध के पैटर्न में जो बदलाव आया, जिस पर उन्होंने ये सलाह दी कि हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराधों के लिए पहले जब व्यक्ति करता था तो अकेले करता था और अब समूह में होने लग गये। किन्तु पिछले दस वर्षों से, आप जो यह समझते हैं कि साढ़े चार साल में हो गया, साढ़े चार साल में हो गया, ये आर्गनाइज्ड क्राइम पिछले दस साल से चल रहा है, जिस पर आपकी पिछली सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया। दस सालों से नई उम्र के अपराधी गिरोह बनाकर अपना जीवन संगठित अपराध की दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसे उदाहरण सामने आये हैं कि राजस्थान के कुछ जिलों में संगठित आपराधिक गिरोह ने शूटर, मुखबिर, गुप्त सूचनाएं देने वाले और हथियार सप्लाई करने वालों को सम्मिलित कर वेल आर्गनाइज्ड नेटवर्क स्थापित कर लिया है।

पूर्ण रूप से संगठित यह गिरोह मुख्य रूप से कांट्रेक्ट किलिंग करने, बिजनेसमैन को धमकी देकर उनसे पैसा वसूल करने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, सुरक्षा रेकेट्स आदि पर फोकस कर रहे हैं और इनमें भारी लाभ कमाने की सम्भावना रहती है। यह गिरोह इन अपराधों से बड़ी मात्रा में सम्पत्ति का संग्रह करते हैं और उसका उपयोग जेल में बन्द अपने सहयोगियों की देखभाल करने और आपराधिक मुकदमा लड़ने के लिए महंगे-महंगे वकील

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करके उनकी जमानत करवाने की कोशिश करते हैं। जो लोग गवाही देने आते हैं उनको भी चेतावनी देकर या किसी तरीके से डरा धमका कर उन गवाहों को होस्टाइल करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपराधी क्रिमिनल लॉ और प्रोसिजर के सुधारात्मक और पुनर्वास सम्बन्धी पहलुओं का फायदा उठाते हैं और आगे अपराध करने के लिए कस्टडी से रिहा हो जाते हैं। कुछ समय से यह गिरोह जनता में अपनी ऐसी डरावनी छवि बनाकर रखे हैं जो वास्तविकता से परे होती है। इस तरह की छवि व्यापारियों और उद्योगपतियों को संरक्षण के बदले धन वसूल करने और इन गिरोह की मदद करने के लिए उनके खजानों को समृद्ध करती है।

मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि साढ़े चार साल बाद सोकर आप जागे हो। यह आपके टाइम भी खूब आर्गनाइज हुए हैं क्राइम। बाकायदा गैंग चलती थी। गिरोह इसी तरह का पैसा वसूल करते थे, कांट्रेक्ट किलिंग होती थी, आपके टाइम पर भी यह सब चीजें होती थीं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले 1999 में महाराष्ट्र ने मकोका नाम का एक एक्ट पास किया। उस मकोका एक्ट के बाद 2000 में कर्नाटक ने इसी तरह का एक्ट पास किया। अब जाकर 2019 में गुजरात ने यह एक्ट पास किया। यह तीन स्टेट हैं पूरे हिन्दुस्तान में जिन्होंने इस तरह का एक्ट पास किया है, या चौथी स्टेट अब राजस्थान है, जिसको यह सदन पास करने जा रहा है। सिर्फ तीन स्टेट हैं। यह बताइये कि क्या जरूरत आ गई थी गुजरात और महाराष्ट्र में इस एक्ट को पास करने की? आर्गनाइज्ड क्राइम वहां पर भी थे, तभी तो यह हुआ, तभी तो आवश्यकता पड़ी। आज यहां पर भी आर्गनाइज्ड क्राइम है, हम मना थोड़े ही करते हैं। हम तो खुद कहते हैं कि हां, यह है और उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। उसी मकोका को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको upheld किया। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुना देता हूं - "In view of the aforesaid discussions, we allow the appeals of the State Government, insofar as the constitutional validity of Sections 13 to 16 of MCOCA is concerned. We upheld the validity of the said provisions..." हाईकोर्ट ने "the decision of the High Court striking down" कर दिया था इसको। "The decision of the High Court striking down the

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

words "or under any other Act" from sub-section (5) of Section 21 of the Act is however, upheld. The parties to bear their own costs." यह का यह एक्ट, जो मकोका का बनाया गया, यह का यह एक्ट जो महाराष्ट्र ने बनाया, उसी को कर्नाटक ने बनाया, उसी को गुजरात ने बनाया और उसी को हमने बनाया। हमने इसमें कोई चेंजेज इसीलिए नहीं किये कि अगर चेंजेज करते तो यह मामला प्रेसिडेंट के पास जाता और यह लम्बा खिंच जाता और सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज भी हो सकता था। जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया वह का वह ही यह एक्ट है। अब आप इसकी इफ एंड बट में जाओ और यह कहो कि यह यूं हुआ, यह यूं हुआ, तो वह तो मेरा ख्याल है इसमें कोई 25 खण्ड हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको टोकना नहीं चाहता, आप क्या इसको प्रेसीडेंट की कंसल्ट के लिए नहीं भेजोगे? नहीं भेजना पड़ेगा? क्या इसको राष्ट्रपति महोदय की कंसल्ट के लिए नहीं भेजना पड़ेगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बैठिए, मैं आपको अभी बताता हूं। कंसल्ट के लिए भेजना अलग चीज है और उसमें कुछ चेंजेज कर देना अलग चीज है। यह प्रेसिडेंट से पास हो चुका है, तीन-तीन स्टेट में पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पास हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान में कानून बनेगा तो क्या राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी अनुमति के लिए नहीं जाएगा क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर इसमें कुछ चेंजेज करते तो वहां दिक्कत आती। आती या नहीं आती, यह बता दो आप। अगर चेंजेज नहीं किये, हूबहू है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वहां भेजना पड़ा तो। बात सुनिए।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, किसी ने इस एक्ट को नहीं पढ़ा। किसी ने एक्ट को नहीं पढ़ा। इस एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई थीं, उसी के बारे में प्रश्न पूछ लिए। आपने पढ़ा, लेकिन आप 25 सेक्शन में से सिर्फ 3

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

-4 सेक्शन पढ़कर रह गए और आपने इतिश्री कर ली कि हां, मैंने पूरा पढ़ लिया। 3-4 सेक्शन से ज्यादा आपने भी नहीं पढ़ा। आपने कहा कि ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा इसका। दूसरी तरफ चालू हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट हैं। सेक्शन 24 उठाकर देख लो, 25 देख लो, उसमें ओवरराइडिंग दिया हुआ है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं होगा। थोड़ी गम्भीरता रखो। प्लीज शान्त रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको सेक्शन 25 पढ़कर सुना देता हूं। सेक्शन 25 में प्रावधान है कि इस एक्ट के प्रावधान या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम किसी अन्य विधि के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों या नियमों के अतिरिक्त लागू होंगे, यानी कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं हो सकता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं हो सकता तो आप कोर्ट में चेलेंज कर देना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं हो सकता तो आप कोर्ट में चेलेंज कर देना। यह एक्ट है, आलरेडी जैसा मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह upheld कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या हो रहा है आपको यह? (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको जानकारी ही नहीं है और ठोके जा रहे हो। (व्यवधान) जैसा कि मैडम दीप्ति जी ने कहा कि इसकी परिभाषा क्या है। अब आपने सबसे पहले वाला सेक्शन 2 है वह ही आपने नहीं पढ़ा। आप सेक्शन 2 पढ़िए

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसमें परिभाषा साफ लिखी हुई है। आपके पास एक्ट है तो निकालकर देखो। इसमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि संगठित ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं कह रहा हूं आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसमें यह बताया गया है कि संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। कुल मिलाकर बात यही है न कि इससे तात्पर्य क्या है? इसके अलावा भी अन्य बातों को परिभाषित किया गया है, मैं नीचे पढ़ता हूं। संगठित अपराध का मतलब है संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या सिंडिकेट की ओर से या तो अकेले या समूह के रूप में वित्तीय या आर्थिक या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने या विद्रोह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंसा और हिंसा की धमकी या अभित्रास इंटीमिडेशन या प्रपीड़न या अनलाफुल एक्टिविटी करना होता है। यह साफ लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा यह है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। यह आपके सिर के ऊपर से जा रहा है। विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मदन जी, यह कानून का विषय है। मेहरबानी करो, आपको कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, कृपया अपने सदस्य को रोकिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, आपका सबजेक्ट ही नहीं है। विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राज्य में संगठित अपराध की उभरती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य समझा गया कि राज्य में इस प्रकार का कठोर कानून लाया जाए। जो संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी और लीगल कार्यवाही करने के लिए पुलिस को सशक्त बनाने के लिए, कहा गया कि पुलिस सशक्त नहीं है, यहां पर आर्गनाइज्ड क्राइम पर बात हो रही है और बात चल रही है कि पुलिस को गाड़ी नहीं है, पुलिस को वह नहीं है, पुलिस को वह नहीं है, पुलिस को दैनिक भत्ता कम है, इस तरह की बात हो रही है। तो यह पुलिस को सशक्त करने के लिए ही लाया गया है। ऐसे अपराधों के जरिए अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने और इस कानून के तहत किये गये अपराधों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है ताकि ऐसे अपराधों के मुकदमों का जल्दी ही निपटारा किया जाकर अपराधियों को सज़ा दिलाई जा सके, कुल मिलाकर बात यह है। इसके अलावा तो ये बोल लेंगे।

अब सवाल यह रह गया कि जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कैसे भी विचार रखे, लेकिन किसी भी तरीके से विचार तो रखे। गलत रखे या सही रखे पर उन्होंने विचार रखे तो सही। कम से कम बोले तो सही। कानून नाम की क्या चीज है, कम से कम यह तो समझने की कोशिश की। लाहोटी साहब बोले, बाबुलालजी खराड़ी बोले कि अपराधी की मदद करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो, तो फिर इसमें किसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है? अपराधियों की मदद करने वालों के खिलाफ ही तो कार्यवाही हो रही है। अपहरण होते हैं, बिहारीलालजी बोले। श्रीमती संतोषजी बोलीं कि एफ.आई.आर. थाने में दर्ज नहीं होती, तो हमने यहां तक कह रखा है कि भाई, एस.पी. के पास चले जाओ। एस.पी. को दर्ज करनी पड़ेगी दस बार। कोई एक आदमी भी गया क्या एस.पी. के पास? बेकार की बात करते हो। खामख्वाह हल्ला करने की कोशिश करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। अंकित नहीं होगा किसी का भी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जोगेश्वरजी गर्ग बोले, अभिनेश महर्षि बोले। रफीक भाई बोले, संयम लोढ़ा बोले। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब, राठौड़ साहब, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने यह कहा कि सीआर.पी.सी. के प्रावधानों के यह विपरीत है। आपने यह कहा है न? उत्तर में मैं आपको यह बताता हूं कि सीआरपी.सी. की धारा-5 पढ़ लो आप, उसमें यह साफ लिखा हुआ है। यह कहती है कि सीआरपी.सी. में कुछ भी लिखा होने के बावजूद भी राज्य विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकता है। सेक्शन-5 पढ़ लो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) रिकार्ड पर सारी बात आ रही है। यह बाद में जो इस रिकार्ड को पढ़ेंगे न, जो आप बता रहे हो न कि सीआर.पी.सी. में यह लिख रखा है कि कोई राज्य सीआर.पी.सी. के प्रोविजन से इतर जाकर भी कानून बना सकता है, मर्जी हो जो कानून बना सकता है, यह बात रिकार्ड पर जा रही है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह लिखा हुआ है। लिखा होने के बावजूद भी, राज्य विशेष प्रक्रिया के, विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकता है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकता है। यह विशेष प्रक्रिया का कानून है।

धारा-28 में विशेष न्यायालयों के लिए आपने बात करी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। इसके नियम कौन बनायेगा? उच्च न्यायालय बनायेगा। उच्च न्यायालय बनायेगा और धारा 29 में राज्य सरकार को, धारा 28 में माननीय उच्च न्यायालय को दिये गये अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अधिनियम के सम्बन्ध में यह नियम बनाने का अधिकार दिये गये हैं, दोनों प्रावधानों में कोई विरोधाभास नहीं है।

आपने लोक अभियोजक बनाने के लिए कहा। लोक अभियोजक भी 10 साल की जिसकी स्टेंडिंग होगी, वह बनेगा। ऐरा-गैरा नहीं बनेगा, जैसे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आपके राज में बन जाता था न कि दो साल पास किये हैं एलएल.बी. और उसको कर दिया, उसको वकील बना दिया, ऐसे कई किस्से किये हैं आपके राज में।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जिसने एक भी केस लड़ा नहीं हो, वह भी बन गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह भी बन गया? बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि यह तो अच्छा किया इन्होंने वरना बगैर वकील के ही वकील बना देते।

लोक अभियोजक बनाने के लिए कम से कम 10 वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। सेक्शन-24 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अर्थात्, इसके अधिक अनुभवी को लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक बनाया जा सकता है।

टेलीफोन ट्रैकिंग के लिए, टेलीफोन टैपिंग के लिए कहा आपने। टेलीफोन ट्रैकिंग का तो बहुत लम्बा किस्सा है। बहुत लम्बा किस्सा है। कई बार कह चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो अभी का बताओ न। आपने मुकदमे दर्ज करवाये थे टेलीफोन टैपिंग के। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई बार कह चुके, उन बातों को याद मत दिलाओ। दिलाओगे तो फंस जाओगे। फंसे पड़े हो। फंसे पड़े हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): लोकेश शर्मा कौन है, वह टैप लेकर आया था न चार-चार, कहां से आई थी वह टैप? कैसे करवाया था मुकदमा? सचिन पायलटजी पर कैसे मुकदमा करवाया आपने? अपने मंत्री पर, पास लेकर बैठे हैं उनको, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाते हो। हम से आंख लड़ाते हो? हम से आंख लड़ाते हो यहां?

श्री सभापति: विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विराजो-विराजो। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम शांतिलाल शाह के निर्णय में इसको वैधता घोषित की है। समझे आप? जो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आपने कहा न कि इससे लो, इससे लो, तो उनको सबको, ठेठ सुप्रीम कोर्ट ने वैधता घोषित की है उसकी। दूसरा, आपने यह भी कहा कि, साहब, एविडेंस एक्ट के और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट में कोई विरोधाभास नहीं है? कोई विरोधाभास नहीं है उनमें।

बढ़ते अपराधों की रोकथाम और अनुसंधान के लिए प्रत्येक थाने में साइबर सेल भी गठित किये गये हैं। यहां पर साइबर सेल के बाबत कइयों ने सवाल किये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी, यह टेलीफोन टैपिंग में मैं बड़ी तसल्ली से यह कह रहा हूं कि हाई कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आपके खिलाफ आया है शशिकांत वाले मामले में। आप चाहें तो उनसे पूछ लें। रेवेन्यू बोर्ड में आपने टेलीफोन टैप करवाये थे, जिस आधार पर गिरफ्तारियां की थीं। वह आई.जी. को आपने काम्पिटेंट अथोरिटी मानकर करवाया था, वह सारे उन्होंने यह कह दिया कि यह admissible evidence ही नहीं है अगर मैं गलत हूं तो रिकार्ड पर मेरी बात आ गयी है। इसी राजस्थान के हाई कोर्ट ने शशिकांत के मामले में यह किया है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इससे नुकसान किसको हो रहा है, राठौड़ साहब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपके बस की बात नहीं है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो आपके है वह मेरे भी बस की है। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गत एक दशक से जिस प्रकार से आर्गनाइज्ड क्राइम बढ़े हैं, यह आप भी मानते हो? अपने टाइम पर नहीं मानोगे? आपके टाइम पर आर्गनाइज्ड क्राइम नहीं थे? इसलिए अपराध संगठित होकर किये जा रहे हैं, उसे देखते हुए कठोर कानून की आवश्यकता थी और आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में, कानून लाने के लिए कारण साफ-साफ लिखे हुए हैं।

अब आप तो, हद कर दी आपने तो। कन्हैयालाल के लिए कह दिया कि साहब उन दो लड़कों ने पकड़े। वे दो लड़के पकड़ सकते हैं क्या? उसके हाथ में चाकू था। उनके हाथ में चाकू था, क्या पकड़ लेते वह? पुलिस ने पकड़े हैं और उसको भारत के गृह मंत्रीजी यह कहते हैं कि, साहब, एन.आई.ए. ने पकड़े हैं। गजब कर रहे हो? असत्य की भी इंतहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप स्पेशल कोर्ट बनाओगे या नहीं बनाओगे, यह बता दो उनके लिए। कन्हैयालाल के मामले में पकड़ा आपने। (व्यवधान) उनको सज़ा दिलाने के लिए एन.आई.ए. की स्पेशल कोर्ट बनाओगे या नहीं बनाओगे? वह मना कर दो आप तो कि ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप ही बता दो कि किसने पकड़ा? आप ही बता दो किसने पकड़ा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम ही ने यह दिया है। एन.आई.ए. को किसने दिया? हम ही ने दिया है एन.आई.ए. को।

बिल में जमानत आसानी से नहीं हो और अग्रिम जमानत नहीं हो, यह तक प्रोविजन रखे गये हैं इसमें। अब इससे ज्यादा हार्ड आप क्या चाहते हो? वह बता दो।

आज कम से कम महाराष्ट्र में जो कुछ गैंगवार, जो उस जमाने में हुआ करती थी 1999 से पहले, उसमें काफी कुछ कमी आयी है और वह इसी मकोका एक्ट, जो एक्ट यहां पर बनाया जा रहा है, यह उसी एक्ट के तहत काम आयी है, तो इसकी सफलता पर आप लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। आपको तो वे सजेशन देने चाहिए थे कि और इसको किस प्रकार से मजबूत करें लेकिन आप तो वही रांड-रोजना रो रहे हो। यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह असंसदीय शब्द है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह नहीं है, वह नहीं है। वह नहीं पकड़ा जाये। यह नहीं पकड़ा जाये।

दूसरी बात, यह भी देखिये आप कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता था आज वह उससे कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। अधिकतर मामलों में समय रहते हुए अपराधियों को पकड़ा गया है और जहां तक आप यह कहते हो कि, साहब, 20 परसेंट क्राइम बढ़ गया, तो आपके टाइम में तो एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं होती थी। हमने तो कम्पल्सरी कर दिया एफ.आई.आर. दर्ज करना, तो जब यह जानते हुए भी कि अपराधों की संख्या बढ़ेगी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह? माननीय सदस्य, प्लीज। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये आप। नेता, प्रतिपक्ष, प्लीज, आप थोड़ा कंट्रोल करें। आपने भी तो अपनी बात रखी है। प्लीज विराजिए आप। आपने अपनी बात नहीं रखी? आसन पैरों पर है। कुछ अच्छी परम्पराएं सीख लीजिए। विराजिए आप। कुछ संस्कार ले लीजिए। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी बात नहीं रखी? मंत्रीजी को अपनी बात रखने का अधिकार है। विराजिए आप।

(समय: 18.00 बजे)

मेरी बात सुनिए, आप सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूं। कई बार छोटे बच्चे जब मीठा ज्यादा खा लेते हैं न, उनको चुनिया हो जाता है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को चुनिया हो रहा है। हर बात पर खड़े हो जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, विधान सभा में जब चुनिया आ ही गया है तो जरा बता ही दो कि यह चुनिया चीज क्या है? यह सदन जानना चाहता है कि चुनिया है क्या चीज, यह कैसे पैदा होता है और यह कहां पैदा होता है? यह किस जगह पैदा होता है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, 25 सेक्शन का एक्ट है यह। अगर मान लीजिए कि इस एक्ट में इनको खराबी दिख रही थी तो इन्होंने संशोधन क्यों नहीं पेश किया? क्यों नहीं पेश किया संशोधन? एक तरफ तो आप मन ही मन में तो मान रहे हो कि सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इससे अच्छा एक्ट नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आलोचना की दृष्टि से आप इधर-उधर की बातें कर रहे हो, जो इस एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखती। मेरा आपसे यही निवेदन है प्रतिपक्ष के मेरे साथियों, जनमत जानने के लिए जो आपने प्रस्ताव रखा है, उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 20, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20 स्वीकार किए जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 20 स्वीकार किये गये।

खण्ड 21, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 का विधेयक के खण्ड 21 के उपखण्ड 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'या किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन' हटायी जावे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 21 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 21 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 22 से 29, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 से 29 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

(सभापति)

खण्ड 22 से 29 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, आपकी सरकार ने अवैध तरीके से जो फोन टेपिंग किया, वह संगठित अपराध की श्रेणी में आयेगा या नहीं?

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फोन टेपिंग का मामला काफी उठ चुका है, गर्ग साहब। आप भी मन में खूब जानते हो। क्यों हमसे मुंह पर कहलवाना चाहते हो। अपराधी आप ही की पार्टी के लोग हैं।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री हरीश चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मैं राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 के समर्थन में यहां खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान को आज इसी चीज की जरूरत थी। राजस्थान में आज जो संगठित अपराध हो रहा है, सरकार ने आज विधेयक लाकर उसके सन्दर्भ में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है।

सभापति महोदय, यह संगठित अपराध कई दिशा के अन्दर हो रहा है। पेपर लीक के सन्दर्भ में भी संगठित अपराध हो रहा है। उसकी जड़ कहां से शुरू हुई है और वह कहां तक पहुंचा है एक लम्बी दास्तां है। आर.पी.एस.सी. के अन्दर पेपर बनाने के लिए जो अधिकृत थे, जो पैनल है, वहां से शुरू होकर पेपर लीक तक का सफर है।

(श्री हरीश चौधरी)

मादक पदार्थ, शराब, एनडीपीएस में भी संगठित अपराध है। आज सबसे बड़ी अगर हमारे प्रदेश के सामने चुनौती है तो सिंथेटिक ड्रग्स है। सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो हमारे प्रदेश में एमडी और स्मैक है। अगर आज हम लोग इसको रोकेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों के बारे में अच्छा विचार नहीं रखेगी। कामरेड बोल रहे थे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ तक ही है लेकिन सच्चाई यह है कि हर गांव क्या ढाणियों तक यह स्मैक आ चुकी है। अगर हम लोग इस मामले में जड़ तक चर्चा कर समाधान नहीं निकाल पाये तो गम्भीर स्थिति जो आज बनी हुई है, वह हमारे हाथों से बाहर चली जायेगी।

आज भूमि के सन्दर्भ में संगठित भूमाफिया हैं, उसकी जड़ और कारण क्या हैं? किस नियम, किस कानून और किस प्रक्रिया के माध्यम से हम संगठित अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं?

सभापति महोदय, मेरे को मेरी पार्टी ने सीमित समय दिया है, नहीं तो तमाम जो संगठित अपराध हैं, उनके सन्दर्भ में मैं बात करता। सीमित समय है इसलिए एक दो विषय के सन्दर्भ में ही बात कर सकता हूं।

आज प्रदेश के अन्दर हमारा जो पुलिसिंग का तरीका है, उसको बदलने की आवश्यकता है या नहीं है? क्या सिर्फ हम लोगों की प्राथमिकता लॉ एण्ड आर्डर होना चाहिए और क्या पुलिसिंग पैटर्न है, उसके अन्दर वर्टिकल डिविजन लॉ एण्ड आर्डर और इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में चर्चा करके पैटर्न नहीं बदलना चाहिए? आज हम लोगों को सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भी अपराधी है वह अपने संसाधनों की ताकत पर कानूनन लड़ाई लड़ कर लीगली उससे संरक्षण प्राप्त कर लेता है। उसके कारण आज प्रदेश के अन्दर गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं।

सभापति महोदय, बजरी के मामले में इन पांच सालों में और उससे पहले प्रदेश के अन्दर जो संगठित अपराध हो रहा है, मैं लगातार सोचता रहा हूं और आज भी सोच रहा था कि स्वयंभू राजस्थान विधान सभा के जो सबसे सीधे सदस्य हैं, वह तो इस प्रदेश को कम से कम सच्चाई बतायेंगे ही, लेकिन सदन के अन्दर कभी भी उनके मुख से मैंने नहीं सुना। एक तरफ तो सबसे सीधे और उसके बाद में बाबा और दादा, एक तरफ तो सबसे सीधे हैं और दूसरी तरफ आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं।

(श्री हरीश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, यह हंगामा क्यों होता है? जो मूल मुददे हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? आज प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसकी जड़ क्या है? सदन के अन्दर हम चर्चा करके प्रदेश को सच्चाई क्यों नहीं बताते? नई-नई तरह की संस्कृति आ गयी है। हमारे लोक सभा के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य संस्कृति ला रहे हैं और प्रदेश को उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। जो मूल मुददा है, जो मूल समस्या है, उसकी तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। धरना-प्रदर्शन करवाते हैं, फिर प्रशासन जाता है, पुलिस जाती है और वह धरना-प्रदर्शन कैसे उठे, मीठी गोली दे देते हैं। वह मीठी गोली देने को अपनी दुकान बना रखी है। माननीय सभापति महोदय, यह मीठी गोलियां देना हम कब बंद करेंगे और प्रदेश को हम लोग कब सच्चाई बतायेंगे? सवाल यह है। क्या प्रदेश के अन्दर यह संस्कृति हम लोगों के लिए सही है? वह मीठी गोली चाहे सीकर के अन्दर दी, क्या उस बच्ची का मेडिकल के अन्दर दाखिला हो गया है, किसी ने यह पूछा? उन महानुभाव से पूछा, उन अधिकारियों से पूछा, जो अपने आप में प्रिविलेज लेकर इस समाज के अन्दर, व्यवस्थाओं के अन्दर जाते हैं, उनसे पूछा? जोधपुर के अन्दर उस सैनिक के लिए जो उस दिन घोषणा हुई, उस सैनिक के साथ जो वह तमाम बातें की गयीं, वह लागू हुईं? यह जो ऐसी तमाम मीठी गोली देने की बातें हैं, तमाम जगह यही प्रक्रिया अपनायी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, आज बजरी के सन्दर्भ में मैं बताना चाहता हूं। आज सबसे बड़ा संगठित गिरोह और उसको संरक्षण देकर उसके माध्यम से क्या-क्या खेल इस राजस्थान के अन्दर हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, बजरी की रायल्टी से बजरी की माइनिंग की लीज देना, क्या मतलब रहा? आज भ्रांतियां फैलायी जाती हैं कि इस बजरी के अन्दर 50 रुपये की रायल्टी है और बजरी में सरकार इतने पैसे क्यों ले रही है? बदनाम हमको किया जाता है, सरकार को किया जाता है पर यह हकीकत प्रदेश को कौन बतायेगा? क्या राजस्थान की सरकार ने यह किया? नहीं, राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। बजरी की रायल्टी के ठेके से लीज का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजस्थान के अन्दर रायल्टी से बजरी की लीज की व्यवस्था हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राजस्थान के अन्दर रायल्टी के ठेके की व्यवस्था खतम की जाये, जो न्यूनतम 45 रुपये

(श्री हरीश चौधरी)

हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज राजस्थान के अन्दर ओपन बिड हुई। ओपन बिड होकर जो सबसे ज्यादा रायल्टी के अन्दर बोली लगायी, उसको रायल्टी का ठेका मिला है।

आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम राजस्थान के नागरिकों को महंगी बजरी मिल रही है और बजरी महंगी मिलने का कारण क्या है? सदन के अन्दर कभी भी यह बात नहीं कही गयी, केवल आरोप-प्रत्यारोप हुए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं कि आज मेरे बाड़मेर जिले के अन्दर 2012-13 के अन्दर 58 करोड़ 52 लाख रुपये के अन्दर बजरी के लिये सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाद में जो आक्शन हुआ, उसमें लीजधारकों ने वह आक्शन लिया। 2012-13 से लेकर बाद में राजस्थान सरकार ने उसकी व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया। उस व्यवस्था के लिये वापस सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उस समय जो लीजधारक थे, उन्हीं के माध्यम से ही खनन हो सकेगा, उसके अलावा किसी और माध्यम से नहीं हो सकता। यह राजस्थान की जनता को कौन बतायेगा? राजस्थान की जनता को बताने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, हमारे सदन की है, ताकि राजस्थान की जनता को सच्चाई का पता चले। 50 प्रतिशत पैसा 2012-13 के अन्दर जमा हो चुका था, उसका ब्याज कितना होता है 18 प्रतिशत से, उसकी गणना कर लें तो पता चल जायेगा। सिर्फ बाड़मेर के लीज की जो कीमत थी वह 107 करोड़ के करीब बननी थी। वह पैसा किससे लिया जायेगा, वह हम, आम लोगों से लिया जायेगा। बातें की जाती हैं कि राजस्थान सरकार यह कर रही है, राजस्थान सरकार वह कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे सस्ती अगर बजरी कहीं मिल रही है तो राजस्थान के अन्दर वह मेरे जिले बाड़मेर के अन्दर मिल रही है। उसके अन्दर भी दो श्रेणी बनायी गयी। जो बाड़मेर जिले के आम नागरिक हैं, वह ट्रैक्टर के माध्यम से बजरी लेकर जायेंगे तो 300 रुपये टन मिलेगी और व्यावसायिक तौर पर बजरी लेकर जायेंगे तो 400 रुपये ट्रक के माध्यम से लेकर जा रहे हैं और जो स्वयंभू बजरी के मामले के अन्दर हैं, उनके खुद के जिले के अन्दर क्या स्थिति है? वह महंगी है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह महंगी क्यों है? जो ऊपर का पैसा, जो ट्रैक्टर के अन्दर 350 रुपया और ट्रक

(श्री हरीश चौधरी)

के अन्दर 450 रुपये लग रहे हैं, वह ऊपर का पैसा विवाद के कारण किनकी जेबों में जा रहा है, ठेकेदार की जेब में नहीं जा रहा। जो विवाद करने वाले हैं, वह कहीं न कहीं उसके अन्दर शामिल हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजरी की हकीकत क्या है, जिसमें यह लीज प्रीमियम के खर्चे का तो मैंने उल्लेख किया। इसके अलावा क्या-क्या हो रहा है और वह किससे लिया जा रहा है, वह हम आम उपभोक्ता से लिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यहां पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और उसको कैसे रोकें, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यह विवाद ही विवाद कर रहे हैं। क्या DMFT का पैसा हम लोगों से नहीं लिया जा रहा, क्या RSMT का पैसा हम लोगों से, आम उपभोक्ता से नहीं लिया जा रहा? यह सब केन्द्र सरकार के प्रावधान हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या GST शुल्क हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है? यह केन्द्र सरकार का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, क्या पर्यावरण विभाग का शुल्क CTO फीस केन्द्र सरकार का प्रावधान है, क्या यह हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है? वन और पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली के जो शुल्क इत्यादि हैं, वह केन्द्र सरकार की तरफ से लिया जाता है, क्या वह हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है? इसके अलावा, जो चार साल देरी हुई है, उन चार सालों के अन्दर बजरी की क्या स्थिति राजस्थान के अन्दर हुई है? उसके कारण यह महंगी हुई है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिये? बजरी का सीधा खनन हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह प्रदेश में हम लोगों को किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया। आज बजरी छनाई करने के लिये जो स्क्रीनिंग प्लांट लग रहे हैं, यह खर्चा कौन देगा? इसका फैसला किसने किया? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट और NGT ने किया। किसी सरकार ने नहीं किया। आज निगरानी के लिये, स्टेशनरी के लिये, CSR का खर्चा और कई तरह की बेगारें, जिसका उल्लेख अगर यहां कर दें तो एक तरह से हम दे रहे हैं। जो इनकम टैक्स है, वह भी हम आम उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। इतने खर्च हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो चीजें मैं इस सदन में रखना चाहता हूं, जो राजस्थान की जनता को पता लगनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, NGT ने क्या फैसला किया है? NGT ने यह फैसला किया है, NGT की 23 दिसम्बर, 2020 के अन्दर जो फैसला किया, उसके अन्दर, "The leases shall not sale and dispatch the mine sand directly from the river

(श्री हरीश चौधरी)

bed to the customer destination. The leases shall first transport mine sand to the destinated transit depot to be mentioned within 5 kms radial distance from the riverbank and sale and dispatch sand to customer destination only from the transit depot." यह फैसला किया है। इस सदन के अन्दर कभी भी चर्चा हुई? प्रदेश में कभी भी चर्चा हुई कि आम उपभोक्ता नदी या किसी और जगह से सीधी बजरी नहीं ले सकता? कानूनन तौर पर वह अवैध है अगर वह वहां से सीधी बजरी लेता है। आज मजबूरन क्या-क्या चीजें हो रही हैं, वह अलग बात है लेकिन कानून क्या कहता है कि पहले वह लीजधारक उस नदी से बजरी लेकर अपने खुद के डिपो के अन्दर लेकर जायेगा और फिर उसके खरीदने के लिये अधिकृत कोई भी व्यक्ति उसको खरीद सकता है। माननीय सभापति महोदय, यह नियम बना हुआ है। यहां पर कभी भी नियम की चर्चा हुई है? यह चर्चा नहीं हुई है। यह जिम्मेवारी अपनी नहीं है क्या? आज राजस्थान की जनता को यह बताने की जिम्मेवारी किसकी है? यह संगठित अपराध क्यों हो रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जुलाई और अगस्त के अन्दर राजस्थान के अन्दर किसी भी जगह माइनिंग नहीं हो सकती। कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता। राजस्थान सरकार भी माइनिंग नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट भी माइनिंग नहीं कर सकती। डिफेंस परपज से भी माइनिंग नहीं हो सकती है। जुलाई और अगस्त के अन्दर सम्पूर्ण बजरी खनन का बैन है। माननीय सभापति महोदय, यह जो समय और टाइमिंग है, इस तरह की बातें विवाद करने वाली हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किसका फायदा करना चाह रहे हैं? राजस्थान की जनता का फायदा करना चाह रहे हैं या उन ठेकेदारों का फायदा करना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है यह राजस्थान की जनता का फायदा नहीं करना चाह रहे हैं, वह ठेकेदारों का फायदा करना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। मैं कानून-नियम और व्यवस्था, तर्क के आधार पर यह बोल रहा हूं, आरोप लगाने के लिये नहीं बोल रहा हूं और मैं जो तमाम चीजें बोल रहा हूं उसको आन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जो लीगल माइनिंग है, उसके अन्दर जो एक गरीब गांव का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर से ट्रांसपोर्टेशन करके लेकर जा रहा है, वह अपने ट्रैक्टर के अन्दर सिर्फ तीन टन लीगल माइनिंग कर सकता

(श्री हरीश चौधरी)

है और वह भी ट्रैक्टर कौनसा, जो कामर्शियल हो रखा है, वह। कामर्शियल के अलावा किसी ट्रेक्टर को माइनिंग के अंदर वह ले नहीं जा सकता है। इसके बारे में भी कभी अपन ने चर्चा की है? नहीं। तमाम जो ट्रैक्टर, जो कामर्शियल नहीं हैं, उसके अलावा जो बजरी की माइनिंग हो रही है वह इल्लीगल माइनिंग है। क्या ट्रैक्टर के अंदर वह 3 टन माइनिंग से बजरी ले जाकर झौंपड़ी के लिए और मकान बनाने के लिए लेकर जाएगा? कितना पैसा उस गरीब का लगेगा? मजबूरन वह 3 टन की जगह और ज्यादा उसमें भरता है और वह लोग और व्यवस्था क्या कहते हैं, कि यह अवैध बजरी है।

आज ओवरलोड बजरी नहीं लेकर जायेंगे तो बजरी की कीमत कितनी बढ़ेगी? हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं पर यह बात, यह सच्चाई की हम लोग न तो चर्चा करते हैं और न ही राजस्थान की जनता को बताते हैं कि यह-यह कानून और यह-यह नियम हैं। इन कानून और नियमों के अंदर अगर हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो यह सस्ती बजरी नहीं दे सकते हैं। किसी पर आरोप, प्रत्यारोप हम लोग नहीं लगा सकते हैं।

आज प्रावधान क्या हैं? अगर नॉन-कामर्शियल ट्रेक्टर होगा तो उसके ऊपर पूरी की पूरी पैनल्टी होगी। पैनल्टी भी कितनी? 10 गुनी। अगर 50 रुपये रायल्टी है तो एक टन की उसके ऊपर 500 रुपये की रायल्टी और उसके बाद में एक लाख रुपये एनजीटी का और जुर्माना। इसी तरह से यह जुर्माने बाकी दूसरों के ऊपर भी हैं। अगर 25 लाख से ऊपर के हैं तो 4 लाख, 25 लाख से नीचे हों और 5 से 10 साल पुराने हों तो उसमें 3 लाख, इस तरह की एक अलग व्यवस्था है।

सभापति महोदय, आज 2 जगह मेड़ता, नागौर के अंदर बजरी खनन अगस्त के अंदर बंद हो रहा है। जुलाई और अगस्त के अंदर कोई खनन नहीं कर सकता है। नागौर का आम उपभोक्ता कहां से बजरी लेकर आएगा? यह मैं पूछना चाहता हूं। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इकलौता विकल्प है।

सभापति महोदय, नियम क्या कहते हैं। वह लीज-धारक ही उसके अंदर एनटाइटल्ड है स्टाक रखने के लिए। लीज-धारक के अलावा राजस्थान के अंदर किसी के पास अधिकार नहीं है जो स्टाक रख सकता है। स्टाक भी कितना रख सकता है? कोई भी कांट्रेक्टर, कोई भी पंचायत नियमानुसार 2 ट्रक से ज्यादा स्टाक नहीं रख सकती है। वह तमाम जो पंचायत हैं, कांट्रेक्टर हैं उन्होंने 2 ट्रक से ज्यादा अगर स्टाक किया तो वह सब के सब अवैध हैं।

(श्री हरीश चौधरी)

यह विजिलेंस का खेल, यह धरना, प्रदर्शन का खेल, यह विवाद का खेल, यह किसको फायदा पहुंचाने के लिए है? राजस्थान सरकार का खुद का नोटिफिकेशन फरवरी, 2014 के अंदर बिलकुल स्पष्ट है कि एसओ नंबर 188 के अंदर, बजरी के लिए 1200 क्यूबिक फीट से ज्यादा कोई भी बजरी का स्टाक नहीं कर सकता है। अब 1200 क्यूबिक फीट कितनी होती है? 48 टन। किसी को भी अधिकार नहीं है, अगर यह सच्चाई हम राजस्थान को नहीं बतायेंगे तो कौन बतायेगा?

माननीय सभापति महोदय, मजबूरन हम लोगों को कहां जाना पड़ रहा है? यह तमाम जो विजिलेंस के नाटक किये जा रहे हैं कि विजिलेंस भेजो, नियम बताओ, कानून के हिसाब से, क्या नियम, कानून और विजिलेंस से राजस्थान की जनता को सस्ती बजरी मिलेगी? नहीं। नियम, कानून और प्रक्रिया से किसी को अगर फायदा होगा तो सिर्फ उस ठेकेदार को होगा। ठेकेदार को क्यों होगा? क्योंकि इकलौते ठेकेदार के पास अधिकार है कि वह स्टाक कर सकता है।

आज मेड़ता में अगस्त के अंदर लीज खतम हो रही है। पाली में रायपुर के अंदर अगस्त के अंदर लीज खतम हो रही है। इन 2 महीनों के अंदर तो किसी प्रकार का खनन नहीं हो सकता है। उसके बाद भी 6 महीने तक जो स्टाक लीज-धारक के पास है, सिर्फ उसके पास अधिकार है कि वह बजरी किसी और को दे सकता है। आज भी राजस्थान सरकार जहां भी यह लीज की अवधि खतम हो चुकी है, कई जगह लीज की अवधि खतम हो चुकी है, भीलवाड़ा में कोटड़ी के अंदर हो चुकी है, नाथद्वारा में हो चुकी है, जालौर में हो चुकी है, राजसमंद के अंदर हो चुकी है, यह तमाम जगह जहां लीज की अवधि खतम हो चुकी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट मंगाकर, उन तमाम जगह के अंदर जो भी पालिसी बनानी है, वह बनाकर अगर हम लोग लोगों तक बजरी नहीं पहुंचायेंगे तो इकलौता जो बजरी का स्रोत होगा वह उस लीज-धारक के पास ही है। उसके पास स्टाक है। यह सच्चाई अगर हम लोग नहीं बतायेंगे और इस तरह के फैसले अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा?

माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के यहां पचपदरा में भी 19 अक्टूबर को लीज खतम हो रही है। गुढ़ामालानी के अंदर 7 मार्च को लीज खतम हो रही है। यह लीज खतम होने के बाद और स्थिति खतरनाक होगी।

(श्री हरीश चौधरी)

मेरा यह निवेदन है कि यह तमाम जो बजरी माफिया जिसके माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं और मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं।

मैं टोंक की बात करता हूं। टोंक के अंदर बहुत बड़ा लोगों ने नाटक किया कि हम यह कर लेंगे, हम वह कर लेंगे। खुद जाकर के एफ.आई.आर., वह एफ.आई.आर. किसके हित के लिए हुई है? मैं जिम्मेवारी से आज बोल रहा हूं कि जिस दिन वह लीगल प्रोसीक्यूशन होगा, उस दिन पूरा राजस्थान देख लेना, वह एफ.आई.आर. ठेकेदार के हित के लिए हुई है। उन गरीब मजदूरों के लिए एफ.आई.आर. के अंदर कुछ नहीं है। जिस तरह से वह एफ आई आर लिखी गयी है, बहुत ही वीक एफआई.आर. लिखी गयी है। सिर्फ और सिर्फ किसको फायदा पहुंचाने के लिए? ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए। पूरे राजस्थान में क्या बताना कि मैं बजरी की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस तरह का भी संगठित अपराध के अंदर जो हैं, क्या इस बिल के अंदर इन लोगों के लिए प्रावधान किया गया या नहीं किया गया, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

मैं सदन को और सदन के बाहर प्रशासन को और पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि इस तरह का खेल, मीठी गोलियों का बंद करो और इसकी राजस्थान को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। इस तरह की संस्कृति आप लोग बंद करो। यह संस्कृति की बात इसलिए कर रहा हूं कि लंदन के अंदर आज से 10 साल पहले बहुत बड़ा उत्पात हुआ था। उसके बाद वहां पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या फाइंडिंग रही, कि पूरे समाज के अंदर ग्लोरीफिकेशन आफ वायलेंस हो रहा है। उसके कारण जिस परिवार के अंदर बहुत संसाधन हैं, उसके बावजूद कि उसकी रेक में 500-500 टी-शर्ट हैं, उसके बावजूद भी एक डॉलर का टी-शर्ट लेकर उसके परिवार का सदस्य वहां जा रहा है। हम किस तरह की संस्कृति यहां पनपाना चाह रहे हैं?

यह तमाम संस्कृति, तमाम जड़ें, यह काले कांच की गाड़ियां चल रही हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चल रही हैं और हम लोग उस काफिले में उनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह के जो हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, वो ही संगठित अपराध की जड़ हैं। इस तमाम संगठित अपराध की जड़ को अगर हम लोग नहीं मिटायेंगे तो कुछ नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। आज

(श्री हरीश चौधरी)

संगठित अपराध की जड़ को वह खतम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सदन की जिम्मेवारी बनती है। सदन में दुनिया को बताने के लिए बोलते हैं जब सरकार में होते हैं, कि यह जन-प्रतिनिधि की डिजायरों से अधिकारियों के ट्रांसफर्स होते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा खेला है। मेरे खुद के सामने भी यह खेल बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि को कहता है कि आप यह डिजायर दे दो इस फलां अधिकारी के लिए। वह जन-प्रतिनिधि फट से उसकी डिजायर कर देता है। उसको वहां ट्रांसफर करवानी होती है, तो कुछ सैकंड भी नहीं लगाते हैं। बदनाम कौन होते हैं? बदनाम जन-प्रतिनिधि होते हैं। यह कई तरह के खेल हैं।

माननीय सभापति महोदय, शराब के रास्ते बिकना सबको पता है। जो डिस्टिलरी वाले हैं, किसी के पास बैठकर 5 मिनट बात कर लो कि यह शराब के रास्ते कैसे बिकते हैं? बदनाम जन-प्रतिनिधि को करते हैं। बदनाम सरकार को करते हैं। यह जो तमाम चीजें हो रही हैं, उसके अंदर हम सभी जिम्मेदार हैं। सिर्फ सरकार को जिम्मेवार बताकर आप उन लोगों की अप्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहे हैं। यह मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं। आप सिर्फ यहां के एमएलए को काला करके उन लोगों की मदद करना चाहते हो कि इस समस्या को जड़ से मिटाना चाहते हो? अगर मिटाना चाहते हो तो इस तरह के बिल के अंदर विवाद न करो। इस बिल के अंदर जो कमियां हैं उसकी हम लोग चर्चा करें। उस कमी के बारे में चर्चा करके, संशोधित करके भविष्य में यह बिल कैसे मजबूत हो, यह प्रयास हम लोगों को करना चाहिए।

जेहन में बातें बहुत हैं। राजस्थान के सामने समस्याएं बहुत हैं। आने वाले समय के अंदर भी हम लोगों के सामने अलग-अलग चुनौतियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो आईटी के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि साइबर क्राइम हो रहा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कुछ इधर की तरफ बोलो।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): इसके बाद जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकर, हम लोग चर्चा करके नियम नहीं बनायेंगे तो कौन बनायेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से यह जो आर्गनाइज्ड क्राइम भविष्य के अंदर बढ़ने वाला है, उसके संदर्भ में अगर हम लोग आज भी चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिस माध्यम से, जिस तेज रफ्तार से यह आर्गनाइज्ड क्राइम बढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): उन लोगों के पास वैपन कैसे हैं? उन लोगों के पास गाड़ियां कैसी हैं? हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उन लोगों के जैसी ही गाड़ियां हम लोग भी पुलिस को मुहैया करायें। हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए। उनके पास जो वैपन हैं, उससे अच्छे वैपन हों। हम बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहे हैं, आज स्टील बुलेट इन अपराधियों के पास हैं। क्या वह इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को छेदकर उस पुलिस कर्मी के अंदर नहीं जा सकती है? यह सब बातें पता हैं और हम लोग यदि चर्चा नहीं करके पहल नहीं करेंगे तो राजस्थान में कौन पहल करेगा?

आज इन संगठित अपराधियों के खिलाफ हम सभी को, पक्ष और विपक्ष को संगठित होकर राजस्थान से तमाम संगठित अपराधियों को बाहर निकालना होगा। यही प्रण लेना चाहिए और इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने की है। मैं तहेदिल से इनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। रामराम।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2023 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18:30 बजे बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2023 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्यालयों में स्काउट गाइड की अनिवार्यता

471. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्काउट गाइड गतिविधि समस्त विद्यालयों में अनिवार्य नहीं होने के उपरान्त भी प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक में स्काउट शुल्क लिया जाता है? क्या सरकार सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड गतिविधि को अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खिलाड़ियों की भांति स्काउट गाइड में अच्छी योग्यता वालों को सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार स्काउट गाइड को अधिक समावेशी बनाने एवं नई गतिविधियों के लिए कमेटी गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय विद्यालयों में प्रतिवर्ष कक्षा 9 से 12 तक स्काउट शुल्क के रूप में 5 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क लिया जाता है।

सत्र 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 48.01.0 के अनुसार ''चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में NSS/NCC/SCOUTS AND GUIDES की गतिविधियां प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।'' स्काउट गाइड गतिविधियां प्रारम्भ की जावेंगी। इसे 2 चरणों में 2023-24 एवं 2024-25 में पूर्ण किया जायेगा।

(2) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भीलवाड़ा के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

489. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खेलों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण ओलम्पिक योजना प्रारम्भ की गई है? यदि

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

हां, तो वर्तमान में जिला भीलवाड़ा के कितने खिलाड़ियों का किस-किस खेल में कौनसी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास विद्यालय में खेल मैदान की जमीन तो उपलब्ध है किन्तु खेल सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय उक्त समस्या से प्रभावित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में खेल संबंधी सुविधाओं को दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाडा जिले के जनवरी, 2022 से अब तक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार समग्र शिक्षा परियोजनान्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों को खेल सामग्री क्रय करने हेतु स्पोर्ट्स ग्रान्ट जारी की जाती है। समग्र शिक्षा में गत सत्र तक प्राथमिक श्रेणी के विद्यालयों को 5,000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 9,000 रुपये तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 रुपये का प्रावधान रहा है। सत्र 2023-24 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्पोर्ट्स ग्रान्ट में वृद्धि करते हुए 10,000 रुपये जारी कर दी गई।

राशि का उपयोग विद्यालयों द्वारा खेल सामग्री क्रय करने एवं उनके रख-रखाव में उपयोग में ली जाती है। इस हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् कार्यालय से स्पोटर्स ग्रान्ट के दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-ख पर एवं शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में खेल सामग्री क्रय हेतु जारी राशि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(3) शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त बिन्दु का जवाब बिन्दु संख्या 2 में ही निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के स्थानांतरण की नीति

419. श्री वीरेंदर सिंह (दांतारामगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, निरीक्षण विभाग तथा कोष एवं लेखा विभाग में मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के एक सीट से दूसरी सीट व एक शाखा से अन्य शाखा में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति एवं नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विभागों में लम्बे समय से एक ही शाखा एवं सीट पर लगे हुए कार्मिकों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्या सरकार भविष्य में उक्त के सम्बन्ध में नीति या नियम बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त विभागों में मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के एक सीट से दूसरी सीट व एक शाखा से अन्य शाखा में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति एवं नियम बने हुए नहीं हैं लेकिन मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों का एक सीट से दूसरी सीट व एक शाखा से अन्य शाखा में कार्य की आवश्यकतानुसार एवं प्रशासनिक आधार पर समय-समय पर पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जाता रहा है।

(2) जी हां। प्रशासनिक सुधार (अनु-1) विभाग के परिपत्र दिनांकित 01.06.2023 द्वारा समस्त विभागों/कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की एक ही स्थान पर पदस्थापन अवधि सामान्यतः 03 वर्ष व विशिष्ट प्रकृति/आवश्यकतानुसार 05 वर्ष से अधिक नहीं हो, की पालना सुनिश्चित करने बाबत निर्देशित किया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

देवली-उनियारा के विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था

420. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में ऐसे कितने राजकीय विद्यालय हैं जहां पर छात्राओं के लिए पृथक् से शौचालय की व्यवस्था नहीं है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सुविधा से विहीन विद्यालयों में छात्राओं के लिए पृथक् से शौचालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्वयं के भवन वाले समस्त विद्यालयों में छात्राओं के लिए पृथक से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

(2) उक्तानुसार।

स्कूल के विद्यार्थियों हेतु ब्रिज कोर्स का संचालन

421. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आगामी वर्ष से स्कूल के विद्यार्थियों हेतु तीन माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस-किस कक्षा के लिए उक्त योजना प्रस्तावित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में कोरोना काल के कारण शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा तथा आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर द्वारा संयुक्त रूप से सत्र 2022-23 में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तीन माह की अवधि का ब्रिज कोर्स संचालित किया गया था। इस ब्रिज कोर्स की रूपरेखा अनुसार कक्षा 08 तक के लिए कार्यपुस्तिकाएं हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषय पर आधारित हैं। जिसके तहत विद्यालय खुलने के प्रारम्भिक तीन माह तक 4 कालांश एवं शेष सत्र के लिए 2 कालांश में कार्यपुस्तिकाओं में शिक्षण करवाया गया।

उक्त ब्रिज कोर्स की सफलता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री

(शिक्षा मंत्री)

महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 बिन्दु संख्या 03 में शैक्षिक वर्ष 2023-24 में भी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 08 तक का ब्रिज कोर्स चलाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

मारवाड़ जंक्शन के क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

422. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने अंग्रेजी माध्यम के नवीन विद्यालय तथा नवीन विषय एवं संकाय खोले गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत शैक्षिक सत्र वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 05 रा.प्रा.वि. को रा.उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षान्तर्गत शैक्षिक सत्र वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न स्तर के कुल 25 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, जो वर्तमान में राउमावि स्तर पर संचालित है, जिनका विवरण परिशिष्ट-क1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षान्तर्गत वर्ष 2019 से 2022 तक कुल 11 नवीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रूपान्तरित किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालयों में नवीन संकाय एवं स्वीकृत विषयों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क में सम्मिलित है तथा माध्यमिक शिक्षान्तर्गत रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के 48,000 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से चयनित आशार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। पात्र अभ्यर्थियों को शीघ्र ही नियुक्ति दी जाकर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षान्तर्गत हिन्दी माध्यम में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से चयनित आशार्थी तथा विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र आशार्थी उपलब्ध होने पर उक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में रिक्त पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरने की प्रक्रिया विभाग द्वारा सतत रूप से सम्पादित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सिरोही में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त आवेदन

423. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिरोही नगर परिषद्, शिवगंज नगरपालिका एवं जावाल नगरपालिका को विगत चार वर्षों में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने आवेदन स्वीकृत किये गये व कितने लम्बित हैं तथा शेष रहे आवेदन कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर परिषद्, सिरोही में वर्ष 2018-2023 तक कुल 402 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 282 आवेदन पात्र पाये गए तथा शेष 122 आवेदन अपूर्ण पाये गये हैं। रूडसिको द्वारा 282 आवेदनों में से 282 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

नगरपालिका शिवगंज में कुल 498 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 467 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं एवं 31 आवेदन शेष हैं, जिनके सर्वे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नवगठित नगरपालिका जावाल उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से सूचीबद्ध नहीं है।

नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा विकास कार्य

424. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2022 तक नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य किन-किन फर्मों को कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में स्वीकृत किये गये कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे कार्य पूर्ण हो गये व कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत किये गये कार्यों के कार्यस्थल, कार्य करवाने वाले संवेदक/फर्म व राशि का वार्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत कार्य में से पूर्ण व अपूर्ण कार्य का विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 06 में आंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सेवारामपुरा (टोंक) ग्राम की अधिग्रहित भूमि को मुक्त करने की कार्ययोजना

425. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को पत्र क्रमांक () सामान्य/2022/2925 दिनांक 15 अप्रेल, 2022 में ग्राम सेवारामपुरा (टोंक) की अधिग्रहित की गई भूमि सिंचित भूमि होने के कारण अवाप्ति से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किस नियम के अन्तर्गत ग्राम सेवारामपुरा (टोंक) की सिंचित एवं उपजाऊ भूमि को अधिग्रहित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्राम की अधिग्रहित की गई भूमि पर अब तक विकास कार्य नहीं कराने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त पर विकास कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अवाप्ति से मुक्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम नं. 1) की धारा 4(1) व धारा-6 एवं संशोधित, 1984 की धारा-11 संपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत अवार्ड जारी कर राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के लिए ग्राम सेवारामपुरा, तहसील टोंक में कुल रकबा 599 बीघा 11 बिस्वा की मण्डल की अवाप्ति की कार्यवाही की गई।

(3) ग्राम सेवारामपुरा, टोंक की अधिग्रहित की गई भूमि पर खातेदारों के विरोध के कारण सर्वे का कार्य नहीं किया जा सका, जिसके कारण भूमि की प्लानिंग की कार्यवाही नहीं की जा सकी एवं विकास कार्य नहीं करवाया जा सका। वर्तमान में अवाप्त भूमि का सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भूमि की प्लानिंग की कार्यवाही मण्डल द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। शीघ्रातिशीघ्र विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उदयपुर में राजस्व कर्मियों के स्वीकृत पद

426. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षक, गिरदावर, अमीन व पटवारी के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो जिला उदयपुर में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा में गीगला, सेमारी, झल्लारा व जयसमंद तहसील के अन्तर्गत कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला उदयपुर मे राजस्व निरीक्षक (गिरदावर), पटवारी, अमीन के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

कार्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर	पटवारी	540	448	92
	गिरदावर (भू-अभि. निरीक्षक)	182	188	0
कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर	पटवारी	60	50	10
	निरीक्षक	15	04	11

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा अमीन के रिक्त पदों को डाइंग कैडर घोषित किया जाकर अमीन के पदों को पटवारी पद में परिवर्तित कर दिया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा में गीगला, सेमारी, झल्लारा व जयसमंद तहसील के अन्तर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। गिरदावर (भू-अभिलेख निरीक्षक) एवं भू-प्रबन्ध विभाग के निरीक्षक के रिक्त पदों को वर्ष 2023-24 की डीपीसी उपरान्त यथासंभव भरे जाने की कार्यवाही

(राजस्व मंत्री)

की जा सकेगी। साथ ही प्रदेश में पटवारी के नवीन स्वीकृत/रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर भर्ती के माध्यम से की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत होटल इकाइयों की स्थापना

427. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत होटल इकाइयों की स्थापना हेतु योजना का सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु लागू की गई ''राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022'' को सरल बनाने के लिए निम्न मुख्य प्रावधान किये गये है:-

- योजना के तहत आवेदित भूमि को भू-संपरिवर्तन/भवन प्लान अनुमोदन से मुक्त रखा गया है।
- आवेदक की स्वघोषणा के आधार पर निर्धारित समय सीमा में ग्रामीण पर्यटन इकाई का पंजीकरण/प्रोजेक्ट अनुमोदन पर्यटन विभाग के स्थानीय पर्यटक स्वागत केन्द्रों द्वारा किये जाने संबंधी प्रावधान किये गये हैं।

ग्रामीण पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु वांछित मार्ग की चौड़ाई 15 फीट रखी गई है।

रेवदर में प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को मुआवजा

428. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विगत चार वर्षों में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मौत, जन हानि, प्राकृतिक आपदा, अग्निकांडों से पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को कब से मुआवजा दिया जाना किन कारणों से लम्बित है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसी राम)

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित प्रत्येक प्रकरण के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? लम्बित प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विगत चार वर्षो (वर्ष 2019 से 2022) में ओलावृष्टि, बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मौत, जन हानि, प्राकृतिक आपदा एवं अग्निकांडों से पीड़ितों में से दस्तावेजों के अभाव में 39 प्रकरण लम्बित हैं।

(2) जी हां। एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार 39 लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कुकरखेड़ा (जयपुर) में कृषि उपज मण्डी हेतु अधिग्रहित भूमि का नियमन

429. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जयपुर जिले के राजस्व गांव कुकरखेड़ा में कृषि उपज मण्डी के लिए अधिग्रहण हेतु अवाप्तिधीन गैर कब्जा प्राप्त भूमि में विभिन्न आवासीय कालोनियों का निर्माण होने पर उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर आवासीय कालोनियों के नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति कुकरखेड़ा एवं माचड़ा के लिए अवाप्तिधीन भूमि में से खसरा नम्बर 332, 333 एवं 334 की 61 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कब्जा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं लिया जा सका है। शेष खसरा नम्बर 405 की 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जमवारामगढ़ में फल, फूल, सब्जी व अनाज मण्डी खोलने की कार्ययोजना

430. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल मीना)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फल, फूल, सब्जी व अनाज मण्डी खोलने हेतु सरकार को विगत दो वर्षों में कब-कब प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में फल, फूल, सब्जी एवं अनाज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बजट वर्ष 2019-20 की घोषणा के क्रम में जमवारामगढ़-जयपुर में फल-सब्जी मण्डी खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2019 को गौण मण्डी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार जमवारामगढ़ में अनाज मण्डी खोले जाने के संबंध में दिनांक 27.06.2023 को मण्डी समिति, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। मण्डी क्षेत्र जमवारामगढ़ में फल, फूल, सब्जी की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2019 को गौण मण्डी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार जमवारामगढ़ में अनाज मण्डी खोले जाने के संबंध में मण्डी समिति से प्राप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात् मण्डी की स्थापना की जा सकेगी।

पंचायत समितियों में खेल मैदान

431. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति में खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो जिला बारां की किन-किन पंचायत समितियों में कहां-कहां पर खेल मैदान का निर्माण कराया गया? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। बारां जिले में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा निर्माण

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

करवाये गये/करवाये जा रहे खेल मैदान वाली पंचायत समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	स्थान	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान स्थिति
1	छबड़ा स्टेडियम छबडा		छबड़ा	मैदानों का समतलीकरण एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य करवाया गया है।
2	छीपा बड़ौदा स्टेडियम छीपा बड़ौदा	छीपा बड़ौदा	छीपा बड़ौदा	मैदानों का समतलीकरण, फुटबाल मैदान एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य करवाया गया है।
3	अन्ता स्टेडियम अन्ता		अन्ता	इन्डोर हाल
4	सिसवाली स्टेडियम सिसवाली	सिसवाली	मांगरोल	इन्डोर हाल
5	खेल संकुल बारां		बारां	400 मी. एथलेटिक्स सिण्डर टैक, फुटबाल ग्राउण्ड, बैडमिन्टन हाल, आफिस बिल्डिंग वालीबाल, खो-खो व कबड्डी निर्मित है।
6	अटरू		अटरू	मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 में अटरू (बारां) में स्टेडियम निर्माण हेतु घोषणा की गई है।
7	शाहबाद	शाहबाद	शाहबाद	मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 में शाहबाद (बारां) में स्टेडियम निर्माण हेतु घोषणा की गई है।

बामनवास के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम

432. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पंचायत मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है, जो राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय होता है।

(2) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 अन्तर्गत सम्भाग/जिला/उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं हेतु मापदंड निर्धारित किये गये हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जाते हैं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।

बाड़मेर में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद

433. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के कुल कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की उप तहसील बिशाला में

(श्री मेवाराम जैन)

राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का विवरण परिशिष्ट 01 एवं 02 पर संलग्न है।

(2) जी हां। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर रिक्त पदों को यथासमय भरा जा सकेगा।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की उप तहसील बिशाला में सत्र 2023-24 में राजसेस के तहत राजकीय महाविद्यालय खोला गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के कल्याण की कार्ययोजना

434. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जनघोषणा पत्र 2018 में निजी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा व कल्याण हेतु नीति निर्धारण करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जनघोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 27.55 के अन्तर्गत निजी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं कल्याण हेतु नीति निर्धारण करने की घोषणा की गई थी।

निजी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा व कल्याण का कार्य उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विचाराधीन विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से करवाया जाएगा।

विनियामक प्राधिकरण के गठन हेतु स्टेक होल्डरों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत ''राजस्थान निजी उच्च शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक'' का प्रारूप तैयार कर विधिक्षा हेतु विधि विभाग को भिजवाया जा चुका है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वर्तमान में भी निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है यथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।

मांडलगढ़ में जारी श्रमिक कार्ड

435. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये गये व कितने प्रक्रियाधीन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में कितने श्रमिकों को श्रमिक कार्ड का कितना-कितना लाभ मिला? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक मण्डल में स्वीकृत तथा लम्बित पंजीयन आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में मण्डल द्वारा स्वीकृत आवेदनों का मय राशि विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

लाडपुरा में पंजीकृत श्रमिकों को भुगतान

436. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में माह जनवरी, 2021 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक कितने पंजीकृत श्रमिकों को किस-किस योजना में कितना-कितना भुगतान किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के लिए

(श्रीमती कल्पना देवी)

विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2022 तक स्वीकृत योजनावार आवेदनों का मय स्वीकृत राशि विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्रवार बजट आबंटन नही होता है। मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार जिले को बजट आवंटित किया जाता है एवं वरीयतानुसार आवेदनों का निस्तारण एवं भुगतान होता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में कोटा जिले को क्रमशः रु. 5.70 करोड़ एवं रु. 3.30 करोड़ बजट राशि आबंटित की गई।